[redacted] Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

बृहस्पतिवार, २३ मई, १६५७

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३०६

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

(अनुपस्थित)

श्री गज्जा पटेल।

जनता में वितरण हेतु सीमेन्ट, चद्दर व नमक का कोटा

३१०. **श्री गज्जा पटेल** (मीनापट्टी) : क्या रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

( ) क्या जनता में वितरण हेतु सीमेन्ट, चद्दर व नमक का कोटा तहसील–वाइज़ दिया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो तहसील सिकराय का कोटा अब तक क्यों नहीं दिया गया और अब कब तक दिया जा सकेगा ?

रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) सीमेन्ट, चद्दर व नमक का कोटा जिलेवार दिया जाता है।

(ख) सिकराय का कोटा जिले के कोटे में शामिल है।

श्री दलपतसिंह : तहसील का कोटा वितरण करने का पॉवर किसको दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिलेवार कोटा वितरित होता है। कोटा एलोट जो किया जाता है वह सब कमेटी द्वारा होता है और उन्हीं के द्वारा जिलों में कोटा वितरण होता है।

श्री दलपतसिंह : जिले में कोटा वितरण करने का अधिकार किसको होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्टोक होल्डर्स अोइन्ट किये जाते हैं, वे ही वितरण करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिलेवार जो कोटा दिया जाता है उसके लिये क्या कोई एरिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आबादी के हिसाब से।

श्री दलपतसिंह : तहसीलों के लिये जो कोटा दिया जाता है वह तहसीलदार देता है या और कोई देता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया, जो एलोटमेंट होता है वह जिलेवार होता है और पोपुलेशन की बेसिस पर होता है।

श्री दलपतसिंह : तहसीलवाइज़ कोई पहुंचाता तो होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्टॉक होल्डर्स द्वारा सप्लाई होता है।

श्री तनसिंह : क्या स्टाक होल्डर की जिला हैड क्वार्टर पर दुकान रहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जरूरी नहीं कि वह सब डिवीजन में रखे।

श्री तनसिंह : तो ऐसा माना जाय कि स्टॉक होल्डर्स की दुकानें जिले से बाहर होती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां के वे रहने वाले होते हैं उस जिले का कोटा देते हैं और स्टॉक होल्डर्स को अपोइन्ट कर देते हैं, व सब को डिस्ट्रिब्यूट करते है।

श्री तनसिंह : क्या सरकार ऐसा विचार नहीं करती कि जिले के बाहर जिनकी दुकानें होती हैं वहां से लोगों को लाना पड़ता है और तकलीफ का अनुभव करना पड़ता है, इसके लिये जिले के हैडक्वाटर पर दुकान रखना लाजिम नहीं है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिले के हैड क्वार्टर पर दुकानें होनी चाहिये और स्टाफ वहां रहना चाहिये।

श्री तनसिंह : मेरा सवाल यह था कि ऐसे भी स्टोक होल्डर्स हैं जिनकी दुकानें उस जिले में नहीं जिस जिले के लिये कि उनको माल मिला है, जिले से बाहर उनकी दुकानें होती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है, आप जानकारी देगें तो मैं देखूंगा।

श्री तनसिंह : बाड़मेर का उदाहरण आपके सामने रखता हूँ।

श्री दलपतसिंह : आप तहसील वाइज कोटा नहीं बांट सकते क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा ही सिस्टम है, इसीमें कोई दिक्कत नहीं।

श्री दलपतसिंह : इस पर शिकायतें आयंगी, तो क्या आप सोचेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विचार किय जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : क्या वर्ग शिकायत के विचार नहीं हो सकता ?

बाड़मेर जिले में डामर की सड़कें

३११. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बाड़मेर जिले में डामर की कितनी सड़कें हैं और वे कितने मील लंबी हैं ?

(२) क्या आगामी पांच वर्षों में बाड़मेर जिले में कोई डामर की सड़क बनाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कौनसी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) कोई नहीं।

(२) हां, बालोतरा से बाड़मेर तक।

Page No.3

[redacted]

बीकानेर में सस्ते अनाज हेतु स्थाई व अस्थाई व्यवस्था

३१२. **श्रीमुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या रसद मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बीकानेर में सस्ते अनाज के लिये स्थाई व अस्थाई क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं तो, क्यों और किसकी जिम्मेदारी है?

(ख) राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितना गेहूँ प्राप्त किया और उसका किस प्रकार किस २ क्षेत्र में वितरण किया गया ?

रसद मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) बीकानेर में सस्ते गेहूं की १४ दुकानें अस्थायी तौर पर खोली गई हैं ।

(ख) सरकार ने सस्ते गेहूँ के इस प्रकार वितरण की अस्थायी व्यवस्था की है । नीति सम्बन्धी कोई अवहेलना किसी अधिकारी की ओर से होना प्रतीत नहीं होता । यह संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : यह १४ दुकानें बीकानेर में किसके द्वारा खोली गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कलेक्टर ने इन्तजाम किया है दुकानें खुलवाने का ।

श्रीमुरलीधर व्यास : दुकानें सरकार की तरफ से खोली गई हैं; सरकार द्वारा चलती हैं या अन्य लोगों द्वारा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार की तरफ जो अनाज सप्लाई किया जाता है दुकानदार प्राइवेट होते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : ये जो १४ दुकानें बतायी गई हैं कब से खोली गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सात-आठ महीने से हैं शायद ।

श्री मुरलीधर व्यास : शायद नहीं; आप पूरी तरह से बताने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख का तहकीक तो नहीं कह सकता, ऐसी मेरी जानकारी है कि दो-तीन महीने से है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में जो तालिका दी गई है उससे यह मालूम पड़ता है कि दूसरे इलाकों की अपेक्षा इस जगह के लिये अन्न की मांग ही नहीं की गई, सिर्फ २० टन और ३७ टन अनाज मिला है, क्या इतने से अन्न से वहां की जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप अलोटमेंट के फीगर्स देखेंगे तो आपको सही बात का पता लग जायगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : अलोटमेंट के फीगर्स के आधार पर ही कह रहा हूँ कि बीकानेर में दिसम्बर मास में ३३ टन और जनवरी में ७२ टन; इसी प्रकार फरवरी में २० टन अनाज दिया गया है; क्या इतना अन्न आप पर्याप्त समझते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे खयाल से अलोटमेंट की फीगर्स ज्यादा हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर को जो गवर्नमेंट द्वारा कोटा अलोट किया गया, उसका

(श्री मुरलीधर व्यास)

ठीक प्रकार से वितरण हो, सरकार ने क्या इन्तजाम किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनता में वितरण करने के लिये ही तो यह इन्तजाम किया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कब विचार किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब अनाज का कोटा अलोट कर दिया गया तो कलेक्टर को कह दिया गया कि वे दुकानदारों को तैयार करें। इसे बेचने के लिये स्टॉक होल्डर्स को तैयार किया गया कि वे अनाज मंगा लें।

श्री मुरलीधर व्यास : अब क्या वहां अनाज की जरूरत नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जरूरत है तभी तो भेजा गया है।

श्रीमुरलीधर व्यास : जैसा कि पहले कहा गया पांच-सात महीने तक कोई व्यापारी अनाज लेने को तैयार नहीं हुए। रुपये जमा नहीं कराये, वैसी हालत में क्या सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं थी कि वहां के लोगों के लिये अनाज की व्यवस्था करती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार द्वारा ही तो व्यवस्था की गई है। सरकार ने कलेक्टर को यह आदेश दे दिया था कि वे दुकानदारों को तैयार करें और अनाज मंगा लें।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कब से किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोटा अलोट हुआ दिसम्बर में।

श्री मुरलीधर व्यास : कब किया गया, तिथि बताने की कृपा करेंगे !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दिसम्बर में ही सब जगह कोटा अलोट हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : उस समय क्या यह अनाज जनता को मिला है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि दुकानदार इस बात के लिये तैयार नहीं थे इसलिये इसके अन्दर देरी हुई।

राजस्थान में पाकिस्तान सरहद पर होने वाला सोने इत्यादि का व्यापार

३१३. **श्रीमती कमला श्रोत्रिय** (भीलवाड़ा): क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

राजस्थान-पाकिस्तान के सरहद पर जो सोना आदि वस्तुओं का तस्कर व्यापार हो रहा है उसको रोकने के लिये राज्य सरकार ने क्या सक्रिय कदम उठाये हैं और उनमें कहां तक सफलता मिली है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : पुलिस और आर. ए. सी. की जो फोर्स बोर्डर पर तैनात है उनको माल पकड़ने के पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं और यह भी आदेश दिया गया है कि पशुओं तक को सरहद पार न करने दिया जाय, माल एवं पशुओं को जब्त किया जाय और कानूनी कार्यवाही की जाय।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : अब कितना सोना पकड़ा गया अवैधानिक तौर से ले जाते हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह प्रश्न इससे तो सम्बन्ध नहीं रखता, फिर भी आपकी

(श्री रामकिशोर व्यास)

सूचना के लिये बता देता हूँ कि करीब ४५ तोला सोना जैसलमेर सेक्टर में पकड़ा गया है, बाड़मेर सेक्टर में करीब १,२४८ तोला सोना जिसकी कीमत १ लाख २८ हजार है पकड़ा गया है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या यह सच है कि कुछ गण्यमान सज्जन भी इस प्रकार के तस्कर व्यापार में सम्मिलित हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो पकड़े गये हैं उनकी सूची तो है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस संबंध में जैसलमेर में कुछ अरेस्ट्स की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग से सवाल है।

सांचोर में स्थापित राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

३१४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सांचोर, जिला जालोर राष्ट्रीय विस्तार खण्ड की स्थापना कब हुई ?

(२) वहां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कब आया और आने के बाद कितने अर्से तक ट्रेनिंग में रहा ?

(३) उपरोक्त ब्लॉक ने अब तक क्या प्रगति की है ?

सामुदायिक विकास योजना मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) ग्राम सेवा खंड सांचोर की स्थापना १-४-५६ को हुई।

(२) विकास खंड अधिकारी ने ता० १८-६-५६ को कार्य भार संभाला। यह १२ अगस्त से दो माह की ट्रेनिंग में भेजा गया।

(३) प्रगति सन्तोषजनक है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि सांचोर में सीमेन्ट, लोहा, चद्दर की व्यवस्था न होने के कारण राष्ट्रीय विस्तार खंड ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जो रिपोर्ट आयी है उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आप ऐसी बात कहते हैं तो दुबारा जांच करूंगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या कोऑपरेटिव इन्स्पेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से सवाल, है इस समय जानकारी नहीं है। आप मुझसे पूछ लेना।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह काम ठीक तरह से हो रहा है, इसकी रिपोर्ट आपके पास कब आयी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिटेल्ड रिपोर्ट हर माह आती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह रिपोर्ट कौन से महीने में आयी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेटेस्ट रिपोर्ट कल आई है मेरे पास।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो क्या क्या प्रगति हुई, क्या २ काम हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद : कम्पोस्ट खाद तैयार किया गया १० मन, २६३० व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया डिमोन्स्ट्रेशन द्वारा, ११७ एकड़ में बीज बोये गये। ४००० पशुओं के टीके लगाये गये, १६५०७ एकड़ जमीन रिक्लेम की गई, ११८ कच्चे कुए बनाये गये, ४६० एकड़ जमीन इर्रिगेटड की गई, ७७ कूए गहरे किये गये। इस तरह सिंचाई पर खर्च हुआ बीस हजार और गांव की सफाई का काम किया गया। इस तरह से बहुत से काम हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : समाज शिक्षण सम्बन्धी क्या काम किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद : जो जो होना चाहिये था।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : मैं निश्चित सूचना चाहता हूँ कि समाज कल्याण के लिये क्या काम किया गया? नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लॉक में यह काम बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : यह तो विशेष प्रश्न है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह इन ब्लॉक्स का अनिवार्य कार्य-क्रम है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : जितने काम थे वे तो बता दिये।

श्री जनार्दनराय नागर : सूचनाएं जो दी हैं उनमें समाज शिक्षण का क्या काम हुआ, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि कोई काम वहां इस सम्बन्ध का हुआ ही नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कॉम्युनिटी मीटिंग्स और मेलों का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। प्रौढ़ों को शिक्षण दिया गया।

श्री मदनसिंह : जो काम नहीं हुए इसको और फरमा दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाकी काम नहीं हुए हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं माननीय मन्त्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि सांचोर तहसील के ब्लॉक में कुछ भी काम नहीं किया गया है। आप इसको नोट कर लीजिये।

धौलपुर जिले की तहसीलों में स्थापित सहकारी समितियें

२१५. श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या कृषि मन्त्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(क) धौलपुर जिले की किस किस तहसील में कितनी सहकारी समितियां हैं ?

(ख) उनका मूल-धन क्या है ? क्या सरकार को उनकी प्रगति से सन्तोष है ? यदि नहीं, तो प्रगति के लिये क्या व्यवस्था करने जा रहो है ?

(ग) धौलपुर तहसील के डांग क्षेत्र में क्या कोई सहकारी समितियां हैं ? यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) धौलपुर उपजिले में स्थित सहकारी समितियों की संख्या तहसीलवार निम्न प्रकार है :—

१. धौलपुर	६०
२. बाड़ी	४८
३. बसैड़ी	५६

(श्री नाथूराम मिर्धा)

४. राजाखेड़ा	२५
कुल	१८६

(ख) इन समितियों की हस्से की पूंजी (मूल-धन) १,१४,६३५) रु० है।

(ग) जी हां।

कृषि उपज को अच्छी कीमत पर विक्रय के लिये समितियाँ बसेडी व धौलपुर में बनाई जा रही हैं जिससे कृषक सदस्यों को अधिकाधिक लाभ होगा। विकास खण्डों को पूर्ण रूप से सहकारी समितियों से आच्छादित करने के लिये योजना बद्ध कार्य किया जा रहा है जिसमें अधिकतर सफलता मिल चुकी है।

(ग) अब तक इस भूभाग में कोई कार्य नहीं हुआ है और न वहां पर कोई सहकारी समिति ही है, जिसके निम्न कारण हैं :—

(१) यह इलाका पहाड़ी है और कृषि योग्य नहीं है।

(२) केन्द्रीय बैंकों से इस समय तक कृषि कार्य हेतु ही ऋण देने की व्यवस्था की गई है।

(३) इस इलाके में यातायात के साधन कम हैं।

अन्य प्रकार की सहकारी समितियां जो वहां उपयुक्त हों स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

काशीपुरा (बस्सी) में श्री कल्याणमल को सार्वजनिक कूआ निर्माणार्थ दिया गया रुपया

३१६. श्री प्रभुदयाल पुरोहित (लालसोट : क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सामुदायिक विकास खण्ड बस्सी द्वारा काशीपुरा गाँव में श्री कल्याणमल पाटनी को सार्वजनिक कूआ निर्माण के लिये कितने रुपये दिये गये थे ?

(ख) क्या उन रुपयों का सही उपयोग किया गया है।

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त रकम के दुरुपयोग की एस० डी० ओ०, जयपुर द्वारा जांच की गई है ?

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सामुदायिक विकास योजना मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) बस्सी सामुदायिक विकास खण्ड द्वारा काशीपुरा में सार्वजनिक कूए को उन्नत करने हेतु ८००) रु० वहां के विकास मण्डल के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण को २६-३-५६ को दिये गये।

(ख) यह अभी सन्देहास्पद है। जांच की जा रही है। एस. डी. ओ. जयपुर द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से इस रकम का सही उपयोग किया जाना नहीं प्रतीत होता है।

(ग) जी हाँ।

(घ) एस. डी. ओ. जयपुर की जांच के फलस्वरूप, तत्कालीन विकास मण्डल के अध्यक्ष, श्री कल्याणमल पाटनी द्वारा पेश किया गया हिसाब सही प्रतीत नहीं होने पर आगे की कार्यवाही के लिये मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र : तो क्या यह रुपया कल्याणमलजी पाटनी को नहीं दिया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो विकास मण्डल के चैयरमेन थे, इस हैसियत से दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र : वह चैयरमेन कौन, पाटनी जी थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र : अभी आपने दूसरा नाम बताया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लक्ष्मीनारायण है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कल्याणमलजी पाटनी के बारे में है।

श्री सतीशचन्द्र : अभी आपने दूसरा नाम बताया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया था कि वहां के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण को दिया गया था।

श्री सतीशचन्द्र : अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण जी हैं या कल्याणमलजी पाटनी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके बाद दूसरा अध्यक्ष चुना गया और पाटनी ने ही हिसाब दिया था और जब हिसाब दिया गया तो दूसरा आदमी चुना गया। अब हिसाब में गड़बड़ी मिली तो मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। यह रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूँ।

श्री सतीशचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हैं कि पता भी नहीं है माननीय मिनिस्टर साहब को। रिपोर्ट जैसी आ जाती है उसी के आधार पर कह देते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास सारी जानकारी है और वह जानकारी रिपोर्टों के आधार पर ही होती है, मेरी कोई पर्सनल जानकारी नहीं होती, जानकारी के आधार पर ही कहा जाता है। बाद में प्रेसीडेन्ट ने हिसाब दिया, एस. डी. ओ. ने उसकी जांच की और अब मामला पुलिस को दे दिया गया है।

श्री नाथूलाल : किसको दिया गया, पाटनी को या कल्याणमलजी को ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारा मामला पुलिस को दे दिया गया है। जिसके खिलाफ भी हो, अब वही जवाब देगा।

ग्राम खवास (त० रायपुर) में जल कष्ट निवारणार्थ नहर लाने की योजना

३१७. **श्री शिवचरणदास (मांडल) :** क्या सिंचाई मन्त्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(क) ग्राम खवास, रायपुर तहसील, रायपुर, जिला भीलवाड़ा में पानी कष्ट दूर करने के लिये क्या सरकार नहर ला रही है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक और अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उपसिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी ओवरसियरों की कमी होने के कारण इस विषय में सर्वे होकर कोई

Page No.9

(श्री भीखाभाई)

एस्टीमेट नहीं बन पाया है। आशा है कि अगले दो वर्षों में इस पर सर्वे हो पायेगी।

श्री शिवचरण : क्या यह सही है कि चुनावों के दिनों में इस सर्वे के काम की मन्जूरी हुई थी ?

श्री भीखाभाई : इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री शिवचरण : तो क्या यह सही है कि उनको यह आदेश दिया गया था कि कुछ महीनों में इसका काम शुरू किया जावेगा ?

श्री भीखाभाई : इसकी भी कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री तनसिंह : तो सर्वे अभी चालू है क्या ?

श्री भीखाभाई : यह तो पहले ही कह दिया कि चालू नहीं है।

श्री तनसिंह : यह सर्वे अब कब चालू किया जा रहा है ?

श्री भीखाभाई : स्टाफ की कमी के कारण दिक्कत है। जल्दी ही चालू करके दो वर्ष में पूरा कर सकेंगे।

श्री शिवचरण : आपको मालूम है, पानी की वहाँ बहुत कमी है।

श्री भीखाभाई : इसीलिये तो कहा है न, जल्दी की जावेगी।

श्री मदनसिंह : दो साल मामूली पीरियड होता है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : वक्त तो काफी होता है पर मजबूर हैं ?

श्री सरदारसिंह : मजबूरी का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्टाफ नहीं मिलता।

श्री सरदारसिंह : तो लोग क्या प्यासे ही मर जावें ?

श्री रामकिशोर व्यास : अब तक हजार दो हजार वर्ष से जिस तरह से काम चला रहे हैं वैसे कुछ दिन और चला लेंगे।

(हंसी)

खाद्यान्नों व कपड़े के मूवमेन्ट पर नियंत्रण उठाने सम्बन्धी

३१८. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या खाद्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में खाद्यान्नों व कपड़े के मूवमेन्ट पर से नियन्त्रण कब हटाया गया ?

(ख) क्या परमिट के बिना अब भी कपड़ा नहीं ले जाया जा सकता है ?

(ग) क्या यह सही है कि बाड़मेर व शिव तहसीलों में अभी तक कपड़े के रखने व लाने-लेजाने पर नियन्त्रण है ?

(घ) यदि हां, तो परमिट किस कानून के अन्तर्गत दिए जाते हैं और क्या वह कानून अभी तक निरस्त नहीं किया गया है ?

(ङ) क्या सरकार परमिट प्रथा को शीघ्रातिशीघ्र बन्द कराने के आदेश जारी करेगी।

खाद्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) राजस्थान में खाद्यान्न और कपड़े

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

के मूवमेंट पर से नियंत्रण क्रमशः १६५२–१६५४ में हटाया गया पर कोरीडोर एरिया पर अभी तक लागू है ।

(ख) परमिट के बिना कपड़ा, सिवाय कोरीडोर एरिया के सब जगह लाया ले जाया जा सकता है ।

(ग) हाँ ।

(घ) खाद्यान्न का परमिट नोटिफिकेशन के नम्बर ११ एन ६. एफ ता० १२–८-४६ के मातहत व कपड़े का परमिट नोटिफिकेशन नम्बर एफ १४ (३) सी० एस० सी० ५२ ता० २६–७–५२ के मातहत दिया जाता है और यह कानून अभी तक निरस्त नहीं किये गये हैं ।

(ङ) कोरीडोर एरिया होने के कारण यह नियन्त्रण इस एरिया में जारी रखना ठीक समझा गया है ।

श्री तनसिंह : यह कोरीडोर एरिया कितने मील का है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह करीब बीस मील का शुमार किया जाता है, मुझे तहक़ीक तो मालूम नहीं है ?

श्री तनसिंह : यह परमिट प्रणाली इस कोरीडोर एरिया में किस कानून के आधार पर चल रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा न कि परमिट के नोटिफिकेशन नम्बर ११ । एन । ६. एफ ता० १२-८-४६ खाद्यान्न के बारे में है और कपड़े के बारे में नोटिफिकेशन नम्बर एफ १४ (३)सी. एस. सी. ५२ ता० २६-७-५२ है । तो इनके अन्तर्गत परमिट प्रणाली चलाई जा रही है ।

श्री तनसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये आज्ञायें किसी कानून के अन्तर्गत निकाली गई हैं या बिना किसी कानून के ही निकाल दी गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह जो हवाला दिया है वह आज्ञा का ही दिया है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर्स किस कानून के अन्तर्गत, जिसके लिए सरकार को अधिकार था, उसके नीचे दिये गये; यह पूछ रहे हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खाद्यान्न का नियन्त्रण ५२, ५४ में हटा दिया गया था लेकिन इस कानून के अन्तर्गत जो कोरीडोर एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेविंग क्लॉज़ रख लिया गया था । उसके अन्तर्गत ये सर्कुलर्स जारी किये गए ।

श्री तनसिंह : आप कह रहे हैं कि नियंत्रण का कानून रद्द हो चुका है और जो आज्ञायें जारी की गई हैं वे किस कानून के अन्तर्गत जारी की गई हैं ? क्या कानून को रद्द करते समय इस प्रकार का प्रोविजन रखा गया था कि कोरीडोर एरिया में ऐसा बन्धन चलता रहेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो कानून रद्द हो चुका है उसमें सेविंग क्लॉज़ है और उसके अन्तर्गत सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, इसलिए उसके अन्तर्गत सर्कुलर निकाले गये ?

श्री तनसिंह : क्या सेविंग क्लॉज़ में इस चीज को वापिस इम्पोज़ कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इम्पोज़ करने का सवाल नहीं है, कोरीडोर एरिया के लिये शुमार किया गया है।

श्री तनसिंह : यह कौन सा कानून है जिसका आप वह सेविंग क्लॉज़ बता रहे हैं ? यह किस कानून के अन्तर्गत है

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १९५५ का कानून, जिसके अन्तर्गत नियंत्रण रद्द किया था।

श्री तनसिंह : उस कानून का नाम भी तो होगा ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : जिस नोटिफिकेशन का हवाला दिया है उसको यदि देख लें तो आपको पता चल जायगा।

(विराम)

श्रीमती गंगादेवी।

श्री तनसिंह : इन्होंने बताया नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह कानून अभी मेरे पास मौजूद नहीं हैं।

अलवर जिले में म्युनिसिपल व टाउन कमेटीज़

३१९. **श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अलवर जिले में कितनी म्युनिसिपल कमेटियां हैं और कितनी टाउन कमेटियां हैं ?

(ख) क्या इन सब की चुनाव अवधि समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या चुनाव सम्पन्न करा दिये गये हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि राजगढ़ नगरपालिका के चुनाव नोमिनेशन पेपर दाखिल होने के एक घंटे पूर्व, दो बार अनिश्चित काल के लिए स्थगित कराये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसी प्रकार तिजारा म्यु० चुनाव भी दो बार स्थगित कराये गये हैं ?

(घ) अलवर म्यु० बोर्ड के चुनाव अभी तक न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इन चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहती है ?

(ङ) अलवर म्यु० बोर्ड के प्रेसीडेन्ट को क्यों इस्तीफा देना पड़ा था ? अब उनके स्थान पर अध्यक्ष कौन चुना गया है ? यदि चुनाव नहीं हो पाया है तो इसके क्या कारण हैं ?

(च) अलवर म्यु० बोर्ड के एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर ने कौन सी तारीख को इस्तीफा दिया था और उनके बाद इस स्थान पर कौन नियुक्त हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) अलवर जिले में ४ टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ कमेटियां हैं।

(ख) जी हां, चुनाव नहीं हुए।

(ग) दो बार चुनावों को स्थगित करने के आदेश दिये गये क्योंकि आम चुनाव होने वाले थे। सारे राजस्थान में चुनाव स्थगित किये गये थे।

(घ) अलवर नगरपालिका की बढ़ाई हुई अवधि ३०-४-५७ को समाप्त हुई है। मतदाताओं की सूची आम तौर पर पूरी नहीं

Page No.12

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हुई थी इसलिए चुनाव समय पर सम्पन्न नहीं हो सके । अब सब स्थानों पर तारीखें कायम कर दी गई हैं ।

(ङ) उन्हें गवर्नमेंट पोस्ट पर नियुक्ति मिल गई इसलिए त्यागपत्र दे दिया । प्रेसीडेन्ट तथा अधिकांश सदस्यों के त्याग-पत्र मिलने पर सरकार ने नगरपालिका का कार्यक्रम पांच सदस्यों की एक एडहॉक कमेटी को सौंप दिया है ।

(च) भूतपूर्व एग्जीक्युटिव ऑफिसर का त्यागपत्र दिनांक २५-८-५६ को स्वीकृत हुआ । इस पद पर अब भी कालूसिंह बाफना को नियुक्त किया है ।

श्रीमती गंगादेवी : 'ग' प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आया ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह मैंने अर्ज किया कि २ बार चुनाव स्थगित किये गये, आम चुनावों के कारण सारे राजस्थान में स्थगित कर दिये गये थे । एक स्कुलर जारी हुआ था, अगस्त में हुआ था कि अभी चुनाव नहीं कराये जाय, वर्क का डुप्लीकेशन हो रहा था । दुबारा हुआ कि जुलाई और अगस्त में कराये जांय । लेकिन आम चुनावों के कारण सारे राजस्थान में चुनाव स्थगित कराये गये ।

श्री बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, चुनाव चिन्ह और नोमिनेशन पेपर तक अलॉट कर दिये गये थे, फिर चुनाव क्यों स्थगित कराये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, ऐसा नहीं हुआ ।

श्री सूबेदारसिंह : तिजारा में तो नोमिनेशन भी भर दिये गये थे । म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिए नोमिनेशन पेपर भी भर दिये गये और उनको सिम्बल्स भी अलॉट हो गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्रीमती गंगादेवी : जानकारी में नहीं है, यह तो ठीक नहीं हुआ । मैं स्पष्ट कर रही हूं कि उनको सिम्बल्स अलॉट कर दिये गये थे । तीन मेम्बर अनअपोज्ड आये और उसके बाद इलेक्शन्स को स्थगित किया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हो सकता है सर्कुलर बाद में पहुँचा हो ।

श्रीमती गंगादेवी : जानकारी से नहीं । मैं आपको तारीख भी बता सकती हूं इसकी । १३- १२- ५६ को स्थगित किये गये । ये क्या किये गये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो आप इन्फॉर्मेशन दे रही हैं । जो कारण थे वे तो मैंने निवेदन कर दिये ।

श्री सतीशचन्द्र : क्या सरकार ने आम चुनावों के कारण ही राजस्थान में म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव स्थगित किये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा था कि दो बार स्थगित किये गये, चुनावों के पहले और दूसरा बाद में । आम चुनावों में मशीनरी लगी हुई थी इसलिए स्थगित किये ।

श्री सतीशचन्द्र : क्या सारे राजस्थान में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे राजस्थान में ।

Page No.13

श्री सतीशचन्द्र : वह सर्कुलर कौनसी तारीख को जारी किया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहला है २६-८-५६ और दूसरा है ११-४-५७ को।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अजमेर में चुनावों के एनकरीब ही म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कराने के क्या कारण थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह उस गवर्नमेन्ट का आदेश था।

श्री गोकुलचन्द : एडहॉक कमेटी में कौन प्रेसिडेन्ट हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : अजमेर।

श्री गोकुलचन्द : अलवर म्युनिसिपैलिटी की एड हॉक कमेटी में कौन प्रेसिडेन्ट और कौन २ सदस्य हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे कांग्रेस के नहीं हैं।

श्री गोकुलचन्द : कोई आधार रखा गया है कि इस आधार पर रखा गया। किस आधार पर वह नामजदगी हुई ?

श्री तनसिंह : जिस पर सरकार की कृपा हो गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे किसी पार्टी के नहीं हैं, नोन पार्टीमेन हैं; बहुत योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

श्री गोकुलचन्द : क्या उस एड हॉक कमेटी में दो भूतपूर्व म्युनिसिपल कमीश्नर्स भी हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार ने कोई सिद्धान्त बना लिया है कि कांग्रेस में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को एड हॉक कमेटी में न लिया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय मंत्री महोदय ने दो बार कहा, तो मैं यह समझा कि कोई ऐसा सिद्धान्त बना लिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं ऐसा सिद्धान्त नहीं है।

श्री गोकुलचन्द : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। क्या इस एड हॉक कमेटी में दो भूतपूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे मालूम, है इसमें ताज्जुब की क्या बात है ?

श्री भानसिंह : Has the Government consulted the Collector before appointing the Ad hoc Committee.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It was on his recommendation.

श्री भैरोंसिंह : अलवर में ही एड हॉक कमेटी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, बाकी में यह क्यों नहीं पड़ी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां कलेक्टर और एस० डी. ओ. को अधिक काम रहता है।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे अधिकारी को नियुक्त कर सकते थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके लिए पेमेंट का सवाल था।

Page No.14

श्री अध्यक्ष : श्री नाथीसिंह।

श्रीमती गंगादेवी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी।

श्रीमती गंगादेवी : राजगढ़ के लिए कहा। १७-३-५६ को एक विज्ञप्ति निकाली है, उसमें सर्कुलर वगैरह है। यह कहा गया है कि चुनाव किये जावेंगे। तारीखें भी फिक्स की गईं, फिर यह विज्ञप्ति किस आधार पर निकाली गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : फिर से पूछिये ?

श्रीमती गंगादेवी : १७-३-५६ को एक विज्ञप्ति तहसीलदार ने निकाली है, उसमें चुनावों की डेट फिक्स करके भेजी गई है। नोमिनेशन फॉर्म उसके अनुसार भर दिये गये, उसके बाद तहसीलदार वगैरह कोई नहीं मिले ?

श्री अध्यक्ष : वे कह रही हैं कि पहले तहसीलदार द्वारा तारीखें निश्चित की गई थीं किन्तु तहसीलदार वगैरह कोई नहीं पहुँचे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह सरकुलर जारी हो चुका था इसलिए नहीं पहुँचे होंगे।

श्रीमती गंगादेवी : कोई कारण उसमें नहीं दिया गया था, क्या वजह थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया था, नहीं पहुंचे होंगे।

श्री सूबेदारसिंह : सर्कुलर तो २५-८-५६ को जारी किया गया है। यह मार्च की बात है, नोमिनेशन फॉर्म भर दिये गये मार्च सन् ५६ को।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है। मैं जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्रीमती गंगादेवी : जानकारी प्राप्त मैं करा सकती हूँ।

श्री मदनसिंह : कभी आपका ऐसा दिन भी आयगा कि आप जानकारी प्राप्त करेंगे।

श्रीमती गंगादेवी : इसका उत्तर सही मिलना चाहिये, कल भी गलत मिल गया था।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि जानकारी करेंगे।

श्रीमती गंगादेवी : उनको जानकारी नहीं है तो मैं कर दूं। सही सही जवाब देना चाहिये। तिजारा में भी ऐसा हुआ जो अभी फरमाया। यह गवर्नमेंट की वजह से सारे राजस्थान में करना पड़ा। वह सारा का सारा गलत हो गया, तीन तीन मर्तबा हो गया। सर्कुलर निकाल कर चुनाव रोका गया।

श्री श्रीमानसिंह : १७ मार्च, ५६ को ऑर्डर हुआ है, फिर २८-८-५६ को चुनाव क्यों नहीं कराये गये ? इस सम्बन्ध में टेलीफोन वगैरह किये गये थे क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझा नहीं। जो चुनाव इस सर्कुलर के बाद होने को थे वे बंद कर दिये गये।

श्री अध्यक्ष : चुनाव मार्च में हुए या अगस्त में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मार्च में अलग और अगस्त में अलग सर्कुलर निकाला गया।

Page No.15

श्री सूबेदारसिंह : १७ मार्च, ५६ को नॉमिनेशन फॉर्म्स भजे गये, सिम्बल्स एलॉट हुए, केन्डिडेट्स ने जमानतें दे दी, लेकिन चुनाव नहीं किये गये, उसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है।

श्री सूबेदारसिंह : प्रश्न यह है, क्या यह सत्य है कि राजगढ़ नगरपालिका के चुनाव नोमिनेशन पेपर दाखिल होने के एक घंटा पूर्व दो बार अनिश्चित काल के लिये स्थगित कराये जा चुके हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या इसी प्रकार तिजारा म्युनिसिपल चुनाव भी दो बार स्थगित कराये गये हैं ?

तो पहली बार स्थगित हुआ इसका कारण क्या था और कौन से सर्कुलर और नोटिफिकेशन से ऐसा किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट ने दो बार ऑर्डर दिये, कलेक्टर ने और दिया होगा तो पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि गवर्नमेन्ट के ऑर्डर के बावजूद भी कलेक्टर तारीख निश्चित कर सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट के बावजूद कर सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट ऑर्डर्स के बावजूद नहीं।

श्रीमती गंगादेवी : इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप मूव कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जो जानकारी इनके पास थी वह दे दी।

श्री सूबेदारसिंह : महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि २५.८.५६ को एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया था लेकिन अब तक एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर नहीं भेजा गया, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी अपोइन्टमेन्ट तो आप ही के हाथ की बात थी। आप बोर्ड के मेम्बर थे, आपने क्यों नहीं अपोइन्टमेन्ट की ?

श्री भैरोंसिंह (१४) : ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी की तरफ से एक सदस्य पर आरोप लगाया गया है और यह कहा गया कि इसकी अपोइन्टमेन्ट के लिये आप जिम्मेवार हैं। मैं समझता हूँ, अधिकृत रूप से कहने की जरूरत नहीं थी। या तो वे साबित करें या अपने शब्द वापिस लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें शब्द वापिस लेने का सवाल नहीं है। जब बोर्ड अपोइन्टमेन्ट करता है तो गवर्नमेन्ट को कैसे जिम्मेदार समझा जाता है ?

श्री सूबेदारसिंह : बोर्ड की पार्टी मीटिंग में आपकी तरफ से निर्देश मिला है कि एक अच्छा एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर देंगे, पर अब तक आप उसका इन्तजाम नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष : इस तरह का वादविवाद नहीं होना चाहिये।

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती गंगादेवी : माननीय अध्यक्ष,....

श्री अध्यक्ष : Order please!

चक मंडल से सहसर दहर तक व कलावती बांध से कामां तक की सड़क निर्माण योजना

३२०. श्री नाथीसिंह (कामां) : Will the Irrigation Minister be pleased to state :

Does the Government intend to construct a canal from village Chak Mandal, Tehsil Pahari, District Bharatpur to Sahsar Dahar and then to Kalawati Bund in Kaman tehsil in order to drain off the accumulated river and rain water for the benefit of the landless tenants who have been allotted land there?

उप कृषि मन्त्री (श्री भीखाभाई) : Surveys and investigations of the work is first essential in order to ascertain the feasibility of the scheme and its financial implications. If the scheme is found useful Government will sanction the work for execution during 1958-59.

श्री श्रीभानसिंह : Has the Hon'ble Minister for irrigation got any other answer except in the negative for the Bharatpur District?

श्री तनसिंह : On a point of order, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ कि कोई मन्त्री या सदस्य जेब में हाथ डालकर बोलें, यह उचित है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : जेब में हाथ डालना और पान खाना धीरे धीरे सब बन्द हो जायेगा।

श्री भीखाभाई : मैं पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करता हूँ, जब मैं जवाब दे रहा था तो उसके पूरा होने से पहले ही पोइन्ट ऑफ ऑर्डर क्यों रेज़ किया?

श्री भैरोंसिंह : कुछ दिनों के लिये उप मन्त्रीजी को ट्रेनिंग दी जाय।

श्री नाथीसिंह : उत्तर मेरी समझ में नहीं आया है, फिर से दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

सरदारगढ़ में श्रमिकों के लिये डिस्पेन्सरी

३२१. श्रीमती कमला श्रोत्रिय (भीलवाड़ा): क्या श्रम मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या माइका माइन्स लेबर वेलफेयर फंड से सरदारगढ़ में श्रमिकों के लाभार्थ कोई डिस्पेन्सरी चलती है?

(ख) क्या सरदारगढ़ में या उसके आस पास खानों या श्रमिकों की बस्तियां हैं जिससे कि यह डिस्पेन्सरी यहां खोली गई है?

(ग) उक्त डिस्पेन्सरी से कितने श्रमिक प्रतिदिन लाभ उठाते हैं?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : The organiztion known as Mica Mines Labour welfare Committee for Rajasthan is a central organization worked directly under the ministry of Labour and employed by the Government of India. Therefore, this Department has no information on the point.

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : हिन्दी में जवाब दिया जाय, मेरी समझ में नहीं आया।

Page No.17

श्री अध्यक्ष : यह राज्य सरकार के आधीन नहीं है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आधीन है ।

डेगाना तहसील में बीज, सीमेंट व चद्दरों के वितरण की व्यवस्था

३२२. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

कृषि विभाग की ओर से डेगाना तहसील में बीज व रबी व खरीफ' व सीमेंट व चद्दरों के वितरण की क्या व्यवस्था है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : डेगाना में बीज चद्दरों व सीमेंट के वितरण की व्यवस्था निम्नलिखित है:—

बीज : कृषि अधिकारी नागौर को खरीफ व रबी के बीजों को खरीदने के लिए उसकी मांग के अनुसार रुपये मन्जूर कर दिए जाते हैं और उसके उपरान्त वह बीज खरीदना शुरू कर देता है । सन् १९५७-५८ के पहले खरीद कर बीज नगद पर बांट जाता था मगर इस वर्ष से यह बारी के दर पर भी जो साढ़े सात सेर प्रति मन है, बांटा जाना लग जायेगा रबी का बीज नकद। बारी व नगद उधार के हिसाब से बांटा जा रहा है । बीज कृषि विभाग पंचायतों तथा सहकारी भंडारों द्वारा बांटा जाता है ।

चद्दरों : लोहे की चद्दरों का हर एक जिले के भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की हुई रजिस्टर्ड स्टकिस्ट को एलॉटमेंट किया जाता है जो कि माल प्राप्त होने पर कृषि अधिकारी को 'इसकी इत्तला देते हैं जिस पर कृषि अधिकारी, तहसील सरपंच, 'कृषि विस्तार अधिकारी, तहसीलदार और फील्डमैन की सिफारिश पर प्रार्थियों को परमिट देता है ।

सीमेंट : जिला कृषि अधिकारियों को कुल कोटा (quota) अनुपातिक एलॉटमेंट कर दिया जाता है जैसे कि कृषि अधिकारी सीमेंट के डीलर्स को बाँट देता है जो कि कृषि अधिकारी द्वारा जारी किए गये परमिट के ऊपर किसानों को बेंचते हैं ।

श्री सूबेदरसिंह : क्या यह बीज बाँटने की व्यवस्था पंचायतों द्वारा डेगाना तहसील में ही की गई है या सारे राजस्थान में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सवाल डेगाना तहसील के लिए पूछा गया था इसलिए डेगाना के बारे में ही जवाब दिया गया। बाकी यह व्यवस्था सारे राजस्थान के लिए है ।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बारां शहर में पॉवर हाउस के निर्माण की योजना

३२३. **श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया** (बारां) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने बारां शहर में पॉवर हाउस के निर्माण की कोई योजना विद्युत विभाग के सामने प्रस्तुत की है ?

(ब) यदि हां, तो विद्युत विभाग ने उक्त योजना की तहत अब तक पॉवर हाउस के कार्य में क्या प्रगति की है ?

(स) पॉवर हाउस की इमारत बनाने

Page No.18

(श्रीमती आनन्दी देवी)

मशीनरी मंगाने व विद्युत लाइनों के लगाने का कार्य कब शुरू होगा व कब तक पूरा हो सकेगा तथा पॉवर हाउस कब से बिजली देने का कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (अ) जी हां।

(ब) इस कार्य के लिए एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर नवम्बर १९५६ में नियुक्त किया जा चुका है। इस कार्य के लिए मेटीरियल्स व इक्विपमेंट लो टेन्शन डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम, हाई टेन्शन ट्रान्समिशन, सब स्टेशन तथा फीडर पेनल्स आदि की आवश्यकता होगी। ऐस्टिमेट्स तैयार हो चुके हैं और उन की जांच की जा रही हैं।

(स) इसकी कार्यवाही जारी है। जितनी जल्दी हो सकेगा की जावेगी, इसमें समय अवश्य लगेगा।

श्री धन्नालाल हरित : यह एस्टिमेट और जांच कितने वर्षों तक होती रहेगी।

श्री भीखाभाई : जैसा मैंने अर्ज किया एक इंजीनियर की नियुक्ति हुई है और स्टाफ की नियुक्ति के बारे में लिखा पढ़ी जारी है। अब इस बारे में सब मामला ठीक हो रहा है।

श्री धन्नालाल हरित : यह जांच पिछले कितने वर्षों से हो रही है ?

श्री भीखाभाई : कुल एक वर्ष से। दो इंजीनियर नियुक्त किये गये हैं। एक बी. एस. भार्गव और दूसरा आर. पी, भार्गव। पहले ने कार्य भार नहीं संभाला इसलिये अब दूसरे की नियुक्ति की गई है एस्टिमेट तैयार हो जायगा, फिर शीघ्र काम शुरू हो जायगा।

श्री धन्नालाल हरित : इसका लाइसेन्स कब दिया गया था ?

श्री भीखाभाई : लाइसेन्स के बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री धन्नालाल हरित : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में अभी कुछ और प्रश्न बाकी हैं। क्या मंत्रीजी की जानकारी में है कि कमिश्नर कोटा ने सरकार के पास एक नोट भेजा था कि चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की लापरवाही से विलंब हो रहा है इसलिये इस पर सरकार की ओर से रकम जो व्यर्थ गई उसे उसकी तनख्वाह से वसूल किया जाय।

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसके बारे में जांच की जायगी।

श्री दलीपसिंह : क्या यह सही है कि जो इन्जीनियर हैं वे पांच महीने से वहां बिराजे हुए हैं और कोई काम नहीं हुआ है और उनकी तनख्वाह सरकार पर पड़ रही है ?

श्री भीखाभाई : यह मैं कह चुका हूं।

नाथद्वारा के जानना अस्पताल में लेडी डॉक्टर की व्यवस्था।

३२४. श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.19

(श्री मनोहर कोठारी)

(क) क्या नाथद्वारा में कोई जनाना अस्पताल है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब से ?

(ग) क्या उक्त अस्पताल में कितने ही वर्षों से लेडी डॉक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और भविष्य में सरकार का वहां कब तक लेडी डॉक्टर नियुक्त करने का विचार है ?

उपस्वास्थ्य मंत्री : (श्री भीखाभाई) (क) जी हां।

(ख) ठिकाने के समय से ही है।

(ग) महिला डॉक्टरों के अभाव के कारण बहुत समय से वहां महिला डॉक्टर नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से महिला डॉक्टरों की मांग का विज्ञापन समय समय पर निकलता रहा है लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अब तक योग्य महिला डॉक्टर नहीं प्राप्त हो सकी है, मिलते ही नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री मनोहर कोठारी : क्या राजस्थान सरकार के निर्माण के पहले वहां कोई लेडी डॉक्टर थी या नहीं ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी नहीं है। जब जनाना अस्पताल था तो जरूर होगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या पुरुषों के अस्पताल में लेडी डाक्टर है ?

श्री भीखाभाई : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : कितने वर्षों से वहां लेडी डाक्टर नहीं है ?

श्री भीखाभाई : बहुत वर्षों से लेडी डॉक्टर नहीं है, लेकिन मिलते ही नियुक्ति कर दी जायगी क्योंकि नाथद्वारा में आशीर्वाद और प्रसाद अच्छा मिलता है।

(हंसी)

श्रीमती कमलाबाई श्रोत्रिय : यदि लेडी डॉक्टर नहीं मिलती है तो लेडी डाक्टरों की ट्रेनिंग दी जाय और लेडी डाक्टरों की तादाद बढ़ाई जाय।

श्री भीखाभाई : इसके लिए मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं।

श्री मनोहर कोठारी : ऐसे कितने जनाना अस्पताल हैं जहां लेडी डॉक्टर नहीं हैं ?

श्री भीखाभाई : बहुत से अस्पताल हैं, जहां लेडी डॉक्टर नहीं हैं।

श्री किशनलाल : क्या लेडी डॉक्टर की नियुक्ति के लिए कोई नोटिफिकेशन निकला था ?

श्री भीखाभाई : पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत से एडवरटाइज़मेंट्स किये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या लेडी डॉक्टर इसलिए अवेलेबल नहीं हैं कि मेडीकल डिपार्टमेंट की व्यवस्था अच्छी नहीं है ?

श्री भीखाभाई : It is a question of argument, Sir.

छीपा बड़ोद से अकलेरा तक सड़क निर्माण योजना

३२५ **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)** :

(श्री दयाकृष्ण विजय)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार छीपा बड़ौद से अकलेरां (कोटा जिला) तक पक्की सडक बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो सरकार कब तक इस कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सड़क पक्की बनी हुई है, अत: प्रश्न ही नहीं उठता।

म्युनिसिपल बोर्ड गंगानगर द्वारा बिजली के कार्य हेतु २०० लकड़ी के खम्भे

३२६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या म्युनिसिपल बोर्ड गंगानगर ने लकड़ी के २०० खम्भे बिजली के कार्य के लिये खरीदे थे ?

(ख) क्या इस सौदे के सम्बन्ध में कोई जांच समिति बिठाई गई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

स्वयत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। यह मामला लाइट कमेटी के अध्यक्ष के पास भेजा गया था। लाइट कमेटी ने अपनी मीटिंग दिनांक २०-४-५७ में ५ सदस्यों की एक सब कमेटी बनाने का निश्चय किया है। निश्चय ही बोर्ड द्वारा स्वीकृत होने के बाद यह जांच कमेटी अपना कार्य प्रारम्भ करेगी।

श्री भैरोंसिंह : ये खम्भे कहां से खरीदे गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये बाहर से मंगवाये हैं शायद।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिस फर्म से ये खम्भे खरीदे गये और जिसके बारे में जांच की जा रही है, वह फर्म एग्ज़िस्ट नहीं करती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको बताया कि सारे मामले की जांच हो रही है ?

करेड़ा (जिला भीलवाड़ा) में बनने वाले औषधालय भवन हेतु सरकारी सहायता

३२७. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) करेड़ा, जिला भीलवाड़ा में बनने वाले औषधालय भवन के लिये कितनी सरकारी सहायता स्वीकृत की गई है ?

(ख) क्या यह सही है कि अब तक भवन निर्माण में करीब १० हजार रुपये जनता के चन्दे के खर्च हो चुके हैं ?

(ग) अब तक सरकारी सहायता न मिलने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र सहायता की रकम स्वीकृत करेगी ?

उपस्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) कुछ भी नहीं।

Page No.21

(श्री भीखाभाई)

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बूंदी जिले की पक्की व दूसरे प्रकार की सड़कें

३२८. **श्री मोडूलाल** (हिन्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बूंदी जिले में कौन कौन सी पक्की व दूसरे प्रकार की सड़कें स्वीकार की गई हैं ?

(ख) इनका काम अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ हुआ और भविष्य में कब तक हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) संलग्न सूची में प्रदर्शित है।

(ख) कार्य योजना के अनुसार किया जायगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

भाखरा बांध नहर से गंगानगर जिले की तहसीलों में सिंचित भूमि

३२९. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भाखरा डैम नहर से गंगानगर जिले की नोहर, भादरा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर तहसीलों में सालवार कितने कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है ? इसकी एक सूची दी जावे।

(ख) कौन कौन से माइनर अजखुद टूटे और कौन कौन से किसानों द्वारा तोड़े गये और उनका कितना तावान कायम किया गया था तथा उसमें से कितना बकाया है और कितना वसूल हो चुका है ?

(ग) क्या इस नहर का काम मुकम्मिल हो चुका है ?

(घ) इस समय इस नहर का सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर कौन है ?

उपसिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) अजखुदे टूटे व किसानों द्वारा तोड़े गये माइनरों की सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है। तावान के केसों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) करीब करीब अब पूरा हो चुका है।

(घ) श्री प्यारेलाल पाहवा।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री धर्मपाल पंवार : तावान के केसों की सूचना कब तक मिल जायगी ?

श्री भीखाभाई : जब पूरी एकत्रित हो जायगी।

श्री धर्मपाल पंवार : कोई निश्चित तारीख ?

श्री भीखाभाई : इस वक्त कैसे बताई जा सकती है ?

श्री धर्मपाल पंवार : यह दूसरी सूची मिल जानी चाहिये ?

श्री भीखाभाई : वह दे दी गई है।

श्री धर्मपाल पंवार : मुझे नहीं मिली।

श्री भीखाभाई : आप आये नहीं थे, इसलिये मैंने वह नोटिस ऑफिस में दे दी है।

भगत की ढाणी (जोधपुर) को मूल्य पर इमारती पट्टे

३३०. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर प्रथम) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या जोधपुर म्युनिसिपैलिटी द्वारा भगत की ढाणी के निवासियों को इमारती पट्टे कीमत देने पर भी नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(आ) क्या सरकार के ध्यान में है कि उपरोक्त भगत की कोठी के निवासियों के झोंपड़ों में म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी द्वारा आग लगा दी गई? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(इ) जोधपुर सदर सड़कों पर बिजली व पानी की दुर्व्यवस्था को ठीक करने के लिए जोधपुर म्युनिसिपैलिटी ने क्या कोई कदम उठाये है? यदि नहीं, तो क्यों?

(ई) जोधपुर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कब किये जावेंगे?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (अ) यह निवासी भगत की कोठी के पास की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा जमाये बैठे हैं। अभी ले आउट बनाया जा रहा है, उसके अनुसार सरकार की नीति के निर्धारित हो जाने पर जमीन बेची जा सकेगी।

(आ) इस स्थान पर झोंपड़ियों में आग लगती रहती है। जिस जगह आग लगने का हवाला दिया है वह झोंपड़े में न लग कर एकत्रित किये हुए कांटों के ढेर में लगी थी जो आई. ए. एफ. पेट्रोल डिपो के बिल्कुल समीप थी। किसने आग लगाई, यह विवादास्पद है और उसकी जांच जारी है।

(इ) बिजली व पानी की सप्लाई बिजली घर व जलदाय विभाग की स्थिति पर निर्भर है। जितनी सुविधा वे दे सकते हैं उस माफिक बिजली वे दे सकते हैं और उस माफिक बिजली के पोइन्ट्स व पानी के नल लगाये जा रहे हैं।

(ई) माह अगस्त तक चुनाव हो जाने की सम्भावना है।

श्री भैरोंसिंह : यह जांच किस बात की की जा रही है? उस आग लगाने का म्युनिसिपलिटी से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो जांच किस बात की की जा रही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आग किसने लगाई, यह जांच की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस बात की शिकायत की गई है कि म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों ने आग लगाई है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों ने आग नहीं लगाई।

श्री भैरोंसिंह : आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है, या आग किसने लगाई इसकी जांच की जा रही है?

Page No.23

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आग लगी, यह सवाल नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : आग लगाई गई, उसका आरोप किस पर लगाया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शिकायत यह थी कि म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों ने आग लगा दी।

श्री भैरोंसिंह : जैसा आपने अभी बताया था कि म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों का आग लगाने से सम्बन्ध नहीं है, इसकी जांच करवाई गई थी; जब उनका सम्बन्ध नहीं है तो फिर किस बात की जांच की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब म्युनिसिपेलिटी का आग लगाने से सम्बन्ध नहीं है तो आग किसी ने तो लगाई होगी। आई. ए. एफ पेट्रोल डिपो भी उसके पास ही है ।

श्री भैरोंसिंह : जो दरख्वास्त दी गई क्या उसमें लिखा था कि म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों ने आग लगाई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह दरख्वास्त मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस दरख्वास्त का इसमे सम्बन्ध है या नहीं ? जो दरख्वास्त दी गई उसमें इसका उल्लेख है और इसके लिए शहादतें पेश की गई थीं कि कर्मचारियों ने आग लगाई है। इस जांच का नतीजा कब तक आ जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपल कर्मचारियों ने आग नहीं लगाई है।

श्री भैरोंसिंह : इस जांच का नतीजा कब तक आयेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको बताया कि झोपड़ियों में नहीं, काटों में आग लगी है और म्युनिसिपल कर्मचारियों का इससे सम्बन्ध नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : फिर जांच किस बात की हो रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आग लगने के कारण की जांच की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह : जांच का नतीजा कब तक आ जायेगा ? कौन अधिकारी इसकी जांच कर रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जांच जल्दी हो हो जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : जोधपुर नगरपालिका के जल्दी चुनाव हो जाने से आपका क्या मतलब है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या यह सही है कि इसकी रिपोर्ट पुलिस को की गई थी और जो एप्लीकेशन भेजी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पुलिस की रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : प्रश्न 'अ' के उत्तर में आपने बताया कि जो लोग वहां ६०-७० वर्ष से रह रहे हैं उन्होंने वहां एन्क्रोचमेंट किया है । जो लोग वहां ६०-७० वर्ष से रह रहे हैं उनको इमारती पट्टे कीमत देने पर भी क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ?

Page No.24

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि ले आउट बनाया जा रहा है। उसका भी निर्णय करना है कि जमीन दी जाय या नहीं। अभी उन्होंने अनऑथोराइज्ड पज़ेशन कर रखा है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वे वहां पहले से रह रहे हो तो अनाधिकृत रूप से कब्जा कैसे हुआ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो ऑथोरइज्ड थे उनका ख्याल रखा जायगा।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या सरकार को मालूम है कि जोधपुर की सदर सड़कों पर बिजली व पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है म्युनिसिपेलिटी की ओर से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि बिजली घर व जलदाय विभाग की स्थिति के अनुसार जो सुविधा दे सकते हैं, उसके माफिक बिजली के पोइन्ट्स व पानी के नल लगाये जा रहे हैं।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या इस वर्ष के समाप्त होने से पहले लग जायेंगे, अब तक कितने पोइन्ट्स व नल लगा दिये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह डिटेल मेरे पास नहीं हैं ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जोधपुर नगरपालिका के चुनाव के लिए सूचियां तैयार नहीं हुई है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

गाढवाला, उदयरामसर, रूणिया बड़ावास (त० बीकानेर) ग्राम पंचायतों में मनोनीत परिगणित सदस्य

३३१. श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बीकानेर तहसील को गाढवाला, उदयरामसर व रूणिया बड़ावास ग्राम पंचायतों में क्या परिगणित जाति के सदस्य सरकार द्वारा नामजद किये जा चुके हैं ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(ख) सम्बन्धित तहसील पंचायत द्वारा उपरोक्त पंचायतों के लिये परिगणित जाति के सदस्यों की नियुक्ति हेतु सरकार को कितनी बार लिखा गया ? उस पर अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गापुरा (जयपुर) स्थित सरकारी कृषि फार्म का उदयपुर स्थानान्तरण

३३२. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि दुर्गापुरा (जयपुर) स्थित सरकारी कृषि फार्म को उदयपुर स्थानान्तरित किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस सम्बन्ध में क्या सरकार के पास कोई योजना आई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने मना कर दिया तो फिर योजना आने का सवाल नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल।

बस्सी सामुदायिक विकासखण्ड में कूए इत्यादि के निर्माण हेतु गत वर्ष वितरित धन-राशि

३३३. श्री प्रभुदयाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बस्सी सामुदायिक विकास खण्ड में कूए आदि के निर्माण के निमित्त गत वित्तीय वर्ष में कितनी कितनी रकम किस किस गांव के किस किस काम के लिए वितरित की गई ?

(२) उक्त रकमों में से किस किसके खर्च का हिसाब सरकार को पेश हो चुका है ?

(३) उक्त रकम में से कितनी रकम बाकी है जो अब तक काम में नहीं आई है और लेने वालों के पास पड़ी हुई है ?

सामुदायिक विकास योजना मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) बस्सी ग्राम विकास योजना खण्ड में कूए आदि निर्माण कार्यों हेतु गत वित्तीय वर्ष में जो राशि वितरित हो गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(२) जिन जिन कार्यों के लिये रकम दी गई है वे कार्य चल रहे हैं। निश्चित अवधि में प्रतिज्ञा-पत्रों एवं नियमों के अनुसार हिसाब प्राप्त होंगे।

(३) जिन जिन ग्रामों के लिए रकम दी गई है वे प्रायः सभी प्रारम्भ हो गये हैं। वित्तीय वर्ष के अन्त में दी जाने वाली सारी रकम का अभी तक पूर्ण प्रयोग नहीं हो सका है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सही है कि हजारों रुपये पड़े हुए हैं और अपने आप खर्च कर दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : समझा नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : यह पूछ रहे हैं कि क्या यह सही है कि हजारों रुपये कइयों पर पड़े हुए हैं और उन्होंने अपने आप खर्च कर दिये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया न कि रुपया दिया गया था; सामान की कमी के कारण वह रुपया खर्च नहीं हुआ है, अब खर्च किया जायगा।

श्री प्रभुदयाल पुरोहित : रकम दिला दी है खर्च नहीं हुई है, उनके पास पड़ी हुई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज कर दिया है कि रकम उन्हें दे दी गई है खर्च नहीं हुई है, अब खर्च हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

बरासर छोटा (जि० चूरू) की पंचायत के सरपंच द्वारा एक अभियुक्त की गिरफ्तारी में सहायता देने की एस. डी. एम. से मांग

३३४. श्री मोनहरसिंह (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री मोनहरसिंह)

(क) क्या यह सही है कि तहसील राजगढ़ (जिला चूरू) के ग्राम बरासर छोटा की पंचायत के सरपंच ने एस. डी. एम., राजगढ़ को किसी अभियुक्त विशेष को बुलाने के लिये मदद करने को लिखा ?

(ख) क्या एस० डी० एम० ने सरपंच को वह मदद दी ?

(ग) क्या एस० डी० एम० को यह अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत से तलवाना वसूल करे ?

(घ) क्या यह सही है कि पंचायत की मदद करने के बदले सरपंच को ही तंग किया गया और उक्त पंचायत के सरपंच ने इस सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार को की ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पंचायत अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है परन्तु नाकाबिल दस्तंदाजी मामलात में राजस्थान हाई कोर्ट क्रिमिनल नियम के अन्तर्गत यह तलवाना वसूल करना बताया गया है।

(घ) इसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना है। इसको लॉ डिपार्टमेन्ट से एग्जामिन कराया जा रहा है।

श्री मोहरसिंह : क्या ग्राम बरासर छोटा की पंचायत के सरपंच को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में अभी भी परेशान नहीं किया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जो जानकारी है वह इस प्रकार है कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि तलवाना दाखिल करो। उनके इन्कार करने पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि हुक्म मानना चाहिये नहीं तो आपके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही की जायगी। इन्कार करने पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही की गई, तलवाना वसूल भी कर लिया।

इसको लॉ डिपार्टमेंट में एग्ज़ामिन किया जा रहा है।

श्री महोरसिंह : क्या यह सही है कि जब सरपंच से तलवाना मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने उच्च अफसरों को पूछ लूं, डी. पी. ओ. को पूछ लूं, सी. पी. ओ. को पूछ लूं, तब जैसा वे कहेंगे करूंगा। इस पर एस. डी. एम. ने कहा कि अभी का अभी तलवाना दो नहीं तो हवालात में धरता (डालता) हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने तलवाना देने से इन्कार कर दिया इस पर कहा कि नहीं देंगे, तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहरसिंह : उन्होंने देने से इन्कार नहीं किया था पर पंचायतों के उच्च अधिकारियों से डी. पी. और सी. पी. ओ. से पूछने का कहा था।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अदालती कार्यवाही के सम्बन्ध का है, इसलिये इसके बारे में ज्यादा छान-बीन नहीं की जा सकती।

श्री सोहनलाल भटनागर।

Page No.27

उदयपुर के एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर (बी. एन्ड आर.) को ठेकेदारों के विरुद्ध शिकायतें

३३५. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूंबर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर, बी. एन्ड आर., उदयपुर के पास ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का चुकारा नहीं करने की कितनी शिकायतें गत वर्ष की गई थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : तीन । ठेकेदारों को नोटिस दिये गये और उनसे मजदूरों का चुकारा कराने के लिये व्यक्तिगत प्रयत्न किये गये ।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या इन ठेकेदारों को फाइनल पेमेन्ट कर दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जरा डिटेल में बताता हूँ । तीन शिकायतें आई थीं, उनमें से दो का तो रूबरू बुला कर पेमेन्ट करा दिया था ।

श्री सोहनलाल भटनागर : ठेकेदारों के नाम क्या हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेकेदारों के नाम हैं : श्री हीरालाल शर्मा, श्री योगेशचन्द्र शर्मा और श्री श्यामलाल शटी । योगेशचन्द्र और श्यामलाल का रूबरू पेमेंट करा दिया । हीरालाल का रूबरू पेमेट नहीं कराया गया है, पर ग्राम पंचायत के सरपंच ने खुद ने लिख कर दे दिया है कि अब कोई पेमेंट बाकी नहीं रहा है, हमने फुल पेमेंट कर दिया है ।

इसी तरह वहां दूसरे, बिल्डिंग्स एन्ड रोड्स के इन्जीनियर्स रहते हैं जो नेशनल हाईवे के इन्जीनियर हैं; उनके पास एक शिकायत थी, उनको भी पेमेंट कर दिया है । आयन्दा इस तरह की शिकायतें न हों, इसके लिये एक नई नीति अख्त्यार करने का सोच रहे हैं, एग्रीमेंट फॉर्म्स हैं उनकी नीति में चेंज कर रहे हैं । उसमें ठेकेदार से पहले ही लिखा लेंगे कि अगर कोई ठेकेदार लेबर को पेमेंट नहीं करेगा तो उसका काट पैसा कर लेबरर्स में डिस्ट्रिब्यूट कर देंगे । ऐसा अमेंडमेंट लाने की सोच रहे हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर : कब तक यह हो जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो हाथ में लिया है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : सरपंच से जो लिखित में लिया गया है कि सब पेमेंट हो चुका है, कोई बाकी नहीं है, तो क्या इसी प्रकार लेबरर्स से भी लिखित में लिया गया है कि हमारा सब पैसा आ गया, अब कुछ भी बाकी नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि दो का तो रूबरू पेमेंट किया गया है और एक केस में सरपंच का लिखा हुआ हमारे पास आ गया है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही सही है कि ठेकेदार लोग मेट्स से सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट ले लेते हैं और मजदूरों को पेमेंट नहीं किया जाता, उनकी मजदूरी बाकी रह जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यहां मेटों का प्रश्न नहीं आता, एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर ने खुद ने बुला कर पेमेंट किया है ।

एक माननीय सदस्य : एक जानकारी मैं और करना चाहता हूं। जिन ठेकेदारों के ऊपर यह आरोप लगाया गया, क्या उनको सरकार की ओर से पूरा पेमेंट कर दिया गया था ? मैं फाइनल की बात कर रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न है, वहां लेबर पेमेंट के साथ फाइनल पेमेंट के सवाल को जोड़ते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

झुंझुनूं जिला बोर्ड द्वारा मण्डावा नगरपालिका को मण्डावा मीठवास सड़क निर्माण कार्य देना

३२६. **श्री लच्छूराम** (मंडावा) : क्या स्वायत्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि झुंझुनूं जिला बोर्ड ने मंडावा नगरपालिका को मडावा-मीडवास सड़क बनाने का जिम्मा दिया था ?

(ख) यदि हां, तो उक्त सड़क के निर्माण के लिए जिला बोर्ड ने कितना रुपया देना मन्जूर किया था ?

(ग) क्या उक्त रकम एक ही किश्त में दी गई थी ?

(घ) मंडावा नगरपालिका ने जिला बोर्ड के सामने कितने रुपये का हिसाब पेश किया और क्या यह हिसाब सही पाया गया ?

(ङ) क्या मंडावा के नागरिकों ने सरकार के सामने इस सम्बन्ध में कोई शिकायत पेश की थी और क्या कोई निरीक्षक मंडावा नगरपालिका के उक्त हिसाब की जांच करने गया था ?

(च) मंडावा नगरपालिका ने उक्त निरीक्षक के सम्मुख कितने रुपये का हिसाब पेश किया ?

(छ) झुंझुनू जिला बोर्ड तथा उक्त निरीक्षक के सम्मुख क्या अलग अलग हिसाब पेश नहीं किये गये ?

(ज) क्या निरीक्षक महोदय ने अपनी जांच समाप्त कर ली है ? यदि हां, तो वे किस किस नतीजे पर पहुंचे ?

(झ) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार रखता है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) ६०० रुपये।

(ग) जी नहीं। यह रकम दो बराबर किश्तों में देना तय हुआ था, परन्तु एक ही किश्त ३०० रुपये की दी गई है।

(घ) ११८४ रुपया १ आ० ६ पा० का हिसाब दिया है।

(ङ) इसकी जांच की जा रही है।

(च) जी हां।

(छ) जी हां।

(ज) बोर्ड ने निरीक्षक के सम्मुख ६०६ रु० १३ आ० ६ पा० का हिसाब पेश किया था।

(झ) हां, अलग अलग हिसाब पेश किया गया पाया जाता है।

(ट) सहायक निरीक्षक की रिपोर्ट पेश हो चुकी है, जो सरकार के विचाराधीन है।

(ठ) विचाराधीन है।

Page No.29

श्री लच्छूराम : मंडावा म्युनिसिपैलिटी ने जो यह गबन किया है उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया न कि डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोर्ड्ज़ ने जांच की है। उसके आधार पर जो जांच की जा रही है वह पूरी नहीं हुई है।

श्री लच्छूराम : जब ११८४ रुपये का हिसाब पेश किया है तो गबन तो साफ है ही, फिर क्या जांच की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गबन जैसी बात नहीं है, ३०० रुपया उनको मिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने म्युनिसिपैलिटी के चेअरमैन को कह दिया था कि ६०० और लगायें। इस तरह से ६०० तो हो गये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के औसत हिसाब से। ११०० का हिसाब शायद इसलिये पेश किया है कि ज्यादा मिल जायगा। इसकी जांच की जा रही है। यह मामला विचाराधीन है।

श्री लच्छूराम : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ६०० रुपयों की मन्जूरी दी थी। ३०० रुपये एक किश्त के दे दिये और हिसाब ११८४ का पेश किया, तो क्या यह गबन नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अभी अर्ज किया कि जो ज्यादा हिसाब पेश किया है, उसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : उसकी जांच के बाद डिप्टी डाइरेक्टर से जांच कराने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिप्टी डाइरेक्टर ने ही जांच की है।

श्री भैरोंसिंह : पहले आपने कहा कि इन्सपेक्टर ने जांच की।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सहायक निरीक्षक का मतलब डिप्टी डाइरेक्टर ही होता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। अब विधायी कार्य लिया जाता है।

सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर

बैगूं (जि० चित्तौड़गढ़) की डिस्पेंसरी में भर्ती हुए मरीज़

१. **श्री सुगनचन्द जैन (बैगूं) :** क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सरकारी डिस्पेंसरी बैगूं, डि० चित्तौड़गढ़, में सन् ५६-५७ में अस्पताल के वार्ड्स में रहने वाले कितने मरीज भर्ती हुये ?

(ख) अस्पताल में साबुत बैड्स की संख्या क्या है ? और कितने बैड्स की सुव्यवस्था दरम्यान है अगर बैड्स की ठीक व्यवस्था नहीं है तो क्यों और सरकार उपरोक्त व्यवस्था के बारे में क्या कदम उठा रही है।

उत्तर

(क) ४१

(ख) इस डिस्पेन्सरी के लिये ६ शैयाओं की स्वीकृति है, परन्तु अर्थाभाव के कारण यहां अब तक मरीजों के लिये वार्ड नहीं बनवाया जा सका है, बल्कि रोगियों को डिस्पेन्सरी के अहाते में जहां जगह मिल जाती है वहां इनका इलाज किया जाता है। अलग कमरा कोई नहीं है।

पंचायत विभाग द्वारा करवाया गया प्रकाशन एवं मुद्रण सम्बन्धी कार्य

२. **श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) :** क्या

(श्री भैरोंसिंह)

स्वायत्त शासन मन्त्री प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) सन् १६५६-५७ में राजस्थान पंचायत विभाग द्वारा प्रकाशन एवं मुद्रण संबंधी कितना कितना और किस किस प्रकार का काम कराया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ख) इसमें गवर्नमेंट प्रेस से कितना छपाया गया तथा प्राइवेट प्रेसेज़ से कितना २ और किस २ से और क्यों ?

(ग) इन प्राइवेट प्रेसेज़ को किस २ तारीख को कितने २ दिन में छपाई का काम पूरा करने को दिया था और इन्होंने किस २ तारीख को पूरा किया ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) जिन प्रेसेज़ ने समय पर काम पूरा नहीं किया उनमें प्रत्येक के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिये गये ?

(ङ) क्या यह सही है कि अधिकांश मामलों में गवर्नमेंट प्रेस से नोन-अवलेबिलटी सर्टिफिकेट इस कारण से मिला है कि पंचायत विभाग द्वारा निर्धारित समय में गर्वनमेन्ट प्रेस कार्य नहीं कर सकता था ? यदि हां, तो किन २ कामों को ?

(च) प्राइवेट प्रेसेज़ से छपाये गये कौन २ से प्रकाशन किस २ तारीख को मिले और इन्हीं प्रकाशन तथा मुद्रण के कार्यों के लिये गवर्नमेन्ट प्रेस को कब तक पूर्ण करने को लिखा था जिस पर गवर्नमेन्ट प्रेस ने नोन-अवेलेबिलीटी सर्टिफिकेट दिया ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(क) तालिका 'क' एवं 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) तालिका में विवरण दे दिया गया है।

'क' में उल्लिखित गवर्नमेन्ट प्रेस से—

'ख' में उल्लिखित प्राइवेट प्रेसों से—

(ग) तालिका (तालिका 'ग') रख दी गई है।

(घ) छपाई के लिये समय निर्धारित नहीं होने से यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ङ) जी नहीं।

(च) तालिका 'ग' में विवरण दे दिया गया है।

गवर्नमेन्ट प्रेस ने उनके यहां कार्य अधिक होने से पंचायत मासिक के अंक प्राइवेट प्रेसों से नवम्बर १६५५ में ही निर्धारित दरों पर छपवाने की अनुमति दे दी थी।

(कृपया परिशिष्ट ५ पर देखिये)

पंचायत विभाग में स्थाई व अस्थाई असिस्टेंट इन्सपेक्टर

३. भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) पंचायत विभाग में कौन कौन स्थाई व अस्थाई असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स हैं और वे किस २ तारीख से नियुक्त हैं तथा उनकी योग्यता क्या है ? एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

Page No.31

(श्री भैरोंसिंह)

(ख) इनमें से किन किन की नियुक्ति पी. एस. सी. के द्वारा हुई है और किन २ की सी. पी. ओ. के द्वारा की गई है और किस प्रकार से ? किन २ को प्रमोशन हुआ है और किस २ पद से ?

(ग) इनमें से कौन पी. एस. सी. रिजेक्टेड हैं और उन्हें अभी तक पृथक क्यों नहीं किया गया है ?

(घ) क्या पंचायत विभाग में पंचायत सर्विस रूल्स हैं ? यदि हां, तो उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ङ) जिन असिस्टेंट इन्सपेक्टर्स को सी. पी. ओ. द्वारा इन पदों के लिये नियुक्त किया गया वह पद नये निर्माण हुये थे या रिक्त हुये थे ?

उत्तर

(क) तालिका सदन की मेज पर रखी गई है।

(ख) तालिका में विवरण दिया गया है।

(ग) तालिका में विवरण दिया गया है। रिजेक्टेड कोई नहीं है।

(घ) सर्विस रूल्स की प्रति सदन की मेज पर रखी गई है।

(ङ) राष्ट्रीय विकास खण्डों के लिये अप्रेल व अक्टूबर १९५६ में सहायक निरीक्षकों के २३ पद स्वीकृत हुए थे।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

(सर्विस रूल्स की उक्त प्रति अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

लूनकरनसर क्षेत्र में पेय जल की व्यवस्था

४. श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर जिले के लूनकरनसर क्षेत्र में जनता के पीने लिये सरकार की ओर से मीठे पानी की क्या व्यवस्था है ?

(ख) क्या सरकार स्थानीय जनता को पीने का पानी सुलैया करने की कोई व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

(ग) अगर हां, तो किस प्रकार और कब तक ?

उत्तर

(क) कोई नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) एक ट्यूब वैल खोदने के लिए बोरिंग मशीन भेज दी गई है।

राजस्थान में पंचायत इन्सपेक्टर्स एवं उनकी योग्यता इत्यादि

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में पंचायत इन्सपेक्टर्स कितने हैं और कौन कौन हैं, प्रत्येक की तारीख, नियुक्ति व योग्यता सहित, एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ख) इनमें से स्थाई कौन २ हैं तथा

(श्री भैरोंसिंह)

पब्लिक सर्विस कमीशन से इनका कन्फर्मेशन कैसे हुआ ?

(ग) इनमें से सीधे इन्सपेक्टर के पद पर कौन कौन नियुक्त हुए हैं और कब कब ?

(घ) प्रमोशन से कौन कौन इन्सपेक्टर बने हैं और कब कब ?

(ङ) क्या यह सही है कि जिन असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स को प्रमोशन दिया गया वे बाकी के इन्सपेक्टर्स से सीनियर नहीं हैं ? यदि नहीं, तो यह बताया जाय कि प्रमोशन के समय ऐसे असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स से कौन कौन सीनियर थे जिनको प्रमोशन नहीं दिया गया ?

(च) इन इन्सपेक्टर्स में से पंचायत-कम-कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर्स के पद के लिए किनका सिलेक्शन हुआ था और वे इन स्थानों पर काम करते हैं या नहीं ?

(छ) इनमें से किस किस इन्सपेक्टर को पी० एस० सी० द्वारा रिजेक्ट करने के उपरान्त भी अभी तक रखा जा रहा है और क्यों ?

उत्तर

(क) राजस्थान में पंचायत निरीक्षकों की संख्या २७ है । पूर्ण विवरण के साथ तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) तालिका में विवरण अंकित कर दिया गया है ।

(ग) तालिका में विवरण अंकित कर दिया गया है ।

(घ) तालिका में विवरण अंकित कर दिया गया है ।

(ङ) जिन चार सहायक निरीक्षकों को प्रोमोशन दिया गया है, वह जन सेवा आयोग द्वारा दिया गया है ।

(च) विवरण तालिका में दिया गया है।

(छ) ऐसा कोई इन्सपेक्टर सरकार के ध्यान में नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में खोले जाने वाले सामुदायिक विकास खण्ड

६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** उनियारा : क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास खंड कहां कहां खोलने का सरकार ने निश्चय किया है ?

(ख) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के अन्तर्गत क्या क्या विकास योजनाएं हैं तथा प्रत्येक के लिए क्या बजट रखा गया है ?

(ग) टोंक जिले में सामुदायिक विकास खण्ड कहां खोलने की व्यवस्था की गई है

उत्तर

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सारे राज्य में ग्राम सेवा खंड खोल दिये जायेंगे । उन ग्राम सेवा योजना खंडों को ग्राम विकास खंडों में परिवर्तित किया जायगा जिनका कार्य अच्छा हो या जिन ग्राम सेवा योजना खंडों ने अपनी अवधि को पूरा कर लिया हो ।

Page No.33

(श्री समुदायिक विकास मंत्री)

(ख) सामुदायिक विकास खंडों के बजटों की प्रतिलिपि संलग्न है । इससे योजनाओं की रूप रेखाओं का भी ज्ञान होता है ।

(ग) टोंक जिले में सामुदायिक विकास खंड खोलने के लिए कोई निश्चय नहीं हुआ है । समय आने पर उचित निर्णय किया जायगा ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

लूनकरनसर (बीकानेर) में जलबोर्ड की बोरिंग मशीन

७. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि लूनकरनसर (बीकानेर) में जलबोर्ड की एक बोरिंग मशीन विगत ३ महीनों से खुले में पड़ी है तथा उसे जंग लग रहा है ? अगर हां; तो इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है और संबन्धित व्यक्तियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त मशीन इसलिए पड़ी हुई है कि इस मशीन के काम आने वाले पाइप व अन्य सामान किसी दूसरी जगह भेज दिये गये थे ? अगर हां, तो क्यों ?

(ग) लूनकरनसर में उक्त बोरिंग मशीन से बोरिंग का काम कब से शुरू कर दिया जायेगा ? कृपया निश्चित समय बतलावें ?

उत्तर

(क) यह सच है कि एक बोरिंग मशीन लूनकरनसर में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए भेजी गई थी मगर कुछ पार्ट्स उपलब्ध न होने से वह अब तक काम में नहीं लाई जा सकी है । इसकी देखभाल के वास्ते एक चौकीदार नियुक्त है ।

(ख) जी नहीं । जिन पार्ट्स की इसमें कमी है वे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पार्ट्स प्राप्त होते ही कार्य शुरू कर दिया जायेगा । चूंकि मशीन विदेशी है अतः इसके पार्टस आसानी से नहीं मिलते; इसलिए कोई निश्चित तिथि कार्य शुरू करने की नहीं दी जा सकती ।

सामुदायिक विकास क्षेत्रों में कुटीर उद्योग एवं सहकारी समितियों की स्थिति

८. **श्री नारायणसिंह मसूदा** (मसूदा) : Will the Minister for Community Projects be pleased to state:

(a) Is the Government aware that many cottage industries and their Co-operatives in comunity development Blocks have died or are dying away due to lack of marketing facilities ?

(b) What measures does the Government contemplate to take to save such industriies and other newly sponsored ?

उत्तर

(a) Cottage industries which had died down are being renovated in the Community Procets areas. teps for increa jings

Page No.34

(श्री सामुदायिक विकास मन्त्री)

marketing facilities of the products have already been taken in all Community Development Blocks.

(b) The Government are in the know of conditions and are trying to remedy them.

(c) The Government have plans for developing Cottage Industries in rural areas as given in the 2nd Five Year Plan.

बीकानेर शहर में शिक्षित एवं अशिक्षित बेकार व्यक्ति

९. श्री भीमसेन : क्या श्रम मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बीकानेर शहर में शिक्षित एवं अशिक्षित बेकार लोगों की कितनी संख्या है तथा उन्हें काम पर लगाये जाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) बीकानेर शहर में शिक्षित एवं अशिशित लोगों की संख्या ठीक तरह से ज्ञात नहीं की जा सकती जब तक कि घर घर में छानबीन नहीं की जाय। रजिस्ट्रेशन हेतु एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज में जो लोग जाते हैं, उन्हीं का नाम लिया जाता है।

बीकानेर शहर में शिक्षित लोगों की संख्या जिनका नाम नियोजन अधिकारी के कार्यालय में दिनांक १४-५-१९५७ तक लिखे हुए थे, उनकी संख्या निम्नलिखित है :

१. शिक्षितः	
क. दसवीं कक्षा के नीचे	७८२
ख. दसवीं कक्षा पास किन्तु इंटर के नीचे	१६६
ग. इन्टर उत्तीर्ण लेकिन उपाधि के नीचे	२०
घ. उपाधि प्राप्त....	१६
योगफल :	९९०
२. अशिक्षित:	४१३
कुल योगफल	१४०३

जो बेकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज में रजिस्टर्ड हैं उनको विभिन्न विभागों, विकास योजनाओं में उनकी योग्यता के अनुसार भेजा जा रहा है।

निम्नलिखित विभागों में बेकारों को रोजगार दिलाने की आशा है :

विभाग	संख्या
समाज विकास खंड (नौखा)	१५० अकुशल
राजस्थान कैनाल	अधिक संख्या में
कार्यालय, बीकानेर	३०० श्रमिक
रेल विभाग	७० कारीगर

इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग में लघु उद्योगों को व हाथकर्घा व खादी उद्योगों को कर्जा देकर व अन्य सुविधायें देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राजस्थान में सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय एवं उनमें वितरित औषधियां

१०. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर-प्रथम) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय किस किस डिवीजन में कहां कहां और कितने कितने हैं तथा उनको किस हिसाब से कितने रुपये तक की वार्षिक दवाइयां दी जा सकती हैं ?

Page No.35

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

(ख) गैर-सरकारी औषधालयों में गत वर्ष किस किस को कितनी कितनी रकम सहायता में दी गई थी और उन औषधालयों में मरीजों की वार्षिक संख्या कितनी है ? क्या सरकारी सहायता निश्चित करने के लिए कोई नियम हैं ? यदि हां, तो ज्यादा मरीजों वाले औषधालयों को सहायता कम क्यों दी गई ?

(ग) क्या निकटभविष्य में सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसियों का एकीकरण होने जा रहा है ? यदि हां, तो उसका मुख्य कार्यालय कहां रखा जा रहा है और उस स्थान में क्या विशेषता हैं ?

(घ) क्या जोधपुर में सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थाई रखा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(क) राजस्थान में सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय जहां २ हैं उनकी जिलेवार सूची संलग्न की गई है। औषधालय ए. बी. व सी., इस प्रकार तीन श्रेणियों में विभाजित हैं और कौन सा औषधालय किस श्रेणी का है, यह संलग्न सूची में औषधालय के समक्ष अंकित है।

सामान्यतः सी श्रेणीय औषधालय को ३०० रुपया, बी श्रेणीय औषधालय को ५०० रु०, व ए श्रेणीय को ३००० रु० तक की वार्षिक औषधियां दी जाती हैं। रोगी संख्या अधिक होने की स्थिति में इन औषधालयों को क्रमशः ५००, ६००, व १०,००० रु० तक औषधियां दी गई हैं।

(ख) गैर-सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों में कुल ४८ संस्थाओं को गत वर्ष में सहायता दी गई है। इन संस्थाओं को जितनी सहायता की राशि दी गई है और उनकी जो वार्षिक रोगी संख्या रही है, उसकी सूची संलग्न है।

उत्तर

हां, सरकारी सहायता निश्चित करने के लिये नियम विद्यमान् हैं। अधिक रोगी संख्या वाले औषधालयों को कम सहायता देने का कारण सहायता की धनराशि का प्रावधान सीमित होना है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पिछली मिलने वाली सहायता की राशि किसी भी संस्या की कम नहीं की गई है। दोयम सहायता दी जाने से पूर्व प्रत्येक वर्ष इन संस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है और संस्था द्वारा सहायता के नियमों का पूर्णतः पालन होना सिद्ध होने पर उसमें औषध पर व्यय होने वाली धनराशि का अधिक से अधिक ५० प्रतिशत तक सहायता दी जा सकती है।

(ग) जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रचलित चारों फार्मेसियों के एकीकरण का सिद्धान्त निर्णित हो चुका है। अभी उसके मुख्य स्थान के संबन्ध में विचार किया जा रहा है और प्रस्तावित प्रावधान के स्वीकृत होने पर इसी योजना में कभी उपयुक्त स्थान पर एकीकरण किया जा सकेगा।

(घ) जी नहीं, जोधपुर राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी में स्थाई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी हैं किन्तु कार्याधिक्यता के कारण अस्थाई श्रमिक 'चतुर्थ श्रेणी' भी रखे जाते हैं। यह व्यवस्था केवल जोधपुर फार्मेसी में ही नहीं, अपितु सभी राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियों में है। कार्य की अधिकता के समय जो श्रमिक रखे जाते हैं उन्हें कार्य कम होने पर हटा दिया जाता है।

Page No.36

(श्री स्वास्थ्य मन्त्री)

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

बीकानेर के, खाद्य विभाग के पुराने पे फिक्सेशन के मामलों का निपटारा

११. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) खाद्य विभाग के कितने पुराने मामलों को पे फिक्सेशन पार्टी ने बीकानेर के लगातार तीन दौरों में निपटाया ?

(ख) अब चार साल अथवा इससे भी पुराने किन किन व्यक्तियों के मामले पड़े हुए हैं ? कृपया नाम बताइये ?

(ग) उपरोक्त मामलों का निबटारा होना कब तक संभव है ?

उत्तर

(क) ६ व्यक्तियों के मामलों को ।

(ख) ७६ व्यक्तियों के, जिनके नामों की सूची संलग्न है. इनमें बीकानेर डिवीजन के १५ केस हैं ।

(ग) इन केसों के जुलाई १६५७ के अन्त तक निपट जाने की सम्भावना है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

भादरा-औषधालय में दवाइयों की व्यवस्था

१२. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) कस्बा भादरा के होस्पिटल में कितने समय से कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं हैं ?

(ख) क्या वहां बीमारों से पट्टियां बाजार से मोल मंगाई जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों और कितने समय से ?

(ग) क्या वहां लेडी डॉक्टर और नर्स हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक नियुक्त कर दी जावेगी ?

(घ) वहां की कमेटी के कौन कौन मेम्बर हैं और अब तक कितनी बैठकें होकर क्या २ सुझाव आये हैं ?

(ङ) इस वर्ष कुल कितने इन्डोर पेशेन्ट अब तक दाखिल हुये हैं ?

(च) क्या कोई धनीमानी एक्सरे की मशीन दान में दे दे तो सरकार स्टाफ रखने को तैयार है ?

उत्तर

(क) लगभग रोजाना कार्य में आनेवाली समस्त औषधियां भादरा अस्पताल में उपलब्ध रहती हैं ।

(ख) भादरा के डाक्टर ने कभी भी किसी बीमार को पट्टी बाजार से खरीद कर लाने के लिए नहीं कहा ।

(ग) भादरा अस्पताल के बजट में लेडी डॉक्टर का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए लेडी डॉक्टर का प्रश्न नहीं उठता, परन्तु इस अस्पताल में हर समय नर्स रही है, केवल २८-१०-५६ से ८-१२-५६ तक कोई नर्स नहीं थी क्योंकि नर्स एस. बेदी का स्थानान्तरण वहां से गंगानगर हो गया था ।

(घ) अस्पताल की एडवाइज़री कमेटी भंग करदी गई है इसलिए यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ङ) पिछले वर्ष में भादरा अस्पताल में कुल २१६ अंतः रोगी रहे ।

(च) भादरा में एक्सरे की मशीन का कोई खास उपयोग नहीं हो सकेगा क्योंकि यह छोटी जगह है और रोगी शैय्याएँ भी कम हैं ।

राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन अमेंडमेंट विधेयक, १६५७
(पुरःस्थापित)

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन (अमेन्डमेंट) बिल, १६५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन (अमेन्डमेंट) बिल, १६५७ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

१२.१२- म० प०

राजस्थान फाइनेन्स एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स विधेयक, १६५७

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री हरिभाऊ (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स बिल विचारार्थ पेश हुआ। उस पर दिन भर दोनों पक्ष के सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये। उनमें एक सुझाव यह रखा गया था कि कई कारणों से यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे। मैं चाहता हूं कि इस पर पहले अपने विचार प्रकट करूं। मैंने इस पर बहुत सारे विचार प्रस्तुत किये। मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि प्रवर समिति में भेजने लायक कोई माकूल वजह या कोई तथ्य ऐसा नहीं पाया गया कि जिससे इसको प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को सरकार की ओर से स्वीकार कर सकूं। पहली बात तो यह है कि यह बिल कोई नया बिल नहीं है। अब सन् १६५३ में पहले आप यह बिल पास कर चुके हैं और उसमें आप यह सिद्धान्त स्वीकार कर चुके हैं कि एग्रीकल्चरल इन्कम पर टैक्स लगाया जा सकता है। अब इस बिल में कोई नयी स्थिति नहीं है। जो पहले सिद्धान्त आप लोग स्वीकार कर चुके थे उसी के अनुरोध में यह दूसरा बिल आप के सामने उपस्थित हुआ है। जो कानून आपने १६५३ में पास किया उसकी धारा ४ के अनुसार यह जरूरी है कि, प्रति वर्ष इसकी दरें तय करने के बारे में इस बिल को आपके सामने लाया जाए और उस पर विचार किया जावे। तदनुसार प्रतिवर्ष यह बिल आप के सामने आता है और इस बार भी आया है। इस बार फर्क इतना ही है कि इसमें कुछ संशोधन किये गये हैं। इस दृष्टि से प्रवर समिति में जाने के योग्य कोई कारण मुझे मालूम नहीं होता क्योंकि फर्क जो किया गया, वह यह है कि ६,००० की लिमिट सन् १६५३ के कानून में थी अब उसी बिल में ६,००० के बजाय ३,००० की लिमिट प्रस्तावित की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संशोधन ४,००० का आया है उसको सरकार की ओर से स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिये अब आप यह मान कर चलिये कि ६,००० के बजाय अब ४,००० की लिमिट का प्रस्ताव इस विधेयक में किया गया है। तो पहले आपकी आपत्ति यह थी कि ज्यादा लोगों को यह हिट करेगा। इसलिये ज्यादा लोगों को हिट नहीं किया जावे, उस आपत्ति को मीट आउट करने

Page No.38

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

के लिये ३,००० से ४,००० तक ले आए हैं। अब तीन हजार के बजाय चार हजार पर लगेगा तो इससे तो कुछ कृषकों की बचत हो जाती है और इसलिये भी इसको प्रवर समिति में जाने की जरूरत नहीं है।

दूसरी बात इसके दौरान में यह बताई गई थी कि जो शिडयूल्ड के पार्ट १ के आइटम (२) में ३५०० रुपयों की लिमिट रखी गई है इसमें ६ नये पैसों का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में जो दूसरी दलील दी गई वह माकूल थी और उसके अनुसार ६ नये पैसों की जगह हमने ४ नये पैसे मंजूर कर लिये हैं जिसका संशोधन विधिवत् आ जावेगा और आपकी यह भी कठिनाई दूर हो जाती है। दो बड़ी बातें हो जाने के बाद कोई प्रयोजन प्रवर समिति में भेजने का नहीं रह जाता।

एक तीसरी बात अपील के सिलसिले में कही गई थी। वह यह कही गई थी कि इसमें अपील का कोई प्रोविजन नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का ध्यान १९५३ का जो एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स एक्ट है उसकी कुछ धाराओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। इसमें अपील का प्रावधान है कुछ में है और कुछ में नहीं है। धारा ६१ में अपील का प्रावधान है। अलबत्ता जो कृषक या एसेमी-पेमेंट नहीं करते या नहीं देते हैं उसके लिये भी धारा ३५ में दिया गया है। उन्हें पहले रकम जमा कराने का आदेश है। ख्याल कल यह हुआ था कि अपील का प्रावधान नहीं है, इसकी सफाई कर दी गई है।

अभी जांच करने से पता लगा कि कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिनमें रुपया जमा कराना नहीं पड़ता है और कुछ केसेज ऐसे हैं जहां कुछ नहीं करना पड़ता है। ये धाराएं जो कानून में हैं उसको देखने के बाद मैं मानता हूं कि माननीय सदस्यों को जो यह आशंका हुई है कि किसी भी रूप में अपील का प्रावधान नहीं है वह एक चिन्ता की बात थी और अब मैं मानता हूं कि स्थिति स्पष्ट हो गई है और माननीय सदस्य भी मानेंगे कि इसको अब प्रवर समिति में ले जाने की आवश्यकता नहीं है।

अब दूसरी बात यहां कही गई वह मुद्दे की बात है और सबको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस बिल के नाम के साथ कृषि आयकर विधेयक लगा दिया गया है। कृषि नाम से ही यह अनुमान लगाया जाता कि ये सारे कर कृषकों पर ही लगेंगे लेकिन अगर आप इस पर विचार करेंगे और देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका मतलब आम किसानों से नहीं है और आम किसानों पर इसका असर नहीं है। लेकिन एक लाख आम किसानों में से सिर्फ ७५ किसानों पर इसका असर पड़ेगा। यह सिर्फ ७५ किसानों पर असर डालेगा और ये ७५ भी कौन से, जिनकी अभी लिमिट ४,००० की है। ४,००० नेट इन्कम से मतलब है।

श्री अर्जुनदास : Is the Hon'ble Member talking from record or from guess-work? Is it guess-work or is it from record?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब ६००० की लिमिट थी तब एक लाख......

श्री अर्जुनदास : Is the figre of 75 based on record or on guess-work?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह कैलकुलेशन के आधार पर है, गैस वर्क नहीं हो

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

सकता है। टोटल नम्बर में आपको बता सकता हूँ। कुल १५०० असेसी हैं। अभी जब ६००० की लिमिट है तो टोटल नम्बर ऑफ असेसी १५०० होता है। मैं आपको और डिटेल्स बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जोधपुर और बीकानेर असेसी की संख्या १२७४ है और जयपुर से असेसी की संख्या ४३६ और उदयपुर व कोटा से असेसी की संख्या ४८६ है इसका टोटल आता है २१६६ इनमें कुछ घट-बढ़ा कर १५०० असेसीज़ का फिगर हमने माना है। अब ६ हजार से ४ हजार की लिमिट कर रहे हैं, उसमें हमारा ख्याल यह है कि १६०० के करीब ऐसे असेसी होंगे और उनमें हम १२०० मानकर चलते हैं। तो इस आधार के ऊपर जब हम यह मानते हैं कि ६ हजार से घटा कर लिमिट ४ हजार कर देंगे तो असेसी की संख्या कुछ बढ़ जायगी। यह कितना ही बढ़े लेकिन यह ख्याल और यह भ्रम है कि यह हर एक किसान के ऊपर असर करेगा। यह तो बिलकुल ही गलत है। तो ऐसी दशा में मेरा अपना ख्याल यह है कि किसान को अगर समझाया न जाय और वह समझे भी नहीं तो फिर बात दूसरी है लेकिन अगर किसान को समझाया जाय और किसान समझ ले तो बजाय वह उत्तेजित होने के, नाराज होने के, खुश होगा और वह खुश इस बात से होगा कि वास्तव में यह कर का बोझ उन लोगों पर पड़ा है जो कि इसके बोझ को उठा सकते हैं। इसलिए मेरी राय में इतने चौकन्ने होने की या चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। सही बात यह है कि ऐसे तबके के ऊपर यह भार डाला है जो कि भार को सह सकता है, इसमें कोई गैर वाजिब बात नहीं है।

अब दूसरी बात यह है कि जो यह ख्याल किया जाता है कि केवल हम ही ने यह टैक्स लगाया है और दूसरी जगह ऐसा कोई टैक्स नहीं है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार बंगाल और दूसरी जगह भी यह टैक्स लगा हुआ है और मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि हमारे यहां तो ४००० की ही लिमिट मंजूर की गई है और दूसरी जगह तो ३००० की लिमिट पहले से ही मौजूद है। अब तो केन्द्रीय सरकार ने भी इन्कम टैक्स की लिमिट ३००० ही कर दी है। हमने इसमें कोई नई बात की हो, जिससे किसानों को रास्ते चलते कठिनाइयों में डाल रहे हों, ऐसी बात नहीं है। आस-पास की रियासतों में भी ऐसा ही बल्कि इससे भी सख्त कानून है। इससे ज्यादा ढीला कानून जो भी अभी मैंने दो-चार नाम बतलाये हैं, जहां कि यह टैक्स लगा हुआ है वहां नहीं है। इसलिए यह ख्याल करना कि इससे किसानों को कठिनाइयां उत्पन्न होंगी ऐसी बात नहीं है। हमने यह ख्याल रखा है कि आम जनता को किसी प्रकार का कष्ट न हो।

एक माननीय सदस्य ने टोटल इन्कम की बात पूछी थी। तो टोटल इन्कम का मतलब नैट इन्कम से है। इस बिल की व्याख्या देख लेने से आपका समाधान हो जायगा। एक माननीय सदस्य ने इस बात की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया था कि सिंचाई की दरें असमान हैं। तो मैं उन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह प्रयत्न हो रहा है कि सिंचाई की दरें सारे राजस्थान में समान कर दी जायें और अभी भी इस प्रकार की कोशिश चल रही है।

अब एक बात और रह जाती है जिसकी तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया था

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

कि इसकी वसूली में, इसका हिसाब रखने में, अपील में और दूसरी बातों में कठिनाइयां पैदा होंगी। यह बात विचार करने के लायक हो सकती है, लेकिन इसका संबंध एक्ट से या विधान सभा से नहीं है, इसका सम्बन्ध सरकार से है। सरकार द्वारा नियम बनाये हुए हैं और उन नियमों में यदि कोई गुंजाइश होगी जिससे इसके वसूली में और सहूलियत पैदा हो, तो वह विचार करने की बात हो सकती है और सरकारी कर्मचारी यदि कहीं इसकी वसूली में लोगों को तंग करते हों तो उसका उपाय किया जा सकता है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया था और अपने अनुभव की बात कही थी यदि वह अपने सुझाव इस विषय में सरकार को देंगे तो मैं कह सकता हूं कि जरूर उन पर विचार किया जायगा और जो भी आफिसर ऐसे पाये जायें, कि उन्होंने दरअसल कोई बेजा बात की है तो उस पर सरकार जरूर कार्यवाही करेगी।

इन्कमटैक्स के सिलसिले में.........

श्री दयाकृष्ण विजय : राजस्थान की एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स कितनी होती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या ?

श्री मदनसिंह : आप पूछ रहे हैं कि राजस्थान को एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से कितनी आमदनी होती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ४ लाख की है और जो अब यह बिल पास किया जा रहा है इससे दो लाख की आमदनी और बढ़ने की हम आशा करते हैं। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, इसकी आवश्यकता नहीं समझेंगे। मैं तो यह भी मानता हूं कि इसके बाद इसके विरोध की भी आवश्यकता नहीं समझी जायेगी और आज ही अभी इसको प्रवर समिति का प्रस्ताव वापिस लेकर इसको पास करने की कृपा करेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय अध्यक्ष महोदय,................

श्री अर्जुनदास : Will the Hon'ble Minister please say as to how he has reached the figure of 75 ? Is it based on some facts or only Gappa Gazette ?

श्री अध्यक्ष : He says that it is based on figures collected by his Department.

श्री अर्जुनदास : He did not show the means how he has arrived at these figures. I personally feel that it is certainly false. It is impossible to collect the figures. In my own District i. e. Ajmer, it is bound to be more than 75, and in Rajasthan it is bound to be thousand and not 75. प्रोपोगेन्डा के लिए कह दिया हो तो ठीक है। अपन तो मानते नहीं कि ठीक है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष, अभी वित्त मन्त्रीजी ने राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में कुछ संशोधन करते हुए...........

श्री अध्यक्ष : आप प्रवर समिति के बारे में ही बोलें...........

श्री दयाकृष्ण विजय : जी हां।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव था कि इसे प्रवरसमिति को भेज दिया जाय इसलिये आप इसी विषय पर सीमित रहें।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसके कारण कुछ बताऊं। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने यह संशोधन रखा कि ६ हजार की लिमिट से जो इस बिल में ३ हजार की लिमिट कर दी गई थी, वह ४ हजार कर दी गई है और जो ६ नये पैसे का जो कर था वह ४ नये पैसे का कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस विषय में बहुत बड़ा मतभेद इस प्रकार से है कि वह नीति से सम्बन्धित है। हम काश्तकारों के ऊपर उनकी आमदनी पर जो टैक्स लगा रहे हैं उस पर आज जिस नीति को लेकर चलना चाहते थे यह टैक्स सारा उसके प्रतिकूल है। आज हम काश्तकारों की दयनीय अवस्था की ओर ध्यान देते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि काश्तकारों की दयनीय अवस्था हो रही है और वह अत्यन्त ही गिरी हुई है। आज से दो-तीन वर्ष पहले, जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने बताया था कि एक बहुत बड़ी प्रवर समिति ने इस पर विचार किया था और विचार करने के पश्चात वह इस निर्णय पर पहुंची थी कि ६००० रुपये की आमदनी वाले काश्तकारों के ऊपर यह टैक्स लगना चाहिए, तो मैं आज पूछना चाहता हूँ कि आज उन दो वर्षों में काश्तकार की आमदनी में क्या अन्तर आ गया है जो हम उनके ऊपर टैक्स लगाने के लिए नियम में संशोधन कर रहे हैं। हमें पहले इस पर विचार करना पड़ेगा कि आया कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई हैं जिनसे काश्तकारों की आमदनी में कुछ वृद्धि हुई है? हम जब परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि परिस्थिति ऐसी है कि वृद्धि होने के बजाय किसानों की आमदनी में गिरावट हुई है। आज हमें किसानों को कुछ राहत देने की जरूरत थी, आज हमें किसानों के जीवन स्तर को उठाने का ध्यान रखना है और इसका नारा लगाते हैं और समाजवादी व्यवस्था का नारा लगाते हैं लेकिन हम उन किसानों के जीवन-स्तर को उठाने के बजाय उनको गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने कल भी एक सजेशन रखा था कि यदि हमें अपने राष्ट्र-निर्माण के कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है तो हम टैक्स उन लोगों के ऊपर लगायें जिनके पास पैसा काफी सुरक्षित पड़ा हुआ है और किसी भी से प्रकार गरीबों को न दबाया जाय। मैंने यह भी सुझाव दिया था कि जिन लोगों पर और जिनकी आय ६००० से अधिक है, जिन पर कृषि कर पहले से ही लगा हुआ है, उनकी दरों में हम वृद्धि कर सकते थे तो उनके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता। लेकिन हम उस आमदनी को घटाकर, सारे साधारण किसानों को भी लपेट में लाते हैं तो यह कहां तक न्यायसंगत बात है। इस बात पर विचार करना था। मेरे एक मित्र ने कल कहा था कि समाजवाद का मतलब टैक्सेशन है। मैं कहता हूं कि यदि इस प्रकार का कोई विचार है तो वह सारा अपूर्ण है, सारा अदूर्दर्शिता पूर्ण है। यदि आप समाजवाद के नाम पर टैक्सों की भरमार कर देना चाहते हैं.......

श्री जनार्दनराय नागर : On a Point of order, Sir, it is just a repetition of his speech.

श्री अध्यक्ष : आप पहले वाले आर्ग्युमेन्टस न दोहराइये, वित्त मन्त्री जी ने जो

(श्री अध्यक्ष)

जवाब दिया है उससे उत्पन्न होने वाले विषय पर ही बोलें।

श्री दयाकृष्ण विजय (जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय: मैं पहले वाले आर्ग्युमेन्ट्स को दोहरा नहीं रहा हूँ। मैंने जो सुझाव दिया था कि छ हजार रूपये तक आमदनी वालों पर जब टैक्स लागू हुआ था उस सम्बन्ध में मैंने कल एक सुझाव रखा था वह यह था कि पहले हम राजस्थान के अन्दर जो सिंचाई के दरें हैं, असमान हैं उनको एक करने की कोशिश करते, उन सब की दरों के लिये समान कानून बनाते। दूसरा मेरा सुझाव था, राजस्थान में भूमि-वितरण की जो समस्या है, जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसको सदन के सामने रखते और फिर इस प्रकार के कानून लाये जाते, तो किसी हद्द तक ठीक भी हो सकता था। जब तक ये समस्यायें मौजूद हैं, सीलिंग कोई मुकर्रर नहीं तब तक इस प्रकार के कानून बनाकर किसी प्रकार के करों का भार किसानों पर लाद नहीं सकते।

मैंने कल भी कहा था कि आज के किसान पर केन्द्रीय सरकार के कर से लेकर पंचायत के कर तक देने का भार है। आज उसी किसान कि आमदनी जहां पहले ६ हजार पर कर था आज उसको घटा कर ४ हजार कर दी है। वित्त मन्त्रीजी ने इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि किन २ परिस्थितियों के कारण भारतवर्ष के अन्दर और राजस्थान के अन्दर, जब कि किसान वर्ग निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है तो वह इन्कम टैक्स का हिसाब किस प्रकार रखेगा? उसको हिसाबात के रखने के लिए पढ़े-लिखे व्यक्ति को नौकर रखना पड़ेगा। विचार करिये, एक किसान की आय हम ढाई सौ या २७५ रुपया मासिक आंके, क्या आज इन परिस्थितियों में सामान्य जीवन-निर्वाह के लिये कितने रुपये की आवश्यकता होती है.......

श्री जनार्दनराय नागर: क्या माननीय सदस्य विधेयक का विरोध कर रहे हैं या प्रवर समिति को भेजे जाने का विरोध कर रहे हैं?

श्री दयाकृष्ण विजय: मैं, प्रवर समिति में जाने के क्या कारण हैं, उनको बता रहा हूं। आज हमें इस बात का अन्दाजा लगाना पड़ेगा कि आज की परिस्थितियों में एक मनुष्य के जीवन-निर्वाह के लिये कितने रुपये की आवश्यकता है। अपनी आमदनी का हिसाब रखने के लिये उस किसान को, जिसकी मासिक आमदनी २५० रुपया या २७५ है एक पढ़े लिखे व्यक्ति को रखना पड़ेगा और उस पढ़े लिखे व्यक्ति को कम से कम यदि वेतन दिया जायगा तो वह ५० रुपये से कम नहीं होगा यदि वह अंग्रेजी पढ़ा-लिखा होगा, मैट्रिक पास होगा तो उसको कानून की भी वाकफियत करनी होगी वैसी हालत में कम से कम सौ रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा।

दूसरी तरफ, आज हम एक किसान के परिवार को देखते हैं तो उनके परिवार भी बड़े बड़े नजर आते हैं। हमें उन सब बातों पर विचार करना होगा। हम टेक्सेशन के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं वहां हमें इन बातों का भी ख्याल रखना होगा। मैं समझता हूँ, टैक्सेशन का सिद्धान्त कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है, इससे भ्रष्टाचार पनपता है, लोगों के अन्दर मितव्ययता के आदर्श की भावना दूर होती जाती है। आज का काश्तकार यह समझता है कि जो कुछ आमदनी उसकी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

होगी वह उसके जेब में जायगी जिससे वह वर्ष भर अपने बालबच्चों के लिये चिकित्सा और जीवनस्तर ऊंचा उठाने में उसको व्यय कर सकेगा। लेकिन जब वह सोचेगा कि हमें तो अपनी आमदनी पर टैक्स देना होगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारा मितव्ययता का आदर्श बिल्कुल खत्म हो जायगा। इससे क्या होगा? वह आमदनी और खर्च कम से कम बतायगा, अधिक खर्च नहीं करेगा। आज हम क्या अपना वह पुराना आदर्श भूल गये, भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण आदर्श भूल गये? मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाता हूं। छन्दोग्य उपनिषद् में लिखा है:

ईशा वास्यमिदं सर्वं,
यत्किंचं जगत्यां जगत्।
त्येन त्यक्तेन भुंजि था:
मा गृध्य: कस्यचित् धनम्।

इसका मत तब यह है, यह महान् उपनिषद् का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जो कुछ यह सृष्टि है वह सब ईश्वर की सृष्टि है। हमारे भोगने के योग्य कुछ नहीं। सब कुछ भगवान का है। यह हमारी अर्थ व्यवस्था का एक महान् सिद्धान्त है, जो हमारे उपनिषद् में वर्णित है। आज यह टैक्स लगाकर हम हमारी अर्थ-व्यवस्था के महान् सिद्धान्त को ठुकरा रहे हैं।

टैक्सेशन के सिद्धान्त पर बोलते हुए कल माननीय सदस्य ने कहा था कि टैक्सेशन समाजवाद का टैक्सेशन है। सोशालिज्म के मायने ही टैक्सेशन है। इस प्रकार की मनोवृत्ति के अन्दर अध्यक्ष महोदय मुझे रूस की बू आती है जहां भौतिकवाद को प्रधानता दी गई है। आपको इस प्रकार के टैक्स लगाते हुए किसानों की दयनीय दशा की ओर भी देखना चाहिये, उनके जीवन स्तर को देखा जाय, उनकी निरक्षरता को देखा जाय, उनके बच्चों की चिकित्सा को देखा जाय, उनकी आर्थिक अवस्था को भी ध्यान में रखा जाय। आज जब हम इन सब बातों पर विचार करते हैं तो मैं कहूंगा कि ऐसे बिल को लाकर हम काश्तकारों को भारी बोझ से लाद रहे हैं, इस प्रकार के करों से किसानों की कमर को तोड़ देना चाहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पुरजोर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वहां जाकर हम आज की परिस्थितियों पर विचार करें और देखें कि छः हजार रुपये की जगह ४ हजार कर देते हैं तो इसका असर कितने किसानों पर पड़ेगा। आज जब कि किसान को पंचायत टैक्स से लेकर केन्द्र के टैक्स तक देने पड़ते हैं तो वैसी हालत में यह टैक्स का अतिरिक्त भार लगाना उनके साथ न्याय नहीं होगा। इन सब बातों पर विचार करने के लिये मैं यह चाहूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

अभी यह भी कहा गया कि हम कुछ नियम बनाकर निरक्षरता के कारण और वकीलों के पंजे में न फंसे, इसके लिये हम कोशिश करेंगे। हो सकता है बहुत से नियम आपके बने हुए हों लेकिन जब किसान गांव से चलकर शहर में आता है तो वह वकीलों के चक्कर में फंसे बिना नहीं रहेगा। इन सब बातों पर फिर से विचार हो सके, इसके लिये यह आवश्यक है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। केवल तीन

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हजार की जगह चार हजार कर देने से और छः पैसे की जगह ४ पैसे कर देने से काम चलने वाला नहीं। इसलिये मेरा सम्माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय। मुझे आशा है, मेरे इस प्रस्ताव पर सभी बुद्धिमता पूर्वक विचार करेंगे।

श्री अर्जुनदास : On a point of information, Sir, While replying the Hon'ble Minister, I believe, said some thing which is not correct. Yesterday it was suggested that no appeal can be filed unless and until the amount claimed by the Government is deposited in advance. But what the Hon'ble Minister had said we could not make head or tail out of it. So on that point I would like to remind the House.

श्री अध्यक्ष : That is exactly the trouble that you did not make head or tail out of it.

श्री अर्जुनदास : He wanted that no head or tail should be made out of it.

श्री श्रीमानसिंह : On a point of order, it has nothing to do with the Amending Finance Bill.

श्री अध्यक्ष : What is exactly your point of order ?

श्री अर्जुनदास : On a point of information, I wanted to convey to him that the proviso to Section 48 of the previous Act says that no appeal can be filed until and unless the amount claimed by the Government has been deposited in advance. Therefore, I was suggesting that the suggestion made by the Hon'ble Minister-in-charge was not correct and it was deliberately made incorrect.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

क्लॉज २, श्रीमती सुमित्रादेवी।

श्रीमती सुमित्रादेवी (पिलानी) : I beg to move, "That in part (i) for the figures '3000' the figures '4000' be substituted; and in part (ii) for the figures '30' and '90', the figures '40' and '120' respectively be substituted."

श्री अर्जुनदास : One amendment at a time or all the amendments together ?

श्री अध्यक्ष : All the amendments on clause (2).

श्रीमती सुमित्रा (जारी) : मैं मानती हूं कि प्रान्त के निर्माण और उसकी प्रगति के लिये, हमारे प्रान्त में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको पूरा करने के लिये पैसे की आवश्यकता है और यह पैसा सरकार जनता से करों के द्वारा वसूल करके उन विकास के कार्यों को पूरा करेगी। इसलिये एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स जो सरकार ने लगाया है वह बहुत अच्छा था, परन्तु जो उन्होंने उसे ६ हजार से घटाकर एक दम ३ हजार कर दिया है इससे किसान समाज में या किसान वर्ग में एक असंतोष फैलेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस तीन हजार की संख्या को बढ़ाकर कम से कम ४ हजार कर दिया जावे।

मैं मानती हूँ वैसे ईमानदारी की बात तो यह है कि वित्त मंत्री महोदय यदि वास्तव में एक समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये इस बजट को प्रस्तुत करते या समाजवादी समाज की स्थापना की बात लेकर इस बजट में जो ६ हजार से चार हजार घटाने की बात कही गई है, उसको तीन हजार के बजाय चाहे ढाई या दो हजार कर देते परन्तु जो अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज़ है उनको लैंड रेवेन्यू से मुक्त कर देते तो समाजवादी समाज की स्थापना का जो लोग नारा लगाते हैं उनकी आवाज एक तरह से बन्द हो जाती। अगर एक तरफ जिनके पास अधिक जमीन है और उससे काफी आमदनी है उनको समाजवादी समाज रचना के सिद्धान्त के अनुसार कुछ नीचे लाने के लिये यह टैक्स लगाना जरूरी था तो जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज हैं, जमीन बहुत ही कम है, उनको कतई लैंड रेवन्यू से मुक्त कर देते। पर ऐसा वे नहीं कर सके। अगर आप एक लाख का भी लैंड रेवेन्यू माफ कर देते तो हो सकता है कि किसान वर्ग में इस संशोधित कानून से जो असन्तोष फैलेगा है वहां इस माफी से उन गरीब किसानों में एक संतोष की लहर भी फैलती और यह असन्तोष इस दूसरे प्रकार से कुछ कम हो जाता और कम से कम इस अनइकोनोमिक होल्डिंग को लैन्ड रेवेन्यू से बिल्कुल या आधा भी माफ कर देते तो आप धन्यवाद के पात्र बन जाते।

इसके साथ ही साथ तीन हजार के बजाय ४ हजार का मेरा सुझाव इसलिए भी जरूरी है कि किसान वर्ग और छोटा किसान वर्ग आज अशिक्षित हैं इसलिए वह हिसाब किताब भी नहीं रख पावेगा और इस कारण तहसीलदार पटवारी से उसे नोटिस मिलेगा और उसे ख्वामख्वाह कचहरी और अदालत में परेशान होना पड़ेगा। जिस दृष्टि से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने विशेष आई० जी० पी० को, जो भ्रष्टाचार खतम करने के लिये नियुक्त करने की बात कही है, यह तीन हजार की संख्या रही तो यह भ्रष्टाचार ऐसा बढ़ेगा कि एक नहीं इस प्रकार के कई विशेष आई० जी० पी० रखने की नौबत आ जावेगी।

इसके साथ ही साथ सिंचित जमीन की ३० एकड़ की संख्या के स्थान पर ४० एकड़ और ६० एकड़ असिंचित जमीन के स्थान पर १२० एकड़ रखने का मैंने सुझाव दिया है। इसको भी इसी अनुपात से बढ़ाया है। जब उधर तीन से चार हजार की संख्या बढ़ा दी गई है तो उसी अनुपात से इसे भी बढ़ाये जाने का मेरा सुझाव है।

(श्रीमती सुमित्रा)

मेरा ऐसा अनुमान है कि वित्त मन्त्री जी ने मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है, इसलिये मैं सदन से भी यह अपील करती हूँ कि वह अधिक से अधिक संख्या में इसके पक्ष में अपना वोट देकर मेरे इस संशोधन को सफल बनावें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय·······

श्री भैरोंसिंह (१४) अध्यक्ष महोदय····

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं स्वीकार करता हूं दोनों संशोधनों को और मैं माननीय सदस्याजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों के प्रति सरकार की सहानुभूति है और किसानों की ही सरकार है, यह कहने में आपत्ति नहीं है इसलिए तीन हजार की जगह ४ हजार का संशोधन सरकार स्वीकार करती है। वह भी सरकार की इसी सहानुभूति का द्योतक है। सरकार जहां तक हो सकता है वाजिब तौर पर हर बात को स्वीकार करने को तैयार है है और वाजिब तौर पर यह मानती है कि नावाजिब तौर पर किसान को तकलीफ न हो। इसलिए दोनों संशोधन स्वीकार करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। यदि उसे प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे तो मैं भी इस संशोधन को सदन में प्रस्तुत कर दूं।

(घंटी)

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अब तो संशोधन का समय नहीं है। पहले आया होता तो जरूर इस पर भी विचार करते।

श्री अध्यक्ष : यही मैं कह रहा था। आपका संशोधन कोई चन्द मिनिट पहले ही आया है और सर्कुलेट भी नहीं हो सका है। इस स्थिति में इसे प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि ·······

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मुझे विरोध करना है इस बिल का।

अध्यक्ष महोदय, वित्तमन्त्री महोदय ने जो एक अभी संशोधन आया उसको स्वीकार करने में जैसी तत्परता दिखाई उसके लिये तो मैं उनको हार्दिक धन्यवाद दूंगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की तत्परता से जिस खास आय के कारण कृषक लोगों के ऊपर जो एक विपत्ति आने वाली है उसका सम्पूर्ण निराकरण होता हो ऐसा मुझे नहीं लगता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी जिस समय माननीय वित्त मन्त्रीजी अपना भाषण दे रहे थे तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद वित्त मन्त्रीजी कुछ ऐसे आंकड़ों के आधार पर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं जिनका सम्बन्ध वास्तविकता से नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पूर्व जब माननीय वित्त मन्त्रीजी ने अपना बजट का भाषण इस सदन में प्रस्तुत किया उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि कृषि आय कर के द्वारा दो लाख रुपयों के करों की वृद्धि की जावेगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस दो लाख की आड़ में ज्यादा धन एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय वित्त मन्त्रीजी ने बताया कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की इन्कम लगभग ४ लाख रुपयों की होती है और उन्होंने जिस प्रकार के आंकड़े सदन में प्रस्तुत किये उनसे कुछ ऐसा लगता है कि यह आमदनी बढ़ कर ६ लाख रुपयों की हो जावेगी। मैं कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि माननीय वित्त मन्त्रीजी को अभी तक इस प्रकार के आंकड़ों में भ्रम है और यदि यह कहूँ कि वे स्वयं भी इस भ्रम जाल में फंसे हुए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सारे संशोधित बिल में एक बात को ही नहीं बढ़ाया गया हो कि केवल ६ हजार से ३ हजार किया हो, या ३ हजार से १५०० किये हों, लेकिन दोनों तरफ से कर बढ़ाये गये हैं। जिस तरह अभी बताया कि जिन लोगों पर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का प्रभाव होगा उससे संख्या बढ़ेगी, मैं मानता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि संख्या बढ़ेगी लेकिन आज जो हम व्यवस्था कर रहे हैं उसके द्वारा केवल जिनकी आमदनी १५०० से ज्यादा है तो १५०० की फर्स्ट आमदनी यानी १५०० की पहली आमदनी पर कर से मुक्त करेंगे और बाकी के १५०० से १६०० की आमदनी है, १७०० की आमदनी है तो उन पर टैक्स लगेगा। लेकिन लगेगा किस आधार पर? ६ नये पैसे के आधार पर। ऊपर जितना टैक्स लगेगा वह नये सिक्कों के आधार पर। इसके अलावा सुपर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगेगा, उसमें भी वृद्धि की गई है। उसमें जो मिकदार है उसको कम किया गया है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर): May I know under what provision of law the debate is going on at this stage, I want to know?

श्रीमान्, मेरी आपत्ति यह है कि किस विषय पर सदन में वाद-विवाद हो रहा है? एक संशोधन रखा गया उसको आपने अस्वीकार कर दिया, फिर किस बात पर यह विषय चल रहा है?

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सुमित्रा ने जो संशोधन रखा है उसको वे ओपोज कर रहे हैं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा: आपने उसकी स्वीकृति नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष: वे उसको ओपोज़ कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह: संशोधन हाउस में है, अभी बाहर नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष: संशोधन न तो स्वीकार हुआ है और न अस्वीकार।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा: आपने संशोधन की इजाजत नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष: वह तो जुदा संशोधन था और उसकी इजाजत नहीं दी थी।

श्री भैरोंसिंह: श्रीमती सुमित्रा का संशोधन नहीं भी है तो क्लाज़ तो है। मुझे उसका अधिकार है कि विरोध करूं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा: आपने सूचना दे दी, उस चीज का धन्यवाद किया। फिर विरोध कैसा?

श्री भैरोंसिंह: धन्यवाद मुझको दिया है, सदन को नहीं दिया है।

श्री भोलानाथ: कोई भी सदस्य विरोध कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि जैसी हमने व्यवस्था की है उसके अनुसार आज केवल यह नहीं कहा जा सकता है कि दो लाख की वृद्धि होगी। सुपर टैक्स में बढ़ाया है और टैक्स को बढ़ाया है और जितनी जितनी आमदनी एक्ज़ेम्प्टेड थी उसमें कमी की है। वैसी सूरत में यह सोचना पड़ेगा कि राजस्थान की सरकार पहले की व्यवस्था को दुगुना और यह भी कहूँ कि चौगुने रूप में बढ़ाती है। सरकार यह विचार कर चलती है कि दो लाख की वृद्धि होगी। मैं समझता हूं कि दो लाख की वृद्धि की आड़ में मेरा अनुमान है कि नये पैसों के एडजस्टमेन्ट और एडजस्टमेन्ट की तादाद में कमी करने से, जितनी आमदनी के मार्ग, सेल्स टैक्स को नये पैसों के रूप में परिणित करने से, आमदनी दो लाख की ही नहीं बढ़ेगी, ४ लाख की आज होती है तो १० लाख की होगी। १० लाख की नहीं होती है तो इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का स्पष्टीकारक स्मृति-पत्र आय-व्ययक ५६-५७ के पृष्ठ संख्या २५ पर दिया हुआ है, कृषि-आयकर की आमदनी जिसमें संशोधन अनुमान ५५-५६ के ७ लाख ५० हजार और आय-व्ययक आमदनी ५५-५६ की पहले लगायी वह ७ लाख ५० हजार। तो ५५—५६ में ७ लाख ५० हजार और ५६—५७ में ६ लाख रुपया।

तो यह सोचना पड़ेगा कि ५५—५६ में संशोधित अनुमान ७ लाख नहीं होता है, तो ५६—५७ में ६ का हो सकता था, यह संभव नहीं है। यह मानकर चलना पड़ेगा कि आमदनी बढ़ी है। एक बात आती है ५५ में, जागीर रिज़म्प्शन के कारण जिन पर टैक्स लगा है, रेन्टल इनकम के कारण टैक्स लगा है, उनकी संख्या कम हुई है और और उसके कारण एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में कमी होने की संभावना है। उसके बावजूद माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि हमारी आमदनी ४ लाख की है। जो आमदनी आज हर हालत में चार लाख की है, उसके सब जरिये, शुरू से लेकर अन्त तक, रेन्ट से लेकर अन्त तक, बढ़ाते हैं और फिर भी आमदनी दो लाख की ही रहती है, तो मैं तो यह कहूँगा कि इसका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार इनएफिशियेन्ट है। जो कानून बनते हैं, उनके द्वारा जो रकम वसूल होती है, जिसको वे स्वीकार करते हैं, उसको भविष्य में अनुमान के रूप में स्वीकार नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई परिस्थितियों में ध्यान देना होगा। एक संशोधन यह स्वीकार कर लिया कि ३ हजार की जगह ४ हजार कर लिया जाय, काश्तकारों पर असर नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार का बजट इस वर्ष हुआ है, जिसके द्वारा काश्तकारों पर कृषि आयकर ही नहीं किन्तु बेटरमेन्ट का टैक्स लगा है, सेल्स टैक्स बढ़ रहा है और भारत सरकार की ओर से और टैक्सेज़ आ रहे हैं, आवश्यकताओं के नाम पर, नेसेसिटीज़ हैं यह मानकर टैक्स लगाने की व्यवस्था की जा रही है। पर यह सोच लें कि काश्तकारों पर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं उससे उन पर अतिरिक्त भार हो रहा है, उसको समझना चाहिए। लेकिन जो बजट भाषण है, उसमें जो आय-कर का अनुमान लगाया गया है उस बजट भाषण में से देखकर मैं कह सकता हूँ कि उसमें ज्यादातर किसानों से वसूल करने की बात कही गई है। सेल्स टैक्स के लिए यह

(श्री भैरोंसिंह)

मान कर नहीं चल सकते कि इसका असर काश्तकारों पर नहीं होगा ! आप कह सकते हैं कि सैल्स टैक्स का भार डाइरेक्ट काश्तकारों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका असर उन पर पड़ेगा, सेल्स टैक्स का भार कन्ज्युमर्स पर पड़ता है, कन्ज्युमर्स काश्तकार भी हैं, उनसे वह सैल्स टैक्स वसूल किया जायगा। चीजें पहले के भाव से अधिक मंहगी पड़ती हैं, यह कृषक जानता है। उसको उस रूप में वह पैसा अधिक देना पड़ता है। इधर सेल्स टैक्स का असर पड़ता है, उधर बेटरमेंट चार्जेज़ वसूल किये जाते हैं। काश्तकारों पर इसका असर पड़ेगा। मेरे माननीय सदस्य बोल रहे थे—नहरें खोदनी हैं, कूए खोदने हैं, काश्तकारों की तरक्की करनी है। बजट स्पीच में नहीं पढ़ा होगा, उसमें उल्लेख किया गया है। राजस्थान सरकार बेटरमेंट के नाम पर काश्तकारों से टैक्स वसूल करने वाली है। जहां नहरों और कूओं का प्रश्न आता है, अन्य सुविधाओं का प्रश्न आता है, बेटरमेंट के नाम पर यह अतिरिक्त कर क्यों आ रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आया ?

आज हम देखते हैं, दूसरे देशों के उदाहरण दिये जाते हैं, रूस का उदाहरण दिया जाता है, चीन का उदाहरण दिया जाता है, स्वीडन का उदाहरण दिया जाता है लेकिन कोई अमेरिका का उदाहरण प्रस्तुत करे, जहां काश्तकारों पर लगान नहीं लगता है। इस टैक्स से उनको मुक्ति है। वहां पर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ही लगता है। अगर लगान न लेंगे तो उसी लगान का नाम रख कर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लागू कर दें। लेकिन राजस्थान सरकार को काश्तकारों को लगान देना पड़ता है, इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ जो लागू किये गये हैं वे उनको देने पड़ते हैं, और राजस्थान सरकार एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स भी और लगाना चाहती है, यह समाजवाद का नमूना है ! समाजवाद में रहना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि यह ऐसा समाजवाद नहीं चाहिए, उसको राजस्थान में पनपाने की जरूरत नहीं। अगर राजस्थान में कोई व्यवस्था करनी है तो उनको शीघ्र ही राहत देनी पड़ेगी। जिनको आज तक गरीब कहते हुए नहीं थकते थे, जिनकी शोषण की बातें कह कह कर ऊफान हो आता था, अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाय कि काश्तकारों का लगान कम हो गया है, यह इस प्रकार की व्यवस्था थी, रेन्ट के नाम पर हम बता सकते हैं; रेन्ट के साथ साथ दूसरी व्यवस्था भी कर दी और उसकी पूरी जोड़ लगायी जाय, आमदनी का हिसाब लगाया गया तो आपको अन्दाज हो सकेगा कि काश्तकार जो दिया करते थे उससे कहीं ज्यादा काश्तकारों पर लगान का बोझा पड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, हमारी राजस्थान सरकार ने सीलिंग कमेटी अपोइन्ट की है। अभी अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख आया था कि राजस्थान सरकार सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट को एन्डोर्स करने वाली है, तो इसलिये हमारे सामने दुविधा है कि कौन सी होल्डिंग इकोनोमिक है और कौन सी होल्डिंग अन-इकोनोमिक है। जब हम एक व्यक्ति की आय को निर्धारित नहीं कर सकते और यह भी नहीं जानते कि कौनसी होल्डिंग इकोनोमिक है तो भविष्य में उस पर टैक्सेशन की वृद्धि कैसे कर सकते हैं ? जब तक एक आदमी के लिये कितना वाजिब है, उसकी सीमा निर्धारित नहीं करते तब तक ८० का १२० करने से भी

Page No.50

(श्री भैरोंसिंह)

किसानों को कोई राहत नहीं मिल सकती। जो लोग सरकार से समझौता करके सरकार से राहत प्राप्त नहीं कर सकते उन पर टैक्स लगाने की बात अनियमितता है। हमें इसके लिये सीलिंग कमेटी का इन्तजार करना चाहिये।

इस टैक्स से राजस्थान सरकार के सामने २ लाख रुपयों की समस्या है। २ लाख रुपयों के बारे में बार बार कहा जाता है, लेकिन मैं एक नहीं अनेक विभागों के बारे में बता सकता हूं जहां लाखों रुपयों का घोटला है। जहां पर लाखों रुपयों का गबन हुआ है उसको वसूल करना चाहिये। खरीद-फरोख्त के मामलों में हजारों रुपये लूटे जाते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं लेकिन केवल २ लाख का नाम लेकर किसानों पर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की रेट को ऊंचा करना और जमीन की तादाद को नीचा करना उचित बात नहीं है। आज इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि जिसकी आमदनी ३००० है, उसको २००० तक का एग्ज़ेम्पशन इन्कम टैक्स में दिया गया है लेकिन राजस्थान सरकार ने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के बारे में यह व्यवस्था की है कि एग्ज़ेम्पशन केवल १५०० की तादाद पर ही दिया जाय। आपको चाहिये यह था कि २००० पर एग्ज़ेम्पशन करते। दूसरे व्यक्तियों की जो आमदनी होती है उस पर केवल इन्कम टैक्स ही देना पड़ता है, लेकिन किसानों को इन्कम टैक्स के साथ साथ एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स भी देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मुझे यही कहना पड़ेगा कि यह व्यवस्था किसानों का गला घोंटने वाली व्यवस्था है।

वित्त मन्त्रीजी ने यह कहा कि खाली एग्रीकल्चरिस्ट का नाम आने से ही विरोध करने लग जाते हैं, यह नहीं होना चाहिये। लेकिन मैं कहूंगा कि यदि आप विरोधी मतवालों की तरह ही इसे देखें तो आपको भी यह घातक दिखाई देगा। कहने को तो आज आप कह सकते हैं कि ३००० के बजाय हमने संशोधन स्वीकार करके ४००० कर दिया, इससे काश्तकारों को राहत मिलेगी। लेकिन यह सरकार का दृष्टिकोण है। सरकार तादाद को ऊंचा करती है और रेट को नीचा करती है। ऐसा करने का क्या कारण है? कल नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी इसका विरोध किया, कल कुछ और तरह का वातावरण बना इसलिये सरकार झुक गई और जो हवा बदली उसके कारण ३००० के बजाय ४००० कर दिया। लेकिन सरकार के लिये आगे भी ऐसा करना जरूरी था कि १५०० के बजाय २००० तक एग्ज़ेम्पशन देती लेकिन क्योंकि सरकार को घाटा है इसलिये ऐसा नहीं किया। घाटा तो सरकार के चलता ही रहेगा। आगे चल कर यह कह सकती है कि नहरें खुदवानी हैं, कूए खुदवाने हैं और इसके लिये रुपयों की आवश्यकता है इसलिये टैक्स और बढ़ाया जाय। ऐसी स्थिति में मैं इसका पूर्णतः विरोध करूंगा और माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो प्रलोभन हमें दिया गया है उसमें न आकर जब तक सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है और यह मालूम नहीं हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन रहनी चाहिये और कम से कम कितनी रहनी चाहिये इसके बारे में जब तक सीलिंग कमेटी अपनी राय व्यक्त नहीं करती है और जब तक एग्ज़ेम्पशन २००० पर नहीं होता है तब तक इस बिल का विरोध करना चाहिये। वित्त मन्त्रीजी ४ हजार तक आये हैं, चार हजार से जब तक

(श्री भैरोंसिंह)

६ हजार तक नहीं पहुँच जावें और जो तादाद निश्चित की है वह ठीक नहीं हो जावे तब तक हमें इसका विरोध करना चाहिये।

१.८ म० प०

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे माननीय मित्र ने जो आर्ग्युमेन्ट्स रखे हैं इस बिल के सम्बन्ध में वे मुझे एक फेमस प्ले की याद दिलाते हैं, जिसके अन्दर एक हीरो जब जीत जाता है तो वह एक्सक्लेम करता है :

"Oh, it is not the victory that I want, but the battle again !"

तो यदि वे कोई सुझाव रखते हैं और उसे आप मान लेते हैं तो फिर आपत्ति खड़ी हो जाती है: "everything should be all over again so that he can fight that." जिस आदमी ने जीत की कोई उम्मेद नहीं की उसको यदि एक दम जीत मिल जाती है तो वह घबराया हुआ सा रहता है कि आखिर यह क्या हो गया; तो वह चाहता है कि फिर लड़ाई शुरू हो जाय।

एक सुझाव है, जो यह कि जब आपने ४ हजार का एग्ज़ेम्पशन रखा तो जो मिनिमम १५०० रखा है उसे भी जरा बढ़ाना चाहिये था, नहीं तो संशोधन अपूर्ण रहता है। जब ३००० पर संशोधन रखा गया तब यह कहा कि यह काश्तकारों पर लग रहा है इसलिये ४००० पर होना चाहिये और गवर्नमेन्ट ने भी इसे एक्सेप्ट किया; फिर श्रीमान् भैरोंसिंहजी की तरफ से यह आया कि काश्तकारों पर यह नहीं लगाना चाहिये। जब काश्तकारों का नाम लिया जाता है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस हद तक काश्तकारों के नाम को एक्सप्लोइट करते हैं और किस हद तक जो आदमी अमीर हैं, जो बड़े हैं और जो कर सहन कर सकते हैं उनको कितना बचाते हैं ! आज देखना होगा कि किसान कितना त्याग कर रहे हैं और अमीर कितना त्याग और बलिदान कर रहे हैं। आप खाली एक चीज के लिये काश्तकार का नाम लेते हैं और वह यह कि उनकी आड़ में बड़े आदमियों को बचावें। यहां यह देखना होगा कि कितना टैक्स कितने आदमी पे करते हैं ? शायद वित्त मंत्रीजी ने बताया होगा कि कितने लाख आदमियों में से कितने आदमियों को टैक्स पे करना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि हमारे भारत और राजस्थान में कितने काश्तकार हैं जिनकी आमदनी ३००० से ऊपर है। आज सारे राजस्थान और सारे भारत का हिसाब लगाया जाय तो औसत आमदनी ६०) रु० महीने से अधिक नहीं आती। यदि ३००० पर टैक्स लगाते हैं तो ऐसे कितने किसान होंगे जिनकी आमदनी ३००० या साढ़े तीन हजार रु० सालाना है। आज यह भी देखना होगा कि काश्तकार जिस पर टैक्स लगेगा उसके होल्डिंग्ज़ की लिमिट कितनी है ? वह ४० एकड़ और १२० एकड़ आती है क्या ? यह मेरी समझ में नहीं आता कि यहां जो गवर्नमेन्ट का एटिट्यूड है वह ऐसा है कि जहां काश्तकार का नाम सुना कि एक दम से पिघल गये, यह विचार समझ में नहीं आया। यह कोई बायेन्स की Spanish lady की तरह है; always saying 'no', she finally agreed. यह सवाल है कि आखिर चार हजार आपने रखा तो चार हजार का बेसिक प्रिन्सिपल क्या है ? मैं कहता हूं कि ढाई हजार, तीन हजार, पांच हजार क्यों न हो ?

(श्री श्रीभानसिंह)

आपने चार हजार ही क्यों रखा ? आखिर कोई प्रिन्सिपल होना चाहिए। आपने घटा दिया। आज हम योजनाओं के, प्लानिंग के युग में रह रहे हैं। आपने घटा दिया और एकदम आधा कर दिया। ४० व १२० में क्या लोजिक है, क्या फिलोसोफी है ? आपने किस चिज का केल्कुलेशन किया ? ४० एकड़ इर्रिगेटड, इकोनोमिक होल्डिंग, ओप्टीमम होल्डिंग है और.... ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप क्लॉज़ का अपोज कर रहे हैं या फेवर कर रहे हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : यह आप स्पीच से देख लें। तो जो ४० एकड़ जमीन रखी गई है.... ....

श्री अध्यक्ष : क्या आप अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : मैं अमेंडमेंट पर ही बोल रहा हूं। This is beside the point.

श्री अध्यक्ष : फेवर में या अगेन्स्ट में ?

श्री श्रीभानसिंह : मैं जो चार हजार की आमदनी बढ़ा कर रखी है, उसके अगेन्स्ट में बोल रहा हूं।

तो आपने ४० एकड़ और १२० एकड़ रख दी, मैं मानता हूं। अब सवाल यह है कि आखिर आपने ४० एकड़ क्यों कर दी, या १२० एकड़ क्यों कर दी ? आखिर इसका कोई रीज़न होना चाहिये। हम ४० एकड़ जमीन को इकोनोमिक होल्डिंग समझते हैं, एक टाइप को होल्डिंग समझते हैं, जिससे जो आदमी इसके ऊपर काम करने वाला है, उस पर खेती करने वाला है, उसकी आमदनी चार हजार से ऊपर नहीं हो सकती, चार हजार की आमदनी होगी। इसके माने हैं कि इर्रिगेटेड लैंड और अन इर्रिगेटेड लैंड, ४० एकड़ और १२० एकड़ है, उससे चार हजार से ऊपर आमदनी नहीं हो सकती। लेकिन इसका कोई रीज़न होना चाहिए। आखिर किसकी वजह से आप ४० एकड़ इर्रिगेटेड लैंड और १२० एकड़ अन-इर्रिगेटेड लैंड करते है ? अब क्वेश्चन यह है कि ६ हजार की आमदनी जो पहले रखी थी उसको आधा करके जो तीन हजार की आमदनी की, उसके बेसिस पर कुछ वर्क किया गया होगा, यह मानने लायक है। लेकिन अब आपने चार हजार कर दिया, तीन हजार से बढ़ाकर चार हजार कर दिया तो आखिर उसके साथ ४० बीघा, और १२० क्यों किया ? हर एक चीज, जो फाइनेन्स मिनिस्टर एक्सेप्ट करते हैं, किसी अमेंडमेन्ट को एक्सेप्ट करते है, तो हम समझते हैं कि उसका बेसिस बतायेंगे। इस पर कोई बेसिस वर्क आउट हुआ नहीं, हैप हैजर्ड वे (hap hazerd way) में चल रहे हैं, यह प्लानिंग के युग में नहीं हो सकता। हमें हर एक चीज की दलील देनी पड़ेगी कि ४० एकड़ के पीछे यह प्रिन्सिपल है, यह रीज़न है। यदि कोई प्रिन्सिपल नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तो यह वैसा ही हुआ जैसे एक रुपया लगा कर इतनी आमदनी होती है। दुगुनी आमदनी दो रुपया लगा कर हो जाय। हमको देखना यह है कि दुगुनी आमदनी होगी या नहीं। मैं कहता हूँ कि हमें यह वर्क आउट करना चाहिये कि जो प्रेज़ेन्ट ४० एकड़ इर्रिगेटेड भूमि और १२० एकड़ अन-

(श्री श्रीभानसिंह)

इर्रिगेटेड भूमि है, उससे क्या फर्क पड़ता है। यह वर्क आउट न करें तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे कोई सिद्धान्त नहीं है। हम चाहते हैं कि जो पैसा जनता से लिया जा सकता है उसको लेकर वापिस किसानों के हित में लगा सकें। ४० एकड़ और १२० एकड़ पर यदि १० हजार की नेट इन्कम होती है तो उसको बचा दिया जाय और जहां ४० बीघा से ४१ बीघा जमीन है, या १२० से १२१ बीघा है, तो उसको पकड़ लें। लेकिन ४० बीघा करने का संशोधन आया है, उस संशोधन का कुछ रीज़न होना चाहिए। अभी क्रिटिसिज्म करते हुए श्री भैरोंसिंह जी ने कहा कि अमेरिका के अन्दर टैक्स नहीं है। मैं इस बात को चेलेंज करता हूं। शायद वे जानते नहीं कि अमेरिका में किस तरह के टैक्सेज़ हैं। अमेरिका में जो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स है, उसको वे समझते हैं कि वह रेंट है, रेंट के रूप में वहां टैक्स लगाया जाता है। क्या रेंट रूस में नहीं हैं? उन देशों में काइन्ड में टैक्स लिया जाता है। अमेरिका के अन्दर केपिटलाइज्ड वेल्यु ऑफ लैंड पर पैसा लिया जाता है। शायद वे केपिटलाइज्ड वेल्यु को नहीं समझे। वहां टैक्स देते नहीं, वहां रेंट लेते हैं और वह रेंट केपिटलाइज्ड वेल्यु ऑफ टैक्स रेंट के नाम से लिया जाता है। अब सवाल यह है कि ये टैक्सेज हमें समाजवादी ढांचे की तरफ बढ़ाते हैं या नहीं? मेरी मान्यता है कि यह समाजवाद का पहला नमूना है। आपको यह देखना होगा कि चार हजार की आमदनी, जो पहले तीन हजार की आमदनी थी, वह तीन हजार की आमदनी काश्तकारों की नहीं है। जिनकी तीन हजार की आमदनी है, वह आसानी से इतना त्याग कर सकता है। एक तरफ तो यह चाहते हैं कि हम लैंड रेवेन्यू उतनी रखें जितनी काश्तकार पे कर सके। हम दो रुपया, एक रुपया १० बीघे पर रखें, जिसकी पैदावार ५० मन होती है और जो व्यक्ति हजारों मन नाज जमीन से लेता है, उसके ऊपर जब हम एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स लगाते हैं तो कहते हैं कि यह काश्तकारों पर लगता है और वे टैक्स न लगने का समर्थन करते हैं और टैक्स की खिलाफत करते हैं। जब उन पर टैक्स लगता है तो वे किसानों पर ज्यादती का नारा लगायेंगे। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि मैं समझता हूँ कि तीन हजार की जो आमदनी रखी गई थी, उस पर बेसिस वर्क आउट किया था, चार हजार की आमदनी पर बेसिस वर्क आउट किया गया, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। वैसे हमारे प्रान्त में तीन हजार की आमदनी का बहुमत नहीं। इसलिए जो तीन हजार की आय रखी गई है, उसमें बढ़ोतरी न की जाय क्योंकि उसमें कोई रीज़न नहीं है। जहां तक इक्विटी, कन्वीनियेन्स और सर्टेटी का सवाल है,

(घंटी)

और जो एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स का सिद्धान्त है, उसके अनुसार तीन हजार की आय ठीक है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तीन हजार की आमदनी के प्रस्ताव में परिवर्तन किया गया है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। जहां तक टैक्सेशन का प्रश्न है, जो माननीय मंत्रीजी ने कर का सुझाव रखा है, वह एक प्रकार का प्रोफेशनल टैक्स है। जो कृषि का धन्धा है उस धन्धे पर टैक्स लगाया जाता है। हमारी सरकार के जितने धन्धे हैं, उनमें काम लेकर आदमियों को पे करते हैं लेकिन जो काश्तकारी धन्धा है, जो काश्त करने के बाद सरकार को रेंट देता है,

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यदि रेंट पे करने के बाद उस आदमी के ऊपर फिर टैक्स लगाया जाता है तो वह ज्यादती है। दूसरी जो बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं वह यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर ८० प्रतिशत जनता ऐसी है, जो काश्त के ऊपर निर्भर हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इससे थोड़े आदमियों पर ही असर पड़ने वाला है ? जो हमारे देश के लिए नई योजनाएं बन रही हैं, हिन्दुस्तान के अन्दर पंच वर्षीय योजना के अन्दर जितनी योजना बन रही है, उनके अन्दर अधिकांश आधार था कृषि का। आगे भी जितनी योजनायें बनेंगी, वे भी अधिकांशत: कृषि पर निर्भर हैं। यदि इस कृषि के धन्धे को हमें देश के अन्दर पनपाना है तो इस धन्धे को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना होगा और यदि प्रोत्साहन देना है तो इस धन्धे के ऊपर जो टैक्सेशन करते हैं, मैं नहीं कहता कि उसको इतना कम कर दिया जाय, मैं कहता हूं कि इसको बिल्कुल लिया न जाय, मूल रूप से इसे उड़ा दिया जाय, इन्कम टैक्स नाम की चीज न रहे।

(घंटी)

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अमेरिका में भी इस प्रकार टैक्स लगे हैं....

श्री अध्यक्ष : क्लॉज २ पर बहस हो रही है, जनरल डिस्कशन नहीं हो रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं कॉलज़ २ पर ही बोल रहा हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जो कह रहे हैं, वह इस स्टेज़ पर नहीं होना चाहिए।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जहां तक काश्तकारों...........

श्री नाथूराम मिर्धा : आप यह इस स्टेज पर नहीं कह सकते।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बिल विचारार्थ लिया जाय या नहीं, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। ६ हजार की जगह तीन हजार किया गया है, उसका विरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इस स्टेज पर नहीं कह सकते। यह बात आप इस स्टेज पर नहीं बोल सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो अमेंडमेंट मूव कर दिया है, उसके बारे में बोल सकते हैं कि तीन हजार किया गया है, उसको फेवर करते हैं या विरोध करते हैं, न कि सारे बिल के खिलाफ बोलें।

श्री भैरोंसिंह : इस क्लॉज का विरोध किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप आंकड़ों पर बात कीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप क्लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, सारे बिल का विरोध कर रहे हैं, जो इस स्टेज पर नहीं हो सकता। आपने क्लॉज़ की बात नहीं कही है।

श्री जगीशप्रसाद माथुर : दूसरी बात यह है कि मूल बिल पर अमेंडमेंट के लिए यह बिल रखा है। यदि मूल बिल पर थोड़ा बहुत विचार न किया जाय, तो अमेंडमेंट पर केवल विचार नहीं किया जा सकता इसलिए हमें मूल पर थोड़ा बहुत विचार करना पड़ता

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है। टैक्ससेज़ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि देश की जो वास्तविक शक्ति है, वह शक्ति काश्तकार है, काश्तकारों के लिए शुरू से आज तक आन्दोलन हुए हैं...........

श्री नाथूराम मिर्धा : यह एक बात आप कई दफा कह चुके हैं अपने भाषण में, और अब तीसरी दफा रिपीट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप क्लॉज़ २ पर बोलें; चाहे पक्ष में बोलें या विपक्ष में।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैंने जो बात कही है, वह मैं बिल के विरोध में कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : वह आप इस स्टेज पर नहीं कह सकते।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं जो छः हजार से तीन हजार किया जा रहा है, उसका विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप, छः हजार से तीन हजार किया है, उसका विरोध कीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप, कम किया जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर : इसमें जो तीन हजार का प्रावधान है, उसके विपक्ष में बोल रहे हैं, या जो चार हजार का संशोधन है, उसका विरोध कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : चार हजार से छः हजार बढ़ाने के लिए कह रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कर का भार कम न होकर अधिक लोगों पर पड़े, यह इस बिल का मकसद है। मैं इस सम्बन्ध में कह रहा था कि जहां तक काश्तकार वर्ग है, वह वर्ग...........

श्री नाथूराम मिर्धा : आप काश्तकार वर्ग, काश्तकार वर्ग न दोहराइये। He can not say like that.

श्री भैरोंसिंह : आपको यह कहने का हक नहीं है कि उनको बोलने का हक नहीं, you are not the Speaker.

श्री मदनसिंह : आपको यह कहने का हक नहीं।

श्री अर्जुनदास : On a point of order, the Hon' ble Member has got to address the Chair and not the Hon' ble Member direct.

श्री अध्यक्ष : आप शुरू रखिये।

जगदीशप्रसाद माथुर : मैं कह रहा था कि काश्तकार वर्ग देश की जीवन-शक्ति है। जब भी अंग्रेजों ने इन काश्तकारों को दबाना चाहा हमने काश्तकार वर्ग के हित में उनका विरोध किया था। आज हम उन काश्तकारों पर टैक्स लगाते हैं, जो काश्तकार वर्ग है, उन पर दूसरे दूसरे टैक्सेशन हैं, जो वे काश्त करते हैं उन पर टैक्स लगाते हैं और अन्य कई टैक्स बढ़ाये गये हैं। वे काश्तकार रेंट पे करते हैं, रेंट पे करने के बाद इन्कम टैक्स पे करते हैं। इन टैक्सेज़ को इसलिए बढ़ाया गया है कि इस वर्ग को अधिक से अधिक दबाया जा सके। उनको दबाने का एक मात्र साधन टैक्सेशन में संशोधन लाना है। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हाउस में हुआ है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।...........

श्री भैरोंसिंह : जब संशोधन मन्त्री महोदय की ओर से स्वीकार कर लिया गया है तो उसके समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : शायद आपके कहने से प्रभावित होकर लोग अपना मत पलट दें।

श्री जनार्दनराय नागर : अच्छा तो यह होगा, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार ने इस विधेयक में जो मूल प्रावधान रखा था ३०००) रु० का उसी पर सरकार कायम रहती, पर यहां पर कुछ माननीय सदस्यों की राय से सरकार ने चार हजार तक लिमिट लाने का जो संशोधन रखा, जिसका समर्थन करने के लिए में खड़ा हुआ हूँ, उसको स्वीकार करके सरकार ने थोड़ा सा सदहृयता का परिचय दिया, इस पर भी मुझे यह देख कर खुशी हुई है कि हमारे विरोधी दल के मित्रों के मन में समाजवाद के लिए अपूर्व प्यार पैदा हो गया है और इस संशोधन का विरोध करते हुए उसका अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार इस संशोधन के साथ कृषक वर्ग का उसे भारत की जीवन-शक्ति कह कर अभिनन्दन किया जा रहा है और इस बात की सूचना दी जा रही है कि इस प्रकार के संशोधन से और इस प्रकार के विधि-विधान से राजस्थान के कृषक-समाज पर एक दमन का दौर शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो चेहरे पर यह नकाब है उसके अन्दर समाजवाद नहीं, लेकिन बड़े ऊंचे काश्तकारों का जमींदारवाद छिपा हुआ है। सही बात यह है कि जब १ लाख कृषक कुटुम्बों में से १००-१५० कुटुम्बों पर, जिनकी कि एक साल की कृषि-आय १२ या १३ हजार रुपये कुल मिलाकर होगी उन पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा तब यह कहना कहां तक उचित है? ठीक है कि आम किसानों पर इसका प्रभाव, कुप्रभाव पड़ेगा। सही बात तो यह है कि समाजवाद का एक सुन्दर चेहरा पहन कर, जो बड़े लोग हैं, जिनकी बड़ी आय है, जिनके पास ४० एकड़ या १२० एकड़ ज्यादा भूमि हो गई है और जिनकी आय निश्चित रूप से १२ या १३ हजार से ज्यादा होगी, उनके ऊपर कर लगाया जा रहा है; उसका विरोध किया जा रहा है। मैं अपने विरोधी मित्रों का आदर करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जहां तक उनकी विचारधारा है वे एक बहुत ही सुन्दर नक्काशी का सामान लेकर आते हैं, मैं उनका विरोध करता हूं, आपत्ति करता हूं। इसमें अपनी अन्तरात्मा से देखें कि आज जब हम अपने समाज के ऊपर के वर्ग, जो बुर्जुआ श्रेणी है, जिन्होंने निश्चित रूप से मध्यम और निम्न वर्ग का और समाज की मजदूर श्रेणी का शोषण किया है, उनसे भारत के निर्माण के लिए करों के जरिये अधिक धन प्राप्त करते हैं तो माननीय सदस्य नये नये रूप रंग और नई नई भाषा का व्यामोह उत्पन्न करके हमको कहना चाहते हैं कि हम अपने इस कदम से पीछे हट जायं। ६ हजार पर कर जब लगाया गया था तब भी इसी प्रकार की दलीलें आई थीं। हम जानते थे कि आपकी दलीलों के बावजूद आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा तो यह होता कि सरकार एक इन्च भी पीछे नहीं हटती और तीन हजार की संख्या जो उन्होंने, सरकार ने रखी थी वही रखती, लेकिन मैं यह मानता हूं कि आपकी थोड़ी बहुत भावनाओं का सरकार ने

(श्री जनार्दनराय नागर)

लिहाज़ करने की कोशिश की है, चार हजार तक इस लिमिट को बढ़ाकर।

अब सवाल यह रहा कि इसका आर्थिक आधार क्या है कि तीन हजार से ४०००) हो या ३० से ४० एकड़ हो और ६० से १२० एकड़ हो ? उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण आर्थिक आधार का क्या है ? यह ठीक बात है कि इसमें अर्थशास्त्रियों ने कुछ विश्लेषण में कमी पाई हो। मैं स्वयं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं। मैं मान सकता हूं कि विश्लेषण में, अधिक बारीकी में जाने की जरूरत आ सकती है, लेकिन यह जो प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, वह आर्थिक गवेषणा का प्रश्न है, आर्थिक विज्ञान के ऊहापोह का प्रश्न बाद में है, पर यहां राजस्थान की आय बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान हो, उन पर विचार करना पडेगा, उसकी दृष्टि से आज यह आवश्यक कदम है जो कि हमें एक ओर समाजवाद और समान वितरण की ओर ले जायगा और दूसरी ओर उन श्रेणियों, उन तबकों पर निश्चित रूप से प्रभाव डालने के लिए हमें शक्तिवान करेगा जिन्होंने अभी तक समाज का शोषण किया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो इस संशोधन का विरोध करते हैं और कुल मिला कर इस संशोधन के द्वारा इस आयकर का विरोध करते हैं, वे निश्चित रूप से समाज के सामने साबित करेंगे कि वे बड़े बडे जमीदार और उनके पक्षपाती हैं उनके वे पुरोहित हैं जो नये तरीके के कपडे और वस्त्राभूषण पहन कर और नई २ तरह की छाप लगाकर सामने आते हैं। हम इस तरह के समाजवाद को बहुत जानते हैं' हम उनके समाजवाद को बहुत जानते हैं, हमने समाजवाद के लिए आपसे ज्यादा संघर्ष किया है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि आप लोगों का यह एटेक है।

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Speaker, Sir, this is not a point of order.

श्री अर्जनदास : The Hon'ble member must hear the point of order.

श्री जनार्दनराय नागर : Is this a point of order, Sir? Is this a point of order or no point of order, Sir?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हममें से भी बहुत से ऐसे मिलेंगे जिन्होंने आपसे भी ज्यादा त्याग किया है।

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखिये।

श्री जनार्दनराय नागर : हम जानते हैं कि विश्व में समाजवाद को संघर्ष लेना पड़ा है, भारतवर्ष में संघर्ष शुरू हुआ है। मैं आपके द्वारा चेतावनी देना चाहता हूँ अपने विरोधी मित्रों को। वह वर्ग-संघर्ष एक नये तरीके से शुरू हुआ है जिसकी भनक उनकी मधुर भाषा से निकलती है। सही बात तो यह है कि भारत के अन्दर और राजस्थान के अन्दर वह वर्ग-संघर्ष शुरू हुआ है। यह उसकी चेतावनी है। लेकिन हम चेतावनी कानूनी कार्यवाही के द्वारा देना चाहते हैं और अध्यक्ष महोदय, "इब्तदाये इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिये होता है क्या।

श्री अर्जनदास : On a Point of order, Sir, he is talking absolutely beside the point under consider-

Page No.58

(श्री जनार्दनराय नागर)

tion. Probaly he is not making a public speech in Manak Chowk. He should discuss the point parliamentarily and not like this.

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : The Hon'ble member does not understand what he speaks.

श्री अर्जुनदास : I would be much obliged if you please make me understand.

श्री सरदारसिंह : आपने परशुराम का अवतार ले रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप इस एमेंडमेंट पर ही जिक्र करिये।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं एमेंडमेंट के सम्बन्ध में ही बोल रहा हूं। हम इस एमेंडमेंट के द्वारा समाजवाद को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। इसमें एक सत्य छिपा हुआ है, वह उनके मन में तीर की तरह चुभा जा रहा है। अतः वे इस तरह का व्यामोह पैदा करके इसका विरोध करना चाहते हैं, इसका विरोध करना चाहते हैं। इसका सबसे अच्छा नियम शूर्पणखा मनोविज्ञान की नीति में आता है। उसकी यह पैदायश है।

श्री दमनसिंह (दांता) : माननीय अध्यक्ष, मैं शायद कुछ निवेदन करूं, जिससे तीर दोनों ही ओर न चुभे.......

श्री अध्यक्ष : क्लाज दो पर बोलें।

श्री मदनसिंह : जो यह ४ हजार का संशोधन आया है उसका मैं विरोध करता हूँ, जो पुरानी व्यवस्था थी बिल में वही रहनी चाहिये। इसके लिये एक बहुत अहम बात सदन के सामने रखता हूं। यह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स इसलिये लगा था कि जागीरदारों को कम्पेन्सेशन देना था। इसलिये यह टैक्स लगा था, उस किताब को देख लीजिये।........

श्री श्रीभानसिंह : कौन सी किताब में यह लिखा हुआ है? You are reasonably being irrational.

श्री मदनसिंह : इसलिये ६ हजार का जैसा बनाया था, ६ हजार पर ही लागू होता था। ६००० पर ही रखते हैं तो सब ठीक हो जायगा, नहीं तो यह काश्तकारों पर भी आ जाता है। बाकी ये तीर-तोप का डर नहीं। ऐसे भाषण अगर आप चाहते हैं तो हम भी ४८ घंटे तक दें, और आपसे ज्यादा जोर का दे सकते हैं।........

श्री श्रीभानसिंह : Sir, is this very relevant to clause 2 ?

श्री मदनसिंह : इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ६ हजार तक ही रखा जाय और पैसे की खास जरूरत पड़ जाय तो भीख मांगने आइये हम और देंगे, जो बड़े जागीरदार हैं। जागीरदारों के लिए ही रखा गया था, ६००० रखा गया था, वही ६००० रहने दीजिये।

श्री बृजमोहनलाल : जो संशोधन सदन के सामने रखा गया है उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ....

श्री अर्जुनदास : सुनाई नहीं देता, जरा जोर से बोलिये।

श्री बृजमोहनलाल (ब्यावर) : जोर से बोलूंगा तो भी आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप हमको समझने के लिए यहां बैठे नहीं हैं।

मैं समझता हूं, यदि ४ हजार की बजाय ६ हजार कर दें और ६ हजार पर इन्कम टैक्स रखा है उसको हटा दें तो मैं समझा नहीं, इसमें समाजवाद बीच में कहां आ रहा है ?

तो मैं यह नहीं समझ सका कि समाजवाद क्या होता है ? मालूम कुछ ऐसा होने लगा है कि जब किसी प्रकार की कोई बात हमारे सामने आती है तो हम उसमें समाजवाद की दुहाई देने लगते हैं। किसी तरीके से, किसी भी बात पर समाजवाद को ले आते हैं। हर मुनासिब सुझाव के बारे में, जो सदन के सामने आता है, हर चीज में हम समाजवाद की दुहाई देते हैं। समझ में नहीं आता कि यह कैसी चीज है ? इसलिए मैं यह कहूँगा कि जो लोग इस प्रकार से समाजवाद की बातें कहते हैं उनको चाहिये कि वे पहले इस बात को देखें कि समाजवाद के मूलभूत सिद्धान्त क्या हैं और समाजवाद क्या चीज है ? जहां तक मैं समझ सका हूँ समाजवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्तों के विरुद्ध है और चाहता है कि जहां तक संभव हो सके सम्पत्ति का स्वामी समाज को होना चाहिये, सरकार को होना चाहिये ताकि उसका लाभ सर्व साधारण को मिल सके। जितनी भी सम्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष के पास होगी उसका फायदा वही उठा सकेगा किन्तु यदि समाज या सरकार उसकी मालिक होगी तो उसका फायदा आम को मिलेगा, यह समझने के बाद हम यह कहें कि हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसी चीज की सदन के सामने बहस होनी चाहिये। कोई बात हो तो हमारी समझ में आ सकती है, मगर हर चीज में समाजवाद क[illegible]ते कहते हैं। स्कूलों की बात आती है तो क[illegible]ते हैं कि समाजवाद के प्रतिकूल है और दूसरी बात आती है तो कहा जाता है यह भी समाजवाद के प्रतिकूल है। समझ में नहीं आता कि समाजवाद का भूत क्यों सवार है ? जिस समय जागीर रिज़म्पशन का प्रश्न आया और सरकार ने जमीनों को अपने कब्जे में लेने के लिए चीज रखी और जागीर रिज़म्शन किया तो विरोध करते हैं। आज जो प्रश्न अभी हमारे सामने है उसमें दो बातें सदन के सामने संशोधन के सम्बन्ध में कहूंगा।

एक चीज यह कही गई कि यह कर किसानों पर लगेगा और उन गरीब किसानों पर लगेगा और लगाया जा रहा है जिनके पास न खाने को रोटी है और न पहिनने को कपड़ा है और न रहने को मकान है और न दवा दारू का किसी प्रकार का प्रबन्ध है। मैं समझता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा है उन्होंने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स एक्ट को पढ़ा नहीं है। यदि वे इसको पढ़ते तो उनको मालूम हो जाता कि यह किस पर लागू होगा और वे यह बात नहीं कहते। जिन किसानों के पास खेती से आय के अलावा और कोई आमदनी का जरिया नहीं है उनसे कृषि कर नहीं लिया जायगा, यदि उनके पास आबपाशी की जमीन ४० एकड़ और बारानी जमीन १२० एकड़ रहेगी।

इसके साथ साथ जो चार हजार या ६ हजार या तीन हजार की लिमिट रखी है इसके लिये मैं आपका ध्यान दफा ४ की तरफ दिलाना चाहता हूं। दफा ४ में लिखा है : "Agricultural incomo-tax shall be payable by a person whose total agricultural income of the previous year exceeds Rs. 6000/- at such rate or

(श्री बृजमोहनलाल)

rates as may be laid down from year to year by the annual Finance Act :

Provided further that in the case of an individidual or Hindu undivided family whose only source of agricultural income is the land poss ssed by such individual or family and cultivated by such individual or the members of such family, as the case may be, with or without the aid of hired labourers, no gricultural income-tax shall be payable by such individual or fmily on the agricultural income derived from such land if the cultivated area of such land does not exceed 60 acres of irrigated land or 180 acres of unirrigated land."

श्रीमानजी, मान लीजिये यदि आप एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की लिमिट ६ हजार रखते हैं जिसको सरकार ने आज ४ हजार रखी है, मैं कहूँगा कि इससे किसान पर इसका क्या असर पड़ेगा ? जैसा कहा गया है कि हम इर्रिगेटेड या अनर्रिगेटेड लेन्ड; जैसे करीब ४० बीघा आबपाशी और १२० बीघा वह जमीन जिसमें आबपाशी नहीं होती है, खेती होती है और इन्कमटैक्स खेती से होगी तो उस पर इस प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। यदि उसकी आमदनी केवल कृषि पर ही होती है तो उससे कोई कर नहीं लिया जायगा और जो लोग केवल खेती की आमदनी पर ही अवलंबित नहीं हैं उन पर आप चाहें चार हजार की लिमिट रखें या कुछ भी रखें, उनसे टैक्स लिया जाएगा। इससे किसानों पर असर पड़ने वाला नहीं क्योंकि खेती के अलावा इस लिमिट से ज्यादा जो आमदनी होगी उस पर यह टैक्स लिया जायगा। श्रीमानजी, इसमें समाजवाद का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो व्यक्ति खेती करता है और जमीन जोतता है वही जमीन पाने का हकदार है, यही सिद्धान्त है। इसलिये जो लोग खेती भी करते हैं और उसके साथ साथ दूसरा धन्धा भी करते हैं और उनकी आमदनी चार हजार से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको तो यह कर देना पड़ेगा। इसमें कौन सा समाजवाद प्रश्न आ खड़ा होता है। इस संशोधन का तो हमें स्वागत करना चाहिये, न कि हमको इसका विरोध करना चाहिये। यह कर उस वर्ग पर लगता है जो दूसरे धन्धे भी करता है और जिसकी आमदनी चार हजार से ज्यादा है।

एक और बात माननीय सदस्य ने कही, वह यह कि ४० एकड़ चाही और १२० एकड़ बारानी जमीन की बात रखी; इसका कोई वैज्ञानिक हल नहीं निकाला और इसको सदन में रख दिया गया। संशोधन में कहा गया है कि पहले जो ६० एकड़ थी अनइर्रिगेटेड और ३० एकड़ इर्रिगेटेड थी वह बढ़ाकर १२० व ४० एकड़ कर दी गई है। उसके लिये यह कहा जाता है कि किस आधार पर यह रखा गया। सरकारी अफसर 'इकोनोमिक होल्डिंग' को एक समय के लिए तय कर सकते हैं। अर्थ शास्त्री भी कुछ आवश्यकताओं को आधार मानकर 'इकोनोमिक होल्डिंग' तय करेंगे। परन्तु आज समाज के अन्दर कोई चीज फाइनल नहीं होती है। आज हमें जनता का स्तर ऊंचा उठाना है। आज हमें समाज को ऊंचा उठाना है और इसके लिए कई चीजों की आवश्यकता है और उनको पूरा करने के लिये हमें फेमिली बजट बनाना है समाज में। वह स्तर सदैव एकसा नहीं रहता। एक स्तर

(श्री बृजमोहनलाल)

प्राप्त करने के बाद समाज उससे ऊंचा स्तर प्राप्त करने की कोशिश करता है और उस समय 'इकोनोमिक होल्डिंग' की संख्या अवश्य बढ़ेगी।

श्री श्रीभानसिंह : Still it is uot a Scieutific explanation of 40 and 120 acres of irrigated and unirrigated land.

श्री ब्रजमोहनलाल : वही तो मैं बताता हूँ। उसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं। यह चीज तो कृषकों के हक में जाती हैं; जो एक माननीय सदस्य ने हमारे संशोधन में रखा है, इर्रिगेटेड और अनइर्रिगेटेड के बारे में। जब तक जांच करा कर रिपोर्ट न आए हम चुपचाप बैठे रहें। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि वह चीज कब आए और क्याउस समय तक हम अपना काम रोके रखें, यह उचित नहीं। इसलिये जो संशोधन सदन के सामने रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और निवेदन करता हूं कि इसको स्वीकार किया जाए।

श्री भोगजी (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कल जो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स बिल के सिलसिले में बहुत गरमागरम बहस चल रही थी और हमारे माननीय सदस्य यह समझ कर बोल रहे थे कि कहीं कोई आगे पीछे न रह जाए। जब हमारी राजस्थान सरकार इस निर्णय पर आगई है कि इस समाजवादी ढांचे मे नवनिर्माण कर किसानों को, और काफी सुविधा देकर समाजवाद अपनाएंगे तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है ? आज देश का सवाल है। जमीन का टैक्स किसान कई रूप में सरकार को अदा करता है और जो इन्कम टैक्स का संशोधन ३००० से लेकर ४००० तक की छूट देने का माननीय वित्तमंत्री जी ने रखा है उसमें भी इस प्रकार की गुन्जाइश किसके लिए दी जा रही है, यह भी गोल माल है। असली रूप में माननीय सदस्य ने जमीन ४० बीघा से १२० बीघा तक बढ़ाने का सुझाव दिया है यह भी एक समाजवाद के लिये महसूस करते हैं। समाजवाद बंगलों और महलों तक ही सीमित रहेगा, किसानों की असली हालत पर आप जायेंगे और इस दृष्टिकोण से आप सोचेंगे तो किसान किस हालत में है और कितनी जमीन से अपना पोषण कर सकता है और आज के युग में कर रहा है....—

श्री दामोरदलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, यह एग्रीकल्चरल रेवेन्यु के बारे में बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : कभी कभी बीघा बोलते हैं।

श्री भोगजी : अध्यक्ष महोदय, जब उधर से कोई बोलता है तो नहीं बोलते हैं और जब इधर से कोई बोलता है तो बीच में बोला जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप क्लॉज २ पर ही बोलें।

श्री भोगजी : काश्तकार अपने परिवार के लिए खुद जमीन को सींचता है, हल चलाता है, खेती करता है। १५ बीघा जमीन से लेकर ३० बीघा जमीन के अन्दर अपना भरण—पोषण करता है। यह छोटे किसानों में और खुद काश्त करने वालों में देखा गया है और आज भी हम मानते आये हैं और इससे ज्यादा

(श्री मोगजी)

जमीन वाला किसान है वह किसान को गिनती में शुमार नहीं किया जायगा, वह तो जमींदार में शुमार किया जायगा। वह खुदकाश्त नहीं करता है। वह दूसरे किन्हीं मजदूरों को खरीद कर या गुलाम रख कर खेती करवाता है और उनको जिन्दगी भर गुलाम रखा जाता है और जो ज्यादा जमीन वह अपने पास रखते हैं तो अपने ही पोषण के लिए वह रखते हैं। उनका शोषण मजदूरों के ऊपर ही होता रहता है। सरकार नहीं सोचती है कि जमींदार कितनी जमीन को कब्जे में लिए बैठा हुआ है। कई हजार और लाखों मजदूर रात दिन मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और दूसरी तरफ जमींदारों के पास कितनी कितनी जमीन रहती है और वह मजदूरों को दैनिक क्या मजदूरी देते हैं? उनको कोई सहूलियत नहीं है। रोटियों के बदले वे जमींदारों के चक्कर में जीवन बिता देते हैं। इसलिए जब सरकार यह समाजवाद की आड़ में कानून बनाती है तो नहीं सोचती कि गरीब लोगों के ऊपर इसका क्या असर होगा? बड़े बड़े जमींदारों को तो को देती है और छोटे किसानों के ऊपर टैक्स लगाती है! दूसरे कई प्रकार के टैक्स लगाती है, वह भी छोटे किसान ही चुकाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि टैक्स जो लगाये जाते हैं वह सरकार का घाटा पूरा करने के लिए लगाये जाते हैं। लेकिन यह टैक्स लगा कर खेती के इन्कमटैक्स हम छोटे किसानों से वसूल करना चाहते हैं, तो इसके जरिये किसानों की हालत सुधर जाये, ऐसा मालूम नहीं होता है, क्योंकि हमेशा यह दृष्टिकोण रहा है कि समुन्दर में जितनी बड़ी २ मच्छी होती हैं वह छोटी मच्छियों को हमेशा निगलने की ही कोशिश करती हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से आज का कानून जो नाक को सीधी तरफ से न पकड़ कर उल्टे हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इस ढंग से यह कानून बनायें और फिर भी गुन्जाइश छोड़ दी जाय कि जिससे बड़े बड़े जागीरदारों को फायदा मिले, यह ठीक बात नहीं है। आज भी गवर्नमेंट उन्हीं को लाखों रुपया मुआवजे में देती है ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं कहूँगा कि अभी मुआवजे आदि का प्रश्न नहीं है। इस बिल का क्लॉज २ चल रहा है? इसी पर अपना भाषण सीमित रखें।

श्री मोगजी : (जारी) मेरे कहने का मतलब यह है कि जो टैक्स लगाया जा रहा है वह उपयुक्त नहीं है। ३० बीघा के जमीन वालों पर ऐसा टैक्स निर्धारित किया जाय या जमीन के आधार पर जो कर निर्धारित किया जाय तो ज्यादा बेहतर हो। तो इस तरह इस गोलमाल कानून का असर उन काश्तकारों के यहां लाखों काम करने वाले मजदूरों पर नहीं होगा और न ही उनको कोई फायदा होगा। इसलिए या तो उन मजदूरों को जमीन दी जाय, इस तरह का कानून बनाया जाय तो अच्छा है। इसके साथ मजदूरों को दैनिक मजदूरी दी जाय। जो इन्कम टैक्स छोटे किसानों पर लगाया जायगा वह तो उसको देंगे ही लेकिन वह मजदूरों के पेट काटेगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री उत्तर देंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की ओर से चूंकि दोनों संशोधनों को स्वीकार कर चुका हूँ इसलिए कहने की आवश्यकता अनुभव

Page No.63

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

नहीं करता। विरोध की तरफ से और जो ज्यादा विचार पेश किये गये उनमें ज्यादातर पुनरावृत्ति है। उनमें कोई नया आर्ग्युमेन्ट और नई बात पेश नहीं हुई है....

श्री अर्जुनदास : १५०० से २००० तक किया जाय। Do'nt say, nothing new was suggested. One thing fresh was suggested.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १५००से २००० तक के करने का कोई संशोधन नहीं आया है। मैं यह कह रहा था कि कोई नई दलील ऐसी नहीं है जिसका जवाब खास तौर से देने की जरूरत हो। एक ही सवाल रहा जिसमें यह बताया गया कि इसके अन्दर क्यों ४००० रखा गया, क्यों ६००० रखा गया ? तो इसके अन्दर बहुत विस्तार से आपके सामने बात नहीं रखता हूँ। यह हो सकता है कि इसके अन्दर बारीक विचार करने की और अधिक गुंजाइश रहे। लेकिन जो प्रस्ताव रखा गया है और जो संशोधन स्वीकार किया गया उस पर कोई खास असर नहीं होता। इसलिये आशा करता हूं कि जैसा मैंने स्वीकार कर लिया है वैसा ही सदन इस क्लॉज़ को स्वीकार कर ले।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ में जो संशोधन श्रीमती सुमित्रा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ में कुछ संशोधन होना आवश्यक है। जब क्लॉज २ में संशोधन मंजूर हुआ है तो उसके मुताबिक जहां हमने ३ हजार की जगह चार हजार कर दिया है तो यहां पर भी जहां '३' शब्द है वहां '४' करना होगा; इसके लिए मेरा फोर्मल संशोधन है जिसको मैं सदन की स्वीकृति के लिये उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो हम भी कर देंगे। तो क्लॉजेज़ ४ व ५ भी ले लें।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३, ४ और ५ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३, ४ व ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री भैरोंसिंह (१४) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन है जिसमें मैंने चाहा है कि १५०० रुपया है वहां दो हजार कर दिया जाय, ताकि वित मन्त्री महोदय की इच्छा भी पूरी हो सके और मेरा संशोधन भी मन्जूर हो सके।

श्री अध्यक्ष : वह क्लॉज़ तो पास हो चुका है।

Page No.64

श्री भैरोंसिंह : अनुसूचि में है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आपका कोई संशोधन नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अनुसूचि में संशोधन दिया है कि १५०० के बजाय २००० कर दिया जाय।

श्री अर्जुनदास : If he has got any objection let him say so.

श्री भैरोंसिंह : अभी माननीय वित्त मंत्री ने बताया था, कोई संशोधन नहीं आया; इसलिये विचार हम कैसे करते ?

श्री अर्जुनदास : When it has been taken up as moved, it means he has no objection to accept this amendment.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : विचार करने का अब समय नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की तरफ से कोई अमेंडमेंट नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, उसी अमेंडमेंट के नीचे लिखा था, 'अनुसूचि में'।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत देरी से आया है।

श्री भैरोंसिंह : मंत्रीजी खुद चाहते थे, मैंने दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : वे चाहते तो खुद ही कह देते।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड के पार्ट ए में मेरा अमेंडमेन्ट है :

"in the shedule Part (I) (A) the figure and words '6 Naya Paisa' shown aginst item No. 2 be substituted........."

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह दो दिन पहले सर्कुलेट होना चाहिये था; वह दो दिन पहले यहां नहीं दिया गया इसलिये इस प्रस्ताव को रखने की अनुमति न दी जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, एक दिन का कायदा था और मैंने एक दिन पहले यह संशोधन दे दिया था।

श्री भैरोंसिंह : Before clear one day होना चाहिये; Clear one day में यह नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : Word 'clear' is not there.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है "In the Shedule Part (I) (A) the figure and words '6 Naya Paisa' shown against item No. 2 be subsituted by the figure and words '4 Nrya Paisa' ".

अध्यक्ष महोदय, कल बहस के दौरान में और आज भी कई बातें उठाई गई जो यह कि रेट ऑफ टैक्सेशन जो है वह छ पाई था उसकी जगह छः नये पैसे कर दिये हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि छः नये पैसे का

(श्री सोहनलाल भटनागर)

एक आना होता है। यह पहले के टैक्स से डबल हो जाता है। वैसी हालत में मेरा संशोधन यह है कि छः नये पैसे के बजाय चार नये पैसे कर दिये जायं। मैं आशा करता हूं, यही सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा थी और वह इस संशोधन द्वारा पूर्ण हो जाती है। मुझे आशा है, सदन इसको सर्व सम्मति से स्वीकार करेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह के बोलने को खड़े होने पर,

श्री अध्यक्ष : आप किस पर बोलना चाहते हैं। इस अमेन्डमेन्ट का विरोध करना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैं अमेन्डमेन्ट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पूरी अनुसूची का विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन इस अनुसूची में प्रस्तुत किया था लेकिन वह समय पर न पहुंचने के कारण इस सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसी भावना को लेकर मैं इस अनुसूची का विरोध कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संशोधन द्वारा यह मांग की थी कि १५०० के स्थान पर 'दो हजार' रुपये की आमदनी को इस कर भार से मुक्त रखा जाय। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूँ इस कानून के सम्बन्ध में गलत धारणा बनती जा रही है। यह कानून केवल ऐसे लोगों पर असर करने वाला है जो जागीरदार हैं। मैं यह स्पष्ट कर दूँ, जागीरदारी कभी की समाप्त हो चुकी है और जो कुछ बची हैं वह भी जल्दी ही समाप्त होने वाली है। आज यदि कोई भी कानून जागीरदारों पर लागू होता है, जागीरदारों की आड़ में लागू करते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम उस कानून को काश्तकारों पर लागू करने जा रहे हैं। जागीरदार था उस समय जागीरदार था, किन्तु आज वह भी एक किसान है। आज जागीरदार पर इस टैक्स को लागू करते हैं तो काश्तकार की श्रेणी में लागू करते हैं। ऐसी सूरत में हमें यह सोचना पड़ेगा कि जागीरदार आज स्वयं हाथ से खेती करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। काश्तकारों में और उनमें कोई अन्तर नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह हमें विचार करना पड़ेगा कि काश्तकारों के नाम से जो यह टैक्स लगाना चाहते हैं उसमें आप जागीरदारों में और काश्तकारों में वर्ग-संघर्ष की भावना पैदा करने की मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। मुझे तो यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि समाजवादी व्यवस्था की आड़ में सदन में कुछ इस प्रकार की बातें कही गई जिनके कारण मुझे ऐसा लगता है वह वास्तविकता से परे तो थी ही लेकिन उसमें कुछ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था कि जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि इस कानून का विरोध केवल जागीरदारों के कारण से किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, केवल प्रगति करने का अधिकार, प्रगतिशील कहलाने का अधिकार, प्रगतिशील कानून बनाने का अधिकार उस ओर बैठने वाले सदस्यों को ही हो, यह बात नहीं है। हमने तो पहले भी मांग की थी और आज

Page No.66

(श्री भैरोसिंह)

भी मांग कर रहे हैं कि जागीरदारी प्रथा को बिना मुआवजे के समाप्त किया जाय लेकिन उधर से आवाज आई कि बिना मुआवजे जागीरदारी खत्म नहीं की जायगी। हमने तो इस बात पर भी जोर दिया था कि राजा-महाराजाओं को प्रिवीपर्स न दिया जाय। लेकिन जब इस तरह का सुझाव देते हैं तो कहा जाता है कि यह वास्तविक नहीं है। हमने तो समझौता कर रखा है, समझौते को तोड़ नहीं सकते लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार की बातें कही जाती हैं तो हमें यह उत्तर मिलता है कि इसमें वास्तविकता नहीं है, इसको हम अमल में ला नहीं सकते। ये जो बातें कही जा रही हैं मन से नहीं कही जा रही हैं। शायद मन के मापदंड को मापने का पैमाना उधर बैठने वाले सदस्यों के पास ही हो। प्रगति करने का आज के युग में हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति इस प्रगति करने की प्रतियोगिता में भाग ले सकता है।

आज जो काश्तकारों के ऊपर एग्रीकल-चरल इनकम टैक्स के नाम से टैक्स लग रहा है वह काश्तकारों के ऊपर नहीं लगेगा, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं तो मैं समझता हूँ यह काश्तकारों के प्रति अन्याय है। आप चाहे जागीरदार के नाम पर, बड़े बड़े काश्तकारों के नाम पर टैक्स लगाते हैं लेकिन आप देखेंगे कि अगले वर्ष यह स्थिति आ सकती है कि छोटे काश्तकार जो वास्तव में काश्तकार हैं, जिनके प्रति आप हमदर्दी प्रकट करते हैं उन्हीं पर टैक्स लगाने के लिये सदन में बिल आयगा; अगर उस पर भी इस प्रकार के टैक्स लगा दिये जाते हैं तो मैं कहूंगा कि आपने जो तीन हजार के स्थान पर चार हजार की मिकदार रखी है उसके पीछे आपके पास कोई आर्ग्युमेन्ट नहीं है। कल इस बात का विरोध हुआ था, रात्रि को विरोध हुआ था और आपने समझौता करके एक नया मार्ग निकाल लिया कि जहां टैक्से-शन का प्रश्न आता है, लगान या कर में वृद्धि करने का प्रश्न आता है तो हमें इसके लिये बेसिक प्रिन्सिपल्स तय करने होंगे जिससे किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें। इसके पीछे कोई बेसिक प्रिन्सिपल होना चाहिये। जिस प्रकार से आपने तीन हजार की मिकदार बढ़ा कर चार हजार की, उसी प्रकार हमारे दिमाग में यह बात भी आती कि १५०० की जहां आमदनी है वहां हम दो हजार करते। इन्कम टैक्स में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, फिर आपत्ति इस बात में क्यों होती है? लेकिन केवल यह कह कर कि यहां इस प्रकार की जो बातें कही जा रही हैं उनका उद्देश्य दूसरी प्रकार का है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यह काश्तकार के साथ, चाहे किसी भी प्रकार का काश्तकार समझें, अन्याय होगा।

२ म० प०

इन्कम टैक्स में भी दो हजार के मामले को एग्जेम्प्ट किया गया है, पर इसमें उसे एग्जेम्प्ट नहीं करने में कोई न्याय की बात आप नहीं कर रहे हैं। आप अगर यह कहें कि दो हजार की आमदनी वाले भी, क्योंकि जागीरदार हैं, इसलिये यह टैक्स लगाना जरूरी है, तो जागीरदार की बात आप भले ही कहते हों पर मतलब आपका काश्तकार से है। आप जागीरदार के नाम से टैक्स नहीं लगा रहे हैं। आप यह लगाते हैं खेती करने वालों के नाम से या उन पर जिनकी रेन्टल इन्कम इतनी है। एक हजार की इन्कम की भी जागीरें हैं जिन्हें आप खत्म कर रहे हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

यदि इनकी भी इन्कम पर आप टैक्स लगाना चाहें तो काश्तकारों की श्रेणी में उनको लाना पड़ेगा। हम ऐसा मान कर नहीं चलेंगे कि जो पहले के जागीरदार हैं तो वे अलग हैं। यह टैक्स उन पर ही लगेगा, अन्य सामान्य काश्तकार पर नहीं, ऐसा नहीं है। तो काश्तकारों के बीच में मतभेद रखकर एक को फायदा होता है, दूसरी श्रेणी के काश्तकार को फायदा होता है, इस प्रकार का प्रपंच रच कर नीचे वालों पर नहीं लगना चाहिये, ऊंचे वालों पर लगना चाहिये। तो मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि इसके लिये विशेष प्रकार की नीति होनी चाहिये कर लगाने में। छोटे लोगों पर आप कर लगावेंगे तो इससे आमदनी नहीं होगी। वह आमदनी भी होगी तो केवल दो लाख की होगी, जब कि उधर देने वालों की संख्या दुगुनी हो जावेगी। नीचे वालों पर विस्तार भी किया तो भी आमदनी ज्यादा नहीं होगी। आप जिस समाजवाद की विवेचना कर रहे हैं उसके अनुसार तो जो आर्थिक विषमता है, जो ऊँचे हैं, जो जागीरदार हैं, जो बड़े किसान हैं उनको नीचे लाना पड़ेगा और जो नीचे हैं उनको ऊँचा करना होगा। पर हमारी राजस्थान सरकार तो एक लाठी से इन दोनों सवारों को हांकने की कोशिश करेगी। उस लाठी से अमीर गरीब सब पर टैक्स आप लगावेंगे। इससे गरीब गरीब होगा और अमीर भी नीचा आवेगा। हमारी दृष्टि यह होनी चाहिये कि आर्थिक विषमता का वातावरण समाप्त हो, पर वह दृष्टिकोण इसमें नहीं। उस दृष्टिकोण की बात करते हैं तो कहते हैं जागीरदार पर टैक्स लगाना है। आप जागीरदारों के साथ ही कुछ करना चाहते हैं तो सुपरटैक्स लगा दो, उन पर टैक्स बढ़ा दो। इसके बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, इसमें जागीरदारों को आपत्ति नहीं होगी। पर नीचे जो आप बढ़ा रहे हैं, यह प्रवृत्ति इस बात का संकेत करती है कि जिस समय भी आपको और रुपये की जरूरत पड़ेगी आप टैक्स की बात करेंगे; जैसे भरतपुर वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नहरें खुदवानी हैं, कुए की व्यवस्था करनी है इसलिये फिर आप टैक्स की बात करेंगे। आज इस मंशा को लेकर पैसे की, नये पैसे की आड़ लेकर आप इसको पास कराने की बात करते हैं। तो एक व्यवस्था करनी चाहिये। एग्ज़ेम्पशन में १५ सौ की आमदनी को बढ़ा कर दो हजार कर देनी चाहिये। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि राजस्थान में अभी यह आधार नहीं बना है कि एक औसत व्यक्ति का कितना खर्चा और आमदनी जरूरी है। उनमें आपस में समन्वय हो। जहां इस प्रकार का अभाव है वहां बिना सोचे-समझे कर लगाने की व्यवस्था करना घातक नीति है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस १५०० की तादाद को बढ़ा कर दो हजार कर दिया जावे, तो मैं इसे समझ सकता हूँ, पर अनुसूची का विरोध करता हूँ।

इसके संशोधन के लिये टैक्नीकल ग्राउन्ड की शरण ली। अगर इसे वे ठीक ही समझते हैं तो अपनी ओर से संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं, पर आज वे टेक्नीकल ग्राउन्ड की शरण लेकर ५००) का फर्क पटकने में दर गुजर करते हैं। मुझे इसके लिये बड़ा अफसोस है। ये जो गलतियां हैं इन गलतियों को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

मै दुबारा अर्ज करूंगा कि वे इस सदन में वित्त मन्त्रीजी की हैसियत से पधारे हैं और सबसे बड़ी विपत्ति काश्तकारों पर इससे आई है और मैं निवेदन करूँगा कि इस विपत्ति से

Page No.68

(श्री भैरोंसिंह)

किसानों को बचाने के लिये कम से कम वे अपने हाथों से, जाते जाते, कुछ भला काम कर जावें जिससे काश्तकार खुश हो जावें तो अच्छा है।

(हँसी)

मैं यह निवेदन करूँगा कि हमारे माननीय वित्त मन्त्रीजी बड़े उदार हृदय हैं। काश्तकारों के प्रति उनके हृदय में अपार प्रेम है, उनके दुख में वे दुखी हैं। इस दुख को देख कर उनकी आत्मा बड़ी मलाल हो रही होगी। पर उनके दोनों तरफ और सदस्य बैठे हैं, जो उन्हें मन्जूर नहीं करने देंगे यह बात। इसलिये दोनों से खास तौर से मैं निवेदन करूँगा कि वित्त मन्त्रीजी को वे आजाद कर दें, अपनी राय का स्वतन्त्र इजहार करने में। मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर इस तादाद को बढ़ा कर २ हजार की तादाद सरकार कर देगी और यह श्रेय माननीय अध्यक्ष, मैं सब को देना चाहूँगा अगर उनकी तरफ से ऐसा संशोधन आ जावे। हम एक मत होकर उस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) : Mr. Speaker, with regard to the suggestion made by Hon'ble Shri Bhairon Singhji, I have only to submit that while he was suggesting that the limit may be increased from Rs. 1, 5000 to Rs. 2, 000 I heard the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill speaking in reply to that he could agree with the suggestion made from this side and accepted it as a sort of corollary to the previous amendment which has been accepted by the House, but he could not accept it as law because there was no regular amendment tabled. Therefore, my submission is that to say that there is no amendment in accordance with law is not the correct position. On this point I would like to refer to rule 121, which says, :-

"If notice of an amendment has not been given one day before the day on which the Bll is to be considered, any member may object to the moving of the amendment and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved :"

So the Hon'ble Member on this side raised to move this amendment and there is no objection from this House. So unless somebody rises and makes any objection, of course the Speaker has got the power of rejecting it. But here the discretion lies with the Speaker.

श्री अध्यक्ष : If the amendment has not been moved, the question of objection does not arise.

श्री अर्जुनदास : He has got to be allowed to move it. This is what Rule 121 says. If anybody says, I have objection to it, that objection shall prevail unless the Speaker permits the mover of the amendment to move it. But if no objection is raised, there is no discussion at all. Therefore, I submit that the Hon'ble Finance Minister should please accept this suggestion.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय सदस्यों ने जो ६ नये पैसे की जगह ४ नये पैसे का संशोधन प्रस्तुत किया था, उसको स्वीकार कर चुका हूँ। इसके बाद एक माननीय सदस्य की ओर से एक अपील की गई व्यक्तिगत रूप से मुझे, पर मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं ही नहीं सारा मन्त्रीमण्डल और सारी सरकार किसानों की हितैषी है और यदि आम किसान पर इसका भार पड़ता तो आपके बिना सुझाव दिये भी और सुझाव पर तो अवश्य, उस पर ध्यान दिया जाता और जितनी ध्यान देने योग्य बातें थीं मैंने उन पर पूरा ध्यान दिया है।

दूसरी बात यह है कि और कानूनों की तरह यह कानून नहीं है। यह प्रति वर्ष आपके सामने आता है। तो प्रत्येक माननीय सदस्य को, जब यह प्रति वर्ष यहां उपस्थित होता है तो मौका है इस पर अपने विचार और सुझाव रखने का। औरों की तरह होता तो दूसरी बात थी। इसके लिए आपको प्रति वर्ष अवसर मिलता है।

इन कारणों से मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि जो सुझाव १५०० की जगह २००० हजार करने का है वह स्वीकार किया जाय।

इसके अलावा बंगाल और बिहार के कानून मेरे सामने मौजूद हैं, वहां पर भी १५००, ३५००, १०,००० है करीब; करीब अपने यहां जैसा ही है। बंगाल और बिहार दोनों कृषि प्रधान राज्य है। बंगाल, बिहार, युक्त प्रदेश तीनों में वही चलता है जो अपने यहां मन्जूर किया है। इसलिए...........

श्री भैरोंसिंह : मध्य भारत और पंजाब में कितना है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मध्य भारत और पंजाब का मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि इस शिड्यूल को माननीय सदस्य पास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन अनुसूची के भाग १ में आया है उसको स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची विधेयक की अंग बने?

(स्वीकृत)

संशोधित अनुसूची विधेयक में अंग रूप से जोड़ी गई।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जांय?

(स्वीकृत)

क्लौज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो विचार हुआ और उसके अनुसार जो संशोधन स्वीकार किया गया इसमें हमें शक नहीं है कि पहले यह कानून जिस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था और

Page No.70

(श्री तनसिंह)

संशोधित होने के बाद में जो इसका रूप हुआ है उसमें काफी अन्तर है और इससे कुछ राहत मिली है। लेकिन एक बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि जैसे पहले बार्गेन होता है, पहले पहले किसी चीज़ की कीमत सौ रुपया लगा दी जाती है और उसके बाद खरीददार के द्वारा ज्यादा माथा-पच्ची करने के बाद में आते आते सौ के बजाय पचास रुपये कम देना पड़ता। कहावत ऐसी है कि देहली में अगर एक चीज़ खरीदने जाओ और अगर दुकानकार ८ आना कहे, तो चूंकि वहां आठ गुने ज्यादा दाम बताये जाते हैं इसलिए एक आने का ही खरीदा हुआ कहेंगे। इसके लिए भी वित्त मन्त्री महोदय का यही ध्यान रहा होगा कि बार्गेन करने के कारण, मेथेमेटिकल केल्कुलेशन के अनुसार पहले ज्यादा रख दिया १८० के बजाय ६०, अब आधा करके रख दिया। ताकि कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत पैदा हो। यह भी कह दूं... ... ...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वित्त मन्त्री अभी बनिया नहीं हुआ है बार्गेन करने वाला।

श्री तनसिंह : मैंने सुना नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह वित्त मंत्री बार्गेन करने वाला बनिया नहीं बना है।

(हंसी)

श्री तनसिंह : बनिया ही केवल बार्गेन नहीं करता है क्योंकि यह उसे ही अधिकार नहीं है। बारगेन करना ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, यदि बार्गेन करके ही हमारे प्रदेश की स्थिति ठीक कर सकते हैं, यदि आप हृदय से इसको करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छा दृष्टिकोण है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र की गई।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि प्रदेश के हित में भावनाओं का अगर बलिदान करना भी पड़े तो आगा-पीछा उसमें नहीं करना चाहिये।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस नियत से नहीं है, तो फिर संशोधन स्वीकार करने के बाद यह और स्पष्ट हो गया है कि यह बिल प्रस्तुत करते समय इस बात पर सोचा नहीं गया था कि इस पर क्या क्या कोन्सिक्वेन्सेज होंगे, किसी वैज्ञानिक आधार पर रखा जा रहा है या नहीं ? केवल टैक्स बढ़ाना है इस दृष्टिकोण से नहीं, इसके क्या परिणाम होंगे, उस पर भी विचार नहीं किया गया। मेरा निवेदन करना है कि यद्यपि टैक्सेशन लिमिट कुछ नीचे आ गई है और कोई खास अन्तर हुआ है, जो नहीं हुआ है। लेकिन एक मुद्दे की बात पहले के एक्ट में रखी गई थी और जब प्रिन्सिपल्स पर बहस हुई थी तो मैंने निवेदन किया था कि पहले १८० एकड़ और ६० एकड़, इर्रिगेटेड और अनइर्रिगेटेड थी, जैसी स्थिति हो किसी सिद्धान्त पर यह रखा गया था। यह सोच कर रखा था कि हमारे प्रदेश की स्थिति को देखते हुए इस भूमि से जितनी आमदनी होती है यही माना जाय, और उस पर टैक्स नहीं लगाया जाय। मैंने यह निवेदन किया था कि दो वर्ष के पश्चात् ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई, लो लिमिट कर दी थी, शिड्यूल बना दिया था कि इतनी जमीन पर आमदनी हो, किसान

(श्री तनसिंह)

की जिस भूमि से कि उसका जीवन यापन होता है, वह लिमिट कम क्यों कर दी ? इसको कम करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। हो सकता है कि आपके सामने आर्थिक कठिनाइयां हों और इस कारण से आप यह टैक्स लगायें लेकिन इसके अलावा भी तो और टैक्स लगाने के सुझाव रख हैं और वे आने वाले हैं। लेकिन वित्तीय व्यवस्था में कोई सुधार हुआ हो, यह दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अपने कुछ निश्चित निर्णयों से नीचे आ गई है और बताना यह चाहती है कि वित्त-व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज से पहले निश्चित किये गये सिद्धान्तों से बहुत कुछ वह नीचे आ रही है। यह तो केवल लोगों को दिखाने के लिए है कि आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए टैक्स इम्पोज़ करना चाहते हैं। मेरा निवेदन करना है कि दो वर्ष पहले जो भूमि जितना अनाज पैदा कर रही थी उतना ही अनाज आज भी करती है और जो किसान आज से पहले भूमि पर काबिज थे, उसके बेटे-पोते हो गये होंगे, कोई बढ़ा होगा तो कोई मरा भी होगा। मेरा कहना यही है कि जो आमदनी उसको पहले होती थी वही आज भी होती है। हमने यह देख लिया था कि उन लोगों पर जिनके पास उस जमीन के सिवाय और जीवन-यापन का कोई चारा नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा। आज भी वही स्थिति, यही स्थिति है कि जो जमीन का मालिक दो वर्ष पहले था वही आज भी है, उसके पास नयी जमीन या जीवन यापन में उसके कोई सुधार नहीं, हुआ है, फिर उस पर यह टैक्स का भार क्यों ? यदि आर्थिक स्थिति सुधारना हो, ठीक तरह से यह देखा जाय, उन लोगों के पास १८० एकड़ बारानी ६० एकड़ चाही है, मैं समझता हूँ आप एक तरफ कहते हैं कि जिस दृष्टिकोण से इस बिल को आपके सामने रख रहे हैं, सदन के सामने रख रहे हैं, अच्छी तरह पहचान नहीं जानते, यह बात मेरे दिमाग में नहीं बैठती है।

आपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ टैक्स लगाये हैं लेकिन यह बात अब तक दिल में नहीं उतरी कि आपने जो जमीन की लिमिट थी वह कम क्यों कर दी और यदि कम कर दी है तो क्या इसका नतीजा यह नहीं होता या उसका परिणाम यह नहीं है कि आगे आने वाले कानूनों में यह लिमिट ऊपर होने की सूचना या संकेत है ? मेरा निवेदन यह है कि जहां तक इस बिल को पास करने का विचार करते समय संशोधन का सवाल था, सरकार ने चाहे बार्गेनिंग की नियत से ही किया हो लेकिन मुझे यह कहने में हर्ज नहीं है कि उसने उदारता-पूर्वक निर्णय किया क्योंकि मुझे अपनी ओर से अनुदार नहीं होना चाहिये इसलिए मान लूं कि उदारता बरती, लेकिन इस विषय में उदारता क्यों बरती, यह समझ में नहीं आया ? मैं समझता हूँ जल्दी ही इसका स्पष्टीकरण करेंगे और बहुत जल्दी संशोधन लायेंगे। १२० एकड़ और ८० एकड़ में कोई परिवर्तन नहीं। जिन पर पहले छूट गया उन पर लगाने का कोई विशेष कारण नहीं। इन्हीं कारणों से मैं इसे पास करने के पक्ष में नहीं हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल की तृतीय वाचन के अवसर पर मेरे लिये उन कारणों में, जिन कारणों से मूल विधेयक के अन्तर्गत कुछ परिवर्तन किया गया है, जाना उचित नहीं होगा। इस परिवर्तन के पश्चात् हमारे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

काश्तकारों के ऊपर आने वाला जो कुछ परिणाम है मैं उनकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ताकि नियम बनाने के पहले जिन बातों का पहले मैं जिक्र कर चुका हूं उनकी पुनरावृत्ति न हो। किसान बेजा तरीके से दबाया न जाय, उससे निरंतर नाजायज लाभ न उठाया जाय इसलिये मैं कुछ संक्षिप्त सुझाव प्रकट कर रहा हूं।

सबसे पहले जैसा कि वित्त मन्त्रीजी ने अश्वासन दिलाया था, काश्तकार निरक्षर हैं, जानते नहीं हैं इसलिये वे वकीलों के चक्कर में आ जायेंगे, हम कुछ ऐसे नियम बना रहे हैं जिनसे कि वे बच सकें। मैं आशा करता हूं नियम बनाते समय इस प्रकार का स्पष्ट और उदार दृष्टिकोण है उसको देखते हुए नियम बनाये जायेंगे। आज राजस्थान में शिक्षा पद्धति और शिक्षा व्यवस्था और शिक्षित लोगों की गांवों की व्यवस्था को हम देखते हैं तो एक दयनीय अवस्था का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। ऐसी अवस्था में हम किसानों पर राष्ट्र के उत्थान के नाम से टैक्स लगा रहे हैं तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हमारी टैक्स-पद्धति से यदि कोई आघात उन पर आता है तो हम ऐसे नियम बनावें कि वे वकीलों के चक्कर में न आवें और आसानी से टैक्स पे कर दें; इस प्रकार के नियम बनावें ताकि व्यवस्था से उन्हें परेशान न होना पड़े और गांवों से चलकर इन्कम टैक्स के दफ्तर में नहीं आना पड़े। उनके लिये तहसील हैड क्वार्टर में या पंचायत में व्यवस्था हो जाय ताकि किसानों को अपना टैक्स पे करना आसान हो जाय और खाता-बही रखने में किसी प्रकार की अड़चन न आवे। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार का ध्यान नियम बनाने में रखेंगे।

एक और परिणाम इसका होगा। वह यह होगा कि किसानों की भूमि छोटे २ टुकड़ों में बंट जायगी। वे अपनी भूमि को इस प्रकार बांट लेंगे कि उनकी सम्मिलित भूमि पर आंच न आवे। वैसे तो भावना स्पष्ट है, इसके पीछे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। टैक्स न देने की आदत बढ़ेगी, चोरी करने की आदत पड़ेगी। लेकिन जब एक ओर सरकार मानती नहीं है, तो आखिर गरीब किसान भी अपने बचाव का रास्ता निकालेंगे। इसलिए स्वाभाविक है कि जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जायगी, इसलिए आवश्यक है कि हम नियम बनायें उससे पहले इस प्रकार का नियम बनायें कि जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटी जाय और किसानों की आर्थिक अवस्था जो कमजोर है वह और कमजोर न हो जाय। जैसा मैंने पहले कहा था वे लोग यह सोचेंगे कि हमारी आमदनी इतनी होती है और हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा तो क्यों न हम अधिक खर्च करें। यदि ऐसा विचार आता है तो मितव्ययता की हमारी जो भावना है वह खत्म हो जाती है। जैसा अंग्रेजों का सिद्धान्त है, "Eat, drink and be merry"; क्यों नहीं इस सिद्धान्त को यहां लाया जाय ? यदि ऐसा हुआ तो जो संग्रह की हमारी पहले भावना थी वह खत्म हो जायगी। इसलिए भी हमें विचार करना पड़ेगा। हम उदाहरण रूस का ले सकते हैं जहां बचत करने की जरूरत नहीं है। वहां आदमी मजदूर है। हर एक व्यक्ति शासन की तरफ टुकुर टुकुर देखता है। पर मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे यहां जो सिद्धान्त है और जो आदर्श है उसी पर हमें चलना चाहिये। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमावें और अधिक से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अधिक बचावें और राष्ट्र निर्माण के लिये दें। जैसा मैंने कहा आज हम भौतिकवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हमारे महान् सिद्धान्त आध्यात्मिकवाद को भूलते जा रहे हैं। टैक्सेशन के सिद्धान्त को लगा कर अनिमितता की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश करें।

एक बात और कहना चाहता हूं, वह यह कि जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने फरमाया था राजस्थान में सिंचाई आदि लगान की दरें समान नहीं हैं। मैं फिर कहूँगा कि सिचाई की दर को समान करने के लिए अलग नियम बनाये जायं। ऐसा नहीं होना चाहिये कि राजस्थान में एक टुकड़े को अधिक टैक्स देना पड़े और दूसरे स्थानों पर कम देना पड़े; जैसी जमीन हो और जैसी आमदनी हो उसी के अनुसार टैक्स देना पड़े, हमको ऐसा विचार करना चाहिये। जहां भी असमानता है वहां समानता लाने की कोशिश करें।

इसके साथ ही एक बात अन्त में और कहना चाहूँगा। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट की बहुत दिनों से दुहाई दी जा रही है, लेकिन हमारे सामने न लाने का क्या कारण है? हो सकता है कि उसमें लोगों का स्वार्थ बद्ध हो इस कारण नहीं रखी जा रही है लेकिन मैं कहता हूं कि आज समाज और युग की मांग है, हम उसके विपरीत नहीं जा सकते। हजारों बीघा जमीन लिये हुए बड़े बड़े जमींदार बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार और जागीरदार बैठे हैं। उनकी जमीनों का पुनर्ग्रहण करना पड़ेगा और किसानों में समान रूप से वितरण करना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि जिस सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित करने में बिलम्ब कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी लायें ताकि राजस्थान में जो हाली गांवों में मजदूरों की तरह जमीन पर काम करते हैं और काश्तकार कहलाते हैं वे आत्मनिर्भर हो सकें। अपने शरीर से पसीना बहा कर मेहनत और मजदूरी करके अनाज पैदा करते हैं, उनकी कमाई उनके पास रहे। मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। यदि मैं विरोध करता हूं तो भी मेरा विरोध आपके बहुमत के सामने ठहरेगा नहीं। इसलिए यदि आप इसको पास करते हैं तो मैं समझता हूँ, आप उन ५-६ बातों पर ध्यान रखेंगे जो मैंने बताई हैं और मंत्री जी पूर्ण सहयोग देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पारित करने के विरोध में जो भाषण हुये हैं उनको मैंने ध्यान से सुना। लेकिन उनमें ऐसी कोई बात नहीं पाई गई जिसके कारण इस विधेयक को पारित करना मुनासिब न हो।

मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ जो पिछली दफा दोहराई थी कि यह विधेयक प्रति वर्ष सदन के सम्मुख उपस्थित होता है और एक वर्ष में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है; जब प्रति वर्ष यह विधेयक सदन में उपस्थित होता है, प्रत्येक सदन के सदस्य अवसरको मिलता है अपने विचार इस पर रखने का, तो मैं समझता हूँ कि इस समय किसी माननीय सदस्य को ऐसा लगता भी हो कि इसमें कोई कसर रह गई है तो कसर इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिये जिसकी वजह से इसे पारित करने का विरोध करें और जब माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इसका विरोध किया, इस बात को स्वीकार किया है कि इससे ज्यादा बोझ पड़ेगा, यह सही बात मालूम पड़ी और इसीलिए संशोधन स्वीकार किया है। यह मानना कि किसी तरह से सरकार या

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

मन्त्रीमण्डल को जिद्द हो, इसलिये ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है । इस कारण मैं आशा करता है कि अपने विरोध को प्रेस नहीं करेंगे और इसको एक मत हो, पास करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

२.३१ म० प०

राजस्थान सेल्स-टैक्स (अमेंडिंग एण्ड एक्सटेंडिंग) विधेयक, १९५७

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, "कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट एण्ड एक्सटेंडिंग बिल १९५७ को विचारार्थ लिया जाय । विचारार्थ वियधेक को उपस्थित करने से पहले और कोई वादविवाद हो, इसके पहले मैं चाहता हूं, इस सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक बातें ऐसी निवेदन कर दूं कि जिससे सदस्यों को इसकी आवश्यकता अच्छी तरह महसूस हो जाय और ज्यादा वादविवाद की गुंजाइश इसलिए न रहे कि कोई बात समझने से रह गई है । पहली बात तो यह है कि यह नया बिल नहीं है । जो एक्ट चल रहा है, उसमें यह संशोधन है और इसकी जरूरत इस लिए पेश हुई कि सेन्ट्रल एक सेल्स टैक्स एक्ट, १९५६ हुआ है, जिसके अनुकूल इस बिल को बनाना है, इसलिए कुछ परिवर्तन इसमें, जो आपका पुराना सेल्स टैक्स एक्ट है, उसमें किये गये हैं और इसमें सुझाये गये हैं। दूसरा कारण, जो बिल को उपस्थित करने के लिए पैदा हुआ, वह है कि स्टेट रिऑर्गेनाइज़ेशन का काम पूरा हुआ और जिसके फलस्वरूप अजमेर, आबू और दूसरे राज्यों के टुकड़े राजस्थान में मिलाये गये। वहां जो अलग अलग टैक्स के कानून बने हुए हैं, उन सबको एकत्रित करके एक जगह लाने की आवश्यकता है, जिससे कि कन्फ्युजन न हो और टैक्स का काम सरल हो, इसलिए संशोधन लाना जरूरी हुआ । इन दोनों कारणों से इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ शाब्दिक और कॉन्सीक्वेन्शेल चेन्जेज़ हुए हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें, मेरी समझ के माफिक तो ज्यादा वाद-विवाद की गुंजाइश नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि इसमें माननीय सदस्य अधिक समय न लेंगे और इसको पारित करने की कृपा करेंगे क्योंकि एक दूसरा बिल भी है, जो पेश होने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को विचारार्थ आपके सामने पेश करता हूँ ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। वैसे तो जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि अजमेर, आबू और सुनेल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इसे एक्सटेन्ड करने के लिए इस बिल को लाया गया है लेकिन हमने देखा है कि पिछले दिनों जो सेल्स टैक्स की दरों में बढ़ोत्तरी की, वे बढ़ी हुई दरें भी, जो राजस्थान में बढ़ाई गई हैं, उसके सम्बन्ध में विधान सभा में कुछ उल्लेख नहीं आया, लेकिन

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इस एक्ट के द्वारा वे बढ़ी हुई दरें भी अजमेर, आबू और सुनैल में लागू होगी। इसमें एक नये टैक्स का प्रोवीजन रखा, नये बढ़े हुए टैक्स हम इन क्षेत्रों में लागू कर रहे हैं। अब यह मसला एक नये रूप में हमारे सामने आया है। जहां तक टैक्सेशन का प्रश्न है, बजट में हर बार टैक्सेशन की प्रोब्लम हमारे सामने आती है और सरकार कहती है कि बिना टैक्स बढ़ाये काम नहीं चल सकता लेकिन जिस रूप में, जिस प्रकार से जिन्दगी की आवश्यकता की जो चीजें हैं, नेसेसिटीज़ हैं, उनको लग्ज़रीज़ में लाकर, उन पर टैक्सेशन बढ़ाया गया है। वे वास्तव में एक प्रकार से कमर-तोड़ टैक्सेज़ हैं। आज अपने प्रान्त में ही टैक्स बढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है; चारों ओर टैक्स बढ़ाने की एक हवा सारे देश में बह रही है। टैक्सेशन की भरमार से साधारण आदमी पर टैक्स भार स्वरूप बनते जा रहे हैं। यह सेल्स टैक्स एक डाइरेक्ट टैक्स है। जो कन्ज़्यूमर को देना पड़ता है। इस नाते इस टैक्स द्वारा एक प्रकार को बेईमानी हमारे समाज में व्याप्त होती जा रही है। टैक्स देने वालों में, और टैक्स लेने वालों में, दोनों में बेइमानी होती है और सरकार के खजाने के अन्दर जो वास्तव में पैसा आना चाहिए, वह नहीं आता है। इस टैक्स के पहले, जब यह टैक्स लागू नहीं था, कस्टम कर लागू था, उसके अनुसार जो टैक्स लेना होता था वह एक जगह ले लेते थे। अब एक एक व्यक्ति का इससे सम्बन्ध आता है, ऐसा दिखाई देता है। बाजारों में जाने पर, जो कर पहले दो पैसा था अब एक आना कर दिया गया है, दो पैसे देने में लोग हिचकिचाते थे, अब एक आना हुआ है तो इस प्रकार की आवाज आती है कि वे टैक्स नहीं देना चाहते हैं। कई जगह व्यापारी ऐसा करते हैं कि टैक्स नहीं लेते हैं और झूंठा हिसाब करके सरकार के सामने पेश करते हैं। प्रान्त के अन्दर से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि हम प्रान्त से भ्रष्टाचार दूर करेंगे लेकिन इस सेल्स टैक्स के द्वारा प्रान्त के अन्दर दूसरे रूप से भ्रष्टाचार ला रहे हैं। इससे दुकानदार भ्रष्टाचारी बनते हैं, ग्राहक भ्रष्टाचारी बनते हैं और सरकार की भी जितनी आमदनी होनी चाहिए, उतनी आमदनी नहीं होती है। तो अगर हम एक परीक्षण के तौर से अजमेर, आबू और सुनैल के अन्दर, जिनमें यह बिल एक्सटेन्ड कर रहे हैं इसको लागू नहीं करें। ऐसे परीक्षण से, हम देख सकते हैं कि इसको लागू न करने से वहां कैसी अवस्था हो सकती है और फिर इस कानून पर पुनः विचार करने का अवसर मिलता है। अतः मैं इस सेल्स टैक्स बिल का विरोध करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सेल्स टैक्स अमेन्डमेंट बिल हमारे सामने आया है और जिसके बारे में माननीय वित्त मन्त्रीजी ने अपने विचार अभी प्रकट किये और जिसकी भूमिका सदन के सामने रखी कि अजमेर, आबू और सुनैल टप्पा राजस्थान में मिलने के कारण राजस्थान का बिक्री कर कानून इन भागों में लागू करना आवश्यक हो गया और उन भागों में जो कानून लागू था उस कानून को रद्द करना आवश्यक समझा गया है; इसलिए यह बिल राजस्थान की विधान सभा के सामने उन्होंने पेश किया है और इसलिए उनके मत के अनुसार इस बिल पर कोई विशेष वाद-विवाद नहीं होना चाहिये और यह बिल बिना किसी विशेष बहस के सदन के द्वारा पारित

Page No.76

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया जाना चाहिये; ऐसा उनका मत है, ऐसी उनकी मान्यता है, परन्तु मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, जब घर में अतिथि आता है, उस अतिथि का स्वागत करने के बजाय, उस उस अतिथि की जेब काट लेने का जाल रचाया जाय, मैं समझता हूँ, यह ठीक नहीं है। अजमेर, आबू और सुनैल टप्पा के भाग हमारे राजस्थान में मिलते हैं, तो उन नये भागों का स्वागत करने के बजाय, वहां पर रियायत देने के बजाय, सुविधायें देने के बजाय, आज की हमारी राजस्थान के वित्त मन्त्री ने जो करों का भार राजस्थान की जनता पर थोपा है, वह करों का भार इस बिल के द्वारा वे अजमेर, आबू और सुनैल टप्पा की जनता पर थोपना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस बिक्री कर कानून का सिद्धान्ततः विरोध करते हैं और मेरी मान्यता है कि बिक्री कर जैसा प्रतिगामी कर हमारे प्रान्त की जनता पर नहीं लगना चाहिए। राजस्थान की जनता की हालत पर विचार करते हुए हम निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि आज इस कर की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने वित्त विभाग का भार सम्भालते ही, उनका इस प्रकार से स्वागत किया है, वहां दूसरी ओर राजस्थान की जनता से ५० लाख का बिक्री कर अधिक लिया है। कुछ दिन पहले, जो बिक्री कर लागू है, जिस रूप में हमारे सामने है, शिड्यूल हमारे सामने है, जो कानून की रूप-रेखा हमारे सामने है, उसमें आज टैक्सेशन की वृद्धि की गई है, वह सरकारी विज्ञप्ति, जो ६ मई को जारी की गई, उसमें माननीय वित्त मन्त्रीजी ने राजस्थान में बिक्री करों में संशोधन किये। जिन चीजों पर टैक्स नहीं होते थे उन चीजों पर टैक्स लगाये और ५० लाख रुपये सरकार इस बिक्री कर की दरों में संशोधन करने के बाद वसूल करना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जो विज्ञप्ति जारी की और जो दरें बढ़ाई गईं, उन्हें अजमेर आबू में लगाना जरूरी है; उस पर हमें विचार करना होगा। इस कानून के अन्दर जो दरों में नई वृद्धि की गई है, जो संशोधित दरें हमारे सामने आई हैं, आज माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों को बताऊं कि जिस तरीके से विज्ञप्ति जारी की, राजस्थान में नये टैक्स लगाये, दरों में संशोधन किये, आज उन्होंने बड़ी चीजों पर टैक्स नहीं बढ़ाये साइकल पार्टस् पर टैक्स बढ़ाये हैं, साइकल पर टैक्स लगाया है, साबुन पर टैक्स लगाया है, तेल पर टैक्स लगाया है, टॉयलेट्स पर टैक्स लगाया है, जनता की नित्य प्रति की जीवनोपयोगी चीजों पर टैक्सेज में वृद्धि की है, सवा छः परसेंट आपने टैक्स लगाया, इस बिक्री कर के सम्बन्ध में। बजट पर विचार प्रस्तुत करते समय सदन के माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये थे कि सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में जो ५० लाख की कर वृद्धि की जा रही है यह कर-वृद्धि की नीति राजस्थान के लिए बड़ी खतरनाक होगी। मैंने पहले भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि सवा छः परसेंट मोटरों पर कर बढ़ाया है, और दूसरी चीजों पर टैक्स बढ़ाया है और उधर सीमावर्ती क्षेत्रों में ३ रुपया २ आने का टैक्स रखा है, इससे तस्कर व्यापार बढ़ेगा। सवा छः पर्सेन्ट कर जब आप यहां लागू कर रहे हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में तीन रुपया दो आना टैक्स लागू कर रहे हैं ऐसी सूरत में कौन यहां से ये चीजें खरीदेगा, कौन दिल्ली से ये चीजें खरीदेगा, कौन आगरा से ये चीजें खरीदेगा, कौन मध्यभारत से, पंजाब से, पेप्सू से ये चीजें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

खरीदेगा, जब कि तीन रुपया दो आना पर्सेन्ट के सेल्टैक्स के हिसाब से ये ही चीजें सीमावर्ती क्षेत्रों पर मिल सकेंगी। इसका परिणाम यह होगा कि राजस्थान का स्थानीय व्यापार ठप्प हो जायगा और आज तक जो आपको इससे आमदनी हो रही थी वह भी नहीं होगी और वही कहावत चरितार्थ हो जायगी, "आधी को छोड़ सारी को धावे, सारी छोड़ आधी नहीं पावे।" आज आपको बिक्री कर से जो आमदनी होती है आगामी सालों में आपको उतनी भी आमदनी नहीं होगी। जहां एक ओर व्यापार चौपट हो जायगा, राजस्थान के स्थानीय व्यापार को धक्का लगेगा वहां राजस्थान सरकार की आमदनी में कमी आ जायगी। आज छोटे छोटे दुकानदार साइकिल्स लेकर, साइकिल पार्ट्स लेकर दुकान खोलते हैं, साबुन तैल आदि कि दुकानें खोलते हैं, आज वे इस कानून से इन्स्पेक्टरों के चंगुल में फंसेंगे, उनको कई तरह के हिसाब रखने पड़ेंगे और इस तरह भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लोगों को मुसीबतें बढ़ जायंगी, खर्चें बढ़ जायंगे और मुकदमें बाजी बढ़ेगी, और जनता की तबाही बढ़ेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कानून जो सिद्धान्ततः, मूलतः राजस्थान में लागू नहीं करना चाहिये, वह बेकार कानून, जिसको मैं काला कानून कह सकता हूँ, इसकी चालू रेट्स में, दरों में इस तरह का संशोधन करने के बाद, ५० लाख का नया टैक्स लगाने के बाद वित्त मंत्री कहते हैं अब इसे आबू, अजमेर और सुनैल में लागू किया जाय, क्योंकि वहां दरें कम हैं, दिल्ली, बम्बई और मध्य भारत की सैल्स टैक्स की दरें जुदा हैं, इससे यहां रेट्स में एकता नहीं रहेगी इसलिये वहां भी यह कानून लागू करना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने राजस्थान का हिस्सा, कुनबा बढ़ने के कारण, राजस्थान के परिवार में इन अंगों के मिलने के कारण, उन अतिथियों का इस प्रकार सत्कार करने का जो कदम उठाया है वह न्यायपूर्ण और उचित नहीं है। वित्त विभाग संभालने के बाद वित्त मंत्रीजी को सोचना चाहिये था कि दरों के बढ़ाने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, इस कानून को ही नहीं रखते। हमारी यह मान्यता है कि इस काले कानून को, जिससे लोगों पर भार बढ़ता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, व्यापार खत्म होता है, वह राजस्थान में ही लागू नहीं होना चाहिये, जहां वित्त मंत्रीजी ५० लाख की टैक्स वृद्धि करने के बाद इसे आबू, अजमेर और सुनैल पर भी लागू करने जा रहे हैं।

इस कानून में कई तरह की खामियां हैं, आबू के लोगों ने, जिन्होंने बम्बई का कानून देखा है, वे इसे देख कर इसकी मजाक उड़ायेंगे, जहां सवा छै पर्सेंट मोटरों पर, साइकिल्स पर, तैल कघे और साबुन आदि चीजों पर टैक्स बढ़ाया है वहां प्रेशस स्टोन्स, जवाहरात पर १० रुपया एग्ज़ेम्पशन सर्टिफिकेट रखा है, दवाइयों पर १५० रुपये का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट रखा है। सरकार ने जो विज्ञप्ति निकाली है उसे मैंने देखा है कि १२ हजार से २० हजार के बीच में दवाइयों की बिक्री होगी उसका १५०) ६० का एग्ज़ेम्पशन सर्टिफिकेट लेना होगा। जो आदमी साधारण दुकानदारी करता होगा, जनरल गुड्स की, टॉयलेट्स की दुकान करता हुआ ५-६ हजार रुपये की दवाइयें बेचता है उसको एग्ज़ेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं चलेगा तो उसकी साधारण सेल है, वह उसकी आमदनी में जोड़ दी जायगी। इसमें जोड़ने के बाद जो टैक्स लगेगा मैं बताना चाहूँगा कि सात-आठ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हजार की दवाइयों पर जनरल टैक्स लगाया गया तो ३५० रुपया टैक्स आयेगा, जहां १२ हजार से लेकर २० हजार से ऊपर १५०रुपये का टैक्स लगेगा, १५० रुपये का एग्जेम्शन सर्टिफिकेट होगा। इस यह कानून की कितनी भयंकर खामी है और आप इसे लागू करने जा रहे हैं, आबू अजमेर और सुनैल में ? कितनी हंसी होगी ? राजस्थान का धन्धा चौपट हो जायगा, तस्कर व्यापार बढ़ जायगा, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जायगा। इस पर तो वित्त मंत्रीजी ने विचार नहीं किया और कानून पेश कर दिया। आबू और अजमेर आदि पर लागू करने से पहले इस पर फिर से विचार करना चाहिये कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो हिस्से राजस्थान में मिले हैं उनके अतिथि सत्कार का यह तरीका अच्छा नहीं है। इसे मैं काला कानून कह सकता हूँ। इस काले कानून में टैक्स रूपी बड़े बड़े नाखून लगे हुए हैं। इस काले राक्षस को अजमेर आबू और सुनेल में मत भेजिये। आबू के इलाके ने बम्बई का कानून देखा है, अजमेर के इलाके ने दिल्ली का कानून देखा है, और सुनेल ने मध्यभारत का कानून देखा है, वहां राजस्थान के कानून विभाग का नंगा नाच मत होने दो, इस कानून को यहीं रद्द कर दो और आबू, अजमेर व सुनैल पर इसे लागू मत होने दो। यही मेरी सदन से प्रार्थना है।

इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का, अध्यक्ष महोदय, मैं घोर विरोध करता हूं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जो सामने आ रहा है, सेल्स टैक्स के बारे में, इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि ५० लाख का टैक्स जनता के ऊपर जो पहले थोपा गया न फिर जो थोपा जाता है, वह भी उस हालत में जब कि आज से ५ साल पहले सदन के सामने आया था तो उस समय इसका कड़ा विरोध किया गया था और जनता में बड़ी बेचैनी रही थी।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : इस बिल को जोड़ने से ५० लाख कहां से आ जायगा ? हम तो राजस्थान के सेल्स टैक्स के कानून को अजमेर, आबू और सुनेल में लागू करना चाहते हैं। इससे ५० लाख कहां से आ जायगा ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ५० लाख जो बढ़ेगा वह इन तीन जगहों पर ही थोड़े ही बढ़ा है, यह तो सब जगह पर लागू पहले व अब होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह इस कानून में कहां है, आगे आयेगा तब देखा जायगा। यह एक गलत फहमी हो गई है ५० लाख की, इस कानून से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्र सिंह : ठीक।

हम तो यह आशा लगा रहे थे कि नये मन्त्री–मण्डल के बनने के बाद नये आयोजनों के अन्दर यह सवाल रहेगा कि जहां तक हो सके पहले जो गलती हो गई है उसको दुरुस्त किया जायगा, कम किया जायगा पर उसके स्थान पर किया यह जा रहा है कि तीन जो दूसरे भाग हैं, जो हममें नये मिले हैं, जो हमारे महमान हैं....

श्री जनार्दनराय नागर : महमान नहीं माननीय अध्यक्ष, वे राजस्थान के बाकायदा नागरिक हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : (जारी) वे भी नागरिक तो हैं, लेकिन मैं उनके साथ में सिरोंज को बधाई देता हूँ कि वह मध्य भारत में चला गया और वहां पर वे इस कानून से बरी रह गये।

श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल : वहां पर भी सेल्स टैक्स लगता है, आपको मालूम होना चाहिये।

(हंसी)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं खास तौर पर यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सब बातों को सोच कर इसको नहीं करना है क्योंकि समझेंगे तो क्या और इस पर दिक्कत कैसी पड़ जाय ? यही बात सोच कर मैं इसका विरोध करूंगा।

श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल (उप-मन्त्री) : माननीय विरोधी दल के नेता को मालूम नहीं कि मध्य भारत में सेल्स टैक्स है या नहीं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि वहां पर सेल्स टैक्स है और आबू में बम्बई सेल्स टैक्स के अनुसार सेल्स टैक्स लिया जाता था। अब वहां पर राजस्थान सेल्स टैक्स के अनुसार सेल्स टैक्स लिया जायगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप बोलेंगे।

(विरोधी दल की ओर से आवाज, "ध्यान में है")

श्री नाथूराम मिर्धा : ध्यान में नहीं थी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ कि आबू में मल्टी पोइन्ट सेल्स टैक्स था। उससे आबू को फायदा होगा। यह बात ध्यान में होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन अजमेर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, यह भी आप याद रखें।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : अध्यक्ष महोदय, इस बार जब हम यहां आये उस समय यह अन्दाज लगा रहे थे कि नये २ चुनाव हुये हैं, नये नये सदस्य आए हैं, नया मन्त्री मण्डल है. जब हम अपने क्षेत्रों में वापिस यहां से जावेंगे तो लोगों को बतावेंगे कि नया मन्त्री मण्डल नये जन-मत के साथ आया है, उन्होंने यहां जनता के लिए जो कुछ भी किया है उनको हम जाकर सुनाएंगे, क्योंकि जितने वायदे चुनावों में हमने अपने क्षेत्रों में किये उनसे कई ज्यादा वायदे उधर बैठनेवाले लोगों ने किये, हम यह आशा लगाए थे कि कि जब हम अपने क्षेत्रों में इस बार जावेंगे तो वहां के लोगों को बहुत अच्छी खबरें सुनाएंगे। मगर मुझे तो खेद है कि वहां पर अब जावें तो कैसे जावें ? नहीं जावें तो क्या जयपुर में ही डेरे डालें ? जाने पर उनसे यह कहें कि अभी हम एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स; सेल्स टैक्स और एन्टरटेनमैंट टैक्स लगा कर आए हैं। एन्टरटेनमैंट टैक्स में आपको आगे बताऊंगा। सेल्स टैक्स पहले वाला ही है लेकिन ऐसी बात कह कर सरकार हमको भुलावे में डालना चाहती है, वह दूसरी बात है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कानून का जोर आबू और अजमेर तक ही सीमित नहीं है। निश्चित रूप से यह यह कानून पहले से बना हुआ कानून है और उसी को लागू करने के लिये है। मगर जिस कानून का पहले पहल असेम्बली में डिस्कशन हुआ उस समय हमने जोरों से कहा था कि हमारे सादे कागज़ पर अंगूठा मत लीजिये, क्योंकि सरकार उसका दुरुपयोग करेगी। सरकार को इस समय वैसे अधिकार दिये गये हैं कि जिस कॉमोडिटी पर टैक्स लगाना चाहे, लगाए, जिस पर बढ़ाना चाहे बढ़ाए, मगर उसमें एक साल की सीमा कर दी थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि सरकार ने पहले इस कानून के द्वारा टैक्स लगाए उससे कई आन्दोलन हुए। कइयों को जेलों की हवा खानी पड़ी। सरकार ने देखा कि स्थिति सुधरती नहीं है, बिगडती है तो बाद में आश्वासन देकर लगा दिये। मैं देखता हूँ कि हमारी सरकार उन्हीं

(श्री तनसिंह)

अंग्रेजों के कदम पर चल रही है जो पहले लोगों को दबाने के लिए प्रयास करते थे। जब दब जाते तो ठीक था और नहीं तो फिर वही उनको आवशासन देकर और भुलावे में डाल कर कुछ दिन के लिये उसे स्थगित कर देते और जब वह बात दब जाती है तो फिर वही चीज लेकर लोगों के सामने रख देते हैं। टीक उसी प्रकार आज हमारी सरकार कर रही है। कुछ अर्से पहले यहां वही स्थिति हुई, नये टैक्स चीजों पर बढ़ाये गये। कुछ चीजें एग्ज़ेम्पटेड थीं, उन पर भी टैक्स लगे। मैं कहूंगा यदि आपको घाटा पूरा करना है तो फिर आप किसी तरह से करिये, हमसे कोरे कागज पर क्यों दस्तखत लेते है और हमें भी इसमें भागीदार क्यों बनाते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय मन्त्रीजी ही इसके भागीबनें। सदन में इसको लाकर हम सब लोगों को जिम्मेदार क्यों टहराया जा रहा है? अगर आपको राज्य कोष में पैसा बढ़ाना है और आप पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइये। पब्लिक के साथ किये हुये वायदे हैं उनको पूरा न करें तो आप ही उनका फल भोगें। हमें क्या? हमें उसके बीच में क्यों घसीटते हैं? जब हम इसका विरोध करते हैं और कहते हैं तो कहा जाता है कि थोथी भावना में बहे जाते हैं, पैसे बगैर जनता के विकास कार्य नहीं हो सकते। आप दोनों में से किसी एक बात को चुन लें। या तो टैक्स लगाएं या विकास का कार्य नहीं होगा; इसको चुन लें। या तो आप अन्धेरे ही अन्धेरे में रहिये और अगर आप प्रकाश में रहना चाहते हैं तो पैसा दीजिये। जब हम इस तरह से विरोध करने के लिए खड़े होते हैं तो कभी कुछ और कभी कुछ आड़ आप लेते हैं। मगर मै यह कहूँगा कि इसमें सब की बुराई होती है। हमारे सामने कानून रख दिया जाता है, उसे तो हम पास कर देते हैं लेकिन उसको पास करने के बाद सरकार के हाथ रोक सकें, ऐसी बात नहीं है। कहां तक रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? सरकार कहती है कि यह कानून पहले का पास किया हुआ है, अब अजमेर में ही लागू हो रहा है। यह बात देखने में तो सीधी-सादी और ऐसी लगती है मानो कोई बात नहीं, सरकार कहां तक पहूँचना चाहती है? अगर अनुचित अधिकार मांगती है तो फिर हम सबको बदनाम क्यों किया जाता है? आप ही टैक्स लगाइये। हम तो चाहते है कि आपको इससे लाभ होना चाहिये। आपको विकास करना है तो करिये। अगर आपको पीछे हटना है तो हटिये। लेकिन ऐसे कामों में हमारे सहयोग की अपेक्षा न रखें। अगर हमको सहयोग के लिये कहें तो स्पष्ट रूप से कहें कि हमारी नीति यह है, इन कोमोडिटीज़ पर टैक्स लगाना चाहते हैं, इस पर टैक्स बढ़ेंगे। सरकार कभी तो आनन-फानन से सोचती है कि इन वस्तुओं पर कर नहीं लगना चाहिये। शायद ऐसा हो सकता है कि पब्लिक की प्रवृत्ति या विरोध के प्रवाह को समझ कर या किसी प्रकार से दब कर ऐसा निश्चय करें, मगर माननीय मन्त्री महोदय इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि दब कर ऐसा किया गया। मगर दब कर भी अगर ऐसा कोई करते हैं तो उसकी सीमा होनी चाहिये, जब कि हम कोई कानून पास कर रहे हैं। पहले हमने कोरे कागज पर अपने दस्तखत करके आपको दिये थे कि चाहे जिस वस्तु पर आप टैक्स लगाएं, हमने आपको छूट दे दी। उस वक्त माननीय मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि हम इस प्रकार के अधिकारों का कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे और कम से कम टैक्स लेंगे। भौंरा पुष्प की गंध लेता है, पराग से

(श्री तनसिंह)

संतुष्ट हो जाता है इसी प्रकार हम भी करेंगे, मगर हम देखते हैं कि वह टैक्स बढ़ाते ही जा रहे हैं। क्षेत्र में हमारी क्या हालत होगी, उस पर जरा नज़र डालें। जाते ही लोग कहेंगे कि क्या कर आये? वे कहेंगे कि एक तो एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स बिल पास हुआ, दूसरा एन्टरटेनमेंट बिल और सेल्स टैक्स शहर के लोगों पर लगाया गया है।

अब इस चक्की में कोई बचा हो तो आप बता दीजिये, ताकि हम उनसे कहें कि आप तो बच गये हो। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा पहले के वायदे याद कर लीजिए और अभी जो इलाकों में वायदे करके आये हो उनको याद कर लीजिए। अगर इन वायदों को आप अभी याद नहीं करते हो तो पांच साल बाद लोग आपको याद दिला देंगे। आखिर हमको मालूम भी तो हो कि आप किस नीति पर चलना चाहते हो? लेकिन आप तो कोई निर्धारित नीति बताते ही नहीं हैं। कभी समय आता है तो पीठ में छुरा भोंक देते हो और कभी समय पर समाजवाद की बात कह कर अपना काम निकाल लेते हो। यदि टैक्स लगाना ही है तो लोगों को जाकर समझाइये और लोगों से जाकर टक्कर लीजिए, जहां बीस या सत्ताइस दिन हड़ताल चली थी उन लोगों को जाकर समझाइये। तो मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम सरकार एक निश्चित नीति के आधार पर चले तो हम लोगों से जाकर कह सकें कि सरकार की यह नीति है। जब कभी कठिन समस्यायें आती हैं तो अपना पैंतरा बदल कर निर्णय कर लेते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इसलिए टैक्स लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि कोई एक निर्धारित नीति की घोषणा कर सरकार को यह टैक्स लगाना चाहिये।

श्री भोगजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह सेल्स टैक्स....

(श्री मूलचन्द डागा के बोलने के लिये खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विरोधी दल के सदस्यों ने कहा है मैं उनसे यह अपील करूँगा कि जब वह अपने क्षेत्र में जायें तो यह कहें कि मैंने विरोध किया, घोर विरोध किया और महा विरोध किया और ऐसा विरोध किया कि जिन चीजों पर विरोध करना था उन सबका मैंने विरोध किया। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का विरोध किया, एन्टरटेन्मेन्ट टैक्स का विरोध किया और इस सेल्स टैक्स का भी विरोध किया लेकिन मेरा विरोध चला नहीं; यह बात आप अपने क्षेत्र में जाकर कहें।

श्री नरेन्द्रसिंह : On a point of order please.

श्री जनार्दनराय नागर : He says it is a point of order. It is not a point of order.

श्री तनसिंह : आपने सुना ही नहीं, उसके पहले आप कहने लग गए, "It is no point of order".

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, हम तो समझ ही नहीं पाये कि किस पर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है।

श्री तनसिंह : आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

श्री मूलचन्द डागा : तो सवाल यह है कि मैं आपसे यह अपील करूँगा कि आप अपने क्षेत्र की बात छोड़िये, विशाल राजस्थान क्षेत्र की बात सोचिये। जिस क्षेत्र से आप चुने जा चुके हैं उसके बाद आपका उसूल सम्पूर्ण राजस्थान की बात सोचना है और यह सोचना है कि हमें राजस्थान का निर्माण करना है। अब दो चीजें हो सकती हैं कि या तो हम दौलत को कहीं बाहर से लायें या कोई जादू का चिराग हो जिससे कि दौलत को पैदा कर लें या कोई ऐसा दूसरा जरिया हो जिससे दौलत-पैसा हो जाय। आखिर हमें देश का निर्माण करना है तो हमें दौलत तो इकट्ठी करनी ही होगी। यह सही बात है और जब नये देश का निर्माण करना है और देश में नई बात करनी है तो हमें दौलत इकट्ठी करनी होगी और उसका जरिया क्या हो सकता है? जो हिस्सा हमारे राजस्थान में आ चुका है वहां भिन्न प्रकार के टैक्स हों और यहां राजस्थान में भिन्न प्रकार के टैक्स हों तो यह तो मेरे ख्याल से असंगत बात होगी, अव्यवहारिक बात होगी। जब हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अन्दर आबू, अजमेर और सुनेल टप्पा आ चुके हैं तो वहां टैक्स की क्रियायें और हों और यहां और हों, तो यह ठीक बात नहीं होती और फिर यहां भी विरोध केवल इसलिये किया जाय कि इससे भ्रष्टाचार फैलेगा, यह काला कानून है तो मैं समझता हूं कि आखिर यह कानून कभी, पास हो चुका है, यह कानून कभी से लागू हो चुका है और जैसे यह टैक्स पहले देते रहे हैं अब भी हमें देना चाहिए और हमें देना होगा, यदि राजस्थान का नये सिरे से निर्माण करना है तो। यह निर्माण का युग है, विकास का युग है तो जिसकी सामर्थ्य कर देने की है उसको तो कर देना ही होगा। टैक्स लग रहा है रेशम पर, ऊनी कपड़ों पर, साबुन पर और छोटी-छोटी तेल की चीजों पर और जो कि ऐसी चीजें हैं जो कि धनवान लोग ही काम में लाते हैं: तो यह टैक्स तो वही देंगे जो कि देने काबिल होंगे, लेकिन इन चीजों पर टैक्स देने के लिए और इस पर विरोध करने के लिए खड़ा होना और कहना कि मैं इसका विरोध करता हूँ, यह काला कानून है यह भ्रष्टाचार फैलायेगा, कहां तक उचित है? यह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाते चिल्लाते कहीं आपकी बोली में भ्रष्टाचार न फैल जाये। यह भ्रष्टाचार का तकिया-कलाम बुरा है। तो जैसा मैंने कहा कि राजस्थान का और देश का निर्माण करने के लिए धन को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तो इसका क्या तरीका है! आप तो कोई रास्ता ही नहीं बताते। आखिर आप भी तरीका बता सकते हैं कि हमें देश में धन पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या किसी की जेब काटी जायगी? किसकी जेब काटी जायगी? हम समझते है कि जनता और सरकार का जो सम्बन्ध है उसको स्पष्ट करना चाहिए। हम भी जानते हैं कि जनता और सरकार का क्या सम्बन्ध है, क्योंकि हम भी अपने क्षेत्रों से चुनकर आये हैं, हम भी अपने क्षेत्र में जाकर कुछ कहने का माद्दा रखते हैं। हमें सही माने में दौलत इकट्ठी करनी है। हम दूसरे मुल्कों से कर्जा नहीं ले सकते। क्या हम दूसरे मुल्कों के पास जायें और कहें कि हमें कर्ज चाहिये, वह कैसे हो सकता है? आप देखिये पास के देशों की हालत क्या है? हमारा हिन्दुस्तान आज निर्माण में लगा हुआ है, तरक्की पर है, देश ने नया कार्य संभाला है और देश ने एक करवट बदली है। तो यह सब काम करने के लिए न तो विरोधी दल कोई रास्ता बताता है और न

(श्री मूलचन्द डागा)

कोई योजना बताता है, पैसे इकट्ठे करने का कोई साधन नहीं बताया और हम मांग करते हैं कि देश शक्तिशाली बने और समृद्धिशाली बने । इसको शक्तिशाली बनाने का आपके पास कोई कार्य-क्रम नहीं है । हमें सही माने में देश में त्याग की भावना पैदा करनी है । अगर आदमी में त्याग करने की आदत नहीं है तो हम देश को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे । आज देश पूंजी को इकट्ठा करना चाहता है और उसको फिर आपके ही काम में लाना चाहता है । तो जब विकास किसी देश में करना होता है तो धन की आवश्यकता पैदा होती है और धन के लिए टैक्स लगाये जाते हैं, तो यह टैक्सेज़ जो सरकार लगाती है वे हमें जनता को और समाज को बर्दाश्त करने होंगे । आप कहते हैं कि हम जनता को क्या मुंह दिखायेंगे, तो आखिर हम भी तो जनता में से ही चुनकर आये हैं । टैक्स का क्या उपयोग होता है, हम भी जानते हैं । बस आपको तो विरोध करना है, विरोध के लिए आपको समय लेना है । यह तो केवल कहने की बात है कि हम जनता में जाकर क्या कहेंगे, हम किस प्रकार मुंह दिखायेंगे । मैं कहता हूँ कि आप में त्याग होना चाहिये । आप जाकर कहें कि हमने तो बहुत कुछ किया है, घोर विरोध किया है लेकिन किसी ने सुना नहीं । मैं समझता हूं कि इस सदन को इस कानून को पास करना चाहिये ।

३.६ म० प०

श्री भोगजी (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सेल्स टैक्स का विरोध करना चाहता हूं और उसका कारण यह है कि कई माननीय सदस्यों का कहना है कि यह गरीबों पर टैक्स नहीं लगने वाला है; बल्कि यह तो बड़े २ धनवानों पर लगने वाला है । सरकार कहती है कि गरीबों को ऊंचा उठाने की स्कीम तैयार कर रहे हैं । मैं समझता हूँ कि यह गरीबों को ऊंचा उठाने का तरीका नहीं है और न यह तरीका सही आज है और न भविष्य में रहेगा । कारण यह है कि जितनी भी चीजें पैदा होती हैं वे सब मजदूर और किसान ही पैदा करते हैं, खदानों से माल पैदा करते हैं और खेतों से धान पैदा करते हैं । जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं वे सब छोटे वर्गों के लोगों द्वारा बनाई जाती है । ये लोग चीजें बनाते हैं और बड़े लोगों के यहां बेचने जाते हैं तो उनको वाजिब दाम उसके नहीं मिलते और और फिर भी गरीब को सेल्स टैक्स देना होता है, इन्कम टैक्स देना होता है । यह टैक्स व्यापारी कोई भुगतने वाला नहीं हैं ।

साबुन, माचिस वगैरह जहां से पैदा होती है वहां से कीमत जो लगती है उस पर भी टैक्स लगेगा, बाद में बाजार में जो बेचने लायगा उस पर भी टैक्स लगेगा और फिर जो खरीदेगा उसको भी सेल्स टैक्स देना पड़ेगा । आज जो कानून यहां बना रहे हैं वह जनता को पनपाने वाला कानून नहीं है । पनप कैसे सकता है ? जो व्यापारी व्यापार के लिये चीजें लायगा वह तो जनता से कर वसूल कर लेगा, उसका सब भार जनता पर पड़ेगा । गरीब आदमी, पर जिस समय चीज पैदा होती है, उस समय टैक्स लगता है और वापिस खरीदते समय भी टैक्स लगता है । यह सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली कलकत्ता तक लगता है । वहां से माल चलता है उस पर टैक्स लगता है, यहां से जाता है

(श्री मोगजी)

तब उस पर टैक्स लगता है। आखिर टैक्स जनता को देना पड़ता है, व्यापारी पर तो इसका कोई असर नहीं होता, वह अपना मुनाफा निकाल ही लेता है। जो चीजें वह पचास रुपये में खरीदता है उसको वह लाकर साठ, सत्तर, अस्सी रुपये तक बेचता है। बाजार में वह अपना सेल्सटैक्स-इन्कमटैक्स निकालकर बेचता है। यह सोच लीजिए, आखिर टैक्स का भार तो गरीब जनता पर पड़ने वाला है। जो बेचारा अपना श्रम देकर चीज पैदा करता है उसी को टैक्स देना पड़ता है।

राज्य कर्मचारी और हम जो यहां आये हैं, अगर इस प्रकार टैक्स ज्यादा लगने लगा तो हमारी तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है। आप कहेंगे कि हमें सेल्स टैक्स पूरा करना पड़ता है और दूसरा टैक्स भी देना पड़ता है, इस वास्ते सेलरी २५० के बजाय ५०० कर दी जाय। आज सरकार यह जो कहती है कि हम समाजवाद को पनपाना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की चीजों से समाजवाद पनपने वाला नहीं है। पहले से ही गरीब जनता जिस चीज को तैयार करती है, बेचने के लिए तैयार करती है वह टैक्स निकाल कर बेचती है। यह जो लोग कहते हैं कि यह तो टैक्स बड़े बड़े व्यापारी पर पड़ने वाला है यह बिल्कुल गलत बात है। व्यापारी लोग और सरकारी कर्मचारी लोग यह बात अच्छी तरह से सोचते हैं कि २०० रुपये में खर्च नहीं चलेगा तो सरकार और बढ़ा देगी।

श्री अध्यक्ष : आप इसी विधेयक पर बोलें।

श्री मोगजी : इसी विधेयक पर ही बोल रहा हूं, जो सेल्स टैक्स लग रहा है। हमें जो गलत बताने की नीति है, वह ठीक नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि अगर हमें असल में समाजवाद लाना है तो इस तरह से समाजवाद आ नहीं सकता जिसमें छोटा वर्ग का लोगों ने लूटवानो साधन जुटावो। आप लोग इस तरह से जो नया मजदूर वर्ग कायम कर रहे हैं उसमें समाजवाद ऊंचा उठने वाला नहीं है। आप यह टैक्स इस तरह से लगा रहे हैं कि एक हाथ से ले रहे हैं और दूसरे हाथ से दे रहे हैं। अगर आप समाजवाद को ऊपर लाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए अपना श्रम देना पड़ेगा और नीचे से ऊपर तक जायगा। हमें अपने इलाके में जाकर स्कीम बनानी है। तकावी नहीं देते हैं तब तक हम उन लोगों के साथ मिलकर श्रम नही करेंगे, हमारे यहां समाजवाद आने वाला नही है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : (किशनगढ़) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह सवाल इस वक्त है कि यह जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है वह अजमेर पर भी लागू किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस बिल का इतना ही अभिप्राय है कि जो सेल्स टैक्स राजस्थान में लागू है वह सेल्स टैक्स अजमेर राज्य पर भी लागू किया जाय। इतना सा सवाल है, जिसको लेकर माननीय सदस्यों ने इतने लम्बे-चौड़े भाषण दे दिये। साठ लाख पर लगा दिया उसको आप दुरुस्त करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वैधानिक तरीका है वह अपनाइये। आप इस प्रकार कम करने का प्रस्ताव लाइये, उस पर विचार हो सकता है और सदन यदि आवश्यक समझे तो मंजूरी भी दे सकता है।

अब जो सवाल हमारे सामने है वह यह कि यह विधेयक अजमेर पर भी लागू हो।

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

इस पर बोलते हुए माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जो अतिथि हमारे यहां आये उन अतिथियों के साथ इस प्रकार का जुल्म नहीं करना चाहिये ! अध्यक्ष महोदय, अतिथि वे होते हैं जिनके आने का कोई तिथि निश्चित न हो लेकिन अजमेर का जो विलीनिकरण राजस्थान में हुआ है वह तिथि निश्चित हुई थी और उसको हमने राजस्थान के परिवार में एक सम्मिलित कुटम्ब के अंग रूप में स्वीकार किया है, वैसी हालत में यह कहना कि अतिथियों के साथ जुल्म हुआ है, ठीक नहीं है। अतिथि तो आते हैं चले जाते हैं किन्तु अजमेर तो अब हमारे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए आया है। जब वह हमारे साथ में रहता है तो एक सम्मिलित परिवार के सदस्य के नाते जितने भी सुख–दुख परिवार को होते हैं उसमें समान रूप से वह भी हिस्सेदार है। अगर राजस्थान सरकार को घाटा है तो उसको भी अजमेर राज्य को भुगतना पड़ेगा ! जिस प्रकार हम घाटे के भागीदार हैं उसी प्रकार अजमेर भी हमारा भागीदार है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर मान लीजिए राजस्थान अजमेर राज्यमें मिलता तो क्या अजमेर राज्य के कानून उस पर लागू नहीं होते ? अवश्य होते। आप मानिये अगर राजस्थान रज्य के कानून अजमेर राज्य पर लागू नहीं होते हैं, तो राजस्थान की मण्डियों पर उसका असर क्या पड़ने वाला है ? आप देखेंगे, यदि ऐसा होता है तो सब व्यापार अजमेर में चला जायगा, आपकी जितनी भी मण्डियां हैं जयपुर जोधपुर सब खाली हो जायंगी और जयपुर, जोधपुर और अन्य जगहों से आने वाले जनता के प्रतिनिधि इस बात के लिये चिल्लायेंगे। इस बात को सोचिये और विचारिये, केवल भावुकता में बहकर किसी काम की मत करिये। आप आज भावुकता में आकर यह कह सकते हैं कि यह कानून लागू अजमेर राज्य पर नहीं होना चाहिये। हमें गंभीरता पूर्वक यह सोचना है कि जो कानून राजस्थान पर लागू है वह अजमेर राज्य पर लगाने जा रहे हैं, वह वाजिब है या नहीं....

श्री मोगजी : पहले जनता को सूचित करना चाहिए, फिर कानून लगाना चाहिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं यह कह रहा था अध्यक्ष महोदय, अजमेर राज्य के साथ किशनगढ़ डिवीजन भी अजमेर में मिला दिया गया। किशनगढ़ सब डीवीजन में राजस्थान का लॉ लागू है और उसी से पन्द्रह मील दूरी पर अजमेर है, वहां अजमेर राज्य का कानून लागू हो तो इसका नतीजा क्या होने वाला है कि किशनगढ़ की मंडी उठ कर अजमेर चली जायगी। क्या आप इसी तरह सब मंडियों को बरबाद करवाना चाहते हैं ? पहले से ही बहुत सी पुरानी राजधानियां बरबाद हो रही हैं; जैसे जोधपुर, बीकानेर किशनगढ आदि; केवल जयपुर ही आबाद हो रहा है। जहां तक कानून का सवाल है सब इलाकों में एक ही प्रकार का कानून होना चाहिये। अगर हम अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग कानून रखते हैं तो हमारा शासन चलने वाला नहीं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अजमेर राज्य के लिए भी यह सेल्स टैक्स कानून पास किया जाय। टैक्स में कमी-ज्यादा का कोई सवाल नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय अध्यक्ष, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। जो एरिया राजस्थान में मिला है उसको हम राजस्थान के नये समाज के भवन के अन्दर, उसकी कौटुम्बिक रिश्तेदारी के

(श्री जनार्दनराय नागर)

अन्दर लेना चाहते हैं और इसके लिये हमारे प्रयत्न कई तरफ से धीरे धीरे चालू हैं। यह जो हम सेल्स टैक्स को लागू करने के लिये आज विचार कर रहे हैं उसी भावना का परिचायक है।

यह कहना कि ये अभी हमारे महमान हैं मैं यह समझता हूँ कि इससे अभी भी हमारे मनों के अन्दर जो दूरपन की भावना है उसको व्यक्त करना है। हमें यह मान लेना चाहिये कि विधिवत् १ नवम्बर को ये हमारे कुटुम्ब में शामिल हो चुके हैं, उनके दुख से दुखी और सुख से सुखी हुए हैं।

इस स्थिति में ऐक बात मेरी समझ में नहीं आई कि अजमेर, आबू और सुनेल टप्पा में अलग तरह के सेल्स टैक्स की दरें हों और राजस्थान में जैसा टैक्स है वैसा वहां लागू करने की बात पर अभी भी विरोध किया जावे। मुझे डर इससे यह लग रहा है कि कहीं मनोविज्ञान का नया रोग तो नहीं हो गया है विरोधी पक्ष को। उनको इस पक्ष की हरएक बात में शंका मलूम होती है, सन्देह मालूम होता है। यह एक टैक्नीकल मेजर है, एक्सटेन्शन का मेजर है, इसमें भी हम कोई उद्देश्य ढूंढें और एक हेतुवाद ढूंढें और ऐसा इरादा मान कर चलें कि सरकार उस हिस्से की विरोधिनी है तो मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं होगी।

दूसरी बात सूची की कही गई कि राजस्थान सरकार ने ६ मई को एक सूची प्रकाशित की और उसमें कुछ चीजों पर टैक्स लगा दिया। मैं निवेदन करूं कि ये वे चीजें हैं जो सौन्दर्य परिधान में आती हैं। हम तो महात्मा गांधी के नमूने पर बात करना चाहते हैं और वे कहते हैं कि ऐसा न किया जाय, यह एक आश्चर्य की बात है कि वे इस बात पर भी विरोध कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (१४) : महात्मा गांधी ऐसा रेशमीन कमीज नहीं पहनते थे जैसा आपने पहन रखा है।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : वे महात्मा थे और हम तो एक साधारण नागरिक हैं। दोनों में काफी फरक है। माननीय सदस्य भी महात्मा नहीं हैं।

तो मैं कहना चाहता हूँ कि तेल, फुलैल, रेशमी परिधान आदि सौन्दर्य और ऐशो आराम की वस्तुओं पर जो टैक्स लगा दिया गया है उसका विरोध हमारे मित्र करते हैं तो इससे बहुत ही आश्चर्य हमें होता है। यह प्रतीत होता है कि बहुत सुगन्धित लक्स साबुन से नहाने का उन पर प्रभाव है। यह रसिकों की नगरी है जयपुर। यहां के लोग बड़े रसिक हैं। बिहारी यहां के कवि हुए हैं तो उससे कोई प्रेरणा मेरे माननीय मित्रों को मिली होगी। पर यह साफ बात है कि जो सम्पन्न नागरिक हैं वे भले ही विलास और सौन्दर्य की चीजों का उपयोग करें पर इसके लिये उनको अगर ज्यादा टैक्स देना पड़े तो उनको खुश होना चाहिये।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान एवं शोरगुल)

ये चीजें जो खरीदने के आदी हैं उनको तो इस बात की चिन्ता नहीं है कि उन पर कुछ टैक्स लगा है। यह तो उनकी ही भावना

Page No.87

(श्री जनार्दनराय नागर)

होती है जो अब तक इस प्रकार की समाज व्यवस्था के आदि नहीं हुये हैं, जो समाज व्यवस्था धीरे धीरे आ रही है और दृढ़ता के साथ आ रही है। इसलिये उनका चिन्तित होना और विरोध करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ऐसा कोई कारण नहीं कि इससे हम भयभीत हो जायें।

रही यह बात कि यह तो शोषण का कानून है, काला कानून है, वे अपने क्षेत्रों में जाकर क्या मुंह दिखावेंगे, अपने निर्वाचकों को क्या उत्तर देंगे आदि बातें जो माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा कही गई; सो तो अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का अन्देशा था कि यह जो समाजवादी समाज रचना की ओर धीरे धीरे कुशलता और दृढ़ता के साथ हम कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उससे निश्चित तौर से यह स्थिति आवेगी, काफी परेशानी होगी हमारे माननीय मित्रों में। उनका यह कहना कि वे अब अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर क्या कहेंगे। निश्चित बात है अध्यक्ष महोदय, कि इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है और ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे यह उत्तर भी उनका बीतता जावेगा, आपकी परेशानी के प्रति, आपकी इस परेशानी के प्रति हमारी दिली-हमदर्दी है। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप भी उस रास्ते को छोड़ें जिसका उत्तर देने के लिये आपके पास कुछ नहीं बचा हो, और इस अभिनव रास्ते को अपनावें, समाजवादी समाज रचना का जो हमारा अभियान है, आप भी उस अभियान में हमारा साथ दें। हम और आप मिल कर राजस्थान के इस नवोदित जनतन्त्र को समाजवाद की ओर ले चलें, पर टैक्स का नाम आया नहीं कि वे बदले नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि जनतन्त्रीय समाज की जो प्रतिशील आर्थिक नीति है वह है प्रगतिशील उन्नत टैक्स।

इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सेल्स टैक्स अगर अजमेर, आबू और सुनेल टप्पा में भी लागू हो गया तो इससे वहां असन्तोष होना स्वाभाविक है क्योंकि राजस्थान में जो टैक्स लागू हुआ है उसमें कई गरीब लोग मारे जाते हैं। इसका कारण मैं बताता हूँ कि जो चीजें किसानों के यहां पैदा होती हैं उन पर भी टैक्स ले लिया जाता है, जट जिसे कहते हैं उस पर दो पैसा लिया जाता है। यह जट गरीबों के घर पैदा होती है और उनकी आय का एक अच्छा सहारा है। तो इस पर टैक्स लगा दिया तो भारी जुल्म होगा।

"अन्याय को तुम देखलो,
आंखें अगर हों ज्ञान की।
किस तरह घुटता गला है,
बे कसों की जान की।"

("हंसी", "वाह वाह", खूब-खूब इत्यादि अनेक आवाजें)

इन टैक्सों से किसानों का गला किस तरह से काटा जाता है, अब आप फिर से सुनने को उत्सुक हों तो मैं और सुना देता हूँ।

("एक बार और" "एक बार और" की आवाजें)

"अन्याय को तुम देख लो,
आंखें अगर हों ज्ञान की।
किस तरह घुटता गला है,
बेकसों की जान की।।"

(श्री लक्ष्मीचन्द)

इन कानूनों से किसानों का गला घोटा जा रहा है। सो ऐसे कानून हमारे यहां लागू नहीं होने चाहिये।

जिस वक्त आपके हाथ में सत्ता नहीं आई थी, आप बड़े बड़े लम्बे-चौड़े भाषण देते थे और जनता को कहते थे कि हमारे हाथ में अगर सत्ता आई तो हम आपको करों से मुक्त कर देंगे, इन जागीरदारों के जुल्मों से मुक्त करा देंगे, जनता की हितों के बातें करेंगे।

"लांबा लांबा भाषण देता,
सबने सोरा कर देसां
वायदा कर्‌योडा सारा पूरा कर देसां,
कुर्सी मिलता ही। हां रे कुर्सी मिलतां ही॥
भारत री आजादी आतां ही,
कुर्सी मिलता ही॥"

(हंसी)

"जद यांने तो कुर्सी मिल गई,
आंधां ने ज्यूं आंखड़ियां।
बैठण ने मोटरडी मिल गई,
खिल गई पांखड़ियां।
बोफा नुगरां री, हां रे बोफा नुगरां री
बापू रा भोला चेलां री..........."

(हंसी एवं करतल-ध्वनि)

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय अध्यक्ष, क्या यह कवि सम्मेलन हो रहा है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : मैं कह रहा हूँ कि आज इनकी दशा क्या हो गई है।

मैं इन मन्त्री महोदयों की बात कर रहा हूँ। ये पहले भाषण देते थे, लोगों से लम्बे लम्बे वायदे करते थे। पर—

"जद यांने कुर्सी मिल गई,
आंधां ने ज्यूं आंखड़ियां..."

(शोरगुल, हंसी व करतल-ध्वनि)

(श्री बृजमोहनलाल बोलने को खड़े हुए)

"बैठण ने मोटरडी मिल गई,
खिल गई पांखड़ियां,
बोफा नुगरां री, हां रे बोफा नुगरां री।"

यह मेरे कहने का मतलब है। आप टैक्स लगा कर जनता को कुचलने की मत कोशिश करो। आपका आज वह कहना कहां गया कि आप यहां जागीरदारों के जुल्म रोकने को आये हैं और जनता को सोरा करने को आये हैं। पर आज आप जनता को दुखी कर रहे हैं। इतने करों का बोझा जनता आज बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपने उन पर कई टैक्स लगा दिये हैं। मिर्चों पर, गुड़ पर, तिल पर, लास्ट पोइन्ट पर टैक्स लगा दिया है आपने। यह गरीब जनता के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए कहता हूँ कि :

"सुहागण लागे दुहागण रे पाय।
मारी जैसी थ जै बाय॥"

(हंसी एवं करतल-ध्वनि)

राजस्थान तो आगे ही रो रहा है, अजमेर और आबू और सुनेल टप्पा वालों को क्यों आप और रुलाना चाहते हो?

(करतल-ध्वनि, हंसी)

(श्री लक्ष्मीचन्द)

मारवाड़ी में एक कहावत है, एक सुहागण विधवा के यहां पांव लगने गई। तो वह विधवा बहन उस सुहागण को आशीष देती है कि

"म्हारी जैसी थाजै बाय"।
यानि बाई, तूं भी मेरी जैसी होना।

(हंसी)

तो इसी तरह से राजस्थान में टैक्स लगा दिया, इसलिए अब अजमेर, आबू और सुनेल टप्पा में भी लगा दिया जावे, यह आज ये हमारे मन्त्री महोदय, जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिये मेरा सदन से निवेदन करना है कि अब और टैक्स लगाने की चेष्टा न करें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): आपने जो कहा वह हमारी समझ में आ गया।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) 'अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूं, इसलिए बीच में बोल रहा हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बीच में ही कुछ कह दूं।

श्री अध्यक्ष : कहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, दो रोज से जो बहस चल रही है। कल मैं यहां उपस्थित नहीं था, पर यह बहस सुबह सुनी मैंने और इस समय भी चल रही है, वह भी सुनी मैंने बराबर गौर से। कल की बहस की चर्चा करने की मैं जरूरत नही समझता। पर आज जो बातें प्रस्तुत की गई हैं वे बहुत स्पष्ट हैं, मैं उनका हवाला देते हुए कुछ कहूंगा।

यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह बिलकुल स्पष्ट है और इसका दायरा भी स्पष्ट है जिसके अनुसार यह कहा गया है कि जो कानून राजस्थान में है उसको अजमेर, आबू और सुनेल टप्पा में भी लागू किया जावे और अब जो एक सेन्ट्रल कानून बना उसकी वजह से जो आवश्यक संशोधन हैं वे उसके अन्दर किये जावें। मैं समझता हूं कि जो विरोध करते हैं वे शायद इस बात को तो लक्ष्य में रख कर करते होंगे कि जो कानून सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है उसको राजस्थान सरकार को अपने कानून के अन्दर समाविष्ट करना होगा, उसके अनुसार राजस्थान सरकार को अपने कानून के अन्दर रद्दोबदल करनी होगी।

इसी प्रकार यह अखिल भारतीय नीति है कि एक ही स्टेट में, जहां पर जो अलग अलग टुकड़े मिले हैं, एक निश्चित अवधि के अन्दर टैक्सेशन का स्ट्रक्चर एक प्रकार का वहां भी किया जावे। इसके लिये हर एक राज्य को प्रयत्न करना है और उस अवधि में सबको एक स्तर पर लाना है।

तो जहां तक इस कानून का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में दो रायों की गुंजाइश कम है। लेकिन इस कानून को लेकर दरअसल सेल्स टैक्स पर वादविवाद खड़ा किया गया; सेल्स टैक्स काला कानून है; एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम क्षेत्र में जाकर क्या मुंह दिखायेंगे, क्या वादा करके आये थे, क्या होगा? मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि टैक्सेज को स्टडी करने के लिए मूल आधार यह होता है कि जो सारी स्टेट में टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, पर के पिटा टैक्सेशन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का जो आधार है उसको देखना होगा, जो आधार है उसको ध्यान में रखते हुए, वहां के इनकम के रिसोर्सेज को देखते हुए टैक्सेज कितने बढ़ते जा रहे हैं, जो इनकम बढ़ती है उससे टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है वह ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है या सामान्य है, यह देखना होगा, इसको स्टडी करना होगा। ये बातें इसमें आ सकती हैं। मैं समझता हूँ, माननीय सदस्यों को यह पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारतवर्ष के बड़े बड़े इकोनोमिस्ट्स ने यह स्वीकार किया है कि नेशनल इनकम में पर केपिटा १६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज जब सेल्स टैक्स पर वादविवाद कर रहे हैं तो प्रत्येक माननीय सदस्य जानता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम आर्थिक स्थति में जीवन-स्तर में २५ प्रतिशत की वृद्धि करना चाहते हैं और वह तब हो हो सकती है जब कि हमारे प्लान्स एग्जीक्युट हों। अगर उनको पूरा करना है तो उन पर खर्चा करना होगा। अगर खर्चा करना है तो उस योजना के अनुसार राजस्थान गवर्नमेंट के लिए इस बात को आवश्यकता है कि कम से कम १-१ करोड़ हमारे अपने यहां के रिसोर्सेज से बढ़ायें। अगर नहीं बढ़ाते हैं तो जो प्लान्स तैयार हैं और जिनको हम एग्जीक्युट करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग कमीशन नहीं मानने वाला है। आज कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम बैठ कर विचार करें। लेकिन आर्थिक आधार का जहां तक सवाल है इन प्रश्नों को अखिल भारतवर्षीय नीति के अनुसार तय करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सेल्स टैक्स का प्रश्न है सभी माननीय सदस्यों को पता है कि पहले राजस्थान में कस्टम्स ड्यूटी थी और उस कस्टम्स ड्युटी से प्रति वर्ष राजस्थान सरकार को ४ करोड़ की आमदनी होती थी। उस चार करोड़ की आमदनी के टैक्स को रिप्लेस किया सेल्स टैक्स से और उस सेल्स टैक्स से २-२॥ करोड़ की आमदनी होने वाली है। यह कहा गया कि आम जनता पर टैक्स का भार बढ़ने वाला है, मैं निवेदन करूंगा कि ७ साल पहले जो कस्टम्स ड्युटी की आमदनी चार करोड़ थी उसके एवज में सेल्स टैक्स से रिप्लेस की गई और उस हिसाब से कुल मिला कर १॥ करोड़ रुपयों का इस टैक्स में रिलीफ दिया गया। किसान दब गये, आम जनता टैक्स से दब गई, ये सारी चर्चायें होती हैं, उनके विस्तार में जाने से पहले मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि एक स्पष्ट पिक्चर आपके सामने है। सेल्स टैक्स कस्टम्स ड्यूटी के बजाय आया है और उसके लिए राजस्थान के निवासी जानते हैं कि जहां राजस्थान सरकार को कस्टम्स ड्युटी की चार करोड़ रुपयों की आमद होती थी उसके बजाय, आपके सामने फीगर्स हैं, पिछली इनकम के फीगर्स हैं, सेल्स टैक्स से २-२॥ करोड़ से ज्यादा सम्भावना नहीं है और इस हिसाब से आमदनी की दृष्टि से नुक्सान ही हुआ है और इस कारण से सारे राजस्थान की जनता पर इस टैक्स का कितना भार पड़ा है, मैं निवेदन करूंगा कि इस रिप्लेसमेन्ट से जो भार बढ़ेगा वह दरअसल बढ़ा नहीं है किन्तु घटा है। इसके अलावा फ्री ट्रेड की भी गुंजाइश बढ़ गई है जिसके कारण व्यापारी माल लाकर या ले जाकर ट्रेड कर सकता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे तो तस्कर व्यापार बढ़ जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि हम तस्कर व्यापार को रोकना चाहते हैं और अजमेर के बीच में और जो दूसरे चारों तरफ हिस्से से घिरा हुआ

Page No.91

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है और वहां सब एक समान यह रहता है तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि तस्कर व्यापार कैसे बढ़ जायगा ? जब टैक्सेशन समान रूप से होगा तो मैं समझता हूँ कि बढ़ने का सवाल ही नहीं उठेगा। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मोटरों पर ६ की जगह ६। प्रतिशत टैक्स कर दिया है लेकिन पड़ोस में ३ रुपया दो आने का टैक्स है वहां से लेकर आ जावेंगे । मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यू० पी० में, दिल्ली में और पंजाब में यदि ३ रुपया २ आने का टैक्स है तो राजस्थान सरकार आज ३ रुपया २ आना कर देगी, लेकिन यह गलत बात है । हमने भी किसी आधार पर लिया है, हमारे पास सब जगह के शिड्यूल हैं, कहां किस चीज पर असर पड़ सकता है, किस चीज़ में तस्कर व्यापार हो सकता है, इन सब के शिड्यूल हैं और उन सारी चीजों को सामने रखकर हमने तय किया है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि जब कि बंगाल में, बिहार में, यू० पी० में ले लीजिये, वहां पर मल्टी पर्पज़ सेल्स टैक्स है, सिंगल सेल्स टैक्स भी हैं, साउथ में लें लीजिये, ट्रावनकोर कोचीन, मद्रास, इन रियासतों में आम तौर पर मल्टी पर्पज़ सैल्स टैक्स ही लगाया गया है । आज राजस्थान में सिंगल सेल्स टैक्स ही है और जिससे आमद कम होती है । यहां केवल सिंगल सेल्स टैक्स लगाने का कारण भी वास्तव में यही है और इस बात को ध्यान में रख कर चला गया है कि आम लोग इस चीज को समझें और यह चीज़ आगे बढ़े । इन चीजों को देख कर ही लोगों को रिलीफ दिया गया है ।

मैं समझता हूँ कि यदि माननीय सदस्य टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को देखें, सारी चीजों का अध्ययन करें, दूसरे राज्यों में है उसका अध्ययन करें तो निश्चित इसी चीज़ पर पहुंचेंगे । आज इकोनोमिकल बातों को केवल भावना पर तय नहीं कर सकते । उनकी रियलिटीज़ क्या है और हमको उनकी रियलिटीज़ में जाना पड़ेगा । बोम्बे में कस्टम्स ड्यूटी होते हुए भी वहां सेल्स टैक्स लगा है । हमारे यहां कस्टम्स ड्यूटी को हटा दिया है और वह भार हट गया और उसके बजाय सेल्स टैक्स लगाया गया। सच्ची बात तो यह है कि इससे आम किसानों का हित हुआ है । वे आम चीजें इधर उधर ले जायें । उन के लिए ६। प्रतिशत था, जब बाहर जाती थीं । तेल, गुड़ आदि चीजें बाहर ले जायें तो उसके टेक्सेशन का स्ट्रक्चर क्या था और अब क्या है,यह सोचना पड़ेगा ? एक डीलर को सेन्ट्रल सैल्स टैक्स भी मेक्जिमम २प्रतिशत देना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं है । पहले ६। प्रतिशत था । छोटे व्यापारियों को भी रिलीफ है, १२ हजार तक छूट है, उसको इसमें नहीं पड़ना पड़ता । तो इस प्रकार के कई रिलीफ हैं । जिनको पहले अपने आप टैक्स देना पड़ता था आज वे नहीं हैं। जो किये गये हैं उसकी गहराई में जायें, उसको पूरी तरह समझें तो मेरा ख्याल है, मेरी मान्यता है और जैसा कि कहा जा रहा है जनता पर भार लादते जा रहे हैं मुझे क्षमा करें, जनता पर भार नहीं लादते । पहले से भारत इस माने में कम है । यह सही है कि हमें आगे विकास के लिए जो खर्चा करना होगा वह तो करना ही होगा । यह अलग बात है कि हमें कोई काम नहीं करना है, एक ही लदा रख कर चलना चाहें कि टैक्स का भार न बढ़ेगा,कमी कर दें । अच्छा है लेकिन इससे आगे न बढ़ सकेंगे । कुछ माननीय सदस्य

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चाहें कि फोर्थ क्लास के आदमियों की तनख्वाह बढ़ जानी चाहिए, टीचर्स की तनख्वाह बढ़ जानी चाहिए लेकिन जब बजट पेश होता है तो यह कहते हैं कि अमुक जगह हाई स्कूल खुल जानी चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिये, लेकिन टैक्स तो एक पैसे का भी नहीं लगना चाहिए, चाहे छोटे–बड़ों पर वह लगता हो। मैं निवेदन करूंगा कि आप सारे हिन्दुस्तान की ट्रेन्ड (trend) को देखिये। यह सही है कि हर एक पर टैक्स का भार पड़ेगा। विकास हो रहा है वह देश की उन्नति के लिए हो रहा है, सारे भारतवर्ष की उन्नति के लिए हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मामूली सा मजदूर पांच–छः साल पहले ८ आना, दस आना कमा पाता था, वह आज सवा रुपया, डेढ रुपये में काम करने लगता है। तो इससे जीवन-स्तर तो ऊंचा हुआ है। जब जीवन–स्तर ऊंचा हुआ है तो आर्थिक ढांचा भी ऊंचा हुआ है। किसानों की बात करते हैं, पुराने जमाने में किसान के गेहूं किस भाव बिकते थे ? आज इस स्वतन्त्र भारत में उसको उचित दाम मिलते हैं। यह जरूरी है कि वे उठें, उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो।

श्री मोगजी : अध्यक्ष महोदय,........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (अपना भाषण जारी रखते हुए) माननीय सदस्य तो वहां से आते हैं जहां एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का भार नहीं पड़ा है। पता नहीं, खड़े होकर क्यों बोलते हैं ? मैं बहुत अच्छी तरह उस इलाके को जानता हूं।

श्री अर्जनदास : He is on a point of order.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो सेल्स टैक्स का सवाल आया है, बिल आपके सामने है, ५० लाख की बात उठ गई, दूसरी चीजें सामने आ रही हैं, मुझे निवेदन करना है, जहां पर आप समझें कि यहां गलत भार लग रहा है वहां बतावें, अवश्य उसको ठीक करेंगे लेकिन मेरा ख्याल है एक एक माननीय सदस्य दिल में अनुभव करते होंगे कि वाजिब है। राजस्थान में अलग अलग तरह का सेल्स टैक्स नहीं हो सकता। जैसा मैंने निवेदन किया हमारे एक भाई उत्साह से भर गये और कहने लगे कि आने वालों का स्वागत करना चाहिये और आबू के बारे में कहा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आबू वालों के आवेदन-पत्र आये हैं कि राजस्थान का सेल्स टैक्स हम पर लगना चाहिये क्योंकि उन पर बोम्बे का मल्टी पोइंट लगता है, इसलिए वे हमारे यहां की दर से सेल्स टैक्स चाहते हैं। लेकिन उत्साह के आगे बहुत सी बातें भूल जाते हैं, इसलिये मुझे यह निवेदन करना है कि मैंने बहुत सी बातें आपके सामने रख दी हैं। इस दृष्टि से जिसको मानते हैं कि होने वाला है उस पर यदि सदन में चर्चा न करें तो जल्दी ही काम हो सकता है और वाद–विवाद की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कानून ऐसा है जिसके बारे में दिल में जानते हैं कि यह वाजिब है, इसलिये होना चाहिये, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना है,सेल्स टैक्स के लिए कि यह काला कानून है। कस्टम्स वाजिब था और सेल्स टैक्स आ गया तो ट्रेड फ्री मिट गया। कम हैसियत वाले किसान हैं तो कोई चीज बम्बई भेज दें तो उसमें रुकावट है। इसके लिये कहा गया कि यह काला कानून आया है, किसानों का गला घोंटा गया इसको पास करवा कर, अपने इलाकों में कैसे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जावें, तो इलाकों में तो हमें भी जाना है, हमें भी कुछ कहना सुनना है। आप तो यह कह देंगे कि हमने काफी विरोध किया लेकिन बहुमत से पास हो गया, लेकिन हम यह मान कर चलते हैं कि आम जनता इसको रिअलाइज़ करती है कि देश को आगे बढ़ना है। राष्ट्र के उत्थान के लिये यदि भार भी पड़ता है तो वह समझती है कि यह हमारा कर्त्तव्य है और कर्त्तव्य को निभाना पड़ेगा तभी राज्य और देश ऊंचा उठेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबन्ध में इस सदन में चर्चा हो रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस संबन्ध में काफी स्पष्टीकरण किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह भी आशा थी कि स्पष्टीकरण के बिना ही इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजस्थान में एक ही प्रकार का कर लागू होना चाहिये। लेकिन किसी भी कर को लगाने से पहले हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जो कर हम लगाने जा रहे हैं वह कर कितना न्याय संगत है?

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में यदि विरोधी दल की ओर से कुछ कहा जाय तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि सत्तारूढ दल के माननीय सदस्य केवल यह कह कर सतोष करते हैं कि इस बिल का विरोध अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करने के लिये किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आकर्षण का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार का टैक्स लगा कर जिस तरह की कल चर्चा हुई थी, माननीय सदस्य जो आकर्षण की बात कहते हैं वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जावें और वहां जाकर इस प्रकार के टैक्स की चर्चा करें और देखें कि वहां की जनता किस प्रकार स्वागत करती है? लेकिन उस समय तो, मैंने कई सदस्यों के भाषण सुने हैं, टैक्स लगाने की बात नहीं कही जाती है, लेकिन कहा जाता है कि यदि हमारी सरकार बनी तो अमुक अमुक विकास के कार्य होंगे। यदि उनसे विकास कार्यों के साथ साथ जिस प्रकार आज यहां पर कर की चर्चा की जाती है, यदि उसी प्रकार की चर्चा जनता के समक्ष की जाय तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि किसी प्रकार का स्वागत नहीं होगा।

आज राजस्थान के सेल्स टैक्स को अजमेर में लागू करने की चर्चा की जाती है। मैं मानकर चलता हूं कि अजमेर में भी वही टैक्स लगाना चाहिए जो राजस्थान में है, लेकिन मैं कहता हूं कि अजमेर में इसे लागू करते समय एक बात निश्चित तौर से सोचनी पड़ेगी कि अजमेर में जो टैक्स लागू किया जा रहा है वह आज जो टैक्स वहां लागू है उससे कितना गुना अधिक है। यदि कोई टैक्स वहां पर २ परसेन्ट लगता है तो वह राजस्थान में साढ़े छः परसेन्ट लगता है, यह विचारने की बात है। अजमेर की जनता पर एक साथ इतना बोझ डालकर आर्थिक संतुलन बिगाड़ना तो नहीं कहा जायगा! इसमें कई प्रकार के आइटम्स हैं जो अजमेर में कर से मुक्त थे। राजस्थान में आने के बाद न तो कोई चीज कर से मुक्त होगी और बल्कि कई प्रकार की चीजों पर कर लगेगा। आबू के बारे में मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि वहां के व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल की मांग है कि राजस्थान का सेल्स टैक्स उन पर लागू किया जाय, लेकिन वे अजमेर का नाम लेना भूल गये। अजमेर का प्रतिनिधि मंडल शायद यहां नहीं आया होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अजमेर के प्रति-

(श्री भैरोंसिंह)

निधि के रूप में, हालां कि यह संकीर्ण विचार-धारा है, लेकिन अफसोस है कि अजमेर के प्रतिनिधि, वित्त मंत्रीजी के रूप में, सब से पहले चाल चलने का काम करें तो अजमेर की जनता के लिये यह दुर्भाग्य की बात होगी। यही नहीं लेकिन अजमेर के प्रतिनिधियों के लिये यह शर्म की बात होगी।

एक सदस्य ने किशनगढ़ के नाम पर सदन में उत्तेजित होकर कहा कि किशनगढ़ की मंडी भग हो जायगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहां की मंडी आज तक बंद नहीं हुई। किशनगढ़ में राजस्थान का टैक्स ही चालू था, लेकिन यह कहना कि अजमेर को लागू रहा तो किशनगढ़ की मंडी उजड़ जायगी, यह कोई न्याय संगत बात नहीं लगती। उन्होंने यह कह दिया कि विकास के नाम पर हमें पैसा लेने की आवश्यकता है। जनता को कष्ट हो तो कोई चिन्ता नहीं। आज कोई नहीं कहता है कि विकास के लिये पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्य मंत्रीजी राजस्थान की आमदनी की राजस्थान के विकास कार्यों की तुलना करते हैं तो उनसे करते हैं जिनको हमने स्पष्टरूप से प्रतिक्रियावादी बताया है। आज उनसे तुलना की जाय तो उनका पलड़ा भारी होगा। ट्रावनकोर-कोचीन मैसूर, आदि स्थानों पर मल्टी पोइन्ट टैक्स लगता है और हमारे यहां सिंगल पोइन्ट लगता है लेकिन उनमें और हममें विशेष अंतर है, इसका ज्ञान माननीय मुख्य मंत्रीजी को है लेकिन उन्होंने कहने में संकोच किया है। मद्रास वगैरह में पर केपिटा कितनी वृद्धि हुई है और राजस्थान में कितना बढ़ा है, यदि इसकी तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान में बहुत अधिक बढ़ा है। मैं यह बात विश्वास के साथ कहता हूँ और यदि गलत कह रहा हूं तो वित्त मंत्रीजी अपना भाषण देते समय कोम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट बतावें कि दूसरे प्रान्तों में जो पर्सेन्टेज बढ़ा है उनसे ज्यादा बढ़ा है या कम। मैं उनसे कहता हूं कि आमदनी के आधार पर राजस्थान में ज्यादा बढ़ा है।

कहने को यह कहा जा सकता है कि कस्टम्स ड्युटी लगती थी और राजस्थान को उससे ४ करोड़ की आमदनी थी। अध्यक्ष महोदय, कस्टम्स की अलग शर्त थी। रियासतों में एक जगह से दूसरी जगह माल नहीं जा सकता था, उस पर महसूल लगता था। हमने उसे राजस्थान की आमदनी में शामिल किया। जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय चाहिये यह था कि कोई भी सरकार प्रगतिशील कहलाने वाली थी तो उसे उसी समय बंद करना चाहिये था। लेकिन लगातार चार वर्षों के प्रयत्न के बाद, यह कहना ठीक है कि बाकी के प्रोविन्स में से जब कस्टम्स ड्युटी हटा दी गई है, राजस्थान में से कस्टम्स ड्युटी हटा कर सेल्स टैक्स लागू किया, लेकिन आज यह कहना कि पहले चार करोड़ रुपये की आमदनी थी, सैल्स टैक्स लगने के बाद दो करोड़ की आमदनी हो गई है, यह समझ कर चलना चाहते हैं कि जो कर पहले थे, वे कम हो गये हैं, इसे, अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार नहीं करता हूं, क्यों नहीं करता हूं इसका मोटा सा कारण यह है कि भ्रष्टाचार की चर्चा की जा रही है। एक माननीय सदस्य भ्रष्टाचार की बात को कह कर सदन से बाहर चले गये। मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि भ्रष्टाचार की बात कहते कहते बोलने में भी भ्रष्टाचार आ गया है, यह बात नहीं, बल्कि समझने में भ्रष्टाचार आ गया

(श्री भैरोंसिंह)

है। वे नहीं समझेंगे कि राजस्थान में सैल्स टैक्स लागू होने के बाद भ्रष्टाचार फैला है। जिस राजस्थान में कस्टम्स से चार करोड़ की आमदनी थी, उसी प्रकार के और उतना ही सेल्स टैक्स लागू करते हैं तो दो करोड़ आमदनी होती है, इसका मतलब यह नहीं कि टैक्स लेने का स्कोप नहीं है, यह कहना चाहिये कि राजस्थान सरकार में एफीशियेन्सी की कमी है जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है। लोग सैल्स टैक्स देने से बचते हैं और इस कारण से रुपया नहीं आता है। आज आप तुलना करते हैं, बाकी के प्रोविन्सेज से तुलना करते हैं, यह तुलना विशेष तौर पर हमें अजमेर से करनी चाहिए। अजमेर के अन्दर रुई पर टैक्स नहीं लगता था, मोटे कपड़े पर टैक्स नहीं लगता था और भी कई ऐसी चीजें थीं, जिन पर टैक्स नहीं लगता था, आज वहां पर वह टैक्स लागू किया जायगा, तो अजमेर के लोगों का क्या हाल होगा? वहां के व्यापारियों का क्या हाल होगा? व्यापरियों ने जो माल पहले से फरोख्त कर रखा है, वह पहले के हिसाब से रख रखा है। राजस्थान कानून लागू होने से बिजनेस की कैसे व्यवस्था करेंगे, मैं समझता हूं, वित्त मंत्री महोदय को यह इनाम अजमेर वालों को देना नहीं चाहिए था, पर बदकिस्मती से अजमेर वालों को उनके हाथों ही यह इनाम मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, कई प्रकार की बातें आईं, यह कहा गया कि कोई भी टैक्स लगाया जाता है तो विरोधी दल के लोग विरोध के लिए विरोध करते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूँ कि टैक्स के विरोध का प्रश्न नहीं है। हम चाहते हैं कि रोजमर्रा की जरूरियात की जो चीजें हैं उनको टैक्स से मुक्त करना चाहिए और जो लग्जरी गुड्स हैं, जिनका साधारण जनता उपभोग नहीं करती है, उन पर बढ़ाया जाय। राजस्थान सरकार ने जो विज्ञप्ति निकाली है, उसमें साबुन पर टैक्स लगाया है रुई पर टैक्स लगाया है, इन पर टैक्सों की भरमार राजस्थान सरकार कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, उसी विज्ञप्ति के अन्दर स्टेनलेस स्टील के बने हुए जो बर्तन हैं उन पर भी टैक्स की व्यवस्था की है, तो उस विज्ञप्ति में आप देखें तो ज्ञात होगा कि जहां तेल, साबुन, आदि पर साढ़े छः परसेंट टैक्स रखा है, तो स्टेनलेस स्टील के बरतनों पर, जिनका सधारण जनता उपयोग नहीं कर सकती, साढ़े चार प्रतिशत टैक्स रखा है। यदि हम कहें, यह टैक्स रोज की जरूरियात की चीजों पर नहीं लगाना चाहिए तो यह कहेंगे कि विरोध किया जाता है। हम कहते हैं कि जिन लोगों की आमदनी ज्यादा है, जो लग्जरीज के लिए खर्चा करते हैं, उन लग्जरीज की चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाय, लेकिन जो गरीब हैं, उनकी रोजमर्रा की जरूरियात की जो चीजें हैं, उन पर टैक्स नहीं लगाया जाय। जब हम यह कहते हैं तो कहा जाता है कि विरोध करने की दृष्टि से विरोध किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह मुश्किल है। आज नये टैक्स लगाये जा रहे हैं। नये टैक्स, सेल्स टैक्स आदि अजमेर में, आबू में, सुनेल में लागू करने जा रहे हैं, उन टैक्सों में इस प्रकार की चीजें हैं, जिनके कारण लोगों को परेशानी होगी। उन लोगों की परेशानी को मद्दे नजर रखते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का बिल यदि सदन में प्रस्तुत किया जाय, तो उस पर ज्यादा अच्छी तरह से सदन विचार करे। अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाय कि राजस्थान में अगर यह कानून हो, तो जितने और दूसरे राज्य जो राजस्थान में आ गये हैं, उनमें, समूचे राजस्थान में यह

Page No.96

(श्री भैरोंसिंह)

कर लागू किया जाय। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, अजमेर में भी कई अच्छे कानून थे, लेकिन उनकी जगह दूसरे ढंग के कानून लागू करवाते हैं। राजस्थान के अन्दर खास तौर से जो फाइनेन्शियली इन्वोल्व्ड कानून हैं, उनको, जो भी भाग राजस्थान में आता है, उसमें लागू करने की चेष्टा की जाय, जब चेष्टा करते हैं और उसका विरोध किया जाय, तो कहते हैं कि वोटर्स को खुश करने के लिए ये सारी बातें कही जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह व्यवस्था की गई है, इसके क्लॉज पांच के प्रोवीजो में यह लिखा है :—

"Provided that the tax in respect of any goods declared essential for the life of the community by the Essential Goods (Declaration and Regulation of tax on the Sale or Purchase) Act, 1952, which are not included in the Schedule, unless the State Goverment notifies this in respect of any of them with the prior concurrence of the Centeral Government."

इन शब्दों को उड़ाया गया है। मैं नहीं समझ पाया कि इन शब्दों को उड़ाने का तात्पर्य क्या है? जहां तक मैं समझता हूं, इसका तात्पर्य यह है कि जो एसेन्शियल कॉमोडिटीज है, जिनके ऊपर हमारी राजस्थान सरकार टैक्स लगाने का विचार करती है, कर सकती है, उन पर टैक्स लगाने में सरकार के सामने एक अड़चन आती है कि वे चीजें एसेन्शियल गुड्स में शामिल थीं और शामिल होने के कारण सेन्ट्रल सरकार से टैक्स लगाने की अनुमति लेनी पड़ेगी। हमारी राजस्थान सरकार ने यह अच्छा विचार किया है कि ऐसे एसेन्शियल गुड्स के ऊपर जब टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़े तो सरकार से, भारत सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता न हो और उन्होंने इस क्लॉज के द्वारा इन शब्दों को ओमिट करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, यह खतरे की घंटी है, इस खतरे की घंटी के लिए कहूँ कि जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, जो जरूरियात की चीजें हैं, उन पर राजस्थान सरकार भविष्य में टैक्स लगाने वाली है। अध्यक्ष महोदय, विकास के नाम पर, तुलना के नाम पर अगर टैक्स आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो पहले सोचना पड़ेगा कि जिस तादाद से टैक्स लगाते जा रहे हैं, हम जनता पर टैक्स लादते जा रहे हैं, उनके अनुरूप पर केपिटा इन्कम बढ़ती जा रही है या नहीं? मैं समझता हूँ कि हमें यह सोचना चाहिए था कि जो कर लगा रहे हैं उनके अनुकूल वर्तमान परिस्थितियां हैं या नहीं? कोई राज्य जब कर लगाता है तो राज्य के सामने एक दृष्टिकोण होता है कि जो कर लगाते हैं, उसका रिटर्न इस प्रकार आता है कि कर लगाने से जो पैसा जनता से लिया जाता है, उस रूप में, उसी परसेन्टेज के आधार पर जनता की आमदनी है या नहीं है? मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उनकी आमदनी इतनी नहीं है। हमारे मन्त्री महोदय को, जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो शासन चलाते हैं, वे किसी तरह ले जा सकते हैं, सत्ता उनके हाथ में है, वे जिस तरह चाहें, टैक्स को जिस तरह बढ़ाना चाहें, बढ़ा लेंगे और मंत्रियों से दस्तखत करा लेंगे। मन्त्री लोग इस सम्बन्ध में राय दे सकें, इस बात की योग्यता अवश्य है, पर अपनी पॉवर को एक्सरसाइज करने के बारे में वे अनभिज्ञ हैं। मैं समझता हूँ, इस

(श्री भैरोंसिंह)

सूरत में सेल्स टैक्स एक गम्भीर प्रश्न है, जिसको केवल यह कह कर भुला नहीं सकते कि इस बिल के द्वारा इन करों को अजमेर में लागू किया जा रहा है। मैं वित मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस टैक्स को लगाने से पहले अभी चार-पांच दिन पहले जब उनका अजमेर में स्वागत हुआ था, उस समय घोषणा करते कि राजस्थान के अन्दर जो सेल्स टैक्स है, उसको अजमेर में लागू करेंगे, उस समय जिस समय उनको मालायें पहनाई गई थी अजमेर में, सेल्स टैक्स अजमेर में लागू करने की बात कहते, फिर भले ही माला पहन कर आ जाते, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन उन्हें प्रत्युत्तर मिलता कि इतने भारी कर लगा दिये। माला पहनते हैं तो वे अजमेर की सेवा करें। उन्होंने सब से पहली सेवा की कि सबसे पहले ३०० अध्यापकों को नोटिस दिलवाया, वे लोग बेकार भटकते है, वे लोग दर दर भिखारी जैसे घूमते हैं और जब माननीय वित्तमन्त्री के पास अध्यापकों का डेपुटेशन जाता है तो कहते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं, इसलिए वे अध्यापकों का कोई निर्णय नहीं करा सकते, इससे वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उसी प्रकार यह सेल्स टैक्स का प्रश्न आता है कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते सामुहिक जिम्मेदारी को भुला कर अनुभव करें कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, उसका कुछ महत्व होता है, कुछ विशेषता होती है। मैं समझता हूँ कि अजमेर के केकड़ी क्षेत्र की उनके लिए कुछ विशेषता है। अजमेर में टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स लगता है........

श्री सोहनलाल भटनागर : अजमेर में जाकर भाषण देते।

श्री अर्जुनदास : क्या बोले ?

श्री भैरोंसिंह : शरमायें नहीं।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस सूरत में जब निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र को आकर्षित करने का प्रश्न होता है, हम इस चीज को भूल नहीं सकते। हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि आज जो टैक्स लगाये जा रहे हैं वे किस हद तक ठीक है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा वित्त मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी दे देता हूं कि आपने जिस प्रकार टैक्सों में वृद्धि की है, उसी प्रकार के टैक्सों से जयपुर में हड़ताल हुई थी, सरकार के पुतले जलाये गये थे और सरकार मजबूर हुई थी, टैक्सेज़ में कमी की थी। उस समय की सरकार जवान सरकार थी, उस पुतले जलाने के कारण उस पर कुछ असर हुआ, और उसने टैक्स कम किये। यह सरकार बूढी हैं, इस बूढी सरकार के पुतले जलाये गये, अध्यक्ष महोदय, तो यह सरकार बच नहीं सकेगी और टैक्सों में निश्चित रूप से कमी होगी। मैं चाहूंगा बूढी सरकार जिन्दा रहे और टैक्स कम रहे।

(हंसी)

मुझे थोड़ा सा और निवेदन करना है....

श्री अध्यक्ष : जल्दी खतम करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं जल्दी खतम कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भाषण को या सरकार को ?

श्री भैरोंसिंह (जारी) : मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, हमें जनता की भावनाओं के अनुकूल टैक्स लगाने की पद्धति बनानी पड़ेगी, तुलनात्मक दृष्टिकोण

(श्री भैरोंसिंह)

से हम जो टेक्स व्यवस्था करने जा रहे हैं, वह हर प्रकार से अनुचित है। हमें कम से कम टैक्स लगाना है। अध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले सदस्य यह कह कर चले गये कि टैक्स रेशमी कपड़े पर लगाया जा रहा है, साबुन पर लगाया जा रहा है, तेल पर लगाया जा रहा है, टॉयलेट्स पर लगाया जा रहा है, और ये लग्जरी गुड्स हैं। हो सकता है कि किसी समय में साबुन–तैल आदि लग्ज़री गुड्स में थे, पर आज एक गरीब आदमी भी चाहता है कि साबुन से अपने सिर का मैल साफ करे, अपने बालों में तैल डाले। ऐसी सूरत में साबुन-तैल आदि को लग्ज़री गुड्स में रख कर दूसरों को इन चीजों से वन्चित करना चाहें, यह गरीब जनता के साथ अन्याय है। मैं इस चीज को मानता हूँ कि आज हर एक आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी यह चाहता है कि वह साबुन से धुले साफ–सुन्दर कपड़े पहिन कर, सुन्दर बन कर निकले, जिस तरह कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य रोज साफ होकर, सुन्दर बन कर, टीकी लगा कर आने की कोशिश करते हैं। फिर वे यह समझें कि गरीब आदमी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मुंह बन्द कर दिया जाय, इन्हें लग्ज़री गुड्स कहना, यह उन गरीबों के साथ अन्याय होगा। यदि आज से ५ वर्ष पूर्व ये चीजें लग्ज़री गुड्स में थीं तो इसके माने यह नहीं हो जाते कि आज भी ये चीजें लग्ज़री गुड्स में ही मानी जायं, वह भी उस हालत में जब कि यह कहा जा रहा है कि लोगों का आर्थिक स्तर पहले से ऊंचा हुआ है। पहले ये चीजें लग्ज़री गुड्स में थीं जब कि जनता का आर्थिक स्तर ऊंचा उठा हुआ नहीं था, पर जिस समय मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा आया है तो आज वे चीजें लग्ज़री गुड्स के बजाय एसेंशियल कोमोडिटीज़ में आ जाती हैं। साबुन, तैल तो क्या आज रेडियो को लोग जरूरी समझते हैं, घड़ी को सब लोग जरूरी समझते हैं, ऐसी सूरत में इन चीजों को लग्ज़री गुड्स में रख कर, इन पर टैक्स बढ़ा कर इनसे आम लोगों को वंचित रखना उन लोगों के साथ एक प्रकार का अन्याय होगा।

श्री श्रीभानसिंह : What is your opinion about lip stick also ?

श्री भैरोंसिंह : यदि आप इस्तेमाल में लायेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा।

(हंसी)

४. १. म० प०

श्री श्रीभानसिंह : There are (अश्रव्य) better.

श्री भैरोंसिंह : हमारे जयपुर में घड़ियों का टैक्स मनों के ऊपर लगा रखा है; एक मन पर ४ रुपया। चार रुपया मन के हिसाब से घड़ियों पर टैक्स लगा रखा है। घड़ियों पर मनों के हिसाब से संसार के किसी हिस्से में टैक्स नहीं लगा है, राजस्थान में राजस्थान सरकार के हुक्म से घड़ियों पर मन के हिसाब से टैक्स लगा हुआ है, लकड़ियों पर मन के हिसाब से टैक्स लगा हुआ है, यह सरकार की करों की नीति है। मैं यह कहता हूं कि जो नीति के कारण, व्यवस्था के आधार पर लोगों की आमदनी के हिसाब से पैसे लगाते हैं, पर ५० लाख की आमदनी बढ़ाना, विकास योजनाओं के नाम पर आमदनी बढ़ाना, न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। मैं उस चीज को

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं भूल सकता। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि स्कूलें खोलनी हैं, सड़कें बनानी हैं, विकास के अन्य काम करने हैं, उनके लिये आखिर पैसा चाहिये। इसमें हमारी शिकायत यह है कि जो रुपया टैक्सेज़ के रूप में हमारी जेबों में से निकाला जाता है उसके बारे में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट निकलती है, जो ऑडिट रिपोर्ट निकलती है, उनको देखते हैं तो उनसे पता चलता है कि राजस्थान की गरीब जनता की जेबों में से जो पैसा राजस्थान सरकार लेती है उसका किस प्रकार दुरुपयोग होता है? इन सब चीजों को भुला कर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ५० लाख की आमदनी करना है, इसलिये टैक्स लगाना है; इस भावना को लेकर ये टैक्सेज़ लगाये जा रहे हैं, लेकिन मैं तो इसको फन्डामेंटल्ली ऑपोज़ करता हूं क्योंकि इस प्रकार की टैक्सेशन की नीति से करप्शन बढ़ता है। अगर आपको टैक्सेज़ लगाने हैं, टैक्सेज़ बढ़ाने हैं तो इस प्रकार टैक्सेशन के स्थान पर जिस जगह कोई चीज बने, मैन्युफेक्चर हो उस जगह उस पर जितना भी आप टैक्स लगाना चाहते हैं लगा दीजिये जिससे कि करप्शन मिट जाय; कन्ज्युमर्स से जो टैक्स लेने की व्यवस्था करते हैं इससे तो करप्शन बढ़ेगा, चाहे सरकार कितनी ही व्यवस्था क्यों न करें। इसके बजाय जहां चीजें मैन्युफेक्चर हों वहीं पर उन पर टैक्स लगा दिया जाय, इससे न हिसाब रखने की, न हिसाब पेश करने की, न हिसाब जांचने की आवश्यकता पड़ेगी और न करप्शन ही बढ़ेगा।

इस बिल का इन कारणों से विरोध करते हुये मैं प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान सेल्स टैक्स बिल को अजमेर पर लागू करने से अजमेर के प्रतिनिधियों द्वारा अजमेर पर अन्याय होगा; हालांकि अजमेर हमारा अतिथि नहीं, फिर भी अपने हिस्से पर जो अन्याय करने की स्थिति पैदा होगी वह स्थिति पैदा न की जाय।

श्री बृजमोहनलाल (ब्यावर): श्रीमन्, सदन के समक्ष बिक्री कर पर बहस चल रही है और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने बतलाया कि जो राजस्थान बिक्री कर है उसके प्रावधानों को या उस एक्ट को अजमेर, सुनेल आबू या दूसरे स्थान जो राजस्थान में आकर मिले हैं, उन पर लागू करने जा रहे हैं लेकिन जब कर का प्रश्न पैदा होता है तो बिरले ही व्यक्ति ऐसे होंगे जो कर को पसंद करते हों। जहां तक मंत्रिमण्डल का प्रश्न है, यदि व्यक्तिगत उनकी राय पूछी जाय कि क्या आप कर लगाना चाहते हैं तो वे लोग भी शायद यही कहेंगे कि हम कर नहीं लगाना चाहते; पर यदि आपको शासन चलाना है और देश को आगे बढ़ाना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार देश को आगे बढ़ायें? जिस प्रकार मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हम अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि किसी प्रकार पैसा एकत्रित करके योजनाओं को कार्यान्वित करें। आखिर बिना पैसे के तो विकास योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा सकतीं।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य यह सुझाव दे दें कि इस प्रकार इन विकास योजनाओं को बिना पैसे के कार्यान्वित किया जा सकता है या इस प्रकार के साधनों से पैसा एकत्रित किया जाकर बिना टैक्स लगाये ही इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सकता है, तो इसकी व्यवस्था सुचारु रूप से की जा

(श्री बृजमोहनलाल)

सकती है, पर इस तरह की कोई चीज न रख कर इस प्रकार के करों का विरोध किया जाता है और जनता इन चीजों को मानती है कि ये लोग हमारे सच्चे प्रतिनिधि हैं जो जब भी कर लगाने की बात की जाती है तो उसका विरोध करने के लिए करों को थोपने के विरोध में खड़े होते है। पर यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश का जीवन स्तर ऊंचा उठे तो जब तक कर नहीं लगायेंगे तब तक वह कैसे होगा? तो इसलिए जहां तक कर लगाने की नीति है उसका मैं स्वागत करता हूं, इसके बिना हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं दीखता कि जिससे कि किसी तरह हमारे देश के साधनों को, हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी तरह हमारी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं।

जैसा कि अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बताया और उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमिशन के सामने बताना पड़ता है कि इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इतना कर लगायेंगे। अजमेर की जनता का प्रश्न था तो अजमेर की योजनाएं बनाई गई थीं कि पौने आठ करोड़ रुपया खर्च होगा। प्लानिंग कमीशन के सामने सरकार ने यह बताया था कि राज्य से इतना रुपया कर या और साधनों से इकट्ठा करके अजमेर की तरफ से पौने आठ करोड़ रुपयों की योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं। उस समय अजमेर पर बिक्री कर था, उन्हीं आंकड़ों पर इसकी आमदनी कूंती गई थी। अच्छा होता, वित्त मंत्री जी यह बताये कि अभी जो कर है और भविष्य में जो कर लागू करने जा रहे हैं उनमें कितना अन्तर आता है?

मुझे याद है कि केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि पौने आठ करोड़ की योजनाएं अजमेर पर कार्यान्वित होने जा रही हैं, वही रकम रखी जायगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार ने जो जो देने का वादा किया था, उसमें अन्तर नहीं आयेगा।

अब इसमें प्रश्न यह पैदा होता है कि वास्तव में सही चीज क्या है? इस सिद्धान्त को हम इनकार नहीं कर सकते कि जब अजमेर राजस्थान में मिल चुका तो इसके सामने यह प्रश्न है कि राजस्थान में जो कानून हैं और अजमेर में जो कानून हैं उनका समन्वय होना चाहिये। इसके साथ साथ यह भी प्रश्न साथ ही साथ पैदा होता है कि जो सहूलियतें राजस्थान की जनता को मिलती हैं वही सहूलियतें वहां अजमेर की जनता को भी मिलनी चाहिये; इसमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करना चाहिये और यही मैं माननीय चीफ मिनिस्टर से निवेदन करता हूँ और पहले भी कहा था कि आप टैक्स की बात करते हैं तो आपको अजमेर में छात्रों की पढ़ाई की फीस, जो राजस्थान से बहुत ज्यादा है, राजस्थान के स्तर पर करनी होगी, अजमेर में यह फीस ज्यादा है और राजस्थान में कम ली जाती है। यदि आपके भाषण में यह बात आती तो हम इसका स्वागत करते। अच्छा होता, अगर आप कड़ुवी बात को भी सहन करते और उसकी घूंट भी पीते। बीमारी में कड़वी दवाई भी देनी ही चाहिये। हम बुखार में किवनीन भी देते हैं और देना चाहिये, मगर वह इस तरह से दिया जाता है कि कड़वी न लगे, सुगर कोटेड होती है, उस पर गुड़ या शक्कर की चासनी लगा दी जाती है। इसी प्रकार अगर आप किसी तरह से

Page No.101

(श्री बृजमोहनलाल)

कड़ुवा घूंट भी किसी को देना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि शुगर कोट करके दें। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप आज ही इस बात की घोषणा करें कि जो राजस्थान के छात्रों से पढ़ाई की फीस ली जाती है वही अजमेर के छात्रों से ली जावेगी, चाहे वह छात्र हाई स्कूल में पढ़ने वाला हो चाहे और किसी शिक्षा सेन्टर में पढ़ने वाला हो, किसी भी क्लास में पढ़ता हो? विद्यार्थियों की जो फीस है वही कर दी जावेगी जो राजस्थान में है और उससे ज्यादा जो ली जा रही है वह फौरन बन्द कर दी जावेगी।

इसके अलावा मैं माननीय चीफ मिनिस्टर से दूसरी योजना बतलाने वाला था जिससे आपको लाभ होने वाला है। सेल्स टैक्स अजमेर राज्य में है, उसको लागू करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अभी बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहनलाल : तो इसलिए अभी आप जो सेल्स टैक्स लगाने वाला हैं और अजमेर राज्य में विस्तारित करने जा रहे हैं.......

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, there is no Ajmer State. "Ajmer Rajya", "Ajmer Rajya" कर रहे हैं।

अजमेर राज्य है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आदत पड़ी हुई है। पुराना अजमेर राज्य है।

(आवाज "मिनिस्टर रह चुके हैं कल्पना) से याद आता है")

श्री बृजमोहनलाल : एक दो बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपने कहा कि यह कानून अजमेर में ६ मई से लागू समझा जावेगा। मैं समझता हूँ कि कानूनी दृष्टि से और वैधानिक दृष्टि से यह संभव नहीं हो सकता। आप इस विधेयक को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि यह सेल्स टैक्स है और कन्ज्यूमर्स से यह टैक्स लिया जाता है। अजमेर में यह फर्स्ट पोइन्ट पर लिया जाता है। आप जिन चीजों पर ६ मई से यह कर लागना चाहते हैं....

श्री अर्जुनदास : On point of information, is the Hon'ble Member quite certain about the point that he is saying that in the Ajmer State it is at the last point?

श्री जनार्दनराय नागर : Presumably correct.

श्री अर्जुनदास : I think he is not.

श्री बृजमोहनलाल : राजस्थान में लास्ट पोइन्ट पर है। (फिर देख कर कहा) नहीं-नहीं, राजस्थान में फर्स्ट पोइन्ट पर है और अजमेर में लास्ट पोइन्ट पर है।

आप उनसे ले नहीं सकेंगे क्योंकि यह बिक्री कर है। लोग सामान खरीद कर ले गये हैं, उनसे अब आप वह कर वसूल नहीं कर सकते। कौन ले गया, कहाँ ले गया, उनसे

(श्री वृजमोहनलाल) :

वह कर कहां लेने जा सकेंगे ? इसके अलावा आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस कानून को लागू नहीं कर सकते । अभी आपने इस कानून को जारी ही नहीं किया है। जब तक राज प्रमुख से (फिर कहा) राज्यपाल से दस्तखत नहीं हो जाएंगे यह कानून नहीं बनेगा। इसलिये जो चीजें व्यापारियों से उपभोक्ताओं ने खरीदी हैं उन लोगों से किस प्रकार से बिक्री कर लेगें ? आप इनकम टैक्स को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते है, यह दूसरी बात हो सकती है; किन्तु इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि इन्कम टैक्स हम उन लोगों से लेते है जो कमाते हैं; जो लोग लाभ उठाते हैं और कमाते हैं उनसे वसूल किया जा सकता है। वह कन्ज्युमर्स से नहीं लिया जाता । बिक्री कर का असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है। जो चीज आम जनता ने खरीद ली है उनसे आप अब किसी प्रकार वसूल नहीं कर सकेंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि आप उनसे किस प्रकार से अब सेल्स टैक्स वसूल करेंगे, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक वैधानिक आपत्ति है और उचित मालूम होती है। आप उस टैक्स की आशा नहीं कर सकेंगे। इसलिए अच्छा हो कि आप इसको पहली जुलाई से लागू करें ।

श्रीमन् , इसके अलावा दो-तीन बातों के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हो सकता है कि राजस्थान सरकार ने यह निश्चित किया हो कि अजमेर से इतना टैक्स लेना है । मगर कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर गंभीरता से सोचें कि जो मैं कह रहा हूं वह कहां तक ठीक है और उसके पश्चात् आप अपने आइटमों पर टैक्स लगावें। आप इस बात को सोचें कि राजस्थान के व्यापार पर क्या असर होने वाला है ?

एक चीज ऊन है, जिसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा। ऊन पर पहले अजमेर में कोई टैक्स नहीं था, कच्ची ऊन पर कोई टैक्स नहीं था। इस संबन्ध में मुझे विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वित मन्त्रीजी खुद इस बात को जानते हैं। जो ऊन राजस्थान में पैदा होती है उसका उपयोग राजस्थान में ब्यावर, बीकानेर, केकड़ी............

श्री श्रीमानसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्राइसिस आ गया, फाइनेन्स मिनिस्टिर और सेक्रेट्रीज़ के बीच में।

श्री वृजमोहनलाल : मगर राजस्थान में इसका उपयोग नहीं होता। राजस्थान में ब्यावर, केकड़ी, बीकानेर आदि में यह पैदा होती है। अगर इस पर आप लोगों ने कर बढ़ा दिया तो यहां पर जो कुछ भी व्यापार है चला जाएगा और इसका लाभ दूसरे प्रान्तों को होने वाला है। मैं आपका ध्यान इस वजह से दिलाना चाहता हूं कि आप कानूनी अड़चनों के कारण टैक्स वसूल नहीं कर सकेंगे और यदि करेंगे तो एक गाँठ पर ८), १०) रुपयों का खर्चा बढ़ जावेगा और यह बोझा सिर्फ सफाई करने पर होगा। यहां पर तो सिर्फ ऊन आती है और साफ कर उसको गाँठे बना कर अमेरिका और इंगलैण्ड भेज देते हैं। यहां तो उसका उपयोग भी नहीं होता। वहां से आपको किस प्रकार मिलेगा और आप कर वहां से कैसे वसूल करेंगे, क्योंकि यह कर तो

श्री बृजमोहनलाल)

राजस्थान में लास्ट पोइन्ट पर है। फिर इसके अलावा इसकी सफाई भी यहां नहीं होगी। दिल्ली या दूसरी जगह होगी व्यापार यहां से चला जावेगा। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक थे और भारत स्वतन्त्र नहीं था उस समय फाजिलका ऊन बाहर भेजने में सर्व प्रथम था। उसके बाद से अब ब्यावर है जहां से सबसे ज्यादा गाँठों का निर्यात होता है। ब्यावर व राजस्थान के अन्य नगरों में ऊन मध्य भारत, मध्य प्रदेश पैप्सू व पंजाब वगैरह से आती है और साफ यहां होती है और उसके ऊपर यदि एक पर्सेन्ट के हिसाब से बिक्री कर लग गया तो ऊन वहां पर आकर बाहर चली जायगी और उससे आपका भी नुकसान होगा और इसका परिणाम यह होने वाला है कि जो व्यापारी अभी ब्यावर, केकड़ी पाली, बीकानेर वगैरह में हैं; वे कहीं बाहर चले जायेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस काम को करने वाले राजस्थान में करीब पन्द्रह हजार लोग हैं और इनमें से करीब ६० प्रतिशत लोग हरिजन हैं जिनको कि रोजगार मिला हुआ है। इन पन्द्रह हजार व्यक्तियों के माने यह हैं कि साठ हजार प्राणियों पर इसका सीधा असर होगा और अगर इन पर इस टैक्स का असर पड़ा तो ये साठ हजार प्राणी तबाही में चले जायेंगे, इन बहुत से आदमियों को बेकार होना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार की यह इच्छा कभी नहीं हो सकती कि इतने लोगों को बेकार बनाया जावे। मैं माननीय वित्त मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि इस ऊन पर टैक्स लगाने से राजस्थान सरकार को होने वाली आमदनी कितनी है? मेरा ख्याल है कि सरकार इस ऊन के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेगी और सबसे पहले इसको छूट देगी।

दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी के सामने रखता हूं और वे उसको स्वीकार करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। आपने 'ऑइल सीड इन्क्लुडिंग अलसी' को जो (आर्टिकल) कि पहले एग्जेम्प्टेड लिस्ट में था उसको आपने अब सेल्स टैक्स की लिस्ट में इन्क्ल्यूड कर लिया है, इससे हमारे ऑइल की इन्डस्ट्री पर काफी असर होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊं कि ऑइल मिल वाले तेल पर और घानी से निकालने वाले तेल पर क्या प्रभाव होगा? एक आदमी जो कि ऑइल मिल चलाता है और वह अगर तिल, सरसों वगैरह खरीदेगा और उसके पास यदि एग्जेम्प्शन सर्टीफिकेट है तो उसको तिल व सरसों आदि के खरीदने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और दूसरी ओर वे लोग जो थोड़ा थोड़ा तेल निकालते हैं और वह भी घानी से निकालते हैं उनको जब यह ऑइल सीड खरीदना होगा तो टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उसके पास एग्जेम्प्शन सर्टीफिकेट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा ऑइल मिल का ऑइल सीड खरीदने के लिए तो कोई टैक्स न देना पड़े और तेली जिसका कि छोटा सा धंधा है उसको ऑइल निकालने के लिए, ऑइल सीड खरीदने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि सरकार जहां छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है वहां इन कुटीर उद्योग वालों पर इस प्रकार का टैक्स क्यों लगाती है? तो इस प्रकार से जो तेली घानी से तेल निकालता है उसका तो धंधा बिल्कुल ही खत्म हो जायगा। इसका भाव पर भी बड़ा भारी असर होगा। ऑइल इन्डस्ट्री में जो तेल निकाला जायगा

(श्री बृजमोहनलाल)

वह तो सस्ता पड़ेगा और जो घानी से निकाला जायगा वह महंगा पड़ेगा। वैसे घानी का तेल तो आज भी मंहगा है। लेकिन आयन्दा और भी ज्यादा मंहगा हो जायगा। घानी से तेल भी कम निकलता है। तो इस प्रकार से हम छोटे उद्योगों को मिटाने की ओर न बढ़ें। इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें। हम तो तेली लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए घानी तक देते हैं और अब इस टैक्स से यह परिणाम होने वाला है कि उनका धन्धा ही खत्म हो जायगा।

अब दूसरी चीज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मोटा कपड़ा है, अजमेर राज्य में मोटे कपड़े पर टैक्स नहीं था। मैं कहता हूँ कि यदि फाइन क्लोथ पर या सुपर-फाइन क्लोथ है इस पर टैक्स और ज्यादा लगा दिया जाय तो इससे सरकार को इनकम भी हो जायगी और फिर मोटे कपड़े पर जो कि गरीब जनता पहनती है उस पर भी किसी प्रकार का बोझ नहीं आयेगा। सर्व साधारण के काम में जो काम आने वाली चीज है उन पर टैक्स न रखिये। आप गुड़ पर कर न लगाइये क्योंकि उसको सर्व साधारण प्रयोग में लाता है, इसके बदले आप शक्कर पर लगा दीजिए, जैसा कि अजमेर राज्य की जो लिस्ट थी उसमें इस प्रकार की कई तालिकायें दे रखी हैं, जिनमें गुड़ है, मोटा कपड़ा है। ये सब चीजें एग्जेम्प्ट थीं। एक जनरल लिस्ट है। मैं कोई संशोधन पेश नहीं करता मगर वित्त मंत्री चाहें तो इस प्रकार का संशोधन वे स्वयं इसमें कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का काम करने में वह अजमेर की लिस्ट बहुत सहायक रहेगी। एग्जेम्पटेड लिस्ट में एक आइटम यह है, "such protection of cottage industries as may be prescribed" को और जोड़ दिया जावे। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़ी रकम रखी है। अजमेर राज्य में करीब पचास लाख रुपया इन कुटीर उद्योगों को पनपाने के लिए रखा था। अगर इस प्रकार का आप एक आइटम और जोड़ देते हैं तो यह ठीक रहेगा इन। शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर वित मंत्रीजी ध्यान पूर्वक विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस पर अभी तक काफी वादविवाद हो चुका है और इस विधेयक को आज ही पारित करना है इसलिए यह उचित होगा कि इस विवाद का उत्तर सरकारी पक्ष की ओर से दिया जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर जो चर्चा हुई उसमें जहां तक टैक्सेशन के प्रिन्सिपल्स का सवाल है माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर काफी प्रकाश डाल दिया था; फिर यह कोई नया टैक्स भी नहीं है और सिर्फ कुछ हिस्सों पर एक्सटेन्ड करने का ही भाव इसमें शामिल है। इसके साथ ही जो टैक्सेशन के कुछ प्रोपोजल्स अभी सरकार ने प्रकाशित किये उनको इसके साथ जोड़ देने से थोड़ा सा इस बहस को नया रूप दे दिया गया है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि यहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वह सरकार के नोटिफिकेशन का विषय है, अब चाहे इसका सम्बन्ध अजमेर से हो या आबू से हो या चाहे राजस्थान के या और किसी भाग से हो। हमेशा सरकार कभी भी उन पर किसी भी समय विचार कर सकती है और

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

उसमें रद्दोबदल कर सकती है। सरकार को यह अधिकार भी प्राप्त है। इसलिए इस पर मैं अधिक नहीं कहूंगा। अभी भी जो ६ मई को नया नोटिफिकेशन निकाला था उसके बारे में भी मैं माननीय सदस्यों को जानकारी दे दूं कि कई व्यापारी मंडलों के भी, ऊन के, साबुन के, साइकिलों के, फोटोग्राफी के, और तरह तरह के व्यापारियों के मंडल आये, तार आए, चिट्ठियां आईं और उन पर सरकार ने विचार किया और विचार करने के बाद कुछ आइटम्स जो ऐसे मालूम हुए कि वाकई दूसरी जगह उन पर टैक्स नहीं है और हमारे यहां पर है और वाकई उनसे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है तो उस पर ध्यान दिया गया है और नए नोटिफिकेशन उनके लिए निकाल दिये गये हैं। मैं उनको यहां सदन की जानकारी के लिए प्रस्तुत कर देता हूं यह देखने के लिए कि ये नोटिफिकेशन्स सरकारी आज्ञा के विषय है और उन पर कार्यवाही की जा सकती है। इससे इस विधान सभा का और इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है।

"Cinematograpic, photegraphic and other cameras, projectors and enlargers, lenses and other parts and accessories of such cameras, projectors and enlargers and film plates, paper and cloth required for use therewith, film packs and other photogr aphic goods."

इनमें ६ मई के नोटिफिकेशन के हिसाब से ६। परसेन्ट लगाया गया था वह अब सरकार ने ५ पर्सेन्ट कर दिया हैं। इसी तरह से 'dyes, colours, paints of all kinds including indigo varnishes, metal polishes of all kinds, peddings for filling cracks, sand paper, turpentine oil, bell oil and other various articles which are used in paints."

इनमें भी जो ६। पर्सेन्ट था वह ५ पर्सेन्ट कर दिया गया है।

"Cycles and parts and accessories therof." इनमें भी ऐसा कर दिया गया है।

इसके अलावा हमारे ब्यावर के माननीय सदस्य ने ऊन के प्रश्न पर ध्यान दिलाया है, तो मैं उनको और सदन को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के लिए ऊन का व्यापार सबसे बड़ा व्यापार है। ऊन के व्यापारियों के शिष्ट मण्डल भी आये हैं और उनके मेमोरेन्डम पर सरकार विचार कर रही है और उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जायेगी। इसलिए माननीय सदस्य इस बात के लिए आश्वासित रहें।

अब सिर्फ एक बात और बचती है। माननीय सदस्य चले गये हैं, उन्होंने अजमेर के हित और अजमेर के ऊपर सहानुभूति दर्शाने का प्रयत्न किया है........

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : ६ मई का क्या हुआ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह फर्स्ट पॉइन्ट पर है इसलिए वह बाद में भी वसूल किया जा सकता है। अजमेर के प्रति हित और सहानुभूति कुछ माननीय सदस्यों ने रखी, वह स्वाभाविक है। यह मानने का कोई कारण नहीं कि अजमेर से जो प्रतिनिधि आये हैं उनको अजमेर के साथ सहानुभूति नहीं।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जहां अजमेर के प्रतिनिधियों को राजस्थान के साथ सहानुभूति है उसी प्रकार राजस्थान के प्रतिनिधि भी अजमेर के साथ सहानुभूति रखते हैं, यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन सेल्स टैक्स के अवसर पर यह प्रकट करने की की बात नहीं थी। अजमेर के और भी बड़े बड़े सवाल आने वाले हैं, विधान सभा के बाहर आयेंगे। मैं आशा करता हूँ हमारे माननीय सदस्य जिस प्रकार विधान सभा में सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं वे विधान सभा के बाहर भी इसी प्रकार की सहानुभूति बताने की कृपा करेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या अजमेर को राजधानी बनाने के लिये ?

श्री अर्जुनदास : I would like to know from the Hon'ble Minister as to whether he would act for Ajmeries' interest or has he sold himself for personal ends ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक माननीय सदस्य ने नोटिस की बात कही थी। मैं उनको जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, वह नोटिस केन्सिल कर दिया गया है; इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया। जो नोटिस दिया गया था। उसमें दस-पांच चीजें रह गई थीं इसलिये उस नोटिस को वापिस ले लिया गया है।

आबू की बात तो स्पष्ट हो गई। अब रहा अजमेर का सवाल, इसके लिये मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं वह यह कि जब हमने इस कानून को अजमेर पर लागू करने का विचार किया उस समय यह बात ध्यान में रखी है कि अजमेर का अहित न हो, नुकसान न पहुँचे लेकिन हमें यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिये कि जब दो चीजें एक साथ मिलती हैं तो कहीं कुछ लाभ भी हो सकता है और कुछ हानि भी हो सकती है। आप अजमेर के विलय को ही ले लीजिये। जब राजस्थान में इसका विलय हुआ, जिन माननीय सदस्य ने सहानुभूति प्रदर्शित की यह ठीक है। मैं यहां विलय का जिक्र नहीं करूँगा........

श्री जनार्दनराय नागर : आप बताइये कि लाभ हुआ या नुकसान ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब हम आम तौर पर मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं तो हमें अजमेर राज्य के विलय से अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का लाभ हुआ है और हम राजस्थान के नागरिक हुए हैं और हमें नये राजस्थान में मिलने का अवसर मिला है....

श्री अर्जुनदास : सिर्फ आपको ही मिला है या अजमेर को भी।

श्री पुरुषोत्तमलाल : आपको भी सदन में बैठने का हक मिला है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (जारी रखते हुए) जब सत्ता का एक दूसरे में हस्तान्तरण होता है तो यह स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं सभी जगह कि कहीं कुछ हानि होती है तो कहीं किसी को कुछ लाभ। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि राजस्थान में सिंचाई की दरें समान हों, लैन्ड रेवेन्यु समान हो लेकिन जब इस तरफ से किसी कानून को एक करने के लिए और सब भाग पर समान रूप से लागू करने के लिए पेश किया जाता है तो उसका विरोध किया जाता है। आपको किस बात पर दृढ़ रहना चाहिए, आपका दृष्टि बिन्दु साफ

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

होना चाहिए। जब हम बड़े राज्य में शामिल हुए हैं जो पहले टुकड़ों में विभाजित था तो उसे मिलने के फलस्वरूप कई बातों में लाभ भी हुआ और कई बातों में नुकसान भी हो सकता है। अगर किसी बात में नुकसान होता है तो उसको सोच-समझ कर सहन करना चाहिये और प्रसन्नता अनुभव करनी चाहिये। सेल्स टैक्स अजमेर पर लागू होता है, मेरा ख्याल है कि एकाध बात में नुकसान हो सकता है, मैं नहीं मानता कि अजमेर के लोग इसको सहन करने में असमर्थ होंगे। मैं समझता हूं कि वे इसे बुरा नहीं मानेंगे। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि अजमेर के जब बड़े प्रश्न सामने आयेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सहानुभूति बताने का ज्यादा अवसर मिलेगा।

होमियोपेथी और एलोपेथी मेडिसिन्स के लिये भी जो टैक्स प्रेसक्राइब किया गया था.... ..

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री ने अजमेर के बड़े प्रश्नों की ओर दो बार संकेत किया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस बिल के सम्बन्ध में वे उत्तर दे रहे हैं क्या उन प्रश्नों का इससे अहम सम्बन्ध है? अगर है, तो बता दिया जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय मित्र ने कहा था इसलिये मैंने भी कह दिया, इस बिल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री अर्जुनदास : टालम टोल करने के लिये बात कही गई है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि होमियोपैथिक और एलोपैथिक मेडिसिन्स के लिये उस पर हमने वन पर्सेन्ट फर्स्ट पोइन्ट पर लगा दिया है। मैं समझता हूं, इस तरह से इन दवा विक्रेताओं को काफी लाभ मिलेगा। जो बातें स्पष्ट करनी थीं वे मैं स्पष्ट कर चुका। अब आशा करता हूँ, माननीय सदस्य इस बिल को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २, ३ व ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस बिल के क्लॉज़ेज़ २, ३ व ४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

विधेयक के क्लॉजेज़ २, ३ व ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज ६, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ के अन्दर मेरा अमेन्डमेंट इस तरह से है:—"In part (a) of part (ii) of the proviso sought to be substituted for the first proviso in section 5 of the principal Act, the word 'be' be substituted by the words 'not exceed'."

माननीय अध्यक्ष, इस प्रोविज़ो में बतया गया है कि कुछ एसेंशियल गुड्स हैं, उन

(श्री सोहनलाल भटनागर)

पर सेल्स टैक्स जो लगेगा वह दो पर्सेन्ट से कम नहीं लगेगा। मैंने जो संशोधन पेश किया है उसमें मेग्जिमम को कम करने की मांग की है। अगर यह क्लॉज इसी प्रकार रहता है तो दो पर्सेन्ट कम्पलसरी हो जायगा। मेरे संशोधन से दो पर्सेन्ट तक का हो जायगा। इसमें कम भी लग सकता है, एक पर्सेन्ट आध पर्सेन्ट भी लग सकता है, यह डिसक्रीशन गवर्नमेन्ट के हाथ में रहेगा। दो पर्सेन्ट रखा जायगा तो ज्यादा होगा और कम करने का पॉवर गवर्नमेन्ट के हाथ में नहीं रहेगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। आशा है, सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज ६ पर जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(विराम)

क्लॉज ६, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉजेज ७, ८, ९, १० व ११.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाजेज़ ७, ८, ९, १० और ११ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ७, ८, ९, १० व ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

शिड्यूल्स।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल्स विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

शिड्यूल्स विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १, प्रीएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेन्डिंग एन्ड एक्सटेन्डिंग) बिल, १९५७ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

४. ४०. म० प०

राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन्डेटेडनेस विधेयक, १९५७

(खण्डश : विचार-विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं प्रस्ताव

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करता हूँ कि राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस बिल, १९५७ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

क्लॉज २, श्री तेजाराम।

(श्री तेजाराम अपना संशोधन प्रस्तुत करने को खड़े नहीं हुए)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ४।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ५, श्री तेजाराम।

श्री तेजाराम : (सोजत) माननीय अध्यक्ष, I want to move an amendment in clause 5 and I beg your premission to do that. I move my amendment as under:-

"Clause 5 be subsituted as under:-

Transfer of proceeding to the Debt Relief Court:-

(1) All suits, appeals, applications for execution and proceedings in respect of any Debt pending in in any civil or revenue court including revisionol proceedings sha l, if they involve the questions whether the person from and whom such debt is due is an agriculturist, be transferred to the Debt Relief Court.

(2) When any suit, appeal, application or proceeding is transferred to the Debt Relief Court under sub section (1), the court shall proceed with the case as if it were an application under section 6 (1) of the Act."

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस बिल का नाम दिया गया है कि काश्तकार को कर्जे से मुक्त किया जाय, परन्तु जो क्लॉज ५ इस बिल के अन्दर है उसमें इस बात का कतई ध्यान नहीं रखा गया है और क्लॉज ५ में काश्तकार पर बर्डन डाला गया है कि वह जाकर कोर्ट में अप्रोच करे।

(श्री तेजाराम)

यह मानने की बात है कि जब कि हम इस कानून में काश्तकार की परिभाषा मान लेते हैं और जब यह मान लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति एक काश्तकार है तो महज उस पर एक कानूनी जिम्मा डाल दें कि वह जाकर अदालत में दरख्वास्त दे और इसके बाद ही इस ऐक्ट के तहत में कार्यवाही की जावे, मैं समझता हूं कि यह काश्तकार पर बोझा डालने के सिवाय और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब हम मानते हैं कि काश्तकार कर्जे से मुक्त हो और हर किसी सूट में, प्रोसीडिंग्स में या एग्जीक्युटिव प्रोसीडिंग्स में जहां भी सवाल उठे, कि मैं काश्तकार हूं और मुझे काश्तकार कर्जा निवारण कानून का फायदा दिया जावे, तो ओटोमेटिकली जहां कहीं भी इश्यूरेंस हो, काश्तकार को डेट रिलीफ कोर्ट में मूव करके ही हो सकता है। कोर्ट की यह डयुटी हो जाती है कि वह पेन्डिंग सूट के लिये एप्लीकेशन मूव किये बिना ही केस को उस कोर्ट में भेज दे और उस कोर्ट की उस अर्ज़ी को जो दूसरे कोर्ट से इस कर्जा कोर्ट में ट्रान्सफर होकर आई हो उसका नोटिस उसी तरह से ले जैसे किसी क्रेडिटर ने उस कोर्ट के अन्दर इस एक्ट के तहत एप्लीकेशन मूव की हो। अगर ऐसा नहीं किया जावेगा तो जो रिलीफ हम इस कानून की तहत काश्तकार को देना चाहते हैं वह रिलीफ, अगर काश्तकार अनपढ़ है, समय की पाबन्दी को नहीं समझता हो, तो उसको नहीं मिल सकेगा।

तो सही माने में हमारी मंशा है कि कर्जे से काश्तकार को मुक्त किया जावे तो इस तरह की कानूनी फ्रेज्योलोजी डाल कर, उसे किसी तरह की यदि हम कानूनी सहूलियत देना चाहते हैं तो वह नहीं होगी। तो इस कानून को जितना सिम्पल हम कर सकते हैं उतना किया जावे। बात बिलकुल सीधी-सादी है कि जहां कहीं भी इस तरह का सवाल पैदा हो कि मैं काश्तकार हूँ और मुझे इस एक्ट का फायदा दिया जावे तो सीधा बगैर उसको कोर्ट में मूव किये ही, कोर्ट के द्वारा ही इस कोर्ट को ओटोमेटिकली मामला भेज दिया जाना चाहिये। इस तरह का कानून अजमेर राज्य में भी प्रचलित है और हिन्दुस्तान में दूसरी जितनी स्टेटस हैं उनमें भी कइयों में ऐसा ही है। तो इस कानून में यह जिम्मा या तो कोर्ट पर खुद पर डाला जावे, वही यह तय करके कि यह काश्तकार है, उसके केश को इस स्पेशल कोर्ट में ट्रान्सफर कर दे या जो आदमी अदालत में जाता है, दावा करता है, उस पर डाली जावे यह जिम्मेदारी। नहीं तो जब सवाल पैदा हो जाता है और कोर्ट के नोटिस में बात आ जाती है तो अदालत स्वतः इस केस को स्पेशल अदालत में भेज दे। और इस उद्देश्य को लेकर मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह का संशोधन अगर कर दिया जावे तो सही माने में काश्तकार को कर्जे से मुक्त करने में यह कानून काफी मददगार होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। इसका कारण स्पष्ट है। इसमें प्रोवीजन है कि अगर किसी आदमी को लॉ की तहत में एप्लीकेशन डिमान्ड करनी हो तो ऑर्डिनरी लॉ में वह समाश्रत होगी, हर आदमी ऑर्डिनरी कोर्स में अपने मुकदमे का फैसला करायगा पर स्पेशल लॉ में अगर कोई एग्ज़ेम्प्शन चाहता है और स्पेशल कोर्ट से फैसला कराना चाहता हो तो उसके लिये यह लाजिम होगा कि वह नीचे की कोर्ट में एप्लीकेशन दे, प्राइमा फेसी बताए कि वह इस स्पेशल लॉ के फायदे का

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मुस्तहक है, उसे बताना पड़ेगा कि वह किसान है। यह साफ है।

पर माननीय मित्र जो चाहते हैं उससे किसान का हित नहीं होगा और बहुत सी फ्रिवोलस एप्लीकेशन (frivolous application) डेट रिलीफ कोर्ट में चली जावेंगीं, लिटीगेशन बढ़ जावेगा और जो ऑर्डिनरी कोर्ट में केस फैसल होने चाहिये वे वहां होंगे। इसलिये सैक्शन ५ में जो बात दी हुई है वह मुनासिब है और इसके रखने से दोनों बातें होंगी कि जो जिनुआइन काश्तकार है उसकी रिलीफ के लिये, उसका केस ट्रान्सफर कर दिया जावेगा और उसको रिलीफ मिल जावेगा और जो फ्रिवोलस काश्तकार होगा उसकी जानकारी वहीं हो जावेगी और उसका केस ट्रान्सफर नहीं किया जावेगा। तो काश्तकार का हित इसी में है कि उसे अन्नेसेसरी हैरेसमेन्ट न हो और जो काश्तकार नहीं है वह भी अन्नेसेसरी हैरेसमेन्ट न दे सके किसी को, और जो क्रैडिटर्स हैं उनको भी अन्नेसेसरी हैरेसमेन्ट न हो।

श्री दयाकृष्ण : माननीय अध्यक्ष जो संशोधन माननीय सदस्य ने रक्खा था ....

श्री दामोदरलाल व्यास : Mr. Speaker, Sir, I have already given a reply and there would be no debate now. He could have spoken either in support or against the motion before I had spoken. Only the member moving the amendment can speak now, I think, Sir.

श्री तेजाराम (सोजत) : माननीय अध्यक्ष, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि इसमें कई तरह की फ्रिवोलस एप्लीकेशन्स पेश हो जावेंगी और उससे वास्तविक काश्तकारों को फायदा होने के बजाय, जो फर्जी लोग होंगे, प्रोसिडिंग्स को लिंगर करने वाले लोग होंगे वे ऐसा करेंगे। जहां इसके बारे में मैं समझता हूँ कि इस एक्ट में एग्रीकल्चरिस्ट की भाषा को डिफाइन किया है, जो आदमी इसकी डेफिनिशन में आयेगा वही आदमी उज्र उठा सकेगा और अगर दूसरा उठाता है तो वह एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं, यह इससे स्पष्ट हो जयगा। एप्लीकेशन तो कोई भी आदमी दे उसको हक है, कोई भी आदमी डेट रिलीफ कोर्ट में जा सकता है। मेरे अमेन्डमेन्ट में और मौजूदा जो सेक्शन है उसमें अन्तर जरूर है। मेरे अमेन्डमेन्ट के अनुसार ऑटोमेटिकली कोर्ट को ट्रान्सफर करना पड़ता है लेकिन मौजूदा बिल में जो सेक्शन है उसके अनुसार काश्तकारों को कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन देनी पडेगी, उस पर फिर स्टे ऑर्डर होगा और तब ही प्रोसिडिंग्स स्टे हो सकती हैं। माननीय मन्त्री महोदय मानते हैं कि हैरेसमेन्ट कल्टीवेटर को होगा, नहीं तो मौजूदा एक्ट में वैसा नहीं होता।

श्री तनसिंह : (श्री तेजाराम का अन्य किसी सदस्य से बात करने लगने पर) विदड्रॉ करें, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इन व्हिप को दूर हटा दिया जाय, बोलने नहीं देते।

श्री तनसिंह : यह कन्वेसिंग है, उनको बोलने दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : यह पार्टी का सवाल है।

Page No.112

श्री तेजाराम : लेकिन फिर भी इस उम्मीद से कि माननीय मन्त्रीजी ने जैसा आश्वासन दिया है, सुधार हो सकता है, मैं अपने अमेन्डमेन्ट को विद्ड्रॉ करता हूं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री तेजाराम : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज ६, श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज़ ६ में एक संशोधन दिया है :—

"If any debtor who is an agriculturist or creditor will make an application within four months before the Debt Relief Court having juirsdiction for settlement of debts."

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, यह अमेन्डमेन्ट कब आया, I wanted to know the time.

श्री अध्यक्ष : किस अमेन्डमेन्ट की बात कह रहे हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने सुबह दिया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not received this amendment.; कब दिया था ?

श्री अध्यक्ष : सुबह का अमेन्डमेन्ट अब नहीं लिया जा सकता।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८

श्री दामोदरलाल व्यास : (श्री तेजाराम के खड़े होने पर) पेश करो आप मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री तनसिंह : हियर ! हियर !! यह भी कन्वेसिंग चल रहा है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी, पश्चिम): Mr. Speaker, Sir, on clause 8 although I have not submitted any amendment, but if the Hon'ble Minister does not want to object I want to make a suggestion which he might accept.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am prepared to accept any suggestion which will appeal to us and really necessary whether it comes

(श्री दामोदरलाल व्यास)

from this side, or that side but let us have a suggestion.

श्री भैरोंसिंह : Thanks for your accommodative spirit.

श्री अर्जुनदास : I would like to place this suggestion, Sir, in clause 8, sub clause (1). last lines are:--

"......"Such Statement shall be submitted in person, by agent, by pleader or by registered post and every claim not so submitted shall be deemed for all purposes and all occasions to have been discharged as against such debtor or debtors:" the words should be, I will start from "every claim not so submitted......" "and for every claim not so submitted to the Debt Relief Court may for all purposes decleard as discharged."

Why make it obligatory if the claim is fully proved, and if it has been admitted by the debtor also? There is no doubt about the genuineness of the claim. Why not allow the Court to proceed ex-parte? That would be in the interest of justice. If the creditor fails to come up before the Court, the Court may proceed ex-parte, and if the Court feels that the claim is really genuine, why not grant the relief to him also? If the Court takes that it is not genuine, the Court should discharge it. Let us give powers to the Court to proceed as it deems fit and proper. The discretion lies with the Court. Therefore, I was only making this suggestion, Sir.

श्री दयाकृष्ण विजय : क्लॉज़ ८ के प्रावधान के बाद जो प्रोविज़ो दिया हुआ है वह यह है :

"Provided that, if the Debt Relief Court is satisfied that for good and sufficient cause any creditor was unable to submit his claim, it may extend the time upon such conditions as to costsas it may think fit and may revive the claim."

माननीय अध्यक्ष, यह जो प्रोविज़ो है वह मेरी समझ में इस सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध है। इस प्रोविज़ो की यहां आवश्यकता नहीं थी। इसलिए इसको यहां से निकाल देने की आवश्यकता है। कारण यह है कि जो बोहरा है, जो किसी व्यक्ति को उधार रकम देता है, वह व्यक्ति अगर ठीक समय पर कोर्ट में क्लेम सबमिट न कर सके तो ओटोमेटिकली उसका क्लेम खत्म हो जाता है। यदि उसको समय देकर उसके क्लेम को कोर्ट में दाखिल कराया जाय तो किसान को बार बार कोर्ट में आना पड़ेगा। इसलिए मैं यह सजेशन रखना चाहता हूं कि यह प्रोविज़ो खत्म होना चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य : टाइम हो गया है साहब।

श्री दयाकृष्ण विजय (अपना भाषण जारी रखते हुए) : इसलिए नम्र निवेदन है कि यह जो प्रोविज़ो है उसको समाप्त कर दिया जाय और पहला जो प्रावधान है उसी को रखा जाय, यह प्रोविज़ो हटा दिया जाय।

श्री जनार्दनराय : It is an interesting Bill and we would like to take it tomorrow.

श्री अध्यक्ष : क्लॉज पांच रह गया था।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५ विधेयक में अंग रूप में

जोड़ा गया।

श्री अध्यक्ष : एक सुझाव मैं दूंगा कि कई माननीय सदस्य इस बिल में दिलचस्पी रखते हैं और अगर माननीय मंत्री से मिल कर कुछ क्लॉजेज़ पर डिस्प्यूट है, तो उसके लिए कोई एग्रीड चीज तय कर सकें तो अच्छा होगा और कल इस विधेयक को लेकर पास कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : इसको फिर २७ को ले लीजिये।

श्री अर्जनदास : Keep it for 27, that was a suggestion from this side.

श्री दयाकृष्ण विजय : ५, ६ व ७ हैं उनमें अमेन्डमेन्ट की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : यहां से सेंक्शन आ गई है?

श्री सोहनलाल : अध्यक्ष महोदय, यह कल सर्कुलेट हो गया था। सर्कुलेट होने के बाद अमेन्डमेन्ट के रूप में आ जाना चाहिये था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी अर्ज यह है कि यदि अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, then I am prepared to discuss it with any of the Hon'ble members today, tomorrw, this evening or this night. We can meet at the Governmen hostel and any Hon'ble Member can come today. But it is not possible to adjourn it to 27th.

श्री अध्यक्ष : This is quite fair, I think. If the Hon'ble Minister can make himself convenient to be in the Government Hostel, all of you can join and discuss it there.

श्री अर्जनदास : गवर्नमेंट के लिये एक ही बात है; कल लेलें या २७ को लेलें। Tomorrow also we will meet.

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजकर ५ मिनिट पर शुक्रवार, दिनांक २४ मई, १९५७ ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(बृहस्पतिवार, २३ मई, सन् १९५७)

तारांकित प्रश्नोत्तर

जनता में वितरण हेतु सीमेंट, चद्दर व नमक का कोटा।

बाड़मेर जिले में डामर की सड़कें।

बीकानेर में सस्ते अनाज हेतु स्थाई व अस्थाई व्यवस्था।

राजस्थान में पाकिस्तान सरहद पर होने वाला सोने इत्यादि का व्यापार।

सांचोर में स्थापित राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड।

धौलपुर जिले की तहसीलों में स्थापित सहकारी समितियें।

काशीपुरा (बस्सी) में श्री कल्याणमल को सार्वजनिक कूआ निर्माणार्थ दिया गया रुपया।

ग्राम खवास (त० रायपुर) में जल कष्ट निवारणार्थ नहर लाने की योजना।

खाद्यान्नों व कपड़े के मूवमेंट पर नियन्त्रण उटाने सम्बन्धी।

अलवर जिले में म्युनिसिपल व टाउन कमेटीज़।

चक मन्डल से सहसर दहर तक व कलावती बंध से कामां तक की सड़क निर्माण योजना।

सरदार गढ़ में श्रमिकों के लाभार्थ डिस्पेंसरी खोलना।

तहसील डेगाना में बीज, सीमेंट व चद्दरों के वितरण की व्यवस्था।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बारां शहर में पॉवर हाउस के निर्माण की योजना।

नाथद्वारा के जनाना अस्पताल में लेडी डॉक्टर की व्यवस्था।

छीपा बड़ोद से अकलेरा तक सड़क निर्माण योजना।

म्युनिसिपल बोर्ड गंगानगर द्वारा बिजली के कार्य हेतु २०० लकड़ी के खम्भे।

करेड़ा (जिला भीलवाड़ा) में बननेवाले औषधालय भवन हेतु सरकारी सहायता।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बूंदी जिले की पक्की व दूसरे प्रकार की सड़कें।

भाखरा बांध नहर से गंगानगर जिले की तहसीलों में सिंचित भूमि।

भगत की ढानी (जोधपुर) को मूल्य पर इमारती पट्टे।

उदयरामसर, रूणिया, बड़ावास (त० बीकानेर) ग्राम पंचायतों में मनोनीत परिगणित जाति के सदस्य।

दुर्गापुरा (जयपुर) स्थित

सरकारी कृषि फार्म का उदयपुर स्थानान्तरण।

बसी सामुदायिक विकास खन्ड में कूए इत्यादि के निर्माणार्थ गत वर्ष वितरित धन-राशि।

बरासर (जि० चूरू) की पंचायत के सरपंच द्वारा एक अभियुक्त की गिरफ्तारी में सहायता देने की एस. डी. एम. से मांग।

उदयपुर के एक्ज़ीक्युटिव इंजीनियर (बी. एन्ड आर.) को ठेकेदारों के विरुद्ध शिकायतें।

झुंझुनू जिला बोर्ड द्वारा मंडावा नगरपालिका को मंडावा-मोठवास सड़क का जिम्मा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बेंगू (जि० चित्तौड़गढ़) की डिस्पेंसरी में भर्ती हुए मरीज।

पंचायत विभाग द्वारा करवाया गया प्रकाशन एवं मुद्रण सम्बन्धी कार्य।

पंचायत विभाग में स्थाई व अस्थाई असिस्टेंट इन्सपेक्टर्स।

लूनकरनसर क्षेत्र में पेय जल की व्यवस्था।

राजस्थान में पंचायत इन्सपेक्टर्स एवं उनकी योग्यता इत्यादि।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में खोले जाने वाले सामुदायिक विकास खंड।

लूनकरनसर (बीकानेर) में जल बोर्ड की बोरिंग मशीन।

सामुदायिक विकास क्षेत्रों में कुटीर उद्योग एवं सहकारी समितियों की स्थिति।

बीकानेर शहर में शिक्षित एवं अशिक्षित बेकार व्यक्ति।

राजस्थान में सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय एवं उनमें वितरित औषधियां।

बीकानेर खाद्य विभाग के पुराने पे फिक्सेशन के मामलों का का निपटारा।

मादरा-औषधालय में दवाइयों की व्यवस्था।

राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन (अमेन्डमेंट) विधेयक, १९५७

श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मन्त्री, ने सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित किया।

राजस्थान फाइनेंस (एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) बिल, १९५७

उपरोक्त विधेयक को प्रवरसमिति के सुपुर्द करने संबंधी जो संशोधन कल प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उस पर जो वाद-विवाद हुआ था उसका उत्तर आज श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, द्वारा दिये जाने के बाद उक्त प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत किया गया तथा विधेयक पर

विचार किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक पर खंडश: विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड २—इस खण्ड पर श्रीमती सुमित्रा द्वारा प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खण्ड संशोधित रूप में विधेयक का अंगभूत स्वीकार हुआ।

खण्ड ३-५—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

विधेयक की अनुसूची में श्री सोहनलाल भटनागर द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर अनुसूचि संशोधित रूप में विधेयक की अंगभूत स्वीकार की गई।

तत्पश्चात् खण्ड १ इत्यादि विधेयक के अंगभूत स्वीकार किये जाकर विधेयक को सदन द्वारा पारित भी किया गया।

राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडिंग एण्ड एक्सटैंडिंग) विधेयक, १९५७

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पृथक राजस्व मन्त्री, ने उक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा इस विधेयक का महत्व बतलाते हुए एक प्रारम्भिक भाषण भी दिया।

इस विधेयक पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने

स्कम्भ

भाग लिया :—

१. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
२. श्री सतीशचन्द्र
३. श्री नरेन्द्रसिंह
४. श्री तनसिंह
५. श्री मूलचन्द डागा
६. श्री हीराभाई
७. श्री पुरुषोत्तमलाल
८. श्री जनार्दनराय नागर
९. श्री लक्ष्मीचन्द
१०. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
११. श्री भैरोंसिंह (१४)
१२. श्री बृजमोहनलाल शर्मा

श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा बहस का उत्तर दिये जाने पर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और इस पर खंडश: विचार हुआ।

खण्ड २ से ५—स्वीकार किये गये।

खण्ड ६—इस पर श्री सोहनलाल भटनागर द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया वह स्वीकृत हुआ।

खण्ड संशोधत रूप में विधेयक का अंगभूत स्वीकार किया गया।

खण्ड ७ से ११—स्वीकार किये गये।

खण्ड १ इत्यादि स्वीकृत होने के पश्चात् विधेयक सदन

द्वारा पारित भी किया गया।

राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस विधेयक, १९५७

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने उक्त बिल को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकार हुआ एवं विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड २ से ४—स्वीकार किये गये।

खण्ड ५—इस पर श्री तेजाराम ने एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो बाद में वापिस ले लिया गया। खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड ६ व ७—स्वीकार किये गये।

खण्ड ८— वाद—विवाद स्थगित।

शुक्रवार, २४ मई, १९५७ की कार्य-सूची

१. राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस विधेयक, १९५७ (पारित)

२. राजस्थान एन्टर्टेनमेण्ट टैक्स विधेयक, १९५७ (खण्डशः विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३१२ का उत्तर देखिये)

Name of Central Depot or Distt.	Quota allotted by the Central Government.					Quota sub-allocated to various Distts. in Rajasthan					
	Dec. 56	Jan, 57	Feb. 57	Mar 57	Apr. 57	Dec. 1956.	Jan. 1957.	Feb. 1957.	Mar. 1957.	Apr. 1957.	Remarks, if any.
Central Depots :—											
Ajmer.	—	500	500	—	800						
Jaipur.	2000	1000	500	—	800						
Jodhpur.	500	1000	—	500	400	3000	4000	2000	2000	4000*	
Districts :—											
1. Ajmer.						1030	650	375	235	500	
2. Bundi.						178	100	180	—	80	
3. Sikar.						450	180	900	558	300	
4. Bharatpur.						182	180	—	162	—	
5. Nagaur.						190	191	54	81	180	
6. Jhunjhunu.						417	396	18	54	120	
7. Kotah.						422	200	234	—	—	
8. Churu.						374	216	298	234	520	
9. Bhilwara.						73	108	72	54	160	
10. Udaipur.						280	108	—	180	660	
11. Ganganagar.						136	72	—	—	—	
12. Sirohi.						100	320	84	72	240	
13. Alwar.						50	108	108	—	—	
14. Bikaner.						36	72	20	—	380	

GGG	tons.	tons.	tons.	tons.	tons.
15. Jhalawar.	90	108	—	—	60
16. S. Madhopur.	54	54	—	36	—
17. Jodhpur.	—	180	196	60	260
18. Pali.	—	72	—	—	—
19. Jaisalmer.	—	50	100	72	260
20. Barmer.	—	54	18	184	400
21. Jaipur.	—	—	254	—	—
22. Dungarpur.	—	—	—	18	20
23. Chittorgarh.	—	—	—	—	20
Total :—	4062	3429	2883	2000	4000

*Reduced to 2,000 tons only.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३२८ का उत्तर देखिये)

Road programme for Bundi Distt in 2nd Five Year Plan.

Distt. Bundi.

S. No. Name of Works.	Type of Road	Year of Commencement.	Remarks.
New works			
1. M/R from Itawa to Lakheri (Via) Lawan.	Metalled Road.	1957-58	
2. -do- Kesuri Patan to Lawan.	-do-	1959-60	
3. Metalling the remaining miles of Bundi Lakheri Road via Gandoli including C. D. Works.	-do-	1957-58	Started.
4. B/T of Road from Lakheri to Tonk (Remaining lenght 3 Miles.)	Painted Road.	1956-57	Started.
Works in Progress			
5. M/R from Lakheri to Candoli connecting Bundi Road.	Metalled Road.	In Ist Five Year Plan	-do-
6. B/T of Bundi Chittor Road.	Painted Road.	-do-	Started.

PCP. 15-5-57.

परिशिष्ट ३ (क)

(कृपया प्रश्न संख्या ३२६ का उत्तर देखिये)

Statement showing area irrigated in acres Tehsilwise
Ganganagar Distt. (Bhakra Project Circle)

Name of crop	Hanumangarh	Ganganagar	Suratgarh	Bhadra	Nohar	Total.
Kharif, 1954	11801	20	—	238	—	12059
Rabi, 1954-55	40011	38	147	1015	—	41211
Kharif, 1955	18142	431	3131	491	585	22780
Rabi, 1955-56	94166	6171	18921	2790	1979	124027
Kharif, 1956	25371	1870	3007	228	304	30790
Rabi, 1956-57	57844	2308	10969	2282	700	74103
Total.	247335	1083	36185	7044	3568	304970

परिशिष्ट 'ख'

Statement showing Breaches and cuts in Ghaggar Division
Bhakra Project Circle (Year wise)

Sl. No.	Name of Channel.	1955-56		1956-57	
		अपखुदे टूटे	किसानों ने काटे	अपखुदे टूटे	किसानों ने काटे
1.	Sadul Branch.	1	—	—	—
2.	Bhagatpura Disty.	7	4	5	—
3.	Sangaria Disty.	1	—	1	—
4.	Nathwana Disty.	2	—	6	—
5.	Rattanpura Disty.	6	—	5	--
6.	Roranwali Disty.	2	–	3	3
7.	Khara Sub Branch.	1	3	—	—
8.	Sabuena Disty.	5	—	2	—
9.	Cnanderwali Disty.	4	2	—	–
10.	Dingarh Disty.	2	—	1	—
11.	Amarpur Disty.	15	1	3	8
12.	Nokhera Minor.	—	1	—	—
13.	Partappura Disty.	4	15	6	3
14.	Karnisingh Branch.	4	8	11	–
15.	Indergarh Minor.	--	1	—	—
16.	Karrawala Minor.	2	7	6	2
17.	Sadulshahr Minor.	2	2	3	2
18.	Banwali Mino.	--	2	--	--
19.	Nawan Disty.	--	—	2	--
20.	Fatehpura Disty.	—	—	1	—
21.	Haripura Disty.	--	--	2	--
22.	Suratpura Disty.	—	—	1	—
23.	Bhagear Minor.	—	—	1	3
	Total.	58	46	59	[illegible]

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ३३३ का उत्तर देखिये)

बस्सी विकास योजना खण्ड में कूप आदि कार्यों के निर्माणार्थ गत वित्तीय वर्ष में दी गई धन-राशि की सूची

क्रम संख्या	नाम ग्राम	कार्य विवरण	रकम जो दी गई है
१	किशनपुरा	सार्वजनिक कुवा	६००—०—०
२	किशनपुरा	हरिजन कुवा	४००—०—०
३	झाझवाड़ा	रामकुई	६००—०—०
४	झाझवाड़	कोसी कुवा	६००—०—०
५	टहटड़ा	रामकुई	८००—०—०
६	टहटड़ा	कौली (कुनकर) कुवा	५००—०—०
७	नोरई	बुनकर कुवा	६००—०—०
८	प्रेमपुरा	तालावाला कुवा	६००—०—०
९	भटेरी	सोदावाला कुवा	६००—०—०
१०	मटेरी	बलाजीवाला कुवा	४००—०—०
११	मटेरी	कोलियों का कुवा	३६०—०—०
१२	गोठड़ा	कौलियों का कुवा	५००—०—०
१३	पाटन	गूजरों का कुवा	८००—०—०
१४	पाटन	चमारों का कुवा	५००—०—०
१५	गढ़	सोढ़ावाला कुवा	५००—०—०
१६	गढ़	रैगरवाला कुवा	४००—०—०
१७	चैनपुरा	सार्वजनिक कुवा	३००—०—०
१८	बस्सी	पटेलवाला कुवा	२२५—०—०
१९	गुड़ामीना	पटेलवाला कुवा	३००—०—०
२०	भागीरथपुरा	कुवा	१००—०—०
२१	चढ़वा	रतनदास का कुवा	४००—०—०
२२	प्रेमपुरा	सार्वजनिक कुवा	२००—०—०
२३	रतनपुरा	सार्वजनिक कुवा	४००—०—०
२४	ईसरावाला	,, ,,	४००—०—०
२५	रूपपुरा	,, ,,	५००—०—०
२६	सारव	,, ,,	३००—०—०
२७	डूडोढा चोढ़	नया कुवा	५००—०—०
२८	डूडोढा चोढ़	खारा कुवा	२००—०—०
२९	हरड़ी	गांव का कुवा	१७०—०—०
३०	रामसिंह पुरा	सार्वजनिक कुवा	४००—०—०

परिशिष्ट

क्रम संख्या	नाम ग्राम	कार्य विवरण	रकम जो दी गई है
३१	हरड़ो	ढानीवाला कुआ	६००-०-०
३२	कानोता	सार्वजनिक कुवा	३००-०-०
३३	कानोता	चमारों की ढानी का कुवा	५००-०-०
३४	गीला की नागल	सार्वजनिक कुआ	८००-०-०
३५	गीला की नागल	हरिजन कुआ	८००-०-०
३६	खेड़ी	सार्वजनिक कुआ	४००-०-०
३७	खेड़ी	धानका कुआ	४००-०-०
३८	खेड़ी	बलाई कुआ	४००-०-०
३९	बाजीपुरा	कोली कुआ	६००-०-०
४०	सांवलिया वाला	सार्वजनिक कुआ	१००-०-०
४१	झर	नया कुआ	८००-०-०
४२	झर	मरम्मत कुआ	२००-०-०
४३	घरा	नया कुआ	७००-०-०
४४	विराजपुरा	गांव वाला कुआ	५००-०-०
४५	विराजपुरा	ढानीसागर कुआ	४००-०-०
४६	विराजपुरा	कुवा	५००-०-०
४७	दामोदर पुरा	कोली कुवा	४००-०-०
४८	अखेपुरा	कोठी कुवा	६००-०-०
४९	अणतपुरा	रास्ता वाला कुवा	६००-०-०
५०	घोली	गांव वाला कुवा	७००-०-०
५१	घोली	गूजरों का कुवा	५६०-०-०
५२	सिन्थोली	सार्वजनिक कुवा	४००-०-०
५३	कदनाउला	रामकुई	२००-०-०
५४	दनाउकला	सार्वजनिक कुवा	३००-०-०
५५	देवगाव	रैगरों वाला कुवा	५६५-०-०
५६	कुन्दनपुरा	सार्वजनिक कुवा	३००-०-०
५७	केशवपुरा	चमारों वाला कुवा	३००-०-०
५८	मुन्डली	बलाजी वाला कुवा	१००-०-०
५९	अचलपुरा	नया कुवा	३००-०-०
६०	केहवपुरा	सार्वजनिक कुवा	२८०-०-०
६१	पालावाला	हरिजन बस्ती	५००-०-०
६२	टेकचन्दपुरा	कुवा कम्युनिटी सेन्टर	५००-०-०
६३	श्री नगर	सार्वजनिक कुवा	१०००-०-०
६४	भूड़ला	स्कूल कुवा	७००-०-०

क्रम संख्या	नाम ग्राम	कार्य विवरण	रकम जो दी गई है
६५	भूड़ला	सार्वजनिक कुवा	७४०-०-०
६६	निमोरा	सुधार स्कूल बिल्डींग	४००-०-०
६७	दनाउं खर्द	" " "	६००-०-०
६८	गढ़	" " "	४००-०-०
६९	मानसर खेड़ी	" " "	८००-०-०
७०	पाटन	" " "	४००-०-०
७१	बस्सी	" " "	१००-०-०
७२	गुढ़ा	" " "	३००-०-०
७३	भागीरथपुरा	" " "	२६०-०-०
७४	अचलपुरा	सार्वजनिक कुवा	५००-०-०
७५	राजपुरा बास	कोलियों का कुवा	१०००-०-०
७६	मोहनपुरा	गांववाला कुवा	६००-०-०
७७	खिजूरिका	तिवाड़ीयान—रास्ता वाला कुवा	७००-०-०
७८	सांभरिया	खटीकों का कुवा	५००-०-०
७९	रामरखपुरा	रेगरों का नया कुवा	२००-०-०
८०	चतरपुरा	सार्वजनिक कुवा	५००-०-०
८१	चांदपुरा	मरम्मत सार्वजनिक कुवा	१००-०-०
८२	कुन्दनपुरा	सार्वजनिक कुवा	५००-०-०
८३	खतेपुरा	" "	८००-०-०
८४	दनाऊं कला	" "	६००-०-०
८५	नारदपुरा	" "	४००-०-०
८६	दनाऊपुरा	कूटवाला कुवा	८००-०-०
८७	दनाऊ खुर्द	मरम्मत मन्दिर कुवा	२००-०-०
८८	घासीपुरा	सार्वजनिक कुवा	६००-०-०
८९	हंसमहल	तलाई वाली कोठी	६००-०-०
९०	गढ़ौली	" "	३००-०-०
९१	पेमपुरा	तलाई वाला कुवा	१५००-०-०
९२	मटेरी	सोदावल का कुवा	१०००-०-०
९३	मटेरी	बालाजी वाली कोठी	८००-०-०
९४	दयालपुरा	कोठारी वाला कुवा	७५०-०-०
९५	दयालपुरा	बाजार वाला कुवा	७५०-०-०
९६	पाटन	चोरड़ावास कुवा	१०००-०-०
९७	पाटन	चमारों का कुवा	१०००-०-०
९८	झाझवाड़	कोली वाला कुवा	५००-०-०

क्रम संख्या	नाम ग्राम	कार्य विवरण	रकम जो दी गई है
९९	धोपुर	सार्वजनिक कुवा ढानीवाला	२८०-०-०
१००	धोपुर	" " "	१५०-०-०
१०१	पडसोली	सार्वजनिक कुवा	१५०-०-०
१०२	हाथीपुरा	नया कुवा	१०००-०-०
१०३	हाथीपुरा	तुलसीवाला (तराई) कुवा	७००-०-०
१०४	गूढा बराई	कुवा	१०००-०-०
१०५	टोडाभाटा	गांव वाली कोठी	४००-०-०
१०६	कल्याणपुरा	मरम्मत कुवा	३००-०-०
१०७	निमोरा	कुवा	२००-०-०
१०८	तिलपट्टी	"	२००-०-०
१०९	"	"	२००-०-०
११०	लालावाला	चमारों का कुवा	६००-०-०
१११	सोजवाड़ी	ऊपर वाली कोठी	२००-०-०
११२	रोजवाड़ी	नीचा वास वाली कोठी	१०००-०-०
११३	पृथ्वीपुरा	नया कुवा	८००-०-०
११४	तूंगा	तालूका का रास्ता वाली कोठी	१०००-०-०
११५	चरण गढ़	कुवा	१०००-०-०
११६	देवपुरा	"	१०००-०-०
११७	जटवाड़ा	बलाजी वाला कुवा	३००-०-०
११८	गिरधारीपुरा	कुवा मरम्मत	२००-०-०
११९	नया बास	कुवा	८००-०-०
१२०	नया बास	हरिजन कुवा	७५०-०-०
१२१	माधोगढ़	चमारों का कुवा	७००-०-०
१२२	अणतपुर	रास्ता वाला कुवा	८००-०-०
१२३	अणतपुरा	ब्रह्मा कुवा	८००-०-०
१२४	अणतपुरा	चमारों का कुवा	८००-०-०
१२५	दूबली	सार्वजनिक कुवा	८००-०-०
१२६	दूबली	" "	८००-०-०
१२७	धोली	कुवा	२४०-०-०
१२८	"	"	८००-०-०
१२९	सांवलिया वाला	"	१०००-०-०
१३०	लालगढ़	पणहारी वाली कुवी	४००-०-०
१३१	लालगढ़	मन्दिर वाला कुवा	३००-०-०
१३२	झर	सड़कवाला कुवा	८००-०-०
१३३	भर	काकंड़ वाला कुवा	८००-०-०

परिशिष्ट

क्रम सख्या	नाम ग्राम	कार्य विवरण	रकम जो दी गई है
१३४	झर	खड़की काली कोठी	७००-०-०
१३५	गीलाकी नागल	रेगरों का कुवा	१०००-०-०
१३६	मोनियावाला	सार्वजनिक कुवा	२००-०-०
१३७	कुंथाड़ा कला	" "	१०००-०-०
१३८	हरड़ी	ढाणी कुवा	१५५०-०-०
१३९	रामसिंह	सार्वजनिक कुवा	१०००-०-०
१४०	मटेसरी	" "	२००-०-०
१४१	भूड़थल	" "	१००-०-०
१४२	भूड़थल	नया सार्वजनिक कुवा	१०००-०-०
१४३	ड्योढा चोड़	नया कुवा	१०००-०-०
१४४	ड्योढा चोड़	खारा कुवा	४००-०-०
१४५	ड्योढा चोड़	बन्धा	८००-०-०
१४६	घाटा	कोठी सार्वजनिक	५००-०-०
१४७	दयारामपुरा	गांव वाला कुवा	४००-०-०
१४८	सूजानपुरा	कोली का कुवा	१०००-०-०
१४९	सुजानपुरा	प्याउ वाला कुवा	४००-०-०
१५०	मोहनपुरा	तलाई वाला कुवा	४००-०-०
१५१	झर	सार्वजनिक कुवा	२००-०-०
१५२	चारण वास	" "	१५००-०-०
१५३	शरीपुरा	" "	२००-०-०
१५४	बेनाडा	" "	३००-०-०
१५५	फालियावास	" "	१५००-०-०
१५६	"	रास्ता वाला कुवा	५२०-०-०
१५७	अलैपुरा	कुवा	४००-०-०
१५८	रतनपुरा	सार्वजनिक कुवा	५००-०-०
१५९	ईसरावाला	" "	८००-०-०
१६०	रूप पुरा	" "	१०००-०-०
१६१	साख	" "	५००-०-०
१६२	सिन्थोली	नया कुवा	१५००-०-०
१६३	"	सार्वजनिक कुवा	१५००-०-०
१६४	"	ढाणी कुवा	१०००-०-०
१६५	सभांरिया	औषधालय भवन	३००-०-०
१६६	बड़वा	" "	५००-०-०
१६७	बराला	खर्रा	५००-०-०
१६८	पालियावास	"	१०००-०-०

क्रम संख्या	नाम ग्राम	कार्य विवरण	रकम जो दी गई है
१६६	काशीपुरा	खुर्रा	१००००-०-०
१७०	मून्डली	„	४००-०-०
१७१	दूवली	„	१००-०-०
१७२	खैपुर	„	१००-०-०
१७३	अनन्तपुरा	„	३००-०-०
१७४	टेहटडा	„	३००-०-०
१७५	पडासेली	„	२००-० ०
१७६	टेकचन्दपुरा	„	४००-०-०
१७७	भूडला	„	३००००-०-०
१७८	पातलवास	„	१००-०-०
१७९	बैनाडा	„	३००-०-०
१८०	बस्सी	„	३००-०-०
१८१	झर	„	२००-०-०
१८२	भटेसरी	„	२००-०-०
१८३	कुन्थाडा	„	५००-०-०
१८४	घाटीरोड	„	१३००-०-०
१८५	मून्डली	„	२००-०-०
१८६	नगराजपुरा	„	१००-०-०
१८७	दूदली रोड़	„	१०००-०-०
१८८	पालावाला	„	४००-०-०
१८९	कचोलिया	स्कूल बिल्डिंग	२००-०-०
१९०	काशीपुरा	„	५००-०-०
१९१	मून्डली	„	८००-०-०
१९२	शंकरपुरा	„	५००-०-०
१९३	खतैपुरा	„	५००-०-०
१९४	देवगांव	„	१००-०-०
१९५	दनाऊ खुर्द	„	५००-०-०
१९६	टोडा	„	८००-०-०
१९७	खेडला	„	१०००-०-०
१९८	भटेरी	„	५००-०-०
१९९	बांसखाँ	„	५००-०-०
२००	टेकचन्दपुरा	„	६००-०-०
२०१	झाझवाड़	„	८००-०-०
२०२	श्रीनगर	„	५००-०-०
२०३	झर	„	२००-०-०

Page No.130

क्रम संख्या	नाम ग्राम	कार्य विवरण	रकम जो दी गई है
२०४	सुजानपुरा	,,	२००-०-०
२०५	ल्योढा पोड	स्कूल बिल्डिंग	३००-०-०
२०६	कुन्थाडा	,,	५००-०-०
२०७	घाटा	,,	५००-०-०
२०८	दयारामपुरा	,,	८००-०-०
२०९	तूंगा	,	२०००-०-०
२१०	बस्सी	,,	५००-०-०
२११	श्री नगर	कम्युनिटि, सेन्टर	८००-०-०
२१२	कानोता	,,	१०००-०-०
२१३	भूडला	,,	१०००-०-०
२१४	बैनाडा	,,	५००-०-०
२१५	बराला	,,	१०००-०-०
२१६	खतैपुर	,,	८००-०-०
२१७	ईसरावाला	,,	८००-०-०
२१८	खेडला	,,	१०००-०-०
२१९	टेकचन्दपुरा	,,	३००-०-०
२२०	तिलटट्टी	,,	१००-०-०
२२१	रखवास	,,	१००-०-०
२२२	हरडी	,,	१००-०-०
२२३	सुजानपुरा	,,	५०-०-०
२२४	मोहनपुरा	,,	२००-०-०
२२५	हरदयानपुरा	,,	१००-०-०
२२६	टेकचन्दपुरा	,,	१००-०-०
२२७	जयसिंहपुरा	,,	४००-०-०
२२८	नारदपुरा	,,	२००-०-०
२२९	कानेटा	,,	१००-०-०
२३०	रामपुरा वास दूदली	बन्धा	४००-०-०
२३१	गोठडा	तलाई	४००-०-०
२३२	गोठडा	प्याऊ	३००-०-०
२३३	बराला	तलाई	७००-०-०
२३४	गिरधारीपुरा	बन्ध	३००-०-०
२३५	भर	बन्धा तलाई वाला	५००-०-०
२३६	भर	बन्धा अन्ध कुवा	५००-०-०
२३७	गीलावाला	कुवा	७००-०-०
२३८	श्रीरामपुरा	कुवा	५००-०-०

क्रम संख्या	नाम ग्राम	कार्य विवरण	रकम जो दी गई है
२३९	नयावास	बन्ध	५००-०-०
२४०	बिशनसिंहपुरा	बन्धा	७००-०-०
२४१	जीतालाला	तलाई	५००-०-०
२४२	दूदली	स्कूल बिल्डिंग	५००-०-०
२४३	रामरतनपुरा	,,	३००-०-०
२४४	खोला वाला	,,	४००-०-०
२४५	जटवाड़ा	,,	५००-०-०
२४६	गढ़	,,	५००-०-०
२४७	देवगांव	औषधालय भवन	५००-०-०
२४८	काशीपुरा	,,	७००-०-०
२४९	घाटी	कोली वाला खुर्रा	२००-०-०
२५०	,,	,, ,,	३००-०-०
२५१	जटवाड़ा	स्कूल वाला खुर्रा	३००-०-०
२५२	बगला	खुर्रा	५००-०-०
२५३	झर	खुर्रा	२००-०-०
२५४	बस्सी	स्टेशन वाला खुर्रा	२००-०-०
२५५	बेनाड़ी	खुर्रा	५००-०-०
२५६	गीलावाला	पानी पीने का कुआ	८००-०-०
२५७	श्यामपुरा	बनजारा कुआ	५००-०-०
२५८	तोकलपुरा	बन्ध	७००-०-०
२५९	गोठड़ा	बगीची वाली प्याऊ	३००-०-०
२६०	दयालपुरा	हैन्डपम्प	१२५-०-०
२६१	सुजानपुरा	,,	१२५-०-०
२६२	भूड़ला	,,	२५०-०-०
२६३	पाटन	,,	१२५-०-०
२६४	खेड़ला	,,	१२५-०-०
२६५	खेड़ी	हैन्डपम्प	१२५-०-०
२६६	दयारामपुरा	,,	१२५-०-०
२६७	बस्सी	,,	३७५-०-०
२६८	लालगढ़	,,	५००-०-०
२६९	सांभरिया	,,	२५०-०-०
२७०	बांसवाड़ा	,,	२५०-०-०
२७१	बासंमों	,,	२५०-०-०
२७२	काहीपुरा	,,	१२५-०-०
२७३	श्री नगर	,,	१२५-०-०

क्रम संख्या	नाम ग्राम	कार्य विवरण	रकम जो दी गई है
२७४	राजपुरा	,,	१२५-0-0
२७५	पतलवास	,,	१२५-0-0
२७६	टेकचन्दपुरा	,,	१२५-0-0
२७७	तुंगा	,,	२५०-0-0
२७८	खिजूरिया ब्राह्मण	,,	१२५-0-0
२७९	टेहटडा	,,	१२५-0-0
२८०	ड्योढ़ा चोद	,,	१२५-0-0
२८१	मटेरी	,,	१२५-0-0
२८२	हरडी	,,	१२५-0-0
२८३	रामसिंहपुरा	,,	१२५-0-0
२८४	बराला	,,	१२५-0-0
२८५	शंकरपुरा	,,	१२५-0-0
२८६	जीतावाला	,,	१२५-0-0
२८७	दनाऊंकला	,,	१२५-0-0
२८८	भागीरथपुरा	,,	१२५-0-0
२८९	जटवाड़ा	,,	१२५-0-0
२९०	श्री रामपुरा	,,	१२५-0-0
२९१	लैपुर	,,	१२५-0-0
२९२	तिलपट्टी	,,	१00-0-0
२९३	रजवास	,,	८८0-0-0
२९४	अणतपुरा	,,	१२५-0-0
२९५	कउण गढ़	,,	१२५-0-0
२९६	दनाऊं खुर्द	,,	१२५-0-0
२९७	बस्सी (बीदा का बास)	कुवा	३00-0-0
२९८	नगराजपुरा	,,	३00-0-0
२९९	कुन्थाड़ा	हरिजन कुवा	८00-0-0
३00	कानोता	हल्दीयानों का बासकुवा	२00-0-0
३0१	,,	हरिजन कुवा	६00-0-0
३0२	खेड़ी	सार्वजनिक कुवा	५00-0-0
३0३	घाटी	,,	८00-0-0
३0४	बड़वा	नृसिंह कुवा	३00-0-0
३0५	कानेटा	सार्वजनिक कुवा	४00-0-0
३0६	किशनपुरा	चमार कुवा	३00-0-0
३0७	किशनपुरा	चमार कुवा	३00-0-0
३0८	नागलबोरा	सार्वजनिक कुवा	२00-0-0

क्रम संख्या	नाम ग्राम	कार्य विवरण	रकम जो दी गई है
३०९	खेडला	चमार कुआ	१०००--०--०
३१०	बाबूपुरा	कुवा	१०००--०--०
३११	करनपुरा	,,	१०००--०--०
३१२	माधीयावाला	,,	१०००--०--०
३१३	गढ़	मरम्मत कुवा	५००--०--०
३१४	श्री रामपुरा	,, ,,	१०००--०--०
३१५	बराला	,, ,,	४००--०--०
३१६	खिजूरिया जाटान	,, ,,	७००--०--०
३१७	जीतावाला	हैन्डपम्प	१०००--०--०
३१८	बस्सी	बेरी हैन्डपम्प	१२५--०--०
३१९	सुजानपुरा	कम्युनिटी सेन्टर	८५०--०--०
३२०	बेनाडा	,, ,,	५००--०--०

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देखिये)

गवर्नमेन्ट प्रेस से कार्यालय के लिये छपवाए गये फार्मों की सूची !

फार्म विवरण	फार्म संख्या	दिनांक	नाम राजकीय मुद्रणालय जहां से फार्म छपवाये
१. वेतन बिल नोन गजटेड	५००	२१—४—५६	जयपुर
२. इन्डेन्ट फार्म	५००	,,	,,
३. यात्रा व्यय फार्म	५००	२२-१०-५६	जोधपुर
४. फार्म नं० १ बिलके संलग्न करनेके	२००	२१—४—५६	जयपुर
५. स्टोक रजिस्टर फार्म	४००	,,	,,
६. इकोनोमी स्लिप	१०००	,,	,,
७. निर्वाचन विज्ञप्तियां	१००	४—६—५६	,,
८. ,,	१००	११—६—५६	,,
९. ,,	१००	१३—६—५६	,,
१०. ,,	१००	१८—६—५६	,,
११. ,,	३००	२१—६—५६	,,
१२. ,,	३००	२२—६—५६	,,
१३. ,,	२००	,,	,,
१४. ,,	२००	,,	,,
१५. ,,	२६०	२७—८—५६	,,
१६. रेपर्स	१०००	२८—६—५६	,,
१७. अर्द्ध सरकारी पत्र	२००	,,	,,
१८. लिफाफे	२००	,,	,,
१९. रफ नोट बुक्स	२५	,,	,,
२०. बजट फार्म नं० १—२—४—५—	१७० ५०-४०-४०-४०	२५—१०—५६	जोधपुर
२१. ,, नं० १—२—४—५—	१५० ५०-४०-४०-४०	२२—१०—५६	,,
२२. विज्ञप्तियें काइन हाउस	३५००	२९—१०—५६	जयपुर
२३. आवक-जावक रजिस्टर	५००	३—१२—५६	उदयपुर
२४. अजमेर जिले की पंचायतों की सूची	४००	३१—१२—५६	जयपुर
२५. बिल बुक्स जी. ए.	१७३	१७—१—५७	जोधपुर
२६. बीमा कटौती फार्म ए.	५००	६—२—५७	बीकानेर
२७. ,, बी,	५००	,,	,,
२८. पेन्शन के फार्म जी. ए.	१७४ के ५० —	१९—३—५७	जोधपुर
२९ ,, रजिस्टर ,,	५२ के २	,,	जोधपुर

(ख)

सन् १९५६-५७ में पंचायत मासिक के अंक निम्न प्रकार छपाये गये ।

१. मार्च-अप्रेल, सन् ५६ वर्ष २ अंक ७--८ पृष्ठ संख्या ६०,	३५००	प्रतियां
२. मई, सन् ५६ वर्ष २ अंक ९ पृष्ठ संख्या ४०,	,,	,,
३. जून, सन् ५६ वर्ष २ अंक १० पृष्ठ संख्या ३२,	,,	,,
४. जुलाई-अगस्त सन् ५६ वर्ष २ अंक ११--१२ पृष्ठ संख्या ८०,	३६००	,,
५. सितम्बर-अक्टूबर सन् ५६ वर्ष ३ अंक १--२ पृष्ठ संख्या ६८,	,,	,,
६. नवम्बर दिसम्बर सन् ५६ वर्ष ३ अंक ३--४ पृष्ठ संख्या ५६,	,,	,,
७. जनवरी-फरवरी सन् ५७ वर्ष ३ अंक ५--६ पृष्ठ संख्या ५६,	,,	,,
८. मार्च सन् ५७ वर्ष ३ अंक ७ पृष्ठ संख्या ४०,	,,	,,

(ग)

वर्ष	अंक	प्रेस का नाम	ऑर्डर का दिनांक	अंक प्राप्ति का दिनांक
२	७—८	भारती प्रेस	२६—४—५६	१७—५—५६
२	९	,,	१८—५—५६	५—६—५६
२	१०	,,	१२—६—५६	१३—७—५६
२	११—१२	,,	३—९—५६	१—१०—५६
३	१—२	,,	१८—१०—५६	२०—११—५६
३	३—४	,,	२१—१—५७	२८—३—५७
३	५—६	राजस्थान प्रिंटिंग वर्क्स जयपुर	४—३—५७	२८—३—५७
३	७	,,	२६—३—५७	६—४—५७

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिए ।)

क्रम संख्या	नाम	सहायक निरीक्षक के पद पर नियुक्ति का दिनांक	योग्यता	अस्थाई या स्थाई	जन सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होने का दिनांक	विशेष विवरण
१.	श्री यादरामसिंह	८–२–१९५२		स्थाई	३–५–१९५६	आयोग द्वारा इन्सपेक्टर नियुक्त हो चुके
२.	श्री रामेश्वर दत्त	१–४–१९५०		,,	,,	
३.	श्री दानाराम	९–७–१९५१	मैट्रिक्यूलेट	,,	,,	
४.	श्री लालसिंह	१–४–१९५०	विशारद	,,	,,	वर्तमान समय में मौवतिल हैं
५.	श्री घनश्यामलाल	१–४–१९५०		,,	,,	
६.	श्री रामस्वरूप	१–४–१९५०		,,	,,	
७.	श्री गोपाललाल	१–४–१९५०		,,	,,	
८.	श्री बलवन्तसिंह	१९–१२–१९५१	मैट्रिक्युलेट	,,	२४-४–१९५३	
९.	श्री प्रतापसिंह	११–१२–१९५१	,,	,,	,,	आयोग द्वारा कार्यवाहक इन्सपेक्टर select हुए
१०.	श्री दीपचन्द	१–१०–१९५१	,,	,,	,,	
११.	श्री पृथ्वीसिंह	२८–४–१९५३	बी. कॉम.	,,	,,	आयोग द्वारा कार्यवाहक इन्सपेक्टर select हुए
१२.	श्री धनीराम	१२–५–१९५३	,,	,,	,,	
१३.	श्री परमेश्वरदयाल	२४–४–१९५३	इन्टरमीजियेट	,,	,,	
१४.	श्री चन्द्रसेन	१–२–१९५६		,,	६–६–१९५६	
१५.	श्री बजरंगराज	३–१२–१९५५		,,	३–१२–५५	

१	२	३	४	५	६
१६.	श्री गजानन्दप्रसाद	१६-७-१९५५		,,	,,
१७.	श्री चैनसिंह	१-७-१९५५	मैट्रिक्युलेट	,,	,,
१८.	श्री मुकन्दचन्द	२३-७-१९५०		,,	,,
१९.	श्री रामगोपाल	१९-७-१९५५	मैट्रिक्युलेट	,,	,,
२०.	श्री प्रभूदयाल	सितम्बर १९५५	साहित्यरत्न (मध्यमा)	,,	,,
२१.	श्री शम्भूसिंह	२३-१०-१९५५		,,	,,
२२.	श्री रामचन्द्र	२२-६-१९५६	मैट्रिक्युलेट	,,	,,
२३.	श्री रघुवीरशरण	१५-७-१९५६	,,	,,	,,
२४.	श्री आनन्दीलाल	३-२-१९५६		,,	,,
२५.	श्री जगन्नाथप्रसाद	१५-६-१९५५		,,	,,
२६.	श्री लल्लू नारायण	२३-६-१९५५	मैट्रिक्युलेट	,,	,,
२७.	श्री छोटेलाल	१-१०-१९५१	हिन्दी उर्दू मिडिल	,,	,,
२८.	श्री रामजीलाल	१६-७-१९५५		,,	,,
२९.	श्री गोपाल वल्लभ	१२-१२-१९५०		,,	,,
३०.	श्री शशिभूषण	२६-९-१९५५	संस्कृत प्रवेशिका	,,	,,
३१.	श्री प्रतापसिंह	२५-६-१९५५		,,	,,
३२.	श्री रतनचन्द	२४-८-१९५५		,,	,,
३३.	श्री रामेश्वरलाल	२-६-१९५६		,,	,,
३४.	श्री मोतीलाल	८-३-१९५६		,,	,,
३५.	श्री रामकुमार	१३-४-१९५२	मिडिल	,,	,,
३६.	श्री हनुमानप्रसाद	१-४-१९५०	बी. ए.	,,	,,
३७.	श्री गजराजसिंह	२६-७-१९५६	मैट्रिक	,,	,,
३८.	श्री जमनालाल	२०-१२-१९५५		,,	,,
३९.	श्री देवीलाल	२३-११-१९५०		,,	,,

१	२	३	४	५	६
४०.	श्री गिरेन्द्रसिंह	५–१–१९५३	इन्टरमीजिएट	,,	,,
४१.	श्री नटवरलाल	१–१०–१९५१	मैट्रिक	,,	,,
४२.	श्री नत्थीसिंह	जुलाई १९५५		,,	,,
४३.	श्री लक्ष्मणदास	७–१–१९५४	मैट्रिक	,,	,,
४४.	श्री रामचन्द्र	५–१२–१९५१	,,	,,	,,
४५.	श्री मोहनलाल	१–१०–१९५१		,,	,,
४६.	श्री फतहलाल	१–१–१९५२		,,	,,
४७.	श्री कल्याणमल	१–४–१९५०		,,	,,
४८.	श्री नन्दकिशोरसिंह	१–४–१९५०		,,	,,
४९.	श्री अयोध्याप्रसाद	१–४–१९५०		,,	,,
५०.	श्री राजेन्द्रसिंह	२७–७–१९५६	बी. ए.	,,	,,

सहायक निरीक्षक राष्ट्रीय विकास सेवा खंड (अस्थाई पद)

क्रम संख्या	नाम	सहायक निरीक्षक के पद पर नियुक्त का दिनांक	योग्यता	स्थाई या अस्थाई	जन सेवा आयोग का अनुमोदन	विशेष विवरण
१.	श्री बदरीनारायण	१–१०–१९५६		स्थाई	नियुक्ति के लिए जन-सेवा आयोग का ६–९–१९५६ को अनुमोदन प्राप्त हुआ	
२.	श्री शिवसिंह	१–१०–१९५६	मैट्रिक	,,	,,	

३.	श्री बदरीप्रसाद	७–१०–१९५५	मैट्रिक	,,	,,	
४.	श्री नारायणसिंह	२०–१०–१९५१	प्रथमा	,,	,,	
५.	श्री जोगीदास	१–१०–१९५६	मैट्रिक	,,	,,	
६.	श्री प्रेमरतन			,,	,,	नियुक्त के आदेश दे दिए गये पोष्टिंग के आदेश अब दिए जा रहे हैं
७.	श्री शुगनलाल	१–१०–१९५६		,,	,,	
८.	श्री फूलचन्द	१–१०–१९५६		,,	,,	
९.	श्री फौजसिंह	२८–१०–१९५६	मिडिल	,,	,,	
१०.	श्री बृजमोहनलाल	१–१०–१९५६		,,	,,	

सूची उन व्यक्तियों की जो सहायक निरीक्षक के पदों पर अस्थाई कार्य कर रहे हैं

क्रम संख्या	नाम	सहायक निरीक्षक के पद पर नियुक्त होने का दिनांक	योग्यता	स्थाई या अस्थाई	जनसेवा आयोग के अनुमोदन का विवरण	विशेष विवरण
१.	श्री मोतीलाल	१–११–१९५४		अस्थाई	३०–६–५७ तक के लिए अनुमोदन प्राप्त हो चुका है	सन् १९५५ से राज्य सेवा में हैं स्थानान्तर द्वारा नियुक्त हुए हैं
२.	श्री सबलसिंह	१–११–१९५५	मैट्रिक	,,	,,	ये राज्य सेवा में १० वर्ष से हैं। स्थानान्तर से इस पद पर हैं।
३.	श्री गोवर्धनसिंह	अगस्त १९५६		,,	,,	जन सेवा आयोग से सहायक निरीक्षक के पद कम होने में सिलेक्शन नहीं हुआ परन्तु ३०–६–५७ तक अस्थाई रखने की स्वीकृति स्थायी एल. डी. सी. हैं। आयोग से प्राप्त हो चुकी है। ये

Page No.140

१	२	३	४	५	६	७
४.	श्री नाथूराम	२६–१०–१९५१	मैट्रिक	,,	,,	आयोग से प्राप्त हो चुकी है। पे स्थाई L. D. C.
५.	श्री मुसद्दीलाल	१४–१०–१९५५	,,	,,	,,	स्थानान्तर पर लिए गए (V. L. W. के पद के)
६.	श्री फतहसिंह	१–१२–१९५५	,,	,,	,,	,,
७.	श्री मनीराम	२५–३–१९५४	बी. ए.	,,	,,	अस्थाई
८.	श्री राधेश्याम	१–११–१९५६	इन्टर	,,	,,	३–४–५४ से राज्य सेवा में है।
९.	श्री स्वरूपनारायण	१५–६–१९५५	,,	,,	,,	अजमेर राज्य के एकीकरण से लिए गए। अजमेर में अस्थाई इन्सपेक्टर ये स्थानान्तर पर लिये गये हैं (क्लर्क के पद के)
१०.	श्री हरिशचन्द्र	१४–१०–१९५५	मैट्रिक	,,	,,	अस्थाई
११.	श्री खेतसिंह	२२–६–१९५५	,,	,,	,,	,,
१२.	श्री गणपतराम	६–१२–१९५५	,,	,,	,,	
१३.	श्री बलबीरसिंह	१०–६–१९५५	,,	,,	,,	क्लर्क के पद के स्थानान्तर पर लिए गए हैं।
१४.	श्री रामचन्द्र	६–६–१९५६	,,	,,	,,	अस्थाई
१५.	श्री दिलीपसिंह	१२–६–१९५६	इन्टर	,,	,,	,,
१६.	श्री जोरावरसिंह	२१–१०–१९५५	,,	,,	,,	स्थानान्तर से आए हैं।
१७.	श्री शिवदेवराम	२४–१२–१९५५	,,	,,	,,	,,
१८.	श्री शिवसिंह	२१–७–१९५६	मैट्रिक	,,	२०–१–५७	अस्थाई
१९.	श्री भीमसिंह	२०–७–१९५६	,,	,,	,,	,,
२०.	श्री विजयसिंह	२६–६–१९५६	,,	,,	,,	,,
२१.	श्री रामनारायण	१–१०–१९५६	,,	,,	,,	,,
२२.	श्री दलवीरसिंह	१–१०–१९५६	,,	,,	,,	जन सेवा आयोग को इनके Reten-

१	२	३	४	५	६	७
						tion के लिए स्वीकृति भेजने हेतु लिखा गया है।
२३.	श्री विशम्भरदयाल	१-१०-१९५६	,,	,,	,,	
२४.	श्री कैलाशचन्द्र	६-१०-१९५६	,,	,,	,,	जब तक आयोग द्वारा उम्मेदवारों की भरती की कार्यवाही न हो इनके Retention के लिए स्वीकृति देने हेतु आयोग को लिखा गया है।
२५.	श्री रामचन्द्र	७-१०-१९५६	,,	,,	,,	अस्थाई
२६.	श्री हरध्यानसिंह	१-१-१९५७	,,	,,	,,	,,
२७.	श्री प्रेमसुख	१-१२-१९५६	,,	,,	,,	स्कूल टीचर के पद से स्थानान्तर पर आए हैं।

उपरोक्त पदों के लिए राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा उम्मेदवारों के भर्ती के लिए कार्यवाही चल रही है। जन सेवा आयोग में resignation भेजा गया है परन्तु वह पुनः प्राप्त होने से पूर्ति के पश्चात् शीघ्र ही भेज recruitment की कार्यवाही कार्यवाही जायगी।

परिशिष्ट ७

(कृपया अतांराकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर देखिये)

पंचायत विभाग के जिला निरीक्षकों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	दिनांक नियुक्ति	योग्यता	स्थाई या अस्थाई	विशेष विवरण
१	श्री हरिसिंह	३—६—१६३०	....	स्थाई	अगस्त १६५२ में सरकार द्वारा नियुक्त सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुने गए हैं।
२	श्री वामनदास	११—१०—१६३६	विशारद	,,	,, ,,
३	श्री अभयकुमार	१—२—१६४६	मैट्रिक्यूलेट	,,	,, ,,
४	श्री रामसिंह	८—५—१६४६	....	,,	,, ,,
५	श्री पुरुषोत्तमलाल	७—८—१६४३	....	,,	,, ,,
६	श्री बालसिंह	१३—१२—१६४६	मैट्रिक्यूलेट	,,	,, ,,
७	श्री सुगनसिंह	३१—१—१६४५	,,	,,	ये स्थाई इन्सपेक्टर हैं परन्तु पंचायत विषय एवं सहकारी प्रसार अधिकारी के स्थान पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं।
८	श्री रामचन्द्र	१०—८—१६२६	....	,,	अगस्त १६५२ में सिलेक्शन कमेटी द्वारा नियुक्त
६	श्री हेतराम	३१—५—१६४७	....	,,	,, ,, । दो वर्ष के लिए इनकी सेवाएं भारत सेवक समाज के disposal पर on deputation दी गई।
१०	श्री देवीचरण	१—४—१६४६	साहित्य रत्न	,,	अगस्त १६५२ में सिलेक्शन कमेटी द्वारा नियुक्त।
११	श्री चिमनलाल	१—४—१६४६	....	,,	,, ,,
१२	श्री हाकिमसिंह	३—१०—१६४६	मैट्रिक्यूलेट	,,	,, ,,
१३	श्री सूरजभानसिंह	१६—१२—१६२७	....	,,	,, ,,

१	२	३	४	५	६
१४	श्री तेलराम	१—५—१९४०	....	,,	,, ,,
१५	श्री रावतमल	७—६—१९२६	....	,,	,, ,,
१६	श्री शरतचन्द्र	२९—७—१९५३	एम. ए.	,,	राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा जून १९५३ में सीधे नियुक्त किए गए।
१७	श्री धर्मप्रियसिंह	१२—८—१९५३	एम.ए.,एलएल.बी.	,,	राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा जून १९५३ में सीधे नियुक्त किये गए।
१८	श्री जयसिंह	१२—८—१९५३	बी.कॉम.,एल एल बी.	,,	,, ,,
१९	श्री मांगीलाल	२९—७—१९४१	बी. ए.	,,	जुलाई सन् १९५५ में जन सेवा आयोग के अनुमोदन से नियुक्त
२०	श्री हरगोविन्द	१—४—१९३७	....	,,	,, ,,
२१	श्री उदयवीरसिंह	७—१२—१९४४	मैट्रिक्यूलेट	,,	सितम्बर १९५६ में जन सेवा आयोग द्वारा नियुक्त
२२	श्री रमेशचन्द्र	१४—४—१९४७	,,	अस्थाई	ये अजमेर राज्य में इन्सपेक्टर थे। अभी एकीकरण में नियुक्ति हुई है।
२३	श्री यादरामसिंह	१—१—१९३९	....	,,	जन सेवा आयोग द्वारा सितम्बर १९५६ में इन्सपेक्टर नियुक्त किए गए।
२४	श्री प्रतापसिंह	११—१२—१९५१	मैट्रिक्यूलेट	,,	,, ,, (अस्थाई निरीक्षक)
२५	श्री पृथ्वीसिंह	२८—४—१९५३	बी. कॉम	,,	,, ,, (,, ,,)
२६	श्री परमेश्वर दयाल	२८—१—१९४६	इन्टरमिजियट	,,	स्थाई सहायक निरीक्षक हैं और जुलाई १९५६ से थर्ड ग्रेड में इन्सपेक्टर के स्थान पर अस्थाई कार्य कर रहे हैं।
२७	श्री बलवन्तसिंह	१९—१२—१९५१	मैट्रिक्यूलेट	,,	,, ,,

....

श्री शुगनसिंह, रावतमल, यादरामसिंह तथा हेतराम निरीक्षक अभी क्रमशः १, २, ३, राष्ट्रीय विस्तार सेवाखंड में ब

१	२	३	४	५	६
					श्री हेतराम भारत सेवक समाज में कार्य कर रहे हैं उनके बजाए अन्य अधिकारी अस्थाई कार्य कर रहे हैं

नोट—श्री मांगीलाल भव्य व श्री सुन्दरनाथ स्थाई इन्सपेक्टर्स हैं मिनियोरिटी लिस्ट में नं० १ व २ पर होने से अस्थाई तौर पर डिविजन नं० ४ पंचायत अधिकारी का कार्य कर रहे हैं।

क्रम संख्या	नाम	दिनांक नियुक्ति	योग्यता	स्थाई या अस्थाई	विशेष विवरण
१	श्री रामस्वरूप	४—८—१९५१	बी. ए.	अस्थाई	ये जन सेवा आयोग द्वारा अगस्त १९५६ में पंचायत कम कोपरेटिव एक्सटेन्सन आफिसर नियुक्त किए गए। अस्थाई तौर पर इन्सपेक्टर का कार्य कर रहे हैं।
२	श्री दलवीरसिंह	२—६—१९५५	बी. ए.	,,	आयोग द्वारा पंचायत एवं सहकारी प्रसार अधिकारी के स्थान पर नियुक्ति हुई। जनवरी सन् १९५३ में इन्सपेक्टर हैं।
३	श्री दीपचन्द	२—६—१९५०	मेट्रिक्यूलेट	,,	ये स्थाई सहायक निरीक्षक हैं। इसी माह में अस्थाई तौर पर निरीक्षक की जगह स्थानान्तरित किए गए हैं।

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

ESTIMATED GOVERNMENT EXPENDITURE ON A COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK (BASIC TYPE) FOR A PERIOD OF THREE YEARS.

(This budget is only intended as a guide and is to be adjusted according to local conditions under the powers delegated to State Government)

(Figures in lakhs of rupees)

Heads.	Toatl	Rupee.	Dollar.	Recurring	Non-recurring.	Lan,	Other than. loans.
	2	3	4	5	6	7	8
1. Block Headquarters.							
(a) personnel	2.00	2.00	-	2.00	-	-	2.00
(b) Transport (3 Jeeps)	0.45	0.21	0.24	-	0.45	-	0.45
(c) Office equipment, furniture etc...	0.15	0.15	-	-	0.15	-	0.15
(d) Project Office, Seeds store, Information Centre etc.	0.25	0.25	-	-	0.25	-	0.25
Total	2.85	2.61	0.24	2.00	0.85	-	2.85
II. Animal Husbandry and Agricultural Extension Demonstration epuipment.	0.10	0.07	0.03	-	0.10	-	0.10
III. Irrigation.							
IV. Relcamation (including soil con-) servation, contour bunding etc))	4.00	4.00	-	-	4.00	3.500	0.50

V. Health and Rural Sanitation.							
(1) (a) Dispensary-recurring expenditure.	0.20	0.20	-	0.20	-	-	0.20
(b) Dispensary building.	0.10	0.10	-	-	0.10	-	0.10
(c) Dispensary equipment.	0.10	0.10	-	-	0.10	-	0.10
(2) Drainage and Sanitation.	0.25	0.25	-	-	0.25	-	0.25
(3) Drinking water supply.	0.50	0.50	-	-	0.50	-	0.50
Total	1.15	1.15	-	0.20	0.95	-	1.15
VI. Education.	0.70	0.70	-	0.20	0.50	-	0.70
VII. Social Education (including aduio-visual aids and women, youth and children's programmes)	0.70	0.54	0.16	0.40	0.30	-	0.70
VIII. Communications.	1.00	1.00	-	-	1.00	-	1.00
IX. Rural Arts, Crafts & Industries.	0.50	0.50	-	0.25	0.25	-	0.50
X. Housing for Project staff and Rural Housing.	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	-
Grand Total.	12.00	11.57	0.43	3.05	8.95	4.50	7.50

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिये)

List of non-gazetted staff of the Civil Supplies Deptt.

Whose fixation cases are yet to be finalised.

S. N.	Name	Designation.
JAIPUR DIVISION.		
1.	Shri Ambalal Calla.	Ex. D. S. O.
2.	„ Madan Lal Purolit	U. D. C.
3.	„ Sant Kumar Gupta	Ex. Office Supdt,
4.	„ Tara Chand Goha	L. D. C.
5.	„ Roop Singh	U. D. C.
6.	„ Nirbhey Lal	U. D. C.
7.	„ Heralal Zindel	L. D. C.
8.	„ Jaggan Nath Pd.	L. D, C.
9.	„ Ramgopal	Rationing Insp.
10.	„ Jamna Lal	U. D. C.
11.	„ J. K. Bhatnager	U. D. C.
12.	„ Ram Narain Peon	Peon.
13.	„ Laxman Singh	L. D. C.
14.	„ Kishanchand Vyas	O/Supdt
15.	„ Ramanandan	Peon.
16.	„ Krishna Chandra	Supervisor
17.	„ Radhey Sham Verma.	L. D. C.
18.	„ Prakash Narain Nigam	L. D. C.
19.	„ Govind Narain	L. D. C.
20.	„ Ram Lal	L. D. C.
21.	„ Gagnnath	Peon.
22.	„ Panna Lal	-do-
23.	„ Goverdhan Lal	L. D. C.
24.	„ Brijmohan Lal Pareek	L. D. C.
25.	„ Phool Singh	Inspector.
UDAIPUR.		
1.	Shri Tribhuj Lal	L. D. C.
2.	„ Nar Singh Lal	Supervisor.
3.	„ Nathu Singh Driver	Driver
4.	„ Madan Lal	E. I.
5.	„ Devi Singh	R. I.

6.	„	Govind Lal	L. D. C.
7.	„	Ram Lal	Peon.
8.	„	Sobha Lal	Supervisor.
9.	„	Heera Lal.	-do-
10.	„	Abdul Rehman	U. D. C.
11.	„	Ganesh Lal Talesra.	L. D. C.
12.	„	Jai Singh Mehta.	Supervisor.
13.	„	Bhanwar Lal Khamesera.	U. D. C.
14.	„	Roshan Lal	Supervisor.
15.	„	Ganeshilal Dhupia.	L. D. C.
16.	„	Devilal Vyas.	-do-
17.	„	Amba Lal	U. D. C.
18.	„	Sawai Singh Bolia.	-do-
16.	„	Mohan Singh.	-do-
20.	„	Dwaru Lal	L. D. C.
21.	„	Govind Singh.	Supervisor
22.	„	Mohan Lal.	-do-

KOTAH

1.	Shri	Revati Lal	A. S. K.
2.	„	Mohan Lal.	L. D. C.
3.	„	Shyambeharilal	-do-
4.	„	Misri Lal.	T. P. C.
5.	„	Gopi Krishan.	L. D. C.
6.	„	Choth Mal	Peon.
7.	„	Soorajmal.	L. D. C.

JODHPUR.

1.	Shri	Ram Narain Upadya	E. I.
2.	„	Pannay Singh.	U. D. C.
3.	„	Aditya Narain.	L. D. C.
4.	„	Mansha Shanker.	A. R. O.
5.	„	Mawaraj	L. D. C.
6.	„	Pyare Lal	-do-
7.	„	Sardar Mal	Supervisor

BIKANER

1.	Shri	Radha Kishan.	U. D. C.
2.	„	Ramesh Chandra	L. D. C.
3.	„	Banhsi Dhar.	-do-
4.	„	Manohar Lal	-do-
5.	„	Jai Narain	-do-
6.	„	Prem Chanb Acharya	U. D. C.

7.	,,	Rama Kant.	L. D. C.
8.	,,	Ram Gopal	-do-
9.	,,	Moti Lal	-do-
10.	,,	Madan Gopal Vyas.	R. I.
11.	,,	Sajdur Rehman.	L. D. C.
12.	,,	Prem Chand Bhatnager.	Office Supdt.
13.	,,	Banwari Lal.	L. D. C.
14.	,,	Brij Ratan Vyas.	A. S. K.
15.	,,	Tulsi Dass Ranga.	S. K.

(सदन की मेज पर रखे गये वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्न-समय में न पूछे जा सके ।)

उदयपुर की झीलों में किराये पर चलने वाली नौकाएँ

३३७. श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : क्या परिवहन (यातायात) मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) उदयपुर की झीलों में किराये पर चलने वाली नौकायें महाराणा साहब उदयपुर की हैं अथवा नगर निगम की ?

(ख) यदि महाराणा साहब की हैं तो क्या वह नौकानयन कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत चलती हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या नगर निगम उदयपुर ने उक्त कार्यवाही रोकने को और कोई कदम उठाया है या सरकार ने महाराणा से नौकायें रोकने के लिये प्रार्थना की है ?

(ङ) अब इस दिशा में सरकार क्या करना चाहती है ?

उत्तर

(क) उदयपुर की फतहसागर और पिछौला झील में नगर निगम की नौकाएं चलती हैं और महाराणा सा०, उदयपुर की तरफ से भी पिछौला झील में नौकाएं चलाई जाती हैं ।

(ख) व (ग) महाराणा सा० की भी नौकाएं चल रही है परन्तु उन्होंने बोटिंग एक्ट के तहत कोई लाइसेन्स नहीं लिया ।

(घ) जी हां !

(ङ) कलेक्टर से रिपोर्ट आने पर रिपोर्ट की जावेगी ।

जोधपुर में नया थर्मल पॉवर स्टेशन बनाने की योजना

३३८. श्री आनन्दसिंह कछवाहा, (जोधपुर १)

६—क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जोधपुर में नया थर्मल पॉवर स्टेशन बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति है और कब इसके लिए कौन सी साईट मुकर्रर की गई है ?

(ख) क्या जोधपुर जिलान्तर्गत फलौदी नगर में सरकार को पावर हाउस खरीदे एक साल हो गया है, मगर नगर में अब तक बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है ? क्या सरकार को यह भी मालूम है कि फलौदी में बिजली न होने की वजह से कुए का पम्प भी बन्द है जिसकी वजह से पीने के पानी की बड़ी तंगी है ? यदि हां, तो सरकार ने पीने के पानी की क्या व्यवस्था की है ?

(ग) क्या जोधपुर पावर हाउस में जो पानीपत का प्लान्ट लगाया गया है उसके पहिले जो मशीनें काम कर रही थीं उसकी मरम्मत कराने की सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) जोधपुर शहर में बिजली की तकलीफ को दूर करने के लिए क्या राजस्थान सरकार डीजल सैट लगा कर टेम्प्रेरी प्रबन्ध करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो यह प्रबन्ध कब तक हो जावेगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) क्या जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में; बिलाड़ा नगर में बिजली लगाने के लिये २५० किलोवाट का जनरेटिंग सैट करीब १ साल से आया हुआ पड़ा है, मगर चालू नहीं किया जाता है इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(क) जी हां इसके बारे में ३००० के डबल्यु प्रत्येक के दो टरबाइन ३०-७-५६ को डी. जी. एस. डी. द्वारा एशिया इलैक्ट्रिक कम्पनी पर आज्ञा जारी किया जा चुके हैं जिनका डिलीवरी पीरियड २० माह एक्स वर्क्स है। सेट लाने तथा कमीशन करने में डेढ़ साल और लग जायगा यानी १९६० के आरम्भ में सेट लगाकर चालू करने की सम्भावना है। इस पावर हाउस के लिए भगत की कोठी तजवीज की गई है।

(ख) फलोदी पावर हाउस के लिए एक १०० किलोवाट का डीजल सेट के लिए ६ माह पहिले आज्ञा जारी की जा चुकी है परन्तु विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में दिक्कत आने के कारण यह सेट जिनका कि डिलिवरी पीरियड ८, १० माह एक्स स्टाक है समय पर प्राप्त नहीं हो सकेंगे। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी की जा रही है। जब तक यह सेट लगा कर चालू नहीं किए तब तक फलौदी पॉवर हाउस की स्थिति के अन्य सुधार होने की सम्भावना नहीं है।

जोधपुर की पुरानी मशीनें हिन्दुस्तान में मरम्मत होने के काबिल नहीं हैं। इसलिए इनकी मरम्मत पूरी तरह से नहीं की जा सकी।

(घ) जोधपुर पॉवर हाउस के लिए डीज़ल सेटस की व्यवस्था नहीं की गई कि वहां पर स्टीम प्लांट का आर्डर कर दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डीजल सेट का लगाना लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा।

(ङ) स्विच गीयर अभी प्राप्त न होने के कारण इन सेटों को लगाना सम्भव नहीं है।

शिवगंज व सुमेरपुर के बीच में पूसाल्या तथा जवाइ नदियों पर पुलिये

३३९. श्री मोहब्बत सिंह (सिरोही) : Will the P. W. D. Minister be pleased to state :—

When does the Government contemplate to complete the causeway (Nullah) on Posaliya river and Jawai river between Sheoganj and Sumerpur in Sirohi district ?

उत्तर

By the and of 1958-1959 So.

राजस्थान लोकल बोडीज सर्विस नियमों का प्रकाशन

३४०. श्री धर्मपाल पंवार (नोहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान लोकल बोडीज़ सर्विस नियम सरकार द्वारा बनाये जाकर प्रकाशित कर दिये गये हैं ?

(२) अगर हां, तो वे कब तक लागू कर दिये जावेंगे ?

(३) अगर प्रकाशित नहीं करवाये गये हैं तो कब तक प्रकाशित कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(१) जी नहीं। राजस्थान लोकल बोडीज सर्विस नियम अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

दौसा—गंगापुर इत्यादि सड़कों के निर्माण की योजना

३४१. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

निम्नलिखित सड़कों के निर्माण के संबंध में निर्माण विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है ?

(१) दौसा से गंगापुर।

(२) जयपुर टोंक रोड ४ मील से गोपालपुरा।

(३) शिवदासपुरा रोड से चन्दलाई।

उत्तर

(१) यह योजना नहीं है।

(२) ये दोनों कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हैं।

त० शेरगढ़ फलौदी में बुनकरों की सहकारी समितियां

३४२. श्री सूरजमल (फलोदी) : क्या सहकारी मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील शेरगढ़ फलौदी में बुनकरों की कितनी सहकारी समितियां हैं ?

(ख) उक्त तहसीलों में बुनकरों की जनसंख्या अत्यधिक होने से क्या सरकार अधिक संख्या में सहकारी समितियां खुलवाने का विचार करेगी ?

उत्तर

(क) तहसील शेरगढ़ में ८ व तहसील फलौदी में ५ बुनकरों की सहकारी समितियां हैं।

(ख) उक्त, तहसीलों में अधिक संख्या में सहकारी समितियां खुलवाने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

ग्राम ढावस को बाटिका फागी सड़क में मिलाने सम्बन्धी

३४३. श्री नाथूलाल (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

बाटिका फागी रोड में ढावस गांव को सड़क द्वारा मिलाने की क्या कोई कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

कोई योजना नहीं है।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, बृहस्पतिवार, दिनांक २३ मई, १६५७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३४७३	६	क्या स्टाक हल्डोर	क्या स्टॉक होल्डर
,,	१०	स्टक होल्डर्स की दुकानें	स्टॉक होल्डर्स की दुकानें
,,	१५	व सबको डिस्ट्रीब्यूट	वे सबको डिस्ट्रीब्यूट
३४७४	६	ईसीर्म कोई दिक्कत नहीं	इसमें कोई दिक्कत नहीं
३४६६	१४	मुझे मालूम, है	मुझे मालूम है,
३५०१	३१	श्र तनसिंह	श्री तनसिंह
,,	३२	कि कोई गन्त्री	कि कोई मन्त्री
३५०२	११	सरदारगढ में श्रमकों	सरदारगढ़ में श्रमिकों
३०५३	२८	चद्दरों :	चद्दरें ;
३५०४	१०	श्री सूबेदरसिंह	श्री सूबेदारसिंह
३५१४	१८	की की जा रहा है	की जा रही हैं
,,	२६	श्री भैोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
३५१६	२०	श्री आनन्दसहिं कछवाहा	श्री आनन्दसिंह कछवाहा
३५१७	६	रहे हो तो अनाधिकृत	हो रहे हैं तो अनाधिकृत
,,	११-१२	जो ऑथोरइज्ड थें	जो ऑथोराइज़्ड थे
३५२०	अन्तिम से तृतीय पंक्ति	श्री मोनहरसिंह	श्री मोहरसिंह
३५२१	२	(श्री मोनहरसिंह)	(श्री मोहरसिंह)
३५२२	२२	डी. पी. और सी. पी. ओ.	डी. पी. ओ. और सी. पी. ओ.
३५२४	११	उसका काट पैसा कर	उसका पैसा काट कर
३५२५	१६	मीडवास सड़क बनाने	मीठवा सड़क बनाने
३५३०	७-८	उलिखित	उल्लिखित
३५३१	२५	रिजेस्टेड कोई नहीं है।	रिजेक्टेड कोई नहीं है।
३५३२	१२	पीने का पानी सुहैया	पीने का पानी मुहैया
३५३३	४	कैसे हुआ ?	कब कब हुआ ?
,,	७	कब कब ?	कैसे ?
,,	१६	कोऑपरेटिव एक्स शंन	कोऑपरेटिव एक्सटेंशन
३५३५	२५	मशीम इसलिए पड़ी	मशीन इसलिये पड़ी
३५३६	अन्तिम पंक्ति	teps forincrea jings	Steps for increasing
३५३७-३५४२	१	तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर

१	२	३	४
३५४०	२४	किसी भी संस्या की	किसी भी संस्था की
,,	२५	सिद्धान्त निर्णित हो चुका	सिद्धान्त निर्णीत हो चुका
३५४१	५	बीकानेर के, खाद्य	बीकानेर के खाद्य,
३५४३	३	अमेण्डमेण्ट विधेयक, १९५७	(अमेण्डमेन्ट) विधेयक, १९५७
,,	१९-२१	फाइनेन्स एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स विधेयक (खण्डश :	फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स) विधेयक (खण्श :
३५४५	११	इसमें ६ नये पैसे	उसमें ६ नये पैसों
३५४६	२३	जिनकी अभी लिलिट	जिनकी कि अभी लिमिट
,,	३१	Is the figre of 75	Is the figure of 75
३५४७-३५४८	१	—२२ मई, १९५७—	—२३ मई, १९५७—
३५५२	१७	से प्रकार गरीबो	प्रकार से गरीबो
३५५३	१	राजस्ववित्त (कृषि	राजस्थान वित्त (कृषि
३५५५	२१	इसका मत तब यह है	इसका मतलब यह है
३५५७	१४	Yestarday it was	Yes terday it was
३५६७-३५६८	१	मांग संख्या १४—शिक्षा	राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १९५७
३५७४	११	आखिर किसकी वजह	आखिर किस वजह
३५७७	अन्तिम से चतुर्थ पंक्ति	मैं कॉलज	मैं कलाज़
३५८३	२९	सामने करेंगे कि वे	सामने करेंगे कि वे
३५८५	२	(श्री जनार्दराय नागर)	(श्री अर्जुनदास)
,,	२८	श्री दमनसिंह	श्री मदनसिंह
३५८६	१५	no gricultural	no agric ultural
,,	१८	or fmily on the	or family on the
३५९१	७-८	uot a Scieutific	not a scientific
,,	अंतिम पंक्ति	कई रूप में । सरकार	कई रूप में सरकार
३५९२	१६	श्री दामोदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
३५९३	२४	को तो को देती है	को तो छूट देती है
३५९७	१८	श्री हरिभाऊ उपाध्याय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
३६०६	१३	Which the Bll is to	Which the Bill is to
३६०७	३०	है करीव : करीब	है ; करीब करीब
३६०९	२०	१८० के बजाय	१८० के बजाय

१	२	३	४
३६०६	२१	दिया । ताकि	दिया ताकि
३६१२	३२	इस बिल की तृतीय	इस बिल के तृतीय
३६१५	७–८	लगाकर अनिमितता	लगा कर अनियमितता
३६१६	५	पसीना बहा को	पसीना बहा कर
३६१७	१६–२०	(अमेन्डमेण्ट एण्ड एक्स टेंडिंग बिल	(अमेंडिंग एण्ड एक्सटेंडिंग) बिल
,,	अंतिम से द्वितीय	कि सेन्ट्रल एक सेल्स	कि एक सेन्ट्रल टैक्स
३६२८	१५–१६	टैक्स में आपको	टैक्स के बारे में आपको
३६४६	२	(श्री तनसिंह)	(श्री तनसिंह)
३६३?–३६३२	१	—२ मई, १६५७—	—२३ मई, १६५७—
३६४५	११	जनता की हितों के बातें	जनता के हितों की बातें
३६६५	१	राजस्थान सेल्स टैक्स है	राजस्थान सेल्स टैक्स
३६६७	१	राजस्थान टैक्स सोच	राजस्थान सेल्स टैक्स
,,	२४	हो उस जगह उस पर	हो उसी जगह पर
३६७१	२५	टैक्स लजाने वाला हैं	टैक्स लगाने वाले हैं
३६७२	१७	On point of inf ormation	On a point of inform alion
३६८८	१८	pending in in any	pending in any
३६६८	१०	at the Government- hostel	at the Gournment hostel.
३७०२	११–१२	फिक्सेशन के मामलों का का निपटारा	फिक्सेशन के मामलों का निप टारा
३७०४	२७–२६	खण्ड संशोधत रूप में विधेयक का अंगभूत स्वीकार किया नया	खण्ड संशोधित रूप में विधेयक में अंगभूत स्वीकार किया गया
३७११	टोटल के सामने चतुर्थ व पंचम कॉलम में	— —	51 21

१	२	३	४
३७१२	तृतीय कॉलम संख्या ४	कोसी कुवा	काली कुत्ता
३७३०	छठा कॉलम पंक्ति १२	पंचायत विषय एवं	पचायत एवं
३७३५	२	प्रश्न संख्या १ का उत्तर	प्रश्न संख्या ११ का उत्तर